रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/97 REGISTERED NO. D. L.—33001/97

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 3, 1997/वैशाख 13, 1919
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 3, 1997/VAISAKHA 13, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक अनुभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1997

का.आ. 1112.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री ए. जयप्पा एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे बंगलौर रीजनल एरिया (कर्नाटक) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(85)/97-न्यायिक]

एन.सी. जैन, सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

NOTICE

New Delhi, the 2nd April, 1997

S.O. 1112.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. A. Jayappa Advocate for appointment as a Notary to practise in Bangalore Regional Area (Karnataka).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(85)/97-Judl.]

N. C. JAIN, Competent Authority & Addl. Legal Adviser

सूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1997

का.आ. 1113:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री अशेष कान्ती चक्रवर्ती एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जलपाई गुड़ी जिला (पश्चिम बंगाल) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप मे मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(84)/97-न्यायिक]

एन.सी. जैन, सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार

NOTICE

New Delhi, the 2nd April, 1997

S.O. 1113.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Asesh Kanti Chakraborty Advocate for appointment as a Notary to practise in Jalpaiguri Distt. (West Bengal).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(84)/97-Judl.]

N. C. JAIN, Competent Authority & Addl. Legal Adviser

सूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1997

का.आ. 1114:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री देबाशीष गुहा एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे अलीपुर जज कोर्ट, साऊथ 24 परगना (पश्चिम बंगाल) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(83)/97-न्यायिक]

एन.सी. जैन, सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार

NOTICE

New Delhi, the 2nd April, 1997

S.O. 1114.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Debashis Guha Advocate for appointment as a Notary to practise in Alipore Judges Court South 24 Parganas (West Bengal).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(83)/97-Judl.]

N. C. JAIN, Competent Authority & Addl. Legal Adviser

सूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1997

का.आ. 1115:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण मे सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री प्रदीप कुमार दत्ता एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(80)/97-न्यायिक]

एन.सी. जैन, सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार

NOTICE

New Delhi, the 2nd April, 1997

S.O. 1115.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Pradip Kumar Datta Advocate for appointment as a Notary to practise in Calcutta.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(80)/97-Judl.]

N. C. JAIN, Competent Authority & Addl. Legal Adviser

सूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1997

का.आ. 1116:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री तीर्थ गंगाराम गोलानी एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे सीआरॉन कोलवाड़ा किंग सर्कल क्षेत्र (महाराष्ट्र) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप मे मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(75)/97-न्यायिक]

एन.सी. जैन, सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार

NOTICE

New Delhi, the 2nd April, 1997

S.O. 1116.—[illegible]e is hereby given by the Competent Author[illegible] pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Tirth Gangaram Gotam for appointment as a Notary to practise in Sion Kolnade King Circle Area (Maharashtra).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(75)|97-Judl.]

N.C. JAIN, Competent Authority & Addl. Legal Adviser

सूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1997

का.आ. 1117:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री श्रीधर भीमराव देसाई, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे हुबली सिटी (कर्नाटक) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(86)/97-न्यायिक]

एन.सी. जैन, सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार

NOTICE

New Delhi, the 2nd April, 1997

S.O. 1117.—Notice is herebl given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Shridhar Bhimrao Desai Advocate for appointment as a Notary to practise in Hubli City (Karnataka).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(86)|97-Judl.]

N.C. JAIN, Competent Authority & Addl. Legal Adviser

सूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1997

का०आ० 1118:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री डी.ए. रहीम, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे यादगीर तालुका, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(88)/97-न्यायिक]

एन.सी. जैन, सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार

NOTICE

New Delhi, the 2nd April, 1997

S.O. 1118.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. D. A. Raheem, Advocate for appointment as a Notary to practise in Yadgir Taluka, Distt. Gulbarga, Karnataka.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(88)|97-Judl.]

N.C. JAIN, Competent Authority & Addl. Legal Adviser

सूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1997

का.आ. 1119:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री कांति भूषण राय, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे 24 परगना (पश्चिम बंगाल) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(79) 97-न्यायिक]

एन.सी. जैन, सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार

NOTICE

New Delhi, the 3rd April, 1997

S.O. 1119.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rule 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Kanti Bhushan Roy, Adv. for appointment as a Notary to practise in 24 Parganas (West Bengal).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in

writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(79)/97-Judl.]

N.C. JAIN, Competent Authority & Addl. Legal Adviser

सूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1997

का.आ. 1120.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री एम.एन. नीलकान्त, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे मैसूर सिटी (कर्नाटक) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(68)/97-न्यायिक]

एन.सी. जैन, सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार

## NOTICE

New Delhi, the 3rd April, 1997

S.O. 1120.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rule, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. M. N. Neelakanta, Advocate for appointment as a Notary to practise in Mysore City (Karnataka).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(68)/97-Judl.]

N. C. JAIN, Competent Authority & Addl. Legal Adviser

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का. आ. 1121.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधियोगियों को फेरबदल) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने की तिथि से श्री सी. एल. गुलाटी, सहायक निदेशक के स्थान पर श्री बाई. मेहता, संयुक्त सहायक निदेशक, सहायक आसूचना ब्यूरो चण्डीगढ़ को जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सपदा अधिकारी नियुक्त करती है और यह निर्देश देती है कि उक्त अधिकारी, उप-निदेशक, सहायक आसूचना ब्यूरो चण्डीगढ़ के नियन्त्रणाधीन सभी सरकार वास-सुविधा के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन होगा।

[संख्या 1/सी. 2/93(चण्डीगढ़)-I-2980]

ओ. पी. आर्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 1121.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (eviction of unauthorised occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri Y. Mehta, Jt. Asstt. Director, Subsidiary Intelligence Bureau, Chandigarh being a Gazetted Officer of the Government, to be the Estate Officer in place of Shri C. L. Gulati, Assistant Director w.e.f date of issue for the purposes of the said Act and directs that the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties, imposed on the Estate Officer by or under the said Act, in respect of all Government accommodation under the control of the Deputy Director, SIB, Chandigarh.

[No. 1/CII/93(CHG)-I-2980]

O. P. ARYA, Jt. Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1997

का. आ. 1122.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार के गृह विभाग (समूह-5) के आदेश संख्या एफ. 14 (12)/होम-5/96 दिनांक 2-11-1996 द्वारा दी गयी सहमति से, भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 419, 468, 471, 120-बी के अधीन थाना फतेहनगर, जिला-उदयपुर, राजस्थान में पंजीकृत अपराध संख्या 166/95 के अन्वेषण के लिए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे व्यवहार के अनुक्रम में किया गया या किये गये किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर करती है।

[सं. 228/72/96-ए. वी. डी.-II]

हरि सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 11th April, 1997

S.O. 1122.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Rajasthan Home (Gr.-5) Department Order No. F. 14(12) Home-5/95-Jaipur dated Nil hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special

Police Establishment to the whole of State of Rajasthan for investigation of the offences of F.I.R. No. 166/95 Police Station Fatehnagar, District Udaipur, Rajasthan punishable under sections 419, 468, 471, 120-B of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with one or more of the offences mentioned above and any other offence or offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/72/96-AVD.III]
HARI SINGH, Under Secy.

---

वित्त मंत्रालय

( आर्थिक कार्य विभाग )

( बैंकिंग प्रभाग )

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का. आ. 1123.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के उपखंड (1) के खण्ड 5, खण्ड 6, खण्ड 7 और खण्ड 8 के उप खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा, श्री एम. जी. भिडे, वर्तमान प्रबंधक निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक को पहली मई, 1997 से 28 फरवरी, 1999 तक की अवधि के लिए बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[एफ. सं. 9/5/97-बी. ओ.-I]
सुधीर श्रीवास्तव, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 10th April, 1997

S.O. 1123.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section 3 of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-clause (1) of clause 3 ,clause 5, clause 6, clause 7 and sub-clause (1) of Clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri M. G. Bhide presently Managing Director, State Bank of India as Chairman and Managing Director, Bank of India for the period from 1st May, 1997 and upto 28th February, 1999.

[F. No. 9/97-BO.I]
SUDHIR SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का. आ. 1124.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1), खण्ड 5, खण्ड 6, खण्ड 7 और खण्ड 8 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा, श्री टी. आर. श्रीधरन, वर्तमान उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 31 मई, 1999 तक की अवधि के लिए केनरा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[एफ. सं. 9/6/97-बी. ओ. I]
सुधीर श्रीवास्तव, उप सचिव

New Delhi, the 10th April, 1997

S.O. 1124.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section 3 of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-clause (1) of clause 3, clause 5, clause 6, clause 7 and sub-clause (1) of Clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri T. R. Sridharan presently Deputy Managing Director, State Bank of India as Chairman and Managing Director, Canara Bank for the period from the date of his taking charge and upto 31st May, 1999.

[F. No. 9/6/97-BO.I]
SUDHIR SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

( राजस्व विभाग )

कार्यालय—आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय

( सीमा शुल्क )

जयपुर, 18 मार्च, 1997

का. आ. 1125.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 152 के खंड (ए) के तहत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 33/94—सीमा शुल्क (एन. टी.) दिनांक प्रथम जुलाई, 1994 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं महेन्द्र प्रसाद, आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क जयपुर एतद्द्वारा शत प्रतिशत ई.ओ.यू. स्थापित करने के उद्देश्य से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के जालौर जिले में स्थित गाव भागली मिगलान को भण्डारागार स्टेशन (वेयर हाऊसिंग स्टेशन) घोषित करता हूं।

[क्र. सं. 2-सीमा शुल्क (एन. टी./ 97/
फा. सं.-VIII (एच) 40/4/ सी. टी. / 97]
महेन्द्र प्रसाद, आयुक्त

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

(CUSTOMS)

Jaipur, the 18th March, 1997

S.O. 1125.—In exercise of the powers delegated to the undersigned vide notification No 33/94-CUSTOMS (NT) dated the 1st July, 1994 by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi under clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962, I Mahendra Prasad, Commissioner of Customs and Central Excise, Jaipur

hereby declare Village Bhagli Singhlan, in District Jalore, in the State of Rajasthan to be a Warehousing Station under Section 9 of the Customs Act, 1962 for the purpose of setting up of 100 per cent E.O.U.

[No. 2 CUS (NT)/97/F. No. VIII(H) 40.4/CUST/97]

MAHENDRA PRASAD, Commissioner

आदेश

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1997

स्टाम्प

का.आ. 1126:—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मै. बी.ई.एस.सी. ओ. लिमिटेड, कलकत्ता को केवल एक लाख बारह हजार पांच सौ रुपए का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है जो कि उक्त कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले केवल एक करोड़ पचास लाख रुपए के कुल मूल्य के सौ-सौ रुपए के सम-मूल्य वाले 000001 से 150000 तक की विशिष्ट संख्या वाले 1,50,000—14 प्रतिशत सुरक्षित परिवर्तनीय ऋणपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है।

[सं. 6/97-स्टाम्प-एफ सं. 15/5/97-बि.क.]

एस० कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th April, 1997

STAMPS

S.O. 1126.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s BESCO Limited, Calcutta to pay consolidated stamp duty of rupees one lakh twelve thousand five hundred only, chargeable on account of the stamp duty on 1,50,000—14 per cent Secured Redeemable Non-Convertible Debentures bearing distinctive numbers from 000001 to 150000 of the face value of rupees one hundred each at par of the aggregate value of rupees one crore fifty lakhs only to be issued by the said company.

[No. 6/97-STAMPS-F. No. 15/5/97-SI]

S. KUMAR, Under Secy.

---

पुणे स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड

पुणे, 11 अप्रैल, 1997

का. आ. 1127 :—उप-नियम 247 :—पक्षों द्वारा अथवा प्रबंध की परिषद् अथवा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त पंचों को, पंच समिति के एक सदस्य को किसी भी समय निर्णायक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा और वे यदि और जब अपने पंच निर्णय के विषय में असहमत होंगे, ऐसा करेंगे।

उप-नियम 258 :—इन उप-नियमों और विनियमों के अधीन नियुक्त पंच, सभी मामलों में नियुक्ति के समय पंच समिति के सदस्य हों।

[सं. पी एस ई/16/97/135]

पुणे स्टॉक एक्सचेंज के लिए

पु. स. कडलास्कर, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी

PUNE STOCK EXCHANGE LTD.

Pune, the 11th April, 1997

S.O. 1127.—Bye-Law 247.—The arbitrators appointed by the parties or by the Council of Management of the President shall have the power to appoint a member of the Arbitration Committee as an Umpire at any time and they shall do so it and when they differ as to their award.

Bye-Law 258.—The arbitrators appointed under these Bye-Laws and Regulations shall in all cases at the time of appointment be members of the Arbitration Committee.

[No. PSE/16/97/135]

For Pune Stock Exchange Ltd.,

P. L. KADLASKAR, Officer on Spl. Duty

---

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1997

का.आ. 1128:—केन्द्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में खान मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80% या इससे अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:—

1. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर।
3. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, परिचालन, हरियाणा, फरीदाबाद।
4. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, परिचालन, बिहार, पटना।
5. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, दिल्ली कार्यालय, नई दिल्ली।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो, कलकत्ता।
7. भारतीय खान ब्यूरो, खान पट्टा नियंत्रक, नागपुर
8. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण परिचालन मध्य प्रदेश (द्वितीय) जबलपुर।

[संख्या ई-11016(1)/96-हिन्दी]

के.एम. आजवा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 17th February, 1997

S.O. 1128.—In pursuance of sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Language (use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government, hereby, notifies the following offices, under the control of the Ministry of Mines, 80 per cent staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Geological Survey of India, Northern Region, Lucknow.
2. Geological Survey of India, Western Region, Jaipur.
3. Geological Survey of India, Operational Haryana, Faridabad.
4. Geological Survey of India, Delhi Office, New Delhi.
5. Geological Survey of India, Operational Bihar, Patna.
6. Regional Office, Indian Bureau of Mines, Calcutta.
7. Indian Bureau of Mines, Controller of Mining Lease, Nagpur.
8. Geological Survey of India, Operational Madhya Pradesh (Second) Jabalpur.

[No. E-11016/1/96-Hindi]
K. S. BAJWA, Jt. Secy.

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(भारतीय मानक ब्यूरो)

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1997

का. आ. 1129 .—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) की खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिस/जिन भारतीय मानक/मानकों, का/के विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है/दिए गए हैं, वह/वे स्थापित हो गया है/हो गए हैं।

अनुसूची

| क्रम सं. | स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक | नए भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हों की सं. और वर्ष | स्थापित तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | एसपी 7: 1983 (भाग 4)—भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 1983 | संशोधन सं. 3 | 97-01-31 |
| 2. | आईएस/आईएसओ 94: 1982 वस्त्रादि मशीनरी तथा सहायकांग रिंग स्पिनिंग तथा रिंग डबलिंग मशीनों के लिये स्पिडल माप (गेज) | — | 96-12-31 |
| 3. | आईएस/आईईसी 309—2 (1989) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्लग, साकेट-आउटलेट और कपलर्स भाग 2 पिन और सम्पर्क नलिका साधित्रों की आयाम विनियम अपेक्षाएं | — | 96-09-31 |
| 4. | आईएस/आईएसओ 342 : 1983 वस्त्रादि मशीनरी तथा सहायकांग—वर्स्टेड तथा ऊनी (वूलन) कार्ड—सिलिंडर की चौड़ाई तथा वायर पर चौड़ाई | — | 96-12-31 |
| 5. | आईएस 398 (भाग 1) : 1996—शिरोपरि प्रेषण प्रयोजन के लिये एल्यूमिनियम चालक—विशिष्टि भाग 1 एल्यूमिनियम लड़दार चालक (तीसरा पुनरीक्षण) | आईएस 398 (भाग 1) : 1976 | 96-12-31 |
| 6. | आईएस/आईएसओ 574 : 1979 वस्त्रादि मशीनरी और सहायकांग—चीज़ ड्राइंग के लिए छिद्रित बेलनाकार ट्यूबें | — | 96-12-31 |

| 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 7. आईएस 579 : 1996 वनस्पति से शोधित तल्ले का चमड़ा—विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण ) | आईएस 398 (भाग 1) : 1976 | 96-11-30 |
| 8. आईएस 1171 : 1996 फेरोमैंगनीज—विशिष्टि (चौथा पुनरीक्षण) | आईएस 1171 : 1988 | 96-12-31 |
| 9. आईएस 1367 ( भाग 18) : 1996 औद्योगिक बन्धक सामग्री-इस्पात के चूड़ीदार बन्धक तकनीकी पूर्ति शर्तें भाग 18 पैकेजबंदी (तीसरा पुनरीक्षण ) | आईएस 1367 (भाग 18 ) : 79 | 96-11-30 |
| 10. आईएस 1570 ( भाग 6 ) : 1996 पिटवां इस्पात अनुसूचियां भाग 6 कार्बन और मिश्रधातु औज़ार इस्पात (पहला पुनरीक्षण ) | — | 96-12-31 |
| 11 आईएस 1877 : 1985 मसालों की पारिभाषिक शब्दावली (दूसरा पुनरीक्षण ) | आईएस 1877 : 1985 | 96-07-31 |
| 12. आईएस 1885 ( भाग 82 ) : 1996 विद्युत तकनीकी शब्दावली भाग 82 समाकलित सेवा अंकीय कार्यक्रम (आईएसडीएन ) | — | 96-11-30 |
| 13. आईएस 2014 : 1996 टी-कावले—विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण ) | आईएस 2014 : 1977 | 96-10-31 |
| 14. आईए 2707 : 1996 पृष्ठ कठोरीकरण के लिए कार्बन इस्पात छलाइयां—विशिष्टि (चौथा पुनरीक्षण ) | आईएस 2707 : 1989 | 96-12-31 |
| 15. आईएस 3178 : 1996 अपघर्षक एमरी ग्रेन—विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) | आईएस 3178 : 1965 | 96-12-31 |
| 16 आईएस 3871 : 1996 वस्त्रादि—रेशों से बनी रस्सियां एवं कार्डेज—शब्दावली (दूसरा पुनरीक्षण ) | आईएस 3871 : 1984 | 96-08-31 |
| 17. आईएस 4049 ( भाग 2 ) : 1996 टैंक और प्रैशर वैसल के लिए फॉर्मेड सिरे—विशिष्टि भाग 2 आंतरिक व्यास आधार (पहला पुनरीक्षण ) | आईएस 4049 ( भाग 2 ) : 79 | 96-01-31 |
| 18. आईएस 4298 : 1996 स्विंग सी-वाशर—विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) | आईएस 4298 : 1967 | 96-11-30 |
| 19. आईएस 4440 : 1996 इंजीनियरी माप विज्ञान—परिशुद्धता संबंधी उपस्कर—स्लिप गेज उपसाधन (पहला पुनरीक्षण ) | आईएस 4440 : 1967 | 96-10-31 |
| 20. आईएस 4818 : 1996 सोरबिक अम्ल, खाद्य ग्रेड—विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) | आईएस 4818 : 1968 | 96-10-31 |
| 21. आईएस 5126 : 1996 संवेदी विश्लेषण—शब्दावली (पहला पुनरीक्षण ) | आईएस 5121 : 1969 | 96-10-31 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 22. | आईएस 5324 : 1996 हस्तचलित स्टिलेज ट्रक—उत्थापक ट्रक (हाथ से उठने वाला) —विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) | आईएस 5324 : 1983 | 96-10-31 |
| 23. | आईएस 5347 (भाग 6) : 1996 अस्थि अन्तर्रोपणों की अपेक्षाएं भाग 6 पिटवां कोबाल्ट-क्रोमियम टंगस्टन—निकल मिश्र-धातु (पहला पुनरीक्षण) | आईएस 5347 (भाग 6) : 1984 | 96-10-31 |
| 24. | आईएस 5514 : 1996 "ली-गेटेलियर" परीक्षण में प्रयुक्त उपकरण—विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | आईएस 5514 : 1969 | 96-11-30 |
| 25. | आईएस 5707 : 1996 अगर, खाद्य ग्रेड—विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | आईएस 5707 : 1970 | 96-11-30 |
| 26. | आईएस 5960 (भाग 1) : 1996 मांस और मांस उत्पाद—परीक्षण पद्धति भाग 1 नाईट्रोजन अंश ज्ञात करना। (पहला पुनरीक्षण) | आईएस 5960 (भाग 1) : 1970 | 96-08-31 |
| 27. | आईएस 6529 : 1996 गढ़ाइयों के लिए स्टनलैस इस्पात के ब्लूम, बिलेट और स्लेब—विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | आईएस 6529 : 1972 | 96-12-31 |
| 28. | आईएस 6926 : 1996 नदी घाटी परियोजना के लिए स्थल अन्वेषण के हीरक कोर ड्रिलिंग की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण) | आईएस 6926 : 1973 | 96-10-31 |
| 29. | आईएस 7262 : 1996 खरादन मैंड्रल—विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | आईएस 7262 : 1974 | 96-10-31 |
| 30 | आईएस 8480 : 1996 फसल संरक्षण उपस्कर—पारिभाषिक शब्दावली (पहला पुनरीक्षण) | आईएस 8480 : 1997 | 96-11-30 |
| 31 | आईएस 8701 : 1996 टेमेफोस, तकनीकी—विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | आईएस 8701 : 1978 | 96-11-30 |
| 32 | आईएस/आईएसओ 9177—1 : 1989 यांत्रिक पेन्सिलें भाग 1 वर्गीकरण, आयाम, कार्यकारिता अपेक्षाएं और परीक्षण | — | 96-10-31 |
| 33. | आईएस/आईएसओ 9177—2 : 1989 यांत्रिक पैन्सिलें भाग 2 काला सीसा—वर्गीकरण और आयाम | — | 96-11-30 |
| 34 | आईएस/आईएसओ 9177—2 : 1994 यांत्रिक पैन्सिलें भाग 3 काले सीसे—एच. बी. सीसों की बंकन शक्ति | — | 96-11-30 |
| 35. | आईएस 9824 (भाग 1) : 1996 चिकित्सा उपयोग के लिये रक्ताधान उपस्कर—विशिष्टि भाग 1 शीशे की रक्तधान बोतलें, डाट तथा ढक्कन (पहला पुनरीक्षण) | — | 96-10-31 |
| 36. | आईएस 10245 (भाग 1) : 1996 श्वसन उपकरण भाग 1 बंद परिपथ श्वसन (संपीड़ित ऑक्सीजन सिलिंडर)—विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | आईएस 10245 (भाग 1) : 1982 | 96-12-31 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 37. | आईएस/आईएसओ 10360–2 : 1994 निर्देशांक मापन विज्ञान भाग 2 निर्देशांक मापन मशीनों की कार्यकारिता का मूल्यांकन | — | 96-11-30 |
| 38. | आईएस 10434 (भाग 2) : 1996 कंक्रीट और चिनाई वाले बांधों में विरूपण मापन युक्तियों के संस्थापन, रख-रखाव और प्रेक्षण की मार्गदर्शिका भाग 2 कम्पन तार किस्म के संयुक्त मीटर | — | 96-09-30 |
| 39. | आईएस 11442 : 1996 कृषि ट्रैक्टर—चालक का दृष्टि क्षेत्र— परीक्षण विधियां (पहला पुनरीक्षण) | आईएस 11442 : 1985 | 96-11-30 |
| 40. | आईएस 11761 : 1997 सीमेंट के लिए बहु-परतदार कागज की बोरियां—विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | आईएस 11761 : 1986 | 97-01-31 |
| 41. | आईएस 11939 : 1996 स्वचल वाहन स्टीयरिंग नियंत्रण प्रणाली—सुरक्षा अपेक्षाएं एवं मापन पद्धतियां (पहला पुनरीक्षण) | आईएस 11939 : 1987 | 96-10-31 |
| 42. | आईएस 12117 : 1996 गुणवत्ता आश्वासन के लिए इस्पात ढलाइयों के वर्गीकरण के नियम (पहला पुनरीक्षण) | आईएस 12117 : 1987 | 96-10-31 |
| 43. | आईएस 12232 (भाग 1) : 1996 सिंचाई उपस्कर—घूर्णी फुहारक भाग 1 डिजाईन एवं कार्यकारी अपेक्षाएं (पहला पुनरीक्षण) | आईएस 12232 (भाग 1) : 87 | 96-10-31 |
| 44. | आईएस 12257 (भाग 5) : 1996 वायु चालित मापन भाग 5 परिभाषिक शब्दावली | — | 96-12-31 |
| 45. | आईएस 12665 (भाग 5) : 1996 प्रेस प्रचालन औजार—शैंक भाग 5 गोल फ्लैंज वाले शैंक—विशिष्टि | — | 96-12-31 |
| 46. | आईएस 12665 (भाग 6) : 1996 प्रेस प्रचालन औजार—शैंक भाग 6 आयताकार फ्लैंज सहित शैंक —विशिष्टि | — | 96-10-31 |
| 47. | आईएस 12665 (भाग 7) : 1996 प्रेस प्रचालन औजार—शैंक भाग 7 पेंचदार शैफ्ट और कॉलर वाले शैंक—विशिष्टि | — | 96-11-30 |
| 48. | आईएस 13360 (भाग 2/खंड 2) : 1996 प्लास्टिक सामग्रियां-परीक्षण पद्धतियां भाग 5 यांत्रिक गुणधर्म खंड 2 तन्यता गुणधर्म ज्ञात करना—संचकन और बहिर्वेधन के लिए परीक्षण प्लास्टिक सामग्रियों की परीक्षण अवस्थाएं | — | 96-10-31 |
| 49. | आईएस 13498 : 1997 नहाने की बट्टी—विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण) | आईएस 13498 : 1992 | 97-01-31 |
| 50. | आईएस/आईएसओ 13715 : 1994 तकनीकी ड्राइंग-कोने-शब्दावली व ड्राइंग पर अभिसूचन चिह्न | — | 96-10-31 |
| 51. | आईएस 13730 (भाग 27) : 1996 विशेष प्रकार के कुण्डलन तारों के लिए विशिष्टि भाग 27 कागज आच्छादित आयताकार तांबे के तार | — | 96-11-30 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 52. | आईएस 13730(भाग 28): 1996 विशेष प्रकार के कुण्डलन तारों के लिए विशिष्टि भाग 28 पॉलीएस्टरीमाइड इनेमेल्ड आयताकार तांबे के तार, वर्ग 180 | — | 96-11-30 |
| 53. | आईएस 13730 (भाग 29): 1996 विशेष प्रकार के कुण्डलन तारों के लिए विशिष्टि भाग 29 पॉलीएमाइड-इमाईड एनेमेल्ड लेपयुक्त पॉलीएस्टर या पॉलीएस्टरीमाइड आयताकार तांबे के तार, वर्ग 200 | — | 96-11-30 |
| 54. | आईएस 13808 (भाग 5): 1996 अस्पताल सेवाओं के लिए गुणता प्रबन्ध (30-संसतरित अस्पताल के लिए)-मार्गदर्शी सिद्धान्त<br>भाग 5 अस्पताल उपस्कर प्रबन्ध | — | 96-10-31 |
| 55. | आईएस 14154 (भाग 1): 1996 दाहण धूलि की उपस्थिति में उपयोग में आने वाले संरक्षण के लिए आवरण सहित वैद्युत-उपकरण<br>भाग 1 उपकरणों का वर्गीकरण | — | 96-11-30 |
| 56. | आईएस 14354 : 1996 वस्त्रादि-जलसह कवर | — | 96-10-31 |
| 57. | आईएस 14355 : 1996 रंग रोगन के लिए जिंक डस्ट पिगमेंट-विशिष्टि | — | 96-10-31 |
| 58. | आईएस 14372 : 1996 पूर्ज पावर गुणक रेंज के लिए वोल्ट-ऐम्पीयर ऑवर मीटर-विशिष्टि | — | 96-10-31 |
| 59. | आईएस 14376 : 1996 विद्युत मशीनों के लिए ब्रश धारक विशिष्टि | — | 96-11-30 |
| 60. | आईएस 14382 : 1996 स्वचल वाहन गति परिसीमक संस्थापित अपेक्षाओं की विशिष्टि | — | 96-10-31 |
| 61. | आईएस 14394 : 1996 औद्योगिक बन्धक सामग्री उत्पादन ग्रेड सी के षटकोणीय शीर्ष वाली ढिबरियां-तप्त-निमज्जी अस्तीकृत-विशिष्टि (साइज रेंज एम 12 से एम 36 तक) | — | 96-10-31 |
| 62. | आईएस 14402 : 1996 मलक जल व्यवस्था औद्योगिक उपशिष्टि व जल (पेयजल के अलावा) के लिए प्रयुक्त कांच रेशे से प्रबलित प्लास्टिक पाइप, जोड़ और फिटिंग विशिष्टि | — | 96-12-31 |
| 63. | आईएस 14405 : 1996 गैसीय अपचायकों के प्रयोग द्वारा कूपक रिएक्टर में प्रत्यक्ष अपचयित भरण स्टॉक (लौह तथा पैलेट) के विघटक की निर्धारण विशिष्टि | — | 96-10-31 |
| 64. | आईएस 1440 : 1996 निर्माण और ताप उपचार हेतु प्रयुक्त भट्टियों के लिए उच्च ताप सह सामग्रीयां—सिफारिशें। | — | 96-10-31 |
| 65. | आईएस 14407 : 1996 पेयों के लिए एल्युमिनियम के डिब्बे —विशिष्टि | — | 96-12-31 |
| 66. | आईएस 14412 :1996 तकनीकी ड्राइंट के पुनरीक्षण के लिये अभिसूचन चिह्न | — | 96-11-30 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 67. | आईएस 14414 : 1996 कृषि ट्रैक्टर-धुरी शक्ति निर्धारण-परीक्षण प्रक्रिया | — | 96-12-31 |
| 68. | आईएस 14416 : 1996 राशि प्रहस्तन उपस्कर-बूम टाइप का डोल चक्र रिक्लेमर-रेल आरोपित-डिजाइन निर्माण और स्थापना-रीति संहिता | — | 96-11-30 |
| 69. | आईएस 14417 : 1996 राशि प्रहस्तन उपस्कर-एक बूम वाले घुमाऊ स्टैकर रेल आरोपित डिजाइन, निर्माण और स्थापना-रीति संहिता | — | 96-11-30 |
| 70. | आईएस 14418 : 1996 राशि प्रहस्तर उपस्कर-शिप लोडर-रेल आरोपितडिजाइन, निर्माण और स्थापन-रीति संहिता | — | 96-11-30 |
| 71 | आईएस 14419 : 1996 जहाजों के वेल्डों के रेडियोग्राफिक परीक्षण के लिए स्वीकरण मानक-सिफारिशें | — | 96-11-30 |
| 72. | आई एस 14420 : 1996 बड़े पशुओं की संवेदना के लिए प्रयक्त श्वासनाल-विशिष्टि | — | 98-12-31 |
| 73. | आईएस 14425 : 1997 शीशा प्रबलित पॉलीएस्टर रेजिन संचकन के निर्माण की मार्गदर्शिका | — | 97-01-31 |

इन मानकों की प्रतियां भारती या मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कलकत्ता, चण्डीगढ़, मद्रास तथा मुम्बई और शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बत्तूर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना तथा थिरुवनंतापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[सं. के. प्रवि. 13:2]
जी. रामन, अपर महानिदेशक

## MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

Consumer Affairs & Public Distribution

(Bureau of Indian Standards)

New Delhi, the 4th April, 1997

S.O. 1129 .—In pursuance of clause (b) of Sub-rule(1) of Rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standard(s), particulars of which is/are given in the Schedule hereto annexed, has/have been established on the date indicated against each:

### SCHEDULE

| Sl. No. | No. year and Title of the Indian Standard(s) Established | No. and year of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard | Date of Establishment |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | SP 7 ; 1983 (Pt. IV)—National building code of India 1983 | Amendment No. 3 January 1997 | 97-01-31 |
| 2. | IS/ISO 94:1982—Textile machinery and accessories—Spindle gauges for ring-spinning and ring-doubling frames | — | 96-12-31 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 3. | IS/IEC 309-2(1989)—Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes Part 2 Dimensional interchangeability requirements for pin and contract tube accessories | Amendment No. 3 January 1997 | 96-08-31 |
| 4. | IS/ISO 342 : 1983—Textile machinery and accessories—Worsted and woolen cards—Width of cylinder and width on the wire | — | 96-12-31 |
| 5. | IS 398 (Part 1):1996—Aluminium conductors for overhead transmission purposes—Specification Part 1 Aluminium stranded conductors (Third Revision) | IS 398(Pt.1):1976 | 96-12-31 |
| 6. | IS/ISO 574:1979—Textile machinery and accessories—Perforated cylinderical tubes for cheese dyeing | — | 96-12-31 |
| 7. | IS 579 : 1996—Vegetable tanned sole leather—Specification (Third Revision) | — | 96-11-30 |
| 8. | IS 1171 : 1996—Ferromanganese—Specification (Fourth Revision) | IS 1171 : 1988 | 96-12-31 |
| 9. | IS 1367 (Part 18):1996—Industrial fasteners—Threaded steel fasteners—Technical supply conditions Part 18 Packaging (Third Revision) | IS 1367(Pt. 18 ):79 | 96-11-30 |
| 10. | IS 1570 (Part 6):1996—Schedules for wrought steels Part 6 Carbon and alloy tool steels (First Revision) | — | 96-12-31 |
| 11. | IS 1877:1985—Terminology for spices and condiments (Second Revision) | IS 1877 : 1985 | 96-07-31 |
| 12. | IS 1885 (Part 82): 1996—Electrotechnical vocabulary Part 82 Integrated services digital networks (ISDN) | — | 96-11-30 |
| 13. | IS 2014:1996—T-Bolts—Specification (Second Revision) | IS 2014:1977 | 96-10-31 |
| 14. | IS 2707 :1996—Carbon steel castings for surface hardening—Specification (Fourth Revision) | IS 2707:1989 | 96-12-31 |
| 15. | IS 3178:1996—Abrasive emery grain—Specification (First Revision) | IS 3178:1965 | 96-12-31 |
| 16. | IS 3871 : 1996—Textiles—Fibre ropes and cordage—Glossary of terms (Second Revision) | IS 3871:1984 | 96-08-31 |
| 17. | IS 4049 (Part 2):1996—Formed ends for tanks and pressure vessels—Specification Part 2 Inside diameter basis (First Revision) | IS 4049 (Pt. 2):79 | 96-10-31 |
| 18. | IS 4298:1996—Swing C-Washers—Specification (First Revision) | IS 4298:1967 | 96-11-30 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 19. | IS 4440:1996—Engineering metrology—Precision equipment—Slip guage accessories (First Revision) | IS 4440:1967 | 96-10-31 |
| 20. | IS 4818:1996—Sorbic acid, food grade—Specification (First Revision) | IS 4818:1968 | 96-10-31 |
| 21. | IS 5126:1996—Sensory analysis—Vocabulary (First Revision) | IS 5121:1969 | 96-10-31 |
| 22. | IS 5324:1996—Hand-operated stillage truck—Lifting truck (Hand Elevating)—Specification (Second Revision) | IS 5324:1983 | 96-10-31 |
| 23 | IS 5347 (Part 6): 1996—Requirements for orthopaedic implants Part 6 Wrought cobalt-chromium-tungsten-nickel alloy (First Revision) | IS 5347 (Pt. 6):1984 | 96-10-31 |
| 24. | IS 5514:1996—Apparatus used in 'Le-chatelier' test—Specification (First Revision) | IS 5514:1969 | 96-11-30 |
| 25. | IS 5707:1996—Agar, food grade Specification (First Revision) | IS 5707:1970 | 96-11-30 |
| 26. | IS 5960 (Part 1):1996—Meat and meat products—Methods of test Part 1 Determination of nitrogen content (First Revision) | IS 5960 (Pt. 1):1970 | 96-08-31 |
| 27. | IS 6529:1996—Stainless steel blooms, billets and slabs for forgings—Specification (First Revision) | IS 6529:1972 | 96-12-3 |
| 28. | IS 6926:1996—Diamond core drilling—Site investigation for river valley projects—Code of practice (First Revision) | IS 6026:1973 | 96-10-31 |
| 29. | IS 7262:1996—Turning mandrels—Specification (First Revision) | IS 7262:1974 | 96-10-31 |
| 30. | IS 8480:1996—Crop protection equipment—Glossary of terms (First Revision) | IS 8480:1977 | 96-11-30 |
| 31. | IS 8701:1996—Temephos, technical—Specification (First Revision) | IS 8701:1978 | 96-11-30 |
| 32. | IS/ISO 9177-1:1989—Mechanical pencils Part 1 Classification, dimensions, performance requirements and testing | — | 96-10-31 |
| 33. | IS/ISO 9177-2:1989—Mechanical pencils Part 2 Black leads—Classification and dimensions | — | 96-11-30 |
| 34. | IS/ISO 9177-3:1994—Mechanical pencils Part 3 Black leads—Bending strengths of HB leads | — | 96-11-30 |
| 35. | IS 9824 (Part 1):1996—Transfusion equipment for medical use—Specification Part 1 Glass transfusion bottles, closures and caps (First Revision) | — | 96-10-31 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 36. | IS 10245 (Part 1):1996—Breathing apparatus Part 1 Closed circuit breathing apparatus (Compressed oxygen cylinder)—Specification (First Revision) | IS 10245 (Pt. 1):82 | 96-12-31 |
| 37. | IS/ISO 10360-2:1994—Coordinate metrology Part 2 Performance assessment of coordinate measuring machines | — | 96-11-30 |
| 38. | IS 10434 (Part 2):1996—Guidelines for installation, maintenance and observation of deformation measuring devices in concrete and masonry dams Part 2 Vibrating wire type jointmeter | — | 96-09-30 |
| 39. | IS 11442:1996—Agricultural tractors—Operator's field of vision—Test procedures (First Revision) | IS 11442:1985 | 96-11-30 |
| 40. | IS 11761:1997—Multi-wall paper sacks for cement—Specification (First Revision) | IS 11761:1986 | 97-01-31 |
| 41. | IS 11939:1996—Automotive vehicles—Steering control systems—Impact protection requirements and methods of measurement (First Revision) | IS 11939:1987 | 96-10-31 |
| 42. | IS 12117:1996—Norms for classification of steel foundries for quality assurance (First Revision) | IS 12117:1987 | 96-10-31 |
| 43. | IS 12232 (Part 1):1996—Irrigation equipment—Rotating sprinkler Part 1 Design and operational requirements (First Revision) | IS 12232 (Pt. 1):87 | 96-10-13 |
| 44. | IS 12257 (Part 5):1996—Pneumatic measurement Part 5 Glossary of terms and definitions | — | 96-12-31 |
| 45. | IS 12665 (Part 5):1996—Press working tools—Shanks Part 5 Shanks with round flanges—Specification | — | 96-12-31 |
| 46. | IS 12665 (Part 6):1996—Press working tools—Shanks Part 6 Shanks with rectangular flanges—Specification | — | 96-10-31 |
| 47. | IS 12665 (Part 7):1996—Press working tools—Shanks Part 7 Shanks with screwed shaft and collar—Specification | — | 96-11-30 |
| 48. | IS 13360 (Part 5/Sec 2):1996—Plastics—Methods of testing Part 5 Mechanical properties Section 2 Determination of tensile properties—Test conditions for moulding and extrusion plastics | — | 96-10-31 |
| 49. | IS 13498:1997—Bathing bar—Specification (First Revision) | IS 13498:1992 | 97-01-31 |
| 50. | IS/ISO 13715:1994—Technical drawing—Corners—Vocabulary and indication on drawings | — | 96-10-31 |
| 51. | IS 13730 (Part 27):1996—Specifications for particular types of winding wires Part 27 Paper covered rectangular copper wire | — | 96-11-30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 52. | IS 13730 (Part 28) : 1996—Specifications for particular types of winding wires Part 28 Polyesterimide enamelled rectangular copper wire, class 180 | — | 96-11-30 |
| 53. | IS 13730 (Part 29) : 1996—Specifications for particular types of winding wires Part 29 Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled rectangular copper wire, class 200 | — | 96-11-30 |
| 54. | IS 13808 (Part 5) : 1996—Quality management for hospital services (For 30-Bedded hospital)—Guidelines Part 5 Hospital equipment management | — | 96-10-31 |
| 55. | IS 14154 (Part 1) : 1996—Electrical apparatus with protection by enclosure for use in the presence of combustible dusts Part 1 Classification for apparatus | — | 96-11-30 |
| 56. | IS 14354 : 1996—Textiles—Waterproof covers | — | 96-10-31 |
| 57. | IS 14355 : 1996—Zinc dust pigment for paints—Specification | — | 96-10-31 |
| 58. | IS 14372 : 1996—Volt-ampere hour meters for full power factor range—Specification | — | 96-10-31 |
| 59. | IS 14376 : 1996—Brush holders for electrical machines—Specification | — | 96-11-30 |
| 60. | IS 14382 : 1996—Automotive vehicles—Speed limiters—Specification for installed requirements | — | 96-10-31 |
| 61. | IS 14394 : 1996—Industrial fasterners—Hexagon nuts of product grade C—Hot-dip galvanized—Specification (Size range M12 to M36) | — | 96-10-31 |
| 62. | IS 14402 : 1996—Glass fibre reinforced plastics (GRP) pipes, joints and fittings for use for sewerage, industrial waste and water (Other than potable)—Specification | — | 96-12-31 |
| 63. | IS 14405 : 1996—Determination of disintegration of DR feedstock (Iron ore and pellets) using gaseous reductants in a shaft reactor—Specification | — | 96-10-31 |
| 64. | IS 14406 : 1996—Refractories for forge and heat treatment furnaces—Recommendations | — | 96-10-31 |
| 65. | IS 14407 : 1996—Aluminium cans for beverages—Specification | — | 96-12-31 |
| 66. | IS 14412 : 1996—Technical drawings—Indication for revision of drawings | — | 96-11-30 |
| 67. | IS 14414 : 1996—Agricultural tractors—Axle power determination—Test procedures | — | 96-12-31 |
| 68. | IS 14416 : 1996—Bulk handling equipment—Boom type bucket wheel reclaimer—Rail mounted —Design, manufacture and erection—Code of practice | — | 96-11-30 |
| 69. | IS 14417 : 1996—Bulk handling equipment—Single boom slewable stacker—Rail mounted —Design, manufacture and erection—Code of practice | — | 96-11-30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 70. | IS 14418 : 1996—Bulk handling equipment—Ship loader —Rail mounted—Design, manufacture and election—Code of practice | — | 96-11-30 |
| 71. | IS 14419 : 1996—Acceptance standards for radiographic examination of welds for ships—Recommendations | — | 96-11-31 |
| 72. | IS 14420 : 1996—Tracheal tubes for large animals used for veterinary anaesthesia—Specification | — | 96-12-31 |
| 73. | IS 14425 : 1997—Guide for manufacture of class reinforced polyster resin mouldings | — | 97-01-31 |

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Calcutta, Chandigarh, Madras and Mumbai and also Branch Offices: Ahmadabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Faridabad Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Patna, and Thruvananthapuram.

[No. CMD/13 : 2]

G. RAMAN, Addl. Director General

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1996

का.आ. 1130. भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड 'ख' के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे दिए गए मानक (कों) में संशोधन किया गया है/किये गये हैं।

अनुसूची

| क्रम सं. | संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष | संशोधन की संख्या और तिथि | संशोधन लागू होने की तारीख |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | आई एस 1431 : 1993 | संशोधन सं. 3 अक्तूबर 1996 | 96 10 31 |
| 2. | आई एस 2052 : 1979 | संशोधन सं. 5 नवम्बर 1996 | 96-11-30 |
| 3. | आई एस 2418 (भाग 1) : 1977 | संशोधन सं. 3 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 4. | आई एस 2426 : 1985 | संशोधन सं. 1 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 5. | आई एस 2791 : 1992 | संशोधन सं. 2 अक्तूबर 1996 | 96-10-31 |
| 6. | आई एस 3581 : 1982 | संशोधन सं. 2 अक्तूबर 1996 | 96-10-31 |
| 7. | आई एस 4590 : 1980 | संशोधन सं 1 अक्तूबर 1996 | 96-10-31 |
| 8 | आई एस 5091 : 1969 | संशोधन सं. 1 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |

| (1) | (2) | (3) | (5) |
|---|---|---|---|
| 9. | आई एस 5099 : 1983 | संशोधन सं. 4 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 10. | आई एस 5100 : 1969 | संशोधन सं. 2 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 11. | आई एस 5102 : 1969 | संशोधन सं. 5 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 12. | आई एस 5103 : 1969 | संशोधन सं. 3 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 13. | आई एस 5104 : 1969 | संशोधन सं. 3 दिसम्बर 1996 | 96-12 31 |
| 14. | आई एस 5105 : 1969 | संशोधन सं. 1 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 15. | आई एस 5106 : 1969 | संशोधन सं. 1 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 16. | आई एस 5362 : 1969 | संशोधन सं. 1 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 17. | आई एस 5366 : 1978 | संशोधन सं. 2 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 18. | आई एस 5446 : 1978 | संशोधन सं. 4 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 19. | आई एस 5578 : 1984 | संशोधन सं. 1 अक्टूबर 1996 | 96-10-31 |
| 20. | आई एस 5882 : 1970 | संशोधन सं. 2 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 21. | आई एस 5907 : 1970 | संशोधन सं. 3 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 22. | आई एस 5919 : 1978 | संशोधन सं. 3 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 23. | आई एस 5926 : 1970 | संशोधन सं. 2 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 24. | आई एस 7227 : 1974 | संशोधन सं. 1 जनवरी 1997 | 97-01-31 |
| 25. | आई एस 7229 : 1974 | संशोधन सं. 1 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 26. | आई एस 7287 : 1974 | संशोधन सं. 1 जनवरी 1997 | 97-01-31 |
| 27 | आई एस 7372 : 1995 | संशोधन सं. 1 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 28. | आई एस 7766 : 1975 | संशोधन सं. 2 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 29. | आई एस 7772 : 1975 | संशोधन सं. 1 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 30. | आई एस 8305 : 1976 | संशोधन सं. 1 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 31. | आई एस/आई एस ओ 9001 : 1994 | संशोधन सं. 2 जुलाई 1996 | 96-07-31 |
| 32. | आई एस 10602 : 1983 | संशोधन सं. 1 दिसम्बर 1996 | 96-12-31 |
| 33. | आई एस 11525 : 1986 | संशोधन सं. 2 जनवरी 1997 | 97-01-31 |
| 34. | आई एस 11951 : 1987 | संशोधन सं. 3 जनवरी 1997 | 97-01-31 |
| 35. | आई एस 12630 : 1989 | संशोधन सं. 1 अक्तूबर 1996 | 96-10-31 |
| 36. | आई एस 14000 (भाग 4) : 1994 | संशोधन सं. 1 जुलाई 1996 | 96-07-31 |

इन संशोधनों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कलकत्ता, चण्डीगढ़, मद्रास तथा मुम्बई और शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना तथा थिरूवनंतपुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं ।

[सं. के. प्र.वि./13 : 5]

जी. रामन, अपर महानिदेशक

New Delhi, the 4th April, 1997

S.O. 1130.—In pursuance of clause (b) of Sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standard Rules 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s), particulars of which is/are given in the Schedule hereto annexed, has/have been issued:

SCHEDULE

| Sl. No. | No. and year of the Indian Standard(s) amended | No. and year of the amendment | Date from which the amendment shall have effect |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | IS 1431 : 1973 | Amendment No. 3 October 1996 | 96-10-31 |
| 2. | IS 2052 : 1979 | Amendment No. 5 November 1996 | 96-11-30 |
| 3. | IS 2418 (Part 1) : 1977 | Amendment No. 3 December 1996 | 96-12-31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | IS 2426 : 1985 | Amendment No. 1 December 1996 | 96-12-31 |
| 5. | IS 2791 : 1992 | Amendment No. 2 October 1996 | 96-10-31 |
| 6. | IS 3581 : 1982 | Amnedment No. 2 October 1996 | 96-10-31 |
| 7. | IS 4590 : 1980 | Amendment No. 1 October 1996 | 96-10-31 |
| 8. | IS 5091 : 1969 | Amendment No. 1 December 1996 | 96-12-31 |
| 9. | IS 5099 : 1983 | Amendment No. 4 December 1996 | 96-12-31 |
| 10. | IS 5100 : 1969 | Amendment No. 2 December 1996 | 96-12-31 |
| 11. | IS 5102 : 1969 | Amendment No. 5 December 1996 | 96-12-31 |
| 12. | IS 5103 : 1969 | Amendment No. 3 December 1996 | 96-12-31 |
| 13. | IS 5104 : 1969 | Amendment No. 3 December 1996 | 96-12-31 |
| 14. | IS 5105 : 1969 | Amendment No. 1 December 1996 | 96-12-31 |
| 15. | IS 5106 : 1969 | Amendment No. 1 December 1996 | 96-12-31 |
| 16. | IS 5362 : 1969 | Amendment No. 1 December 1996 | 96-12-31 |
| 17. | IS 5366 : 1978 | Amendment No. 2 December 1996 | 96-12-31 |
| 18. | IS 5446 : 1978 | Amendment No. 4 December 1996 | 96-12-31 |
| 19. | IS 5578 : 1984 | Amendment No. 1 October 1996 | 96-10-31 |
| 20. | IS 5882 : 1970 | Amendment No. 2 December 1996 | 96-12-31 |
| 21. | IS 5907 : 1970 | Amendment No. 3 December 1996 | 96-12-31 |
| 22. | IS 5919 : 1978 | Amendment No. 3 December 1996 | 96-12-31 |
| 23. | IS 5926 : 1970 | Amendment No. 2 December 1996 | 96-12-31 |
| 24. | IS 7227 : 1974 | Amendment No. 1 January 1997 | 97-01-31 |
| 25. | IS 7229 : 1974 | Amendment No. 1 December 1996 | 96-12-31 |
| 26. | IS 7287 : 1974 | Amendment No. 1 January 1997 | 97-01-31 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 27. | IS 7372 : 1995 | Amendment No. 1 December 1996 | 96-12-31 |
| 28. | IS 7766 : 1975 | Amendment No. 2 December 1996 | 96-12-31 |
| 29. | IS 7772 : 1975 | Amendment No. 1 December 1996 | 96-12-31 |
| 30. | IS 8305 : 1976 | Amendment No. 1 December 1996 | 96-12-31 |
| 31. | IS/ISO 9001 : 1994 | Amendment No. 2 July 1996 | 96-07-31 |
| 32. | IS 10602 : 1983 | Amendment No. 1 December 1996 | 96-12-31 |
| 33. | IS 11525 : 1986 | Amendment No.2 January 1997 | 97-01-31 |
| 34. | IS 11951 : 1987 | Amendment No. 3 January 1997 | 97-01-31 |
| 35. | IS 12630 : 1989 | Amendment No. 1 October 1996 | 96-10-31 |
| 36. | IS 14000 (Part 4) : 1995 | Amendment No. 1 July 1996 | 96-07-31 |

Copies of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Calcutta, Chandigarh, Madras and Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Faridabad Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Patna and Thiruvananthapuram.

[No. CMD/13 : 5]

G. RAMAN, Addl. Director General

## परमाणु ऊर्जा विभाग

### आदेश

मुम्बई, 16 अप्रैल, 1997

का.आ. 1131—केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप नियम (2), नियम 12 के उप नियम (2) के खंड (ख) तथा नियम 24 के उपनियम (i) के अनुपालन में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 3 मई, 1993 के का.आ. 1044 के आदेश में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे, अर्थात् :—

कथित आदेश की अनुसूची में—

(i) "भाग II—सामान्य केन्द्रीय सेवाएं—वर्ग 'ग' शीर्षक के अंतर्गत क्रम सं. 1, 8 तथा 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्याओं तथा प्रविष्टियों को क्रमशः रखा जाएगा, अर्थात :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| "1. | विभाग के सचिवालय में पद | निदेशक/उप सचिव (प्रशासन) | निदेशक/उप सचिव (प्रशासन) | सभी | अपर सचिव/संयुक्त सचिव |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र हैदराबाद में पद | मुख्य प्रशासन अधिकारी नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र | मुख्य प्रशासन अधिकारी नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र | सभी | मुख्य कार्यपालक नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र |
| 11. | प्रगत प्रोद्योगिकी केन्द्र इंदौर में पद | मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी प्रगत प्रोद्योगिकी केन्द्र | मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी प्रगत प्रोद्योगिकी केन्द्र | सभी | निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र" |

(ii) "भाग-III-सामान्य केन्द्रीय सेवाएं वर्ग "ग", शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 1, 3, 8 एवं 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याओं तथा प्रविष्टियों को रखा जाएगा।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| "1. | विभाग के सचिवालय में पद | अवर सचिव (प्रशासन) | अवर सचिव (प्रशासन) | सभी | निदेशक/उप सचिव (प्रशासन) |
| 3. | परमाणु खनिज प्रभाग हैदराबाद में पद | प्रशासन अधिकारी-III परमाणु खनिज प्रभाग | प्रशासन अधिकारी-III परमाणु खनिज प्रभाग | सभी | मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी परमाणु खनिज प्रभाग |
| 8. | नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र हैदराबाद में पद | प्रशासन अधिकारी-III नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र | प्रशासन अधिकारी-III नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र | सभी | मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी परमाणु खनिज प्रभाग |
| 11. | प्रगत प्रोद्योगिकी केन्द्र इंदौर में पद | प्रशासन अधिकारी-III प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र | प्रशासन अधिकारी-III प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र | सभी | मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र" |

[1/6(1)/95-सतर्कता]
पी. वेणुगोपालन, उप सचिव

पाद टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में दिनांक 3-5-93 के का.आ. 1044 के अनुसार दिनांक 22-5-93 को प्रकाशित किया गया तथा तदोपरान्त दिनांक 24-11-94 के सं. का.आ. 3519 के अनुसार संशोधित करके दिनांक 24-12-94 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

### ORDER

Mumbai, the 16th April, 1997

S.O. 1131.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby directs that the following further amendments shall be made to the order of the Government of India in the Department of Atomic Energy, No. S.O. 1044, dated the 3rd May, 1993, namely :—

In the Schedule to the said Order—

(i) under the heading "Part II—General Central Services, Group 'C' ", for Serial Nos. 1, 8 and 11 and the entries relating thereto, the following Serial Nos. and entries shall respectively be substituted, namely :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| "1. | Posts in the Secretariat of the Department. | Director/Deputy Secretary (Administration) | Director/Deputy Secretary (Administration) | All | Additional Secretary/ Joint Secretary. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Posts in the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad. | Chief Administrative Officer, Nuclear Fuel Complex. | Chief Administrative Officer, Nuclear Fuel Complex. | All | Chief Executive, Nuclear Fuel Complex. |
| 11. | Posts in the Centre for Advanced Technology, Indore. | Chief Administrative and Accounts Officer, Centre for Advanced Technology. | Chief Administrative and Accounts Officer, Centre for Advanced Technology. | All | Director, Centre for Advanced Technology." |

(ii) under the heading "Part III – General Central Services Group 'D'", for Serial Nos. 1, 3, 8 and 11 and the entries relating thereto, the following serial Nos. and entries shall respectively be substituted namely: –

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| "1. | Posts in the Secretariat of the Department, Mumbai. | Under Secretary (Administration). | Under Secretary (Administration). | All | Director/Deputy Secretary (Administration). |
| 3. | Posts in Atomic Minerals Division, Hyderabad. | Administrative Officer-III, Atomic Minerals Division. | Administrative Officer-III, Atomic Minerals Division. | All | Chief Administrative and Accounts Officer, Atomic Minerals Division. |
| 8. | Posts in the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad. | Administrative Officer-III, Nuclear Fuel Complex. | Administrative Officer-III, Nuclear Fuel Complex. | All | Chief Administrative Officer, Nuclear Fuel Complex. |
| 11. | Posts in the Centre for Advanced Technology, Indore. | Administrative Officer-III, Centre for Advanced Technology. | Administrative Officer-III, Centre for Advanced Technology. | All | Chief Administrative and Accounts Officer, Centre for Advanced Technology.". |

[1/6 (1)/95-Vig.]
P. VENUGOPALAN, Dy. Secy.

Footnote : The Principal Order was published vide No. S.O. 1044 dated 3-5-93 in the Gazette of India dated 22-5-93 and subsequently was amended vide No. S.O. 3519 dated 24-11-94 and published in the Gazette of India dated 24-12-94.

---

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1997

का.आ. 1132.—पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 226 तारीख 20-1-97 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के अधिकार की पाइप लाइन बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित किया था।

अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

तत्पश्चात् भारत सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में अधिकार भारत सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

आर.सी.एफ. थल उत्तर गैस पाईप लाइन परियोजना

तहसील : अलिबाग जिला : रायगढ़ राज्य : महाराष्ट्र

| अ.नं. | गांव का नाम | गट नं. | सर्वे नं. | हि.नं. | हक्क संपादन क्षेत्र | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | है. आर. | सें.आर. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | तुडाल | — | 16 | 0 | 00 | 02-50 |
| 2. | | — | 19 | 2 | 00 | 04-50 |
| 3 | | — | 4 | 7 | 00 | 00-80 |
| 4. | | — | 4 | 10 | 00 | 03-50 |
| 1. | ढवर | 2/2 | — | — | 00 | 15-00 |
| 1. | वेश्वी | — | 57 | 0 | 00 | 10-00 |
| 2. | | — | 126 | 0 | 00 | 08-80 |
| 3. | | — | 117 | 0 | 00 | 05-40 |
| 4. | | — | 52 | 5 | 00 | 00-70 |
| 5. | | — | 51 | 1 | 00 | 11-00 |
| 6. | | — | 51 | 3 | 00 | 04-70 |
| 7. | | — | 118 | 4 | 00 | 14-00 |
| 1 | बेलकडे | 420 | — | — | 00 | 05-00 |
| 2. | | 410 | — | — | 00 | 04-00 |
| 3. | | 471 | — | — | 00 | 00-70 |
| 4. | | 473 | — | — | 00 | 05-30 |
| 5. | | 474 | — | — | 00 | 04-10 |
| 6. | | 472 | — | — | 00 | 03-00 |
| 7. | | 412 | — | — | 00 | 03-00 |
| 8. | | 392 | — | — | 00 | 02-00 |
| 9. | | 393 | — | — | 00 | 04-00 |
| 10. | | 388 | — | — | 00 | 05-00 |
| 1. | वढाव बूद्रुक | 191 | — | — | 00 | 01-50 |
| 1. | गुंजीस | — | 42 | 7 | 00 | 00-60 |
| 1. | मुले | 16 | — | — | 00 | 01-00 |
| 2. | | 20 | — | — | 00 | 04-00 |
| 3 | | 10 | — | — | 00 | 03-00 |
| 4. | | 218 | — | — | 00 | 10-00 |
| 5. | | 234 | — | — | 00 | 07-00 |
| 6. | | 222 अ<br>222 ब | — | — | 00 | 14-00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | | 200 | — | — | 00—02—00 |
| 8. | | 191 | — | — | 00—11—00 |
| 9 | | 4 | — | — | 00—02—00 |
| 10. | | 5 | — | — | 00—04—50 |
| 1. | कावीर | 80 | — | — | 00—01—50 |
| 1. | महाण | 256 | — | — | 00—09—00 |
| 1. | मानतर्फ शिराड | — | 36 | 3 | 00—01—00 |
| 2 | | — | 36 | 5 | 00—00—30 |

[सं. एल-14016/6/93-जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 23rd April, 1997

S.O. 1132—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleun and Natural Gas S.O. 226 dated 20.1.97 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minirals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule to this appended notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbraces.

## SCHEDULE

## THAL USAR GAS PIPE LINE PROJECT

TAHASIL : ALIBAG DISTRICT : RAIGAD MAHARASHTRA STATE

| Sr.No. | Name of Village | Survey No. | Hissa No. | Block No. | Area under ROU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HR | CR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Tudal | 16 | P | — | 0—02—50 | |
| | | 19 | 2 P | — | 0—04—50 | |
| | | 4 | 7 P | — | 0—00—80 | |
| | | 4 | 10 P | — | 0—03—50 | |
| 2. | Dhavar | — | – | 2/2 q | 0—15—00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Veshvi | 57 | P | — | 0—10—00 |
| | | 126 | P | — | 0—08—80 |
| | | 117 | P | — | 0—05—40 |
| | | 52 | 5 P | — | 0—00—70 |
| | | 51 | 1 P | — | 0—11—00 |
| | | 51 | 3 P | — | 0—04—70 |
| | | 118 | 4 P | — | 0—14—00 |
| 4. | Belkade | — | — | 420 P | 0—05—00 |
| | | | | 410 P | 0—04—00 |
| | | | | 471 P | 0—00—70 |
| | | | | 473 P | 0—05—30 |
| | | | | 474 P | 0—04—10 |
| | | | | 472 P | 0—03—00 |
| | | | | 412 P | 0—03—00 |
| | | | | 392 P | 0—02—00 |
| | | | | 393 P | 0—04—00 |
| | | | | 388 P | 0—05—00 |
| 5. | Vadhav BK | — | — | 191 P | 0—01—50 |
| 6. | Gunjis | 42 | 7 P | — | 0—00—60 |
| 7. | Mule | — | — | 16 P | 0—01—00 |
| | | | | 20 P | 0—04—00 |
| | | | | 10 P | 0—03—00 |
| | | | | 218 P | 0—10—00 |
| | | | | 234 P | 0—07—00 |
| | | | | 222A, 222B } P | 0—14—00 |
| | | | | 200 P | 0—02—00 |
| | | | | 191 P | 0—11—00 |
| | | | | 4 P | 0—02—00 |
| | | | | 5 P | 0—04—50 |
| 8. | Kawir | 80 | P | — | 0—01—50 |
| 9. | Sahan | — | — | 256 P | 0—09—00 |
| 10. | Man T. | 36 | 3 P | — | 0—01—00 |
| | Zirad | 36 | 5 P | — | 0—00—30 |

[No. L-14016/6/93-GP]
ARDHENDU SEN, Director

संशोधन

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1997

का.आ. 1133.—भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 18/1/97 के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के का.आ. संख्या 100 दिनांक 9-1-97 में पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (62 का 50) की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना जो कि नीचे लिखे हुए ग्राम तहसील अलीबाग, जिला रायगढ़ के संबंध में थी को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

| ग्राम का नाम | गेजेट प्रमाण क्षेत्र | | नीचे लिए हुए वैसे पढ़िए | |
|---|---|---|---|---|
| | सर्वे नंम्बर गट नम्बर | है.आर.मे.आर. | सर्वे नंबर गट नम्बर | है.आर.सर्वे आर. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| गूंजीस | 39/11 अ | 00—00—20 | 38/11अ | 00—10—80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| तुडाल | 28/2 | 00-04-00 | 28/2 | 00-08-00 |
| भाल | 42/2 | 00-05-00 | 42/2 | 00-08-00 |
| बेलकडे | 387 | 00-07-00 | 387 | 00-37-00 |
| | 484 | 00-02-00 | 484 | 00-03-00 |
| | 42 | 00-08-00 | 42 | 00-11-00 |
| बेश्वी | 52/2 | 00-16-00 | 52/2 | 00-24-30 |
| | 52/4, 52/6 | 00-09-00 | 52/4, 52/6 | 00-11-00 |
| | 51/1 | 00-18-00 | 51/1 | 00-23-70 |
| | 120/3अ | 00-04-00 | 120/3अ | 00-20-80 |
| | 128/2अ 2ब | 00-27-00 | 128/1 मे 2 ब | 00-32-00 |
| | 118/2 | 00-16-00 | 118/2 | 00-17-00 |
| मुंबे | 12 | 00-09-00 | 12 | 00-16-00 |
| | 17 | 00-02-00 | 17 | 00-05-40 |
| | 18 | 00-04-00 | 18 | 00-10-50 |
| | 21 | 00-09-00 | 21 | 00-11-50 |
| | 8 | 00-07-00 | 8 | 00-11-00 |
| | 3 | 00-09-00 | 3 | 00-12-30 |
| | 15 | 00-11-00 | 15 | 00-09-60 |
| गोंधल पाडा | 50 | 00-13-00 | 50 | 00-21-60 |
| | 80 | 00-20-00 | 80 | 00-40-00 |
| | 78/1 | 00-22-00 | 78/1 | 00-33-00 |
| | रस्ता | 00-02-00 | रस्ता | 00-03-00 |
| हवर | 751 | 00-09-00 | 751 | 00-14-40 |
| | 754 | 00-15-00 | 754 | 00-16-70 |
| | 779 ब, क | 00-34-00 | 779 बक | 00-56-20 |
| | 186 | 00-00-50 | 186 | 00-06-90 |
| | 207 | 00-17-20 | 207 | 00-30-00 |
| महाण | 280 | 00-06-00 | 280 | 00-15-80 |
| | 291 | 00-12-00 | 291 | 00-15-00 |
| | 282 | 00-01-30 | 282 | 00-03-60 |
| कावीर | 91 | 00-28-00 | 91 | 00-33-00 |
| | 97 | 00-15-00 | 97 | 00-18-30 |
| | 81 | 00-20-00 | 81 | 00-24-00 |
| | 82 | 00-02-00 | 82 | 00-11-00 |
| | 40 | 00-10-50 | 40 | 00-12-40 |
| | 102 | 00-26-00 | 102 | 00-28-50 |
| वामणगांव | 48 | 00-15-00 | 48 | 00-17-00 |
| | 279 | 00-12-00 | 279 | 00-15-60 |
| | 281 | 00-03-00 | 281 | 00-08-10 |
| मानतर्फ शिराड | 38/8 | 00-14-00 | 38/8 | 00-17-50 |
| धरमोली | 293 | 00-02-00 | 293 | 00-08-00 |

[सं. एम-14016/6/93-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd April, 1997

S. O. 1133.—Notification in the Gazette of India dated 18-1-97, Ministry of Petroleum & Natural Gas, S. O. 100 published dated 9-1-97 under sub-section (i) of 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of user in Land) Act 1962 (50 of 1962) in respect of villages (mentioned below) in the Tehsil-Alibag District-Raigad be read as follows :

| Name of village | As per Gazette | | Be read as corrected below | |
|---|---|---|---|---|
| | Svy. No. Block No. | Area HR. | Svy. No. Block No. | Area in Hct. HR. CR. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gunjis | 39/11A | 0-00-20 | 39/11A | 0-10-80 |
| Tudal | 28/2 | 0-04-00 | 28/2 | 0-08-00 |
| Bhal | 42/2 | 0-05-00 | 42/2 | 0-08-00 |
| Belkade | 387 | 0-07-00 | 387 | 0-37-00 |
| | 484 | 0-02-00 | 484 | 0-03-00 |
| | 42 | 0-08-00 | 42 | 0-11-00 |
| Veshvi | 52/2 | 0-16-00 | 52/2 | 0-24-30 |
| | 52/4 | | 52/4 | |
| | 52/6 | 0-09-00 | 52/6 | 0-11-00 |
| | 51/1 | 0-18-00 | 51/1 | 0-23-70 |
| | 120/3A | 0-04-00 | 120/3A | 0-20-80 |
| | 128/2A 2B | 0-27-00 | 128/1 to 2B | 0-32-00 |
| | 118/2 | 0-16-00 | 118/2 | 0-17-00 |
| Mule | 12 | 0-09-00 | 12 | 0-16-00 |
| | 17 | 0-02-00 | 17 | 0-05-40 |
| | 18 | 0-04-00 | 18 | 0-10-50 |
| | 21 | 0-09-00 | 21 | 0-11-50 |
| | 8 | 0-07-00 | 8 | 0-11-00 |
| | 3 | 0-09-00 | 3 | 0-12-30 |
| | 15 | 0-11-00 | 15 | 0-09-60 |
| Gondhalpada | 50 | 0-13-00 | 50 | 0-21-60 |
| | 80 | 0-20-00 | 80 | 0-40-00 |
| | 78/1 | 0-22-00 | 78/1 | 0-33-00 |
| | Road | 0-02-00 | Road | 0-03-00 |
| Dhavar | 751 | 0-09-00 | 751 | 0-14-40 |
| | 754 | 0-15-00 | 754 | 0-16-70 |
| | 779 BC | 0-34-00 | 779 BC | 0-56-20 |
| | 186 | 0-00-50 | 186 | 0-06-90 |
| | 207 | 0-17-20 | 207 | 0-30-00 |
| Sahan | 280 | 0-06-00 | 280 | 0-15-80 |
| | 291 | 0-12-00 | 291 | 0-15-00 |
| | 282 | 0-01-30 | 282 | 0-03-60 |
| Kawir | 91 | 0-28-00 | 91 | 0-33-00 |
| | 97 | 0-15-00 | 97 | 0-18-30 |
| | 81 | 0-20-00 | 81 | 0-24-00 |
| | 82 | 0-02-00 | 82 | 0-11-00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Kawir—concld. | 40 | 0-10-50 | 40 | 0-12-40 |
| | 102 | 0-26-00 | 102 | 0-28-50 |
| Bamangaon | 48 | 0-15-00 | 48 | 0-17-00 |
| | 279 | 0-12-00 | 279 | 0-15-60 |
| | 281 | 0-03-00 | 281 | 0-08-10 |
| Man T. Zirad Varsoli | 38/8 | 0-14-00 | 38/8 | 0-17-50 |
| | 293 | 0-02-00 | 293 | 0-08-00 |

[No. L-14016/6/93-G.P.]
ARDHENDU SEN, DIRECTOR

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1997

का.आ. 1134.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :

| विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था | मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता | रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर |
|---|---|---|
| "उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जलगांव | बैचलर आफ मैडिसन एंड बैचलर आफ सर्जरी | एम बी बी एस (यह एक मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता केवल तब होगी जब वह श्री भाऊ साहेब हिरे गवर्नमेंट मैडिकल कालेज धुले में प्रशिक्षित किए गए विद्यार्थियों को नवम्बर, 1995 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो)। |

[सं. वी. 11015/19/94—एम ई (यू जी)]
एस. के. मिश्रा, डैस्क अधिकारी

टिप्पण :— भा.आ.प. अधिनियम 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के एक भाग के रूप में भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 1 में अधिसूचना सं. 83 दिनांक 31 दिसम्बर, 1956 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 8th April, 1997

S.O.1134.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) the Central Government after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule, after the existing entries the following entries shall be added at the end namely :—

| University of Medical | Recognised Medical qualification | Abbreviation for registration |
|---|---|---|
| "North Maharashtra University Jalgaon | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | M.B.B.S. (This shall be a recognised medical qualification only when granted on or after November, 1995 in respect of student being trained at Shri Bhausahab Hire Government Medical College, Dhule)." |

[No.V.11015/19/94-ME(UG)]
S. K. MISHRA, Desk Officer

Note : The First Schedule to IMC Act 1956 (102 of 1956) was published as a part of Indian Medical Council Act, 1956 in Part II, Section 1 of the Gazette of India (Extraordinary) vide notification No. 83 dated the 31st December, 1956.

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1997

का.आ. 1135—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम 1960 के नियम 3 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दो वर्ष की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड स्थापित करती है : जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा श्री एस. एन. ककड़, सेवानिवृत्त अतिरिक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नामित करती है, अर्थात् :—

| | |
|---|---|
| 1. श्री एस. एन. ककड़ | अध्यक्ष |
| 2. संसद के चार (4) सदस्य | लोक सभा द्वारा चुने जाएंगे |
| 5 से | |
| 6. श्री नरेन्द्र प्रधान<br>संसद सदस्य (राज्य सभा) | |
| 7. श्री जनार्दन पुजारी,<br>संसद सदस्य (राज्य सभा) | |
| 8. संयुक्त सचिव<br>(नौवहन) सचिव, जल भूतल<br>परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि<br>के रूप में | केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि |
| 9 श्री नृपेन्द्र मिश्रा,<br>अतिरिक्त सचिव,<br>वाणिज्य मंत्रालय | "वही" |
| 10. वाइस एडमिरल,<br>विनोद पसरीचा,<br>डिप्टी चीफ आफ नैवल स्टाफ | "वही" |
| 11. अतिरिक्त सचिव एवं वित्त<br>सलाहकार<br>जल भूतल परिवहन मंत्रालय | "वही" |
| 12. महानिदेशक<br>नौवहन,<br>मुम्बई | "वही" |
| 13. चेयरमैन एवं एम.डी.,<br>शिपिंग कारपोरेशन आफ<br>इंडिया लि., मुम्बई | "वही" |
| 14. श्री बी. एल. मेहता,<br>एक्जीक्यूटिव प्रैसीडेंट,<br>मैसर्स वरुण शिपिंग कं लि.,<br>मुम्बई एवं प्रैसीडेंट,<br>आई. एन. एस. ए.,<br>मुम्बई | "वही" |
| 15. डा. एन. पी. तोलानी<br>चेयरमैन, तोलानी ग्रुप | केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि |
| 16. डा. लियो बार्नस,<br>जनरल सैक्रेटरी,<br>नैचरल यूनियन आफ<br>सीफेयरर्स आफ<br>इंडिया, मुम्बई | नाविकों के प्रतिनिधि |
| 17. कैप्टन यू. एस. एडम,<br>संयुक्त सचिव,<br>मैरीटाइम यूनियन आफ<br>इंडिया, मुम्बई | "वही" |
| 18 डा. एम. के. पांधे<br>वाइस प्रैसीडेंट,<br>फारवर्ड सीमैन आफ इंडिया<br>कलकत्ता | "वही" |
| 19 डा. डी. रविचंद्रन,<br>7/16, पेनाम अपार्टमेंट,<br>कलाक्षेत्र रोड,<br>थिरुवनियारप<br>चेन्नई-41 | अन्य मामलों के प्रतिनिधि |
| 20. कैप्टन पी. वी. के. मोहन<br>प्लाट नं. 319,<br>रोड नं. 25,<br>जुबली हिल्स,<br>हैदराबाद | अन्य मामलों के प्रतिनिधि |
| 21. श्री आर. सुब्रामणि उर्फ आर. एस.<br>मणि, 43, राजागोपाल,<br>स्ट्रीट, वेलूपुरम-606502 | "वही" |
| 22. श्री एस. वेंकिटस्वर्ण,<br>सीनियर एडवोकेट,<br>मुम्बई | "वही" |

[फा. सं. एसएम-18011/2/96-एस. एल]

आर. के. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 11th April, 1997.

S.O. 1135:—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with Rule 3 of the National Shipping Board Rules, 1960 the Government hereby establishes a National Shipping Board, for a period of two years with immediate effect, consisting of the following Members and nominate Shri S.N. Kakar, retired

Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Surface Transport, to be the Chairman of the said Board, namely:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Shri S.N. Kakar | —Chairman |
| 2. | Four Members of Parliament | —To be elected by Lok Sabha |
| 5. | to | |
| 6. | Shri Narendra Pradhan, M.P. (Rajya Sabha). | |
| 7. | Shri Janardhana Poojary, M.P. (Rajya Sabha). | |
| 8. | Joint Secretary (Shipping) as representative of Secretary, MOST. | —Representative of Central Government |
| 9. | Shri Nripendra Mishra, Additional Secretary, Ministry of Commerce. | -do- |
| 10. | Vice Admiral Vinod Pasricha Deputy Chief of Naval Staff. | -do- |
| 11. | Addl. Secretary & FA, Ministry of Surface Transport. | -do- |
| 12. | Director General of Shipping, Mumbai. | -do- |
| 13. | The Chairman & M.D., SCI Ltd., Mumbai. | —Representative of Shipowners |
| 14. | Shri B.L. Mehta, Executive President, M/S. Varun Shipping Co. Ltd., Mumbai & President, I.N.S.A., Mumbai. | -do- |
| 15. | Dr. N.P. Tolani, Chairman Tolani Group. | -do- |
| 16. | Dr. Leo Barnes, General Secretary, National Union of Seafarers of India, Mumbai. | —Representative of Seamen |
| 17. | Capt. U.S. Adam, Joint Secretary, Maritime Union of India, Mumbai. | -do- |
| 18. | Dr. M.K. Pandhe, Vice President, Forward Seamen of India, Calcutta. | -do- |
| 19. | Shri D. Ravichendran, 7/16, Ponnam Apartments, Kalashetra Road, Thiruvenniyar, Chennai-41. | —Representative of 'other' interests |
| 20. | Capt. P.V.K. Mohan, Plot No. 319, Road, No. 25, Jubilee Hills, Hyderabad. | -do- |
| 21. | Shri R. Subramani alias R.S. Mani, 43, Rajagopal Street, Vellupuram-605602, | -do- |
| 22. | Shri S. Venkiteswaran, Sr. Advocate, Mumbai. | —Representative of 'other' interests |

[F. No. SS-18011/2/96-SL]
R. K. SHARMA, Under Secy.

---

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1997

का०आ० 1136.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/सुझाव देना हो तो वह अपना सुझाव/आपत्ति लिखित रूप में आयुक्त-एवं-सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई०एन०ए० नई दिल्ली को इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अन्दर भेज दें। आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे।

संशोधन :

(1) "जोन "एफ" (दक्षिण दिल्ली-1) में पड़ने वाले तथा उत्तर में जिला पार्क से, पूर्व में शिवालिक सी०एच० वी०एस० से, दक्षिण में 24 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से और पश्चिम में अरविन्द कॉलिज से घिरे हुए 0.40 हक्टेयर (1.00 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक" से "परिवहन" (बस टर्मिनल) में बदलने का प्रस्ताव है।"

(2) "सेक्टर-5, रोहिणी में स्थित, जोन "एच०" (उत्तर पश्चिम दिल्ली-1) में पड़ने वाले और उत्तर में 45 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क, पूर्व में 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क, दक्षिण एवं पश्चिम में मनोरंजनात्मक/हरित पट्टी से घिरे 0.80 हैक्टेयर (2 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "आवासीय" से "सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (श्मशान भूमि/कब्रिस्तान) (पी०एस०-7) में बदलने का प्रस्ताव है।"

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाले नक्शे निरीक्षण के लिए संयुक्त निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल विकास मीनार, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उपलब्ध रहेंगे।

[सं० एफ०20(9)95-एम०पी.]

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त-एवं सचिव

नई दिल्ली

दिनांक : 3-5-97

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
## (MASTER PLAN SECTION)

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd April, 1997

S.O. 1136.—The following modifications which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi with a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :

(i) "The land use of an area, measuring 0.40 ha. (1.00 acre) falling in Zone 'F' (South Delhi-I), bounded by Distt. Park in the North, Shivalik CHBS in the East, 24 M R/W road in the South and Aurobindo College in the West, is proposed to be changed from 'Recreational' to 'Transportation' (Bus Terminal)".

(ii) "The land use of an area, measuring 0.80 ha. (2 acres) located in Sector-V, Rohini, falling in zone 'H' (North West Delhi-I) and bounded by 45 M R/W road in the North, 18 M R/W road in the East, Recreational/green buffer in the South and West, is proposed to be changed from 'Residential' to 'Public and semi-public facilities' (Cremation ground/Burial ground) (PS-7).

2. The plans indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Joint Director, Master Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[No. F. 20(9)/95-MP]

V. M. BANSAL, Comissioner-cum-Secretary.

New Delhi,

Dated : 3-5-97.

---

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1997

का.आ 1137:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स सी सी. एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कमकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं-1), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-4-97 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या-एल-20012/40/89-आई आर (सी-I)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

### MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 3rd April, 1997

S.O. 1137.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad as shown in the Annexure in the Indusrtial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. C.C.L. and their workmen, which was received by the Central Government on 2-4-97.

[No. L-20012/40/89-IR(C-I)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

### ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. I, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) (2-A) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 197 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kathara Colliery of M/s. C.C. Ltd.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri Tarkeshwar Prasad, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri R. S. Murthy, Advocate.

For the Workmen : None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, the 20th March, 1997

### AWARD

By Order No. L-20012/40/89-I.R. (Coal-I) dated 4-12-89 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Kathra Colliery of C.C.L., P.O. Kathara, District Giridih by not making fixation of Basic Pay (Group Wages) at a higher rate taking base of average wage to Sri Tilak Das and 25 others w.e.f. 1-4-83 as Cat. I Mazdoor and from 16-7-84 as Cat. II Mazdoor is justified ? If not, to what relief the workmen concerned are entitled ?"

2. In this case Shri M. K. Sengupta, Advocate was appearing on behalf of the workmen. But from 18-10-1996 neither any representative of the sponsoring union nor the concerned workmen are appearing in this case to take further step. It, therefore, appears that neither the sponsoring union nor the concerned workmen are interested to prosecute the case.

3. In such circumstances I render 'no dispute' award in the present reference case.

TARKESHWAR PRASAD, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1907

का.आ. 1138.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध के निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, भुवनेश्वर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-03-97 को प्राप्त हुआ।

[संख्या एल-12011/47/92-आई आर (बी. 2)
संख्या एल-12011/02/94-आई आर (बी. 2)
संख्या एल-12011/32/93 आई.आर (बी 2)
संख्या एल-12011/01/94 आई आर. (बी 2)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1138.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Bhubaneshwar as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of UCO Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 19-03-97.

[No. L-12011/47/92 IR(B-II)
L-12011/02/94 IR(B-II)
L-12011/32/93 IR(B-II)
L-12011/01/94 IR(B-II)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

INDUSTRIAL TRIBUNAL : ORISSA :

BHUBANESHWAR :

Present :

Sri M. R. Behera, O.S.J.S. (Sr. Branch), Presiding Officer, Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 9 OF 1993(C)

BETWEEN

The management of Uco Bank,
Uco Bank Zonal Office,
25-A, Janapath, Bhubaneswar. .. First Party-management.

AND

Their workmen, represented
through Uco Bank Employees'
Association,
C/o : Uco Bank Zonal Office,
25-A, Janpath, Bhubaneswar .. Second Party-workmen

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 17 OF 1994(C)

BETWEEN

The management of Uco Bank,
Zonal Office,
C-2, Ashok Nagar, Unit-II,
Bhubaneswar. . First Party-management.

AND

Their workmen, represented
through Uco Bank Employees'
Association,
C/o : Uco Bank Zonal Office,
C-2, Ashok Nagar, Unit-II,
Bhubaneswar. .. Second Party-workmen

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO 33 OF 1994(C)

BETWEEN

The management of Uco Bank,
Zonal Office, C-2, Unit-II,
Ashok Nagar, Bhubaneswar .. First Party-management

AND

Their workmen, represented
through Uco Bank Employees'
Association,
C/o : Uco Bank Zonal Office,
Unit-II, Ashok Nagar, Bhubaneswar.
.. Second Party-workmen

ANNEXURE

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 37 OF 1994(C)

BETWEEN

The management of Uco Bank,
Zonal Office, Ashok Nagar,
Unit-II, Bhubaneswar. . First Party-management

AND

Their workmen, represented
through Uco Bank Employees'
Association,
C/o : Uco Bank Zonal Office,
C-2, Ashok Nagar, Bhubaneswar .. Second Party-man-Workmen.

Appearances :

Sri A. Thumbanatham, Dy. Chief Officer (Law).—For the first party-management.

Sri P. Papa Rao, Organising Secretary of Uco Bank Employees' Association.—For the Second party-workman.

ORDER NO. 30 Dt. 05-03-97

The Government of India, in the Ministry of Labour, in exercise of powers conferred upon them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), have referred the dispute as to whether the first party-management is required to notify the vacancy of the post of Head Cashier, Category 'E' at its branch offices at WALMI, Pratapnagari Extension Counter, Bhubaneswar/Surya Nagar, Bhubaneswar/Ashok Nagar, Bhubaneswar and at Brajrajnagar.

2. The pertinent question involved in all these cases is whether the first party-management is required to notify the vacancy of the post of Head Cashier, Category 'E' at its branch offices at WALMI, Pratapnagari Extension Counter, Bhubaneswar/Surya Nagar, Bhubaneswar/Ashok Nagar, Bhubaneswar and of Brajrajnagar.

3. On 6-2-95 all these cases have been directed to be conducted analogously. Thereafter, issues have been framed on 19-9-95.

4. Today, both the parties have filed a joint petition that the management has not only notified the vacancies for all these outline stations of Uco Bank for which the references have been sent to this Tribunal, but also, has filled-up the vacancies of the posts, and that, there is no more dispute pending with the first party-management (Uco Bank) to be agitated by the Union, therefore, the references are required to be disposed of.

5. Sri P. Papa Rao, Organising Secretary, Uco Bank Employees' Association is present before this Tribunal and he supported the contention of the joint petition. In view of the contention of Mr. Rao, it is needless to further proceed with the references. Accordingly, the cases are disposed of.

6. Send a copy of this order to the appropriate Government with reference to their Order Nos. L-12011/47/92 IR (B-II), dt. 1-3-93, L-12011/02/94-IR (B-II) dt. 22-4-94, L-12011/32/93-IR (B-II) dt. 10-8-84 & L-12011/01/94.IR (B-II) dt. 26-8-94 respectively.

Dictated & corrected by me.

M. R. BEHRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का.आ. 1139.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इलाहाबाद बैंक के प्रबंध तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 01-04-97 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12011/9/88-आई आर बी 2/डी IIए]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1139.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Allahabad Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 07-04-97.

[No. L-12011/9/88-D.II.A/IR (B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई टी. 80/88

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र. एल-12011/9/88-डी II (ए) दिनांक 2.12.88

---

राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन, परवाना भवन, माधो बाग, जोधपर ।

—प्रार्थी

बनाम

महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।

—प्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायधीश श्री के. एल. व्यास, आर.एच.जे एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. एल. शाह

अप्रार्थी की ओर से : श्री राजेश जैन

दिनांक अवार्ड : 27-9-1995

अवार्ड

केंद्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निम्न विवाद अधिनिर्णय हेतु निर्देशित किया गया है :

"क्या इलाहाबाद बैंक के प्रबंधक को सर्व श्री कृष्ण कुमार और शोभाराम यादव की सेवाएं समाप्त करने और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 जी के अधीन नई भर्ती करते समय उनको आगे रोजगार देने के लिए उनके नामों पर विचार न करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है?"

7. क्लेम दोनों श्रमिकगण की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है जिसमें वर्णित तथ्यों का सार यह है कि श्रमिकगण कृष्ण कुमार व शोभा राम को क्रमशः 7-7-83 व 5-10-83 से विपक्षी बैंक में नियुक्त किया गया था व 29-9-84 व 31-12-83 को उनकी सेवाएं धारा 25-जी व 25-एच औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे तत्पश्चात् अधिनियम संबोधित किया जायेगा) के प्रावधान की पालना किये बिना समाप्त की गई। सेवा मुक्ति से पूर्व शास्त्री अवार्ड के अनुसार भी कोई नोटिस श्रमिकगण को नहीं दिया गया न ही 14 दिन के वेतन का भुगतान किया गया। इन तथ्यों के आधार पर यह अनुतोष मांगा गया है कि दोनों श्रमिकगण को बकाया वेतन के लाभ सहित पुनः सेवा में बहाल करने का आदेश दिया जावे। एक तथ्य यह वर्णित किया गया है कि विपक्षी बैंक को यह निर्देश दिया जावे कि उन्होंने श्रमिकगण की सेवा मुक्ति के बाद जिन अन्य नये व्यक्तियों को नियुक्त किया था उनकी सूची व विवरण प्रस्तुत किया जावे।

3. नियोजक की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह प्रतिरक्षा ली गई है कि दोनों श्रमिकगण को अस्थाई तौर पर द्विपक्षीय समझौते के पैरा 20.7 से 20.8 के अनुसार निश्चित अवधि के के लिए नियुक्त किया गया था इस लिए कोई भी विवाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उनका यह भी कथन है कि स्थाई स्टाफ के अवकाश पर होने के कारण अथवा अधिक कार्य के कारण दोनों श्रमिक को अस्थाई नियुक्ति दी गई थी। एक आपत्ति यह ली गई है कि विवाद अत्याधिक विलम्ब से उठाया गया है इसलिए सुनवाई योग्य नहीं है। दोनों श्रमिकगण कृष्ण कुमार व शोभा राम के लिए यह स्वीकार किया गया है कि उन्होंने क्रमशः 82 दिन 88 दिन के लिए बैंक में अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया था व इस कारण नियुक्ति की प्रकृति व शर्तों को देखते हुए सेवा मुक्ति से पूर्व कोई भी नोटिस या मुआवजा देना आवश्यक नहीं था। इस

तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है दोनों कर्मचारियों की सेवा मुक्ति के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति को नियोजित किया गया था। एक प्रतिरक्षा यह है कि चूंकि 240 दिन से कम श्रमिकगण ने बैंक में कार्य किया था इसलिए अधिनियम के कोई भी प्रावधान प्रभाव में नहीं आते हैं। स्थाई नियुक्ति के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया निश्चित होना बताया गया है व यह अभिकथित किया गया है कि यदि अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई बनाया जाता है तो उस स्थिति में उनकी नियुक्ति वैधानिक नहीं हो सकती।

4. श्रमिकगण की ओर से नियोजक के जवाब को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर यह बताया गया है कि अधिनियम के तहत परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं व अस्थाई नियुक्ति के मामले में भी धारा 2 एच अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। यह भी बताया गया है कि श्रमिकगण की सेवा मुक्ति के पश्चात् बैंक में अन्य लोगों की नियुक्तियां दी गई थी व उस समय श्रमिकगण को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। 240 दिन से कम श्रमिकगण द्वारा काम करने के तथ्य को स्वीकार किया गया है।

5. श्रमिक कृष्ण कुमार की ओर से क्लेम के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई व इस आधार पर श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने यह स्वीकार किया है कि उसके क्लेम को प्रेरित नहीं करते हैं व इस कारण इस श्रमिक के मामले में विवाद रहित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :

6. श्री शोभाराम के विवाद के संबंध में उपलब्ध अभिकथनों व साक्ष्य को देखते हुए विवाद में विनिश्चय हेतु निम्न बिन्दु बनाये जाते हैं :

(1) कि श्रमिक ने विपक्षी बैंक में कुल कितने दिन व किस रूप में कार्य किया ?

(2) क्या श्रमिक को सेवा मुक्त करते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा द्विपक्षीय समझौते अनुसार कोई भी नोटिस या मुआवजा दिया गया ?

(3) क्या श्रमिक को सेवा मुक्ति के समय बैंक में उसी श्रेणी में श्रमिकों से कनिष्ठ कर्मचारी कार्यरत थे।

(4) क्या विपक्षी बैंक द्वारा श्रमिक को सेवा मुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में अन्य व्यक्तियों को नियोजित किया गया व यदि हां तो किस अवधि के लिए ये नियुक्ति की गई ; ?

7. श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में क्लेम समर्थन करते हुए यह बताया है कि उसकी नियुक्ति पीओन के पद पर विपक्षी बैंक में 5-10-83 को की गई थी व 1-1-84 को मौखिक आदेश से उसे सेवा मुक्त किया गया। इन तथ्यों पर कोई भी विवाद जिरह में नियोजक की ओर से नहीं किया गया है। नियोजक की ओर से प्रस्तुत गवाह श्री पी.के. मित्तल ने अपन शपथ पत्र में उक्त सेवा अवधि के तथ्य को स्वीकार किया है अतः यह बात निर्विवाद रूप से प्रमाणिक है कि श्रमिक ने 5-10-83 से 1-1-84 के बीच बैंक में पीओन के पद पर कार्य किया था।

8. नियुक्ति की प्रकृति के संबंध में श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में यह बताया है कि उसे स्थाई पीओन के वेतन के बराबर वेतन व भत्ता दिया गया था, उस समय बैंक में पीओन के स्थाई पद कम थे व काम ज्यादा था इसलिए उसे रिक्त स्थाई पद पर अस्थाई नियुक्ति दी गई थी। जिरह में श्रमिक ने प्रदर्श एम-1 प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है जिसके जरिए उसने अस्थाई नियुक्ति हेतु आवेदन किया था। इसके अलावा यह भी स्वीकार किया है कि नियुक्ति से पूर्व उसका साक्षात्कार नहीं किया गया था। गवाह का कथन है कि शाखा मैनेजर ने उसे बताया था कि उसकी नियुक्ति स्थाई पद के खिलाफ अस्थाई रूप से की गई है। नियुक्ति आदेश मान्य रूप से श्रमिक को नहीं दिया गया था। अपने साथ जगदीश को भी अस्थाई रूप से नियुक्त होना श्रमिक ने स्वीकार किया है। इसके अलावा श्रमिक को साक्ष्य में यह भी आया है कि किसी भी अस्थाई कर्मचारी को बैंक में इस आधार पर स्थाई नियुक्ति नहीं दी गई थी। बैंक के गवाह श्री पी.के. मित्तल ने बताया है कि श्रमिक को अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया था। उपस्थिति पंजिका प्रदर्श 104 प्रस्तुत की गई है जिसमें श्रमिक को अस्थाई कर्मचारी के रूप में बताया हुआ है। उनका यह भी कथन है कि अक्तूबर, 1983 में व उसके बाद शाखा में कोई भी पद स्थाई रूप से खाली नहीं था। शोभाराम को कार्य की अधिकता के कारण अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया था। जिरह में उन्होंने यह कहा है कि संबंधित अवधि में कौन चपरासी अवकाश पर रहा यह उन्हें याद नहीं है व शोभाराम के अलावा किसको अस्थाई चपरासी रखा यह भी याद नहीं है। इसके अलावा कोई जिरह गवाह से नहीं की गई है। संबंधित शाखा में संबंधित समय स्थाई चपरासी का पद रिक्त होने के संबंध में कोई रिकार्ड श्रमिक द्वारा तलब नहीं करवाया गया है दोनों पक्षों की साक्ष्य को देखते हुए यह विनिश्चय किया जाता है कि श्रमिक को 88 दिन के लिए अस्थाई नियुक्ति अवकाश पर जाने वाले व्यक्तियों के कारण अस्थाई जगह खाली होने के कारण व अस्थाई रूप से कार्य में वृद्धि होने के कारण दी गई थी।

9. श्रमिक ने अपने क्लेम में यह बताया है कि सेवा मुक्ति से पूर्व उसे शास्त्री अवार्ड व अधिनियम के प्रावधान के तहत कोई भी नोटिस या मुआवजा नहीं दिया गया। इन तथ्यों का प्रतिकार नियोजक के जवाब में नहीं किया गया है। श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में यद्यपि इस बात को वर्णित नहीं किया है किन्तु नियोजक ने जवाब में जिस तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार किया है उसे देखते हुए यह माना जाता है कि श्रमिक शोभाराम की सेवा मुक्ति से पूर्व कोई भी नोटिस या मुआवजा नहीं दिया गया था।

10. श्रमिक शोभाराम ने अपने क्लेम में यह विवरण नहीं दिया है कि उसकी सेवा मुक्ति के पश्चात् किस किस व्यक्ति को बैंक में अस्थाई तौर पर नियुक्त किया गया व इस संबंध में उसने बैंक का रिकार्ड तलब करवाने का अनुरोध किया था। नियोजक ने जवाब में श्रमिक की सेवा

मुक्ति के पश्चात् किसी भी अस्थाई नियुक्ति के तथ्य को स्वीकार नहीं किया है। शपथ पत्र में श्रमिक ने यह बताया है कि उसकी सेवा मुक्ति के पश्चात् सर्वश्री मदन लाल, शैल बहादुर, नन्दलाल मीणा, प्रेम चंद मीणा, योगेश मीणा, शम्भू राम, चन्द्र किशोर, महेन्द्र कुमार मीणा, राजेन्द्र मानसिंह व नानग राम को थोड़े-थोड़े समय के लिए नियुक्त किया गया था। मानसिंह व नानग राम को बाद में स्थाई किया गया जो अभी भी लगातार कार्यरत हैं। जिरह में उसने स्वीकार किया है कि मानसिंह व नानग राम को स्थाई नियुक्ति देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई उसे पता नहीं व यह भी पता नहीं कि वे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हैं। इसके अलावा कोई भी जिरह गवाह से नहीं की गई है। श्रमिक ने जिन कर्मचारियों को अपनी सेवा मुक्ति के बाद नियुक्त करना बताया है उसका कोई भी आधार प्रकट नहीं किया है। बैंक के गवाह श्री पी. के. मित्तल ने श्रमिक द्वारा वर्णित उक्त तथ्यों को खण्डित नहीं किया है। व उपस्थिति पंजिका प्रदर्श 104 प्रस्तुत की है जो नवम्बर 1983 से सितम्बर 1984 की अवधि की है। इनमें जो तथ्य उल्लिखित हैं उनके अनुसार श्रमिक की सेवा मुक्ति के पश्चात् अस्थाई तौर पर अन्य व्यक्तियों को पीओन के पद पर नियुक्ति दी गई थी। किन्तु स्पष्ट रूप से साक्ष्य में यह नहीं बताया गया है कि किस-किस व्यक्ति को कितने समय के लिए यह नियुक्ति दी गई व उस अवधि में उनको कितनी राशि का भुगतान किया गया। मानसिंह व नानग राम के लिए नियोजक के गवाह ने जिरह में यह बताया है कि उनकी नियुक्ति स्थाई रूप से हुई थी किन्तु व इस कारण यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि उनको स्थाई नियुक्ति अस्थाई नियुक्ति के परिणामस्वरूप दी गई थी। निष्कर्ष यह है कि यह तथ्य प्रमाणित है कि श्रमिक की सेवा मुक्ति के बाद कुछ अन्य व्यक्तियों को संबंधित शाखा में अस्थाई तौर पर पीओन के रूप में नियुक्त किया गया था।

10. श्रमिक के क्लेम, मौखिक साक्ष्य में यह बताया गया है कि उसकी सेवा मुक्ति के पश्चात् जिस अन्य व्यक्तियों को अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया उस समय श्रमिक को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। इस तथ्य को किसी प्रकार खण्डित जवाब या साक्ष्य में नियोजक द्वारा नहीं किया गया है। अतः यह माना जाता है कि धारा 25–एच अधिनियम के प्रावधान की पालना करते हुए कोई नोटिस श्रमिक को नहीं दिया गया व उस तथ्यात्मक स्थिति से क्या परिणाम होंगे व श्रमिक किस अनुतोष का अधिकारी होगा, इस पर विनिश्चय बाद में किया जायेगा।

11. पूर्व में तथ्यात्मक बिन्दुओं के संबंध में जो विनिश्चय किया गया है उसे देखते हुए श्रमिक की ओर से जो विधिक प्रावधानों की अवहेलना का अभिकथन किया गया है व उस संबंध में नियोजक की ओर से जो प्रतिरक्षा ली गई है उस पर विचार किया जाकर यह विनिश्चय किया जाता है कि नियोजक द्वारा श्रमिक की सेवा मुक्ति के मामले में किसी भी विधानिक प्रावधान की अवहेलना की गई है व यदि ऐसा है तो इसके परिणामस्वरूप श्रमिक को क्या पारितोषिक किया जाय।

12. दोनों पक्षों के अभिकथनों व उपलब्ध साक्ष्य का निष्कर्ष यह है कि श्रमिक का यह कथन नहीं है कि उसने विपक्षी बैंक में 240 दिन या उससे अधिक अवधि के लिये कार्य किया था व इस कारण धारा 25–एफ अधिनियम के प्रावधान की पालना नियोजक द्वारा उसकी सेवा मुक्ति के मामले में किया जाना आवश्यक था। दोनों पक्षों ने बहस में यह भी सही रूप से स्वीकार किया है कि धारा 25–एफ अधिनियम के प्रावधान उसी स्थिति में लागू होते हैं जब कि श्रमिक ने 240 दिन या उससे अधिक अवधि के लिये लगातार किसी भी रूप में नियोजक के यहां कार्य किया हो। इस प्रकरण में इस प्रकार की स्थिति नहीं है इसलिये धारा 25–एफ के प्रावधान की पालना नियोजक के लिये करना आवश्यक नहीं था। इसके परिणामस्वरूप यह भी विनिश्चय किया जाता है कि श्रमिक धारा 25–एफ अधिनियम के प्रावधान की सहायता लेते हुए कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

13. धारा 25–जी अधिनियम व नियम 77 के प्रावधान को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह अर्थ निकलता है कि किसी भी श्रमिक की छंटनी या सामूहिक छंटनी के मामले में नियोजक द्वारा उसी श्रेणी के समस्त श्रमिकगण की वरिष्ठता सूची बनाई जाकर प्रकाशित की जायेगी तथा सेवा मुक्ति के मामले में वरिष्ठता के अनुसार कार्यवाही करते हुए कनिष्ठतम श्रमिक को पहले सेवा मुक्त किया जायेगा। दोनों पक्षों की ओर से इन प्रावधानों के संबंध में यह तर्क-वितर्क दिये गये हैं कि जिस श्रमिक द्वारा 240 दिन की सेवा अवधि पूरी नहीं की गई हो व अधिनियम के प्रावधान के तहत श्रमिक की परिभाषा में नहीं आता है व इस कारण उसकी सेवा मुक्ति के मामले में धारा एफ अधिनियम के साथ-साथ धारा 25–जी व 25–एच के प्रावधान भी लागू नहीं होते हैं जैसा कि नियोजक का तर्क है जब कि श्रमिक प्रतिनिधि का यह तर्क है धारा 25–जी व 25–एफ के प्रावधान अलग-अलग व एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं तथा किसी भी श्रमिक की सेवा मुक्ति का मामला यदि छटनी की परिभाषा में आता है तो नियोजक द्वारा धारा 25–जी के प्रावधान की पालना करना आवश्यक है यदि उसके द्वारा 240 दिन की सेवा अवधि पूरी नहीं की गई हो व इस प्रावधान की पालना नहीं करने की स्थिति में सेवा मुक्ति के आदेश को वैध नहीं माना जा सकता। धारा 25–एच अधिनियम के प्रावधान के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से इसी प्रकार की बहस की गई है व दोनों की ओर से इस संबंध में अलग-अलग विधि दृष्टान्तों को संदर्भित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में यह मान्य स्थिति है कि यद्यपि श्रमिक

ने अपने क्लेम में नियोजक द्वारा धारा 25–जी अधिनियम के प्रावधान की अवहेलना का तथ्य अभिकथित किया है किन्तु इस प्रकार की साक्ष्य के अभाव में यह मान्य है कि श्रमिक की सेवा मुक्ति के समय उस श्रेणी में भी कनिष्ठ कर्मचारी नियोजक के यहां कार्यरत नहीं था। ऐसी स्थिति में यदि तर्क के लिये यह माना जाये कि नियोजक द्वारा धारा 25–जी के प्रावधान की पालना करना आवश्यक था तो भी यह स्थिति इस विवाद में निरर्थक है क्योंकि तथ्यात्मक रूप से यह साबित नहीं है कि नियोजक द्वारा श्रमिक से कनिष्ठ कर्मचारी सेवा में रखते हुए श्रमिक को सेवा मुक्त किया गया। धारा 25–जी व 25–एच अधिनियम की पालना के संबंध में एक ही प्रकार के विधि दृष्टान्त दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं इसलिये धारा 25–एच की पालना के संबंध में विनिश्चय करते समय उन निर्णयों पर सविस्तार विचार किया जायेगा।

14. श्रमिक यूनियन की ओर से एक विधिक तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि श्रमिक की सेवा मुक्ति के समय नियोजक द्वारा शास्त्री अवार्ड के पैरा 522(4) की अनुपालना में कोई नोटिस या मुआवजा श्रमिक को नहीं किया गया था इसलिये श्रमिक की सेवा मुक्ति की कार्यवाही वैध नहीं मानी जा सकती। धारा 522(4) शास्त्री अवार्ड के अनुभार बैंक में नियुक्ति प्रत्येक श्रमिक की सेवा मुक्ति से पूर्व 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक बताया गया है व इसके साथ इस प्रावधान में यह उल्लेख नहीं है कि इस प्रकार के नोटिस अभाव में सेवा मुक्ति के आदेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां तक तथ्यों का प्रश्न है, यह स्थिति पूर्व में स्पष्टतः बताई गई है कि श्रमिक को सेवा मुक्त करने से पूर्व शास्त्री अवार्ड के पैरा 522(4) के तहत कोई भी नोटिस या मुआवजा श्रमिक को दिया गया था। नियोजक के प्रतिनिधि को इस संबंध में कोई भी विवाद नहीं है। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि का यह तर्क है कि शास्त्री अवार्ड के उक्त प्रावधान की पालना के अभाव में श्रमिक की सेवा मुक्ति का आदेश अवैध हो जाता है व परिणामस्वरूप वह सेवा में बहाली का आदेश प्राप्त करने का अथवा वैकल्पिक रूप से अन्य नोटिस प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। इसके विपरीत नियोजक प्रतिनिधि का यह तर्क है कि शास्त्री अवार्ड के पैरा 522(4) के प्रावधान धारा 25–एफ के प्रावधान के रूप नहीं है इसलिये यदि इस प्रावधान की पालना नहीं की गई हो तो भी श्रमिक 14 दिन के वेतन के बराबर मुआवजे के अलावा कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता। उनका यह भी कथन है कि श्रमिक की सेवा मुक्ति का मामला धारा 2(OO) (बी बी) अधिनियम के तहत छंटनी की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि श्रमिक को एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्ति आदेश दिया गया था व उस अवधि के पश्चात् सेवा संविदा का नवीनीकरण नहीं किया गया है व उसकी सेवा संविदा के अनुसार स्वतः ही समाप्त हो गई थी। इस संबंध में उन्होंने 1991(62) एफ.एल.आर. (केरल) पेज 755 इंडियन एयरलाइन्स बनाम सेबेस्टियन एफ. एल.आर. 1990(60) (इलाहाबाद) 672 मैनेजर स्टेट बैंक आफ इन्दौर बनाम पीठासीन अधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण कानपुर तथा के.एन. प्रसाद बनाम इलाहाबाद बैंक एफ.एल.आर. 1982(पटना) 584 व सतपाल बनाम स्वराज फाउन्ड्री डवीजन एस.एल.आर. 1990(5) पंजाब व हरियाणा(694) व राज बहादुर बनाम फूड स्पेशलिटीज गोगा 1990(5) एस.एल.आर. (पंजाब व हरियाणा) 695 के निर्णय संदर्भित किये हैं। इन निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिये की जाती है तथा उसके बाद उसकी संविदा का नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो स्वतः सेवा मुक्ति का मामला धारा 2(OO) (बी बी) के तहत छंटनी की परिभाषा में नहीं आता है। जहां तक विधिक सिद्धान्तों का प्रश्न है, इस संबंध में कोई भी विवाद नहीं हो सकता। हर प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए यह विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है कि संदर्भित विधि सिद्धान्त प्रभाव में आते हैं अथवा नहीं। प्रस्तुति प्रकरण में यह स्थिति स्पष्ट है कि श्रमिक को कोई लिखित नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया था, प्रथम नियुक्ति पश्चात् अलग-अलग समय पर उसे मौखिक नियुक्ति आदेश देने का तथ्य साक्ष्य में बताया गया है व अंत में बैंक के 1980 परिपत्र के अनुसार श्रमिक की सेवायें 90 दिन पूरे होने से पूर्व समाप्त की गई थी। ऐसी परिस्थिति में यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि श्रमिक को नियुक्ति निश्चय अवधि के लिये दी गई थी व इस कारण धारा 2(OO) (बी बी) प्रावधान लागू नहीं होते इसके अलावा एक विचारधीन विचारणीय बिन्दु यह है कि धारा 2 (OO) (बीबी) अधिनियम 18–8–84 के संशोधन से अधिनियम में अतिरिक्त रूप से जोड़ी गई थी व उसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं बनाया गया है इसलिये इस तिथि से पूर्व जो सेवा मुक्ति के मामले में उन पर 2(OO) (बी बी) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में मान्य रूप से श्रमिक की सेवा मुक्ति 18–8–84 से पूर्व की है इसलिये यदि गुण दोष पर यह माना जाये कि कथित तथ्यों को देखते हुए धारा 2(OO) (बी बी) के प्रावधान लागू होते हैं तो भी श्रमिक की सेवा मुक्ति की तिथि को देखते हुए इन प्रावधानों का लाभ नियोजक को नहीं दिया जा सकता।

15. नियोजक पक्ष की ओर से चंडीगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा आई.डी. सं. 41/86 में दिये गये एक निर्णय दिनांक 4-3-91 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें यह माना गया है कि यदि शास्त्री अवार्ड के पैरा 522(4) के तहत श्रमिक को नोटिस सेवा मुक्ति से पूर्व नहीं दिया गया है तो उसके एवज में श्रमिक 14 दिन का वेतन मुआवजा के रूप में प्राप्त कर सकता है कि किन्तु

इस आधार पर सेवा मुक्ति का आदेश अवैध नहीं माना जा सकता। इस अधिनिर्णय के खिलाफ रिट याचिका में माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस विनिश्चय की पुष्टि की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 4-3-92 है व उसकी फोटो प्रति नियोजक की ओर से प्रस्तुत की गई है। इस रिट याचिका के निर्णय के विपरीत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. प्रस्तुत की गई थी जो प्रारम्भिक रूप से खारिज की गई व उस आदेश की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा शास्त्री अवार्ड के पैरा 522(4) के प्रावधान की व्याख्या के संबंध में नियोजक की ओर से एक अन्य निर्णय 1990 (60) एफ.एल.आर. (इलाहबाद) 672 संदर्भित किया गया है। श्रमिक यूनियन की ओर से इसके विपरीत कोई भी अन्य निर्णय शास्त्री अवार्ड के पैरा 522(4) की व्याख्या व उसकी पालना के कारण होने वाले प्रभाव के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है। नियोजक की ओर से जो निर्णय संदर्भित किया गया है उसको व शास्त्री अवार्ड की भाषा को देखते हुए यह माना जाता है कि यदि संबंधित श्रमिक को सेवा से मुक्ति से पूर्व 14 दिन का नोटिस नहीं दिया जाये या उसके एवज में उस अवधि का वेतन नहीं दिया जाय तो उस स्थिति में वह न्यायाधिकरण के आदेश से 14 दिन के वेतन के बराबर मुआवजा की राशि प्राप्त कर सकता है किन्तु इस आधार पर सेवा मुक्ति आदेश प्रारम्भिक रूप से अवैध व शून्य नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि शास्त्री अवार्ड के पैरा 522(4) की पालना नियोजक द्वारा नहीं की गई है इसलिए श्रमिक को उक्त विवेचन के अनुसार मुआवजा दिलाने का आदेश पारित किया जाता है। तथ्यात्मक रूप से विनिश्चय हेतु जो बिन्दु बनाये गये थे उनके विवेचन के परिणामस्वरूप यह साबित माना गया है कि श्रमिक की सेवा मुक्ति के पश्चात् नियोजक द्वारा कोई अन्य व्यक्तियों को उन्हीं शर्तों पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया था व उस समय श्रमिक को नियोजन में आने के लिए कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। इन तथ्यों के आधार पर श्रमिक यूनियन की ओर से यह बहस की गई है कि नियोजक द्वारा धारा 25-एच के प्रावधान की अवहेलना की गई है तथा इस प्रावधान की पालना किया जाना आवश्यक है इसलिए सेवा मुक्ति का आदेश वैध नहीं माना जा सकता। पूर्व में जो विवेचन किया गया है उसके आधार पर यह माना गया है कि श्रमिक की सेवा मुक्ति का मामला धारा 2 (OO) (बीबी) के प्रावधान के तहत अपवाद में नहीं आता है व छंटनी की परिभाषा में आता है। इसके आगे नियोजक की ओर से यह बहस की गई है कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार श्रमिक की परिभाषा में वही कर्मचारी आते हैं जिन्होंने 240 दिन की सेवा पूरी कर ली हो व इसके अभाव में धारा-25 एफ के साथ-साथ 25-जी व एच के प्रावधान भी लागू नहीं होते हैं। उनके कथन का सार यह है कि धारा 25-जी व एच के प्रावधान धारा 25-एफ पर आधारित हैं व उन्हें स्वतन्त्र रूप से नहीं पढ़ा जा सकता। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने इसको खण्डन करते हुए यह तर्क दिया है कि धारा 25-जी व 25-एच के प्रावधान धारा 25-एफ के प्रावधान से अलग व स्वतन्त्र हैं इसलिए 240 दिन की सेवा अवधि पूरी होने के अभाव में भी नियोजक द्वारा धारा 25-एच के प्रावधान की पालना करना आवश्यक है। दोनों पक्षों की ओर से इस संबंध में अलग-अलग विधि दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं। श्रमिक यूनियन की ओर से जो निर्णय किये गये हैं वे निम्न प्रकार हैं :—

(1) एल. एल. एन. 1990 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण मद्रास पेज 272

(2) रामचन्द्र यादव बनाम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आर. एल. आर. 1989 (1) (राज.) 636

(3) आर. एल. आर. 1991 (2) सूर्य प्रकाश शर्मा बनाम राजस्थान टैक्स्ट बुक बोर्ड, 691

(4) ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स बनाम पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण डब्ल्यू. एल. सी. 1992 (राजस्थान) 464

(5) 1987 लेब. आई. सी. (1361) (गुजरात) गुजरात स्टेट मशीन टूल्स बनाम दीपक जे. देसाई

(6) केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण कानपुर द्वारा आई. डी. नं. 8/84 में दिए गए निर्णय दिनांक 29-1-86 की फोटो प्रति

(7) 1987 एस. सी. सी. पेज 75 कमलेश सिंह बनाम पीठासीन अधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त संदर्भित निर्णय 1987 एस. सी. सी. 75 व अन्य संदर्भित निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 25-जी व एच के प्रावधान 25-एफ के प्रावधान से भिन्न व स्वतंत्र हैं इसलिए जिस श्रमिक द्वारा 240 दिन की सेवा अवधि पूरी नहीं की गई है उसके मामले में भी नियोजक द्वारा धारा 25-जी व 25-एच के प्रावधान की पालना करना आवश्यक है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के संदर्भित निर्णय के संबंध में नियोजक की ओर से यह तर्क दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा इस निर्णय के क्रियान्वयन पर स्थगन किया हुआ है इसलिए निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त लागू नहीं माने जा सकते। उनका यह तर्क विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। जब तक खण्ड पीठ द्वारा एकल पीठ के निर्णय को मानना इस न्यायालय के लिये आवश्यक है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व संदर्भित निर्णयों में भी धारा 25-जी व एच के प्रावधान के संबंध में श्रमिक की बहस के अनुरूप सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। श्रमिक यूनियन द्वारा प्रस्तुत निर्णयों के विपरीत नियोजक की ओर से जो निर्णय प्रस्तुत किये गये हैं निम्न प्रकार हैं :—

(1) केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा आई. डी. नं. 41/86 में दिये गये निर्णय व उस संबंध में माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा

रिट याचिका में दिये गये निर्णय की फोटो प्रति व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत एस. एल. पी. प्रारंभिक रूप से खारिज करने के आदेश।

(2) 1980 एस. एल. जे. (एस. सी.) 137 गुजरात स्टील ट्यूब्स लि. बनाम मजदूर सभा

(3) 1990 एफ. एल. आर. (इलाहबाद) 672 मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर बनाम पीठासीन अधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण।

(4) पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण कानपुर द्वारा आई. डी. नं. 94/66 में दिये गये निर्णय दिनांक 12-12-88 की फोटो प्रति

(5) एल. एल. आर. (991) (केरल) 488 इंडियन एयरलाईन्स बनाम सैब्सिटियन ।

17. कुल जो निर्णय नियोजक पक्ष की ओर से संदर्भित किये गये हैं उनमें गुजरात स्टील ट्यूब के मामले के अलावा तमाम निर्णय केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण अथवा विभिन्न उच्च न्यायालयों के हैं जिनको यह न्यायाधिकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों की तुलना में मानने के लिए बाध्य नहीं है । चंडीगढ़ केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा किये गये निर्णय के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो एस.एल. पी. प्रारंभिक रूप से खारिज की गई है वह आदेश दोनों पक्षों के तर्क के अभाव में गुण दोष पर पारित किया हुआ नहीं माना जा सकता व इस कारण यह निर्णय इस विधि सिद्धान्त के लिए सारवान रूप से विचारणीय नहीं हो सकता श्रमिक यूनियन की ओर से इस संबंध में 1993 लेब. आई.सी. 1435 (पंजाब व हरियाणा) का एक निर्णय प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षों के तर्क सुने बिना कोई भी आदेश प्रारंभिक स्तर पर पारित किया जाता है तो व अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मान्य नहीं हो सकता । इस विधि स्थिति को देखते चंडीगढ़ केन्द्रीय न्यायाधिकरण के अनिर्णय के विपरीत प्रारंभिक रूप में से एस. एल. पी. खारिज होने का आदेश गुण दोष पर पारित हुआ नहीं माना जा सकता । गुजरात स्टील ट्यूबस के मामले में प्रत्यक्ष रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष धारा 25-एफ जी व एच अधिनियम के प्रावधान की व्याख्या का मामला विचाराधीन नहीं था व एक पैरा में 7क सामान्य टिप्पणी यह की गई है कि जिस कर्मचारी द्वारा 240 दिन की सेवा अवधि पूरी की गई है वह सेवा में पुनः बहाल होने का अधिकारी नहीं माना जा सकता । नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने यह स्वीकार किया है कि इस निर्णय में धारा 25 एफ जी व एच के प्रावधान के संबंध में गुण दोष पर कोई भी व्याख्या नहीं की गई है व न ही इस संबंध में उपलब्ध निर्णयों पर विचार किया गया है। इन परिस्थितियों में श्रमिक की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जो निर्णय प्रस्तुत किये गये है उनमें प्रतिपादित सिद्धान्तों को देखते हुए यह माना जाता है कि धारा 25-एच के प्रावधान धारा 25-एफ के प्रावधान से स्वतंत्र व अलग हैं इस कारण जिस श्रमिक ने 240 दिन की सेवा अवधि पूरी नहीं की है उसके मामले में भी धारा 25-एच के प्रावधान की पालना नियोजक द्वारा करना आवश्यक है । इस प्रकरण में मान्य रूप से नियोजक की ओर इस प्रावधान की पालना नहीं की गई है । इस तथ्य को देखते हुए जो विचारणीय बिन्दु उपलब्ध होता है वह यह है कि श्रमिक क्या अनुतोष पाने का अधिकारी हो सकता है ।

18. जहां तक तथ्यों का प्रश्न है, यह साबित माना गया है कि श्रमिक को नियुक्ति नियमित स्टाफ के अवकाश पर होने के कारण अथवा अस्थाई रूप से कार्य में वृद्धि होने के कारण दी गई थी। प्रकरण में यह श्रमिक की ओर से सिद्ध नहीं किया गया है कि इस प्रकार की नियुक्तियां नियोजक द्वारा वर्तमान में भी की जाती हैं। इसके अलावा वह भी श्रमिक का कथन नहीं है। व न ही यह तथ्य साबित है कि जिन शर्तों पर श्रमिक की नियुक्ति गई थी उन्हीं शर्तों पर नियुक्त किसी भी कर्मचारी को उस आधार पर स्थाई नियोजन में रखा गया । सामान्यतः सेवा में पुनः बहाली का आदेश उसी स्थिति में दिया जा सकता है यदि नियोजक द्वारा धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधान की अवहेलना की गई हो। जिस कार्य के लिए श्रमिक को नियुक्त किया गया था वह स्थाई प्रकृति का या इस प्रकार की अस्थाई प्रकृति का हो तो वर्तमान में भी चालू हो। इसके अलावा पुनः बहाली का आदेश उस स्थिति में भी दिया जा सकता है यदि श्रमिक के समानान्तर शर्तों पर नियुक्त व्यक्तियों को उसी आधार पर स्थाई रूप से सेवा में रखा गया हो या जिस प्रकार की नियुक्ति श्रमिक को दी गई थी वैसी नियुक्ति वर्तमान में भी देने का प्रचलन हो। इस प्रकार की कोई स्थिति तथ्यात्मक रूप से श्रमिक की ओर से नहीं बताई गई है। इसके अलावा श्रमिक को धारा 20-एच के प्रावधान की अवहेलना के परिणामस्वरुप पुनः बहाली का आदेश देने के संबंध में जो तर्क श्रमिक की ओर से दिया गया है उसके समर्थन में निम्न विधि दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं :—

(1) एल. एल. एन. 1990 (मद्रास) 273 स्टेट बैंक आंफ इंडिया बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण

(2) रामचन्द्र यादव बनाम आर. एस. आर. टी. सी. आर. एल. आर. 1989 (1) (राज.) पेज 636

(3) सूर्य प्रकाश शर्मा बनाम राजस्थान टेक्स्ट बुक बोर्ड आर. एल. आर. 1991 (2) 691

(4) ओरियेन्टल बैंक ऑफ कामर्स बनाम पीठासीन अधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण डब्ल्यू. एल. पी. 1992 पेज 464

(5) 1984 लेब. आई. सी. (बॉम्बे) 445 नवभारत टाईम्स नागपुर बनाम श्रमिक संघ

19. उक्त संदर्भित निर्णयों में से रामचन्द्र बनाम आर. एस. आर. टी. सी. सी. सूर्य प्रकाश शर्मा बनाम राजस्थान टैक्स्ट बुक बोर्ड व ओरियेन्टल बैंक ऑफ कामर्स के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 25-एच के प्रावधान की अवहेलना के परिणामस्वरूप श्रमिक को सेवा में पुनः बहाली का आदेश नहीं दिया जा सकता व उसकी सेवा मुक्ति के पश्चात् जितनी अवधि के लिये अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था उस अवधि के बराबर का वेतन श्रमिक को मुआवजे के रूप में दिया जा सकता है। अन्य संदर्भित निर्णयों में पुनः बहाली का आदेश धारा 25-जी के प्रावधान की अवहेलना के परिणामस्वरूप पारित किया गया था।

20. नियोजक की ओर से ए. आई. आर. 1992 (एस. सी.) 789 दिल्ली डवलपमेंट हॉर्टीकिल्चर कर्मचारी यूनियन बनाम दिल्ली प्रशासन का एक निर्णय संदर्भित किया गया है जो केन्द्र सरकार की जवाहर रोजगार योजना से संबंधित है उसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि जवाहर रोजगार योजना के उद्देश्य को देखते हुए यदि किसी श्रमिक ने इस योजना पर 240 दिन से अधिक कार्य किया हो तो भी उसे नियमित करने के आदेश पारित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है परन्तु नियोजक की ओर से यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान प्रकरण में श्रमिक को एक विशिष्टि उद्देश्य के लिये अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया था व स्थाई नियुक्ति की एक अलग निर्धारित प्रक्रिया है इसलिए श्रमिकगण को नियमित करने का या पुनः सेवा में बहाली का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि इससे नियमित रूप से भर्ती होने वाले कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा बैंक की निर्धारित नीति पर भी प्रतिकूल प्रभाव होता है। जो तथ्य प्रकरण में साबित माने गये हैं। उनको व दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत विधि दृष्टान्तों को देखते हुए श्रमिक को पुनः सेवा में बहाली का आदेश दिया जाना किसी भी प्रकार वैधानिक व न्यायोचित नहीं हो सकता।

21. श्रमिक यूनियन की ओर से एक तर्क यह दिया गया है कि श्रमिक को 90 दिन से पूर्व सेवा मुक्त कर इसी प्रकार के कार्य के लिए बाद में अलग-अलग व्यक्तियों को नियोजित करने की नियोजक की कार्यवाही अनुचित श्रम व्यवहार की परिभाषा में आती है इस कारण भी सेवा मुक्ति का आदेश अवैध है। चूंकि श्रमिक की सेवा मुक्ति का मामला धारा 25-एच अधिनियम के प्रावधान की पालना के अभाव में अवैध माना गया है इसलिए इस बिन्दु पर विस्तृत विवेचन की आवश्यकता प्रकट नहीं होती। नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने यह तर्क दिया है कि द्विपक्षीय समझौते के अनुसार बैंक 90 दिन की अवधि तक किसी व्यक्ति को अस्थाई रूप से नियोजित करने के लिए सक्षम है इसलिए उस अवधि के पश्चात श्रमिक को हटाकर दूसरे को नियोजित करने की कार्यवाही अनुचित श्रम व्यवहार की परिभाषा में नहीं आती है। द्विपक्षीय समझौते के पैरा 20.7 व 20.8 के पठन से यह स्पष्ट है कि पैरा 20.7 के तहत अवकाश के कारण हुए रिक्त स्थान की वजह से अथवा अस्थाई रूप से कार्य वृद्धि के कारण अस्थाई नियुक्ति दी जा सकती है व उसमें किसी भी सीमा अवधि का उल्लेख नहीं है। पैरा 20.8 के अनुसार यदि अस्थाई पद रिक्त हो तो उसके विपरीत अस्थाई व्यवस्था के लिए 90 दिन तक किसी व्यक्ति को नियुक्ति दी जा सकती है। श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि का कथन है कि चूंकि श्रमिक को पैरा 20.7 के तहत नियुक्ति दी गई थी इसलिए उसे 90 दिन के पश्चात हटाने की कार्यवाही उचित नहीं मानी जा सकती यदि उस प्रकृति का स्थाई कार्य उपलब्ध हो। यह सही है कि श्रमिक के बाद अस्थाई रूप से अन्य व्यक्तियों को नियोजित किया गया था किन्तु इस आधार पर भी यह नहीं माना जा सकता कि नियोजक की यह कार्यवाही अनुचित श्रम व्यवहार की परिभाषा में आती है व पैरा 20.7 के आधार पर तथा धारा 25-एच के प्रावधान की अवहेलना के कारण श्रमिक अन्य अस्थाई नियोजित कर्मचारियों को दिये गये वेतन के बराबर राशि क्षति पूर्ति के रूप में प्राप्त कर सकता है। श्रमिक यूनियन की ओर से पांचाराम बनाम राजस्थान राज्य आर. एल. आर. 1990 (2) पेज 18 संदर्भित किया गया है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई कार्य स्थाई प्रकृति का हो व इस पर श्रमिक को दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियोजित किया जाये तो यह नहीं माना जा सकता कि यह नियुक्ति अस्थाई आवश्यकता के कारण की गई थी। इस प्रकरण में जो तथ्य साबित माने गये हैं उनको देखते हुए इस निर्णय के सिद्धान्त की कोई सुसंगतता प्रकट नहीं होती।

22. इस प्रकरण में नियोजक की ओर से जो प्रारंभिक आपत्ति ली गई हैं उनका सार यह है कि श्रमिक की नियुक्ति द्विपक्षीय समझौते के पैरा 20.7 व 20.8 के अनुसार दी गई थी तथा यह समझौता यूनियन के साथ सम्पन्न हुआ था इसलिए समझौते के परिणामस्वरूप कोई भी औद्योगिक विवाद नहीं उठाया जा सकता व इसके अलावा यह आपत्ति ली गई है कि श्रमिक ने अपनी सेवा मुक्ति का मामला करीब 5 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है इसलिए विवाद सुनवाई योग्य नहीं है। दोनों प्रारंभिक आपत्तियों के संबंध में कोई भी तर्क नियोजक की ओर से बहस में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह मानने का आधार है कि वे इन आपत्तियों को प्रेरित नहीं करते हैं। इसके अलावा अधि-

अधिनियम के मामले में परिसीमा, अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं व श्रमिक ने अपने रोजोअण्डर में यह बताया है कि प्रारंभ में श्रमिक ने पुनर्बहाली के लिये नियोजक स्तर पर कार्यवाही की थी व बाद में समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद प्रस्तुत किया था जहाँ से मामला रैफर होने मे विलम्ब हुआ। द्विपक्षीय समझौते की व्याख्या करना व यह देखना कि उसके अनुरूप कार्यवाही की गई है अथवा नहीं यह न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार का विषय है व इस आधार पर भी प्रारंभिक रूप से विवाद को खारिज नहीं किया जा सकता।

23 निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि श्रमिक शोभाराम की नियोजक द्वारा सेवा मुक्ति शास्त्री अवार्ड के पैरा 522 (4) के प्रावधान की पालना किये बिना की गई है तथा श्रमिक की सेवा मुक्ति के पश्चात धारा 25-एच अधिनियम के प्रावधान की पालना नहीं की गई है इसलिए श्रमिक शास्त्री अवार्ड के पैरा 522 (4) के प्रावधान के अनुसार उस समय देय 14 दिन के वेतन के बराबर राशि मुआवजे के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी है तथा इसके अलावा श्रमिक की सेवा मुक्ति के पश्चात् जिन अन्य व्यक्तियों को अस्थाई रूप से श्रमिक की सेवा शर्तों के अनुसार नियुक्ति दी गई थी उन सब को वेतन के रूप में दी गई राशि के बराबर राशि श्रमिक मुआवजे के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी है। अवार्ड आज दिनांक 27-9-95 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जाये।

के. एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का.आ. 1140—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 07-04-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/65/89/-आई.आर.बी. 2/डी2ए]
ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1140.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 07-04-97.

[No. L-12012/65/89/D2A-IR(B-II)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर
केस नं. सी.आर.टी. 79/1989

रेफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल. 12012/65/89-डी2(ए) दि. 26-7-89

पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लाईज यूनियन, परवाना भवन, माधोबाग, जोधपुर

—प्रार्थी

बनाम

अंचल प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय, 1, गोपीनाथ मार्ग, एम.आई.रोड, जयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी, आर.सी. शर्मा, आर.एच.जे.एस.
प्रार्थी की ओर से : श्री जे. एल. शाह
अप्रार्थी की ओर से : श्री एम. सी. नेगी
दिनांक अवार्ड : 24-8-1996

अवार्ड

केन्द्रीय सरकार की ओर से निम्न विवाद न्याय निर्णय हेतु इस अधिकरण को संप्रेषित किया गया है :

"Whether the action of the management of Punjab National Bank in imposing punishment of stoppage of one annual grade increment without cumulative effect on Shri Manmohan Vashishtha, Clerk-cum-Cashier is justified ? If not to what relief is the workman entitled?"

2. प्रार्थी ने वाद विवरण के अन्तर्गत यह लेख किया है कि दिनांक 27-12-85 को उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रचलित किया गया जिसके अन्तर्गत उसने अपना उत्तर प्रस्तुत किया जिसे संतोषप्रद नहीं मानते हुए विभागीय जांच के आदेश दिये गये। अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसे चुनौती देते हुए प्रार्थी द्वारा यह लेख किया गया है कि यह पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, दुर्भावनापूर्ण है, साक्षियों को साक्ष्य पर आधारित नहीं है तथा प्रत्येकों से आरोप सिद्ध नहीं होते हैं अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा कर्मकार के विरुद्ध आरोप सिद्ध मानने के पश्चात् एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश पारित किया गया जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित दण्ड को यथावत रखा गया। समझौता नहीं होने पर समझौता अधिकारी द्वारा विवाद को भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया। प्रार्थी ने उक्त आदेश को अनुचित होना दर्शाया है तथा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

3. उत्तर प्रार्थना पत्र में विपक्षी की ओर से प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करते हुए यह लेख किया गया है कि प्रार्थी के विरुद्ध कथित जांच कार्यवाही करवाई गई थी जिसमें आरोप सिद्ध पाये जाने पर प्रार्थी को प्रस्तावित दण्ड के संबंध में अवसर दिया गया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात् आलोच्य आदेश पारित किया गया। उत्तर प्रार्थना पत्र के अनुसार जांच रिपोर्ट गवाहों के कथनों पर आधारित है तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए की गई है व प्रार्थी को अपने बचाव का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है।

4. दोनों पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5. विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी के तर्क हैं कि प्रार्थी को उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इसका विरोध विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा किया गया है।

6. मैंने उक्त तर्कों पर विचार एवं मनन किया।

7. प्रार्थी के विरुद्ध तीन निम्न प्रकार के आरोप विरचित किये गये हैं।

1. (अ) कि दिनांक 3-12-85 को उसने अपना शासकीय कार्य पूरा नहीं किया तथा उच्च अधिकारी द्वारा कहने पर काम पूर्ण नहीं करते हुए अभद्र उत्तर दिया। जिसका विवरण आरोप पत्र दिनांक 27-12-85 में किया गया है।

(ब) जब उसे लाग बुक पूर्ण करने के लिये कहा गया तब भी उसने अभद्र उत्तर दिया।

(2) उसके द्वारा जानबूझकर धीमी गति से कार्य करने का रुख अपनाया गया तथा लगभग 14 दिनांकों को, जिनका लेख आरोप पत्र के अन्तर्गत किया गया है, कार्य पूर्ण नहीं किया।

3. (अ) दिनांक 6-12-85 को प्रार्थी ने 2.15 बजे मध्यान्ह तक कार्यालय में उपस्थिति नहीं दी तथा विलम्ब से आने के पश्चात् जब उससे पूछा गया तब उसके द्वारा यह उत्तर दिया गया कि आपको पहले बताने की मेरी ड्यूटी नहीं है।

(ब) दिनांक 9-12-85 को उसके द्वारा खर्चा रजिस्टर में 13 रुपये का यात्रा वाउचर अनाधिकृत रूप से लिखा गया।

8. इन आरोपों को सिद्ध करने हेतु प्रलेखों को प्रस्तुत किया गया एवं साधारण साक्षीगण को जांच के अन्तर्गत परीक्षित किया गया। प्रार्थी को बचाव का अवसर दिया गया तथा प्रार्थी द्वारा भी अपनी प्रतिरक्षा में साक्षीगण को परीक्षित किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् जांच अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि प्रार्थी ने धीमी गति से कार्य करने की युक्ति जानबूझकर अपनाई व अपनी कार्य क्षमता को कम कर दिया विभिन्न दिनांकों को काम बकाया छोड़ा। उसके द्वारा निर्देशानुसार दिये गये बकाया काम को नहीं करके निर्देशों की अवमानना की गई। प्रलेखों व साक्ष्य के आधार पर जांच अधिकारी द्वारा आरोप सं. 1(अ) व (ब), 2 एवं 3(अ) प्रमाणित होना माना गया। यह आरोप घोर कदाचार की परिधि में अंकित करते हुए अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसके उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् उक्त आदेश पारित किया गया।

9. मेरे द्वारा जांच रिपोर्ट, साक्षीगण की साक्ष्य एवं प्रलेखों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। साक्षीगण से प्रति-परीक्षण करने का प्रार्थी को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है तथा उसे भी अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया है। जांच कार्यवाही की रिपोर्ट से आरोप 3(ब) के अतिरिक्त अन्य आरोप सिद्ध होना प्रकट होता है। प्रार्थी द्वारा एकता कोई तथ्य उदघाटित नहीं किया जा सका है जिससे यह परिलक्षित हो सकता हो कि अनुशासनात्मक अधिकारी पूर्वाग्रहों से ग्रसित था अथवा जांच दुर्भावनापूर्ण है अथवा उसे प्रति परीक्षण करने हेतु अथवा प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया हो।

10 उक्त आंकलन के आधार पर विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क बलहीन होना प्रकट होता है तथा घरेलू जांच शुद्ध व उचित होना प्रकट हुआ है।

11. अतः संप्रेषित विवाद का आशय का अधिनिर्णय करते हुए यह पंचाट पारित किया जाता है कि प्रार्थी श्री मनमोहन वशिष्ठ को एक वार्षिक वेतन वृद्धि अभंचयी प्रभाव से रोकने का पंजाब नेशनल बैंक के व्यवस्थापक का आदेश उचित एवं वैध है तथा श्रमिक इसके विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का पात्र नहीं है।

12. यह पंचाट केन्द्रीय सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जाये।

आर.सी. शर्मा, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का.आ. 1141 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कारपोरेशन बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक

विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 07-04-97 को प्राप्त हुआ ।

[संख्या एल-12012/162/94-आई.आर. (बी.-2)]
ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1141.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Corporation Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 07-4-97.

[No. L-12012/ 162/94-IR(B-II)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्याययधिकरण, जयपुर
केस नं. सी.आई.टी. 21/1994

रेफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र. एल-12012/162/94 दिनांक 14 सितम्बर, 1994

अध्यक्ष, ऑल बैंक सफाई कर्मचारी संघ, जयपुर
—प्रार्थी

बनाम

क्षेत्रीय प्रबन्धक, कारपोरेशन बैंक, जयपुर—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : आर.सी. शर्मा, आर.एच.के.एस.
प्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं
अप्रार्थी की ओर से : श्री आलोक फतहपुरिया
दिनांक : अवार्ड : 19-8-96

अवार्ड

प्रार्थी अथवा उसके कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी की ओर से श्री आलोक फतहपुरिया उपस्थित आय जिनका कथन है कि प्रार्थी अथवा उसके प्रतिनिधि पिछली कई पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं । आज भी अदालत में प्रार्थी के लिए कई आवाजें दी गई।

उक्त परिस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी प्रकरण में कोई रुचि नही ले रहा है अतः विपक्षी प्रतिनिधि की प्रार्थना के अनुसार प्रकरण में प्रार्थी की अदम पैरवी में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

आर.सी. शर्मा, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का.आ. 1142.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंध तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 07-04-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/161/88/डी3 ए आई.आर. (बी-II)]
ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1142.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 07-04-97.

[No. L-12012/161/88-D.3A/IR(B-II)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस सं. सी.आई.टी. 72/88
रेफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र. एल. 12012/161/88-डी 3 ए/ दिनांक 4-11-88

राजस्थान बैंक एम्प्लाईज यूनियन, परवाना भवन, माधो बाग, जोधपुर।
—प्रार्थी

बनाम

क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, संसार चन्द्र रोड, जयपुर। —अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री आर.सी. शर्मा, आर.एच.के.एस
प्रार्थी की ओर से : श्री जे. एल. शाह
अप्रार्थी की ओर से : श्री पी. एल. अग्रवाल
दिनांक अवार्ड : 30-10-1996

अवार्ड

यह विवाद केन्द्रीय सरकार द्वारा न्याय निर्णयन हेतु इस अधिकरण को विनिर्दिष्ट किये जाने पर दिनांक 15-11-88 को प्राप्त हुआ । विवाद निम्न प्रकार से है :

"Whether the action of the management of Central Bank of India in terminating the services of Shri Himmat Singh and not considering him for further employ-

ment while recruiting fresh hands under section 25-H of the I.D. Act is justified? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. प्रार्थी संघ द्वारा वाद विवरण के अन्तर्गत यह अंकित किया गया है कि श्रमिक हिम्मत सिंह को दिनांक 2-11-82 को विपक्षी बैंक ने अपनी शाखा में नियुक्त किया था, जिसके आदेश 17-11-82 से समाप्त कर दूसरे कर्मकार को नियुक्त किया गया। अतः बैंक ने धारा 25(जी) व (एच) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में अधिनियम) का उल्लंघन किया है। बैंक द्वारा श्रमिक को सेवा मुक्त करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही नोटिस समय के 14 दिवस का भुगतान किया गया। अतः अधिनियम की धारा 76 से 78 का भी उल्लंघन किया गया है। इसलिये श्रमिक सेवा मुक्ति को दिनांक से विपक्षी बैंक में बहाल किये जाने व नियमानुसार वेतन व भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

3. विपक्षी द्वारा उत्तर वाद विवरण के अन्तर्गत यह लेख किया गया है कि श्रमिक की नियुक्ति विपक्षी बैंक में लीव वेकेन्सी में आकस्मिक श्रमिक के रूप में की गई थी, जो कि एक निश्चित अवधि के लिये थी, तथा उसका कार्यकाल समाप्त होने पर उसकी सेवायें स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अतः धारा 25(जी) व (एच) अधिनियम के प्रावधान प्रार्थी पर लागू नहीं होते हैं व विपक्षी द्वारा धारा 76 से 78 का उल्लंघन नहीं किया गया है। विशेष विवरण के अन्तर्गत यह लेख किया गया है कि श्रमिक ने अपना विवाद समझौता अधिकारी के समक्ष पांच वर्ष बाद उठाया है और इसका कोई कारण नहीं दर्शाया है। अतः उसने इसके आधार पर धारा 25(एच) का त्याग कर दिया है। उसकी नियुक्ति आकस्मिक श्रमिक के रूप में 45 दिनांक के लिये की गई थी। उसकी नियुक्ति चयन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं की गई।

4. प्रत्युत्तर में प्रार्थी संघ ने यह लेख किया है कि श्रमिक की नियुक्ति अस्थाई कर्मचारी के रूप में हुई थी तथा निश्चित अवधि के लिये नियुक्ति करने का आधार होना व गलत ही सेवा मुक्त होने के बाद भी श्रमिक बैंक शाखा, जोधपुर में उपस्थित होता रहा और सेवा में लेने की प्रार्थना करता रहा। उसकी सेवा मुक्ति के पश्चात् श्री सुरेन्द्र सिंह व राजू सिंह को विपक्षी बैंक द्वारा नियुक्ति दी गई है जिन्हें बाद में पद से सेवामुक्त कर दिया गया व वर्ष 1984 में श्री रामस्वरूप व 1985 में दीनदयाल को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया था।

5. प्रार्थी संघ की ओर से श्री हिम्मत सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी की ओर से श्री संत कुमार प्रबन्धक का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है। दोनों पक्षों द्वारा क्रमशः शपथ पत्रों के आधार पर प्रति परीक्षण किया गया।

6. हमने दोनों पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

7. विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी श्रमिक के तर्क है कि श्रमिक ने दिनांक 2-11-82 से 17-12-82 तक 45 दिनों का कार्य किया है जिसको दि. 27-12-82 को सेवा मुक्त करने के बाद कोई अस्थाई कर्मचारी विपक्षी ने रखे हैं जिनका उल्लेख श्रमिक ने अपने प्रत्युत्तर में किया है। किन्तु इसके लिये श्रमिक को आफर नहीं दी गई। अतः धारा 25(एच) अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। उनका तर्क है कि इस तथ्य को सिद्ध करवाने के लिये कि विपक्षी बैंक ने श्रमिक को सेवा मुक्त करने के बाद अन्य कर्मचारियों को रखा, श्रमिक द्वारा विपक्षी बैंक के उपस्थिति रजिस्टर तलब कराये गये थे जो कि विपक्षी ने प्रस्तुत नहीं किये। अतः विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी का यह तर्क है कि श्रमकि को दिनांक 17-12-82 से पुनः नियोजित किया जाये और उसकी बकाया मजदूरी उसे दिलाई जाये। वह तर्क करते हैं कि यह सेवा मुक्ति छंटनी की परिभाषा में आती है। इन तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी तर्क करते है कि प्रार्थी को निश्चित समय के लिये सेवा में रखा गया था, उसकी सेवा मुक्ति समय समाप्ति के पश्चात् कर दी गई थी तथा वह यह तथ्य अपनी जिरह में स्वीकार करता है और इस संबंध में प्रार्थी की ओर से कोई विश्वसनीय सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसकी सेवा मुक्ति के पश्चात् अन्य कोई अस्थाई कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) विपक्षी द्वारा सेवा में रखा गया हो। उनका तर्क है कि उसे केवल 45 दिनांक के लिये रखा गया था, अतः उसे सेवा मुक्त करने का आदेश छंटनी आदेश होना नहीं माना जा सकता।

8. मैंने उक्त तर्क वितर्कों पर विचार एवं मनन किया तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विनिश्चयों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

9. प्रथम विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि प्रार्थी श्रमिक की नियुक्ति किस रूप में थी ?

10. वाद विवरण में प्रार्थी श्रमिक ने यह अंकित किया है कि दिनांक 2-11-82 को उसे विपक्षी द्वारा अपनी सेवा में रखा गया था। उत्तर वाद विवरण में विपक्षी ने यह अंकित किया है कि श्रमिक की नियुक्ति आकस्मिक तौर पर 45 दिनांक के लिये ही की गई थी जो कि छुट्टी के आधार पर हुई रिक्ति के कारण की गई थी। प्रत्युत्तर में श्रमिक ने पुनः यह लेख करवाया है कि उसकी नियुक्ति अस्थाई तौर पर की गई थी किन्तु उसने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि "मुझे भी बैंक वालों ने 45 दिन के लिये रखा था।" अतः प्रस्तुत साक्ष्य व अभिवचनों के आधार पर यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी श्रमिक को विपक्षी बैंक ने अपनी सेवा में एक निश्चित अवधि, 45 दिवस के लिये

रखा था। इस तथ्य की पुष्टि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विपक्षी बैंक के प्रमाण पत्र द्वारा भी होती है जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि श्री हिम्मत सिंह द्वारा दिनांक 2-11-82 से 16-12-82 तक 45 दिनों के लिये अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप मे कार्य किया गया है।

11. अब द्वितीय विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या सेवा मुक्ति आदेश दिनांकित 17-12-82 अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत छंटनी की परिभाषा में आता है?

12. विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में 1995 लैब०आई०सी० (राज०उ०न्या०) 2316 व 1996 एल०एल०आर० (राज०उ०न्या०) 61 न्यायिक दृष्टान्तों को प्रस्तुत किया गया है जिनमें क्रमशः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि दैनिक मजदूरी के आधार पर श्रमिक की अस्थाई रूप से नियुक्ति छंटनी नहीं है। इसके विपरीत विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में 1992 (1) डब्ल्यू०एल०सी० (राज०उ०न्या०) 464 व 1987 लैब० आई० सी० (गुजरात उ०न्या०) 1361 न्यायिक दृष्टान्त को प्रस्तुत किया गया है जिनके अन्तर्गत अस्थाई रूप से नियुक्त श्रमिकों की सेवा मुक्ति का आदेश भी छंटनी की परिधि में होना माना गया है। 1992 (1) डब्ल्यू०एल०सी० (राज०उच्च०न्याय०) 464 विनिर्णय के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रमिक की छुट्टी के आधार पर हुई रिक्ति के कारण नियुक्ति की गई जिसे कुछ समय बाद सेवा मुक्त कर दिया गया किन्तु उससे कनिष्ठ श्रमिकों को सेवा में जारी रखा गया व दो अन्य व्यक्तियों की नई नियुक्ति की गई। अधिकरण द्वारा इसे धारा 25 (जी) व (एच) अधिनियम का उल्लंघन होना माना गया। इस अधिनिर्णय को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संधारित करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब लैण्ड डैवलपमेंट एंड रीक्लेमेशन कार्पोरेशन लि० चंडीगढ़ औद्योगिक विवाद में प्रतिपादित किया गया सिद्धान्त के आधार पर यह माना गया है कि धारा 25-जी व एच अधिनियम की प्रतिबंधक पद्धति में व्याख्या नहीं की जानी चाहिये तथा अग्रत्तर यह प्रस्तावित किया गया है कि एक व्यक्ति ने सांविधिक अवधि की सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं, वह, तथापि धारा 25-जी व एच अधिनियम में वर्णित परिलाभ प्राप्त करने हेतु अधिकारी है और इस कारण यदि ऐसे व्यक्ति की छंटनी की जाती है जिसने कि सांविधिक अवधि से कम कार्य किया है तब यह छंटनी first come last go के आधार पर की जायेगी और जब प्रबन्ध कुछ व्यक्तियों को पुनः-नियुक्त करता है तब ऐसे छंटनी किये गये व्यक्ति को, यदि वे कार्य करने के इच्छुक हैं, प्रस्ताव दिया जायेगा।

13. यद्यपि इस बिन्दु पर दोनों पक्षों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दृष्टान्तों को प्रस्तुत किया गया है, किन्तु 1992 (1) डब्ल्यू०एल०सी० (राज०) 464 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किये गये सिद्धान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित सिद्धान्तों के आधार पर हैं, अतः इस विनिश्चय का अनुगमन करना अनुकरणीय है।

14. प्रकरण के तथ्यों के आधार पर यद्यपि एक निश्चित अवधि के लिए श्रमिक को नियुक्ति की जाना प्रकट हुआ है, तथापि उसे सेवा मुक्त करने के पश्चात् उसका वह आदेश छंटनी की अवधि में आना माना जायेगा तथा इस स्थिति में धारा 25 (एन) अधिनियम प्रभावशील हो जाती है।

15. अब विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या श्रमिक को दिनांक 17-12-82 को सेवा मुक्त करने के पश्चात् से विपक्षी बैंक द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अन्य व्यक्तियों को नियोजित किया गया है?

16. प्रत्युत्तर में श्रमिक ने यह लेख किया है कि श्रमिक मुक्ति के पश्चात् सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह तथा राजू सिंह पुत्र गुमान सिंह को विपक्षी बैंक ने अस्थाई रूप से नियुक्ति दी है तथा उनको सेवा मुक्त करने के पश्चात् 1984 में राम स्वरूप नामक व्यक्ति को तथा 1985 में दीन दयाल नामक व्यक्ति की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति की गई है। श्रमिक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी की ओर से प्रस्तुत एक साक्षी संत कुमार प्रबन्धक स्वयं विपक्षी बैंक की जोधपुर शहर शाखा का प्रबन्धक नहीं है जबकि श्रमिक की नियुक्ति विपक्षी बैंक की जोधपुर शहर शाखा में होना दर्शाया गया है। जोधपुर शहर की शाखा के प्रबन्धक को विपक्षी बैंक द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं करने का कोई उचित कारण नहीं दर्शाया गया है। प्रति-परीक्षण में जब उनसे इन व्यक्तियों को नियुक्ति के संबंध में पूछा गया तब उसने इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की है। इसकी उप धारणा इस प्रकार की जा सकती है कि यह साक्षी श्रमिक के उन प्रश्नों का निश्चित रूप में उत्तर दे सकने में विफल रहा है तथा उसने सत्यता को छिपाने का असफल प्रयास किया है। यहां एक तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि दिनांक 26-7-94 की आदेशिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर नियोजक से संबंधित उपस्थिति रजिस्टर प्रस्तुत करवाने का निवेदन किया गया था तथा इस संबंध में न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित किया गया। किन्तु नियोजक की ओर से कोई प्रलेख व शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे नियोजक के प्रतिकूल धारणा स्वीकार की जा सकती है। इस तथ्य से श्रमिक का यह सगकथन बलवान बन जाता है कि उसकी सेवा मुक्ति के पश्चात् ही इसके द्वारा दर्शित नामों वाले व्यक्तियों को विपक्षी द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। अतः विपक्षी द्वारा श्रमिक को सेवा मुक्ति के पश्चात् अन्य व्यक्तियों को संबंधित पद पर नियोजित करते समय श्रमिक को प्रस्तावित नहीं किया गया है तथा उसे विधिक प्रावधान के अनुसार कोई अवसर नहीं दिये जाने पर उसके द्वारा धारा 25(एच) अधिनियम की अनुपालना नहीं की गई है। अतः श्रमिक को सेवा मुक्त करना व उससे कनिष्ट श्रमिकों की नियुक्ति से पूर्व उसकी पात्रता पर धारा 25-एच अधिनियम के अन्तर्गत विचार नहीं करना औचित्यपूर्ण नहीं है।

17. यद्यपि विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक ने श्रमिक को पुनः नियोजित करने तथा उसकी बकाया मजदूरी दिलाने की याचना की है, किन्तु विपक्षी द्वारा अपने उत्तर में यह लेख किया गया है कि श्रमिक द्वारा पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् यह विवाद समझौता अधिकारी के समक्ष उठाया गया है । इसका उत्तर श्रमिक द्वारा प्रत्युत्तर के अन्तर्गत केवल मात्र यह दिया गया है कि विवाद उठाने हेतु कोई परिसीमा का प्रावधान अधिनियम में नहीं है । तथापि विलम्ब का श्रमिक द्वारा उचित स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये था, जो कि उसके द्वारा करने का प्रयास नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में श्रमिक बकाया मजदूरी प्राप्त करने का पात्र नहीं है।

18. उक्त आकलन के आधार पर यह विवाद इस प्रकार से अभिनिर्धारित किया जाता है कि आदेश दिनांक 17-12-82 द्वारा श्रमिक को सेवा मुक्त करना व उससे कनिष्ठ श्रमिकों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति से पूर्व प्रार्थी श्रमिक की पात्रता पर विपक्षी बैंक द्वारा अन्तर्गत धारा 25-एच अधिनियम विचार नहीं करना औचित्य-पूर्ण नहीं है। तद्नुसार श्रमिक श्री हिम्मत सिंह को विपक्षी बैंक की सेवा में पुनर्नियोजित किया जाता है। प्रार्थी श्रमिक विपक्षी बैंक की सेवा में पदभार ग्रहण करने की दिनांक से ही वेतन लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा व बकाया वेतन परिलाभ प्राप्त करने का वह पात्र नहीं है।

19. पंचाट की प्रति केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजी जाये।

आर०सी० शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का०आ० 1143.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनाईटेड कमर्शियल बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 07-04-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल०-12012/663/87-आई०आर०बी० 2/डी०II[ए०]
ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1143.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the industrila dispute between the employers in relation to the management of United Commercial Bank and their workmen, the Central Government on 07-04-97.

[No. L-12012/663/87-D.II.A/IR(B-II)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी०आई०टी० 49/88

रैफरेंस : केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र० एल०-12012/663/07 डी 2(ए) दिनांक 28-7-88.

यूको बैंक स्टाफ एसोसियेशन, बी०डी० रोड, जयपुर
—प्रार्थी

बनाम

जोनल मैनेजर, यूनाईटेड कामर्शियल बैंक, जोनल कार्यालय, ए-30(बी) शास्त्री नगर, जयपुर।
अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी: श्री आर०सी० शर्मा, आर०एच०जे० एस
प्रार्थी की ओर से : श्री बी० एम० बागड़ा
अप्रार्थी की ओर से : श्री मान सिंह गुप्ता
दिनांक अवार्ड : 15-11-1996

अवार्ड

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विवाद का अभिनिर्देशन न्याय निर्णयन हेतु इस अधिकरण को किये जाने पर दिनांक 1-8-88 को यह विवाद प्राप्त हुआ है। विवाद निम्नवत है :

"क्या यूनाईटेड कामर्शियल बैंक के प्रबन्धतंत्र को श्री आर०के० शर्मा की सेवाएं समाप्त करने तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 ज के अधीन नई भर्ती करते समय उसके नियोजन पर विचार न करने की कार्यवाही न्यायोचित है ! यदि नहीं, तो श्रमिक किस अनुतोष का हकदार है ?"

2. प्रार्थी संघ द्वारा अपने वाद विवरण के अन्तर्गत यह लेख किया गया है कि श्रमिक राजेन्द्र कुमार की नियुक्ति विपक्षी बैंक की जौहरी बाजार शाखा में 17-2-86 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्थायी पद पर हुई, जिसे 15 रुपये प्रतिदिन की दर से वेतन दिया गया। उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं रही है किन्तु विपक्षी द्वारा शोषणात्मक नीति के तहत दिनांक 21-2-87 को श्रमिक को सेवा मुक्त कर दिया गया, जिसे कोई सेवा मुक्ति आदेश नहीं दिया गया और न ही इसका कारण बतलाया गया । उसने 240 दिन से अधिक कार्य किया था। उसे सेवा मुक्ति से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा उससे कनिष्ठ श्रमिक विपक्षी बैंक में कार्यरत थे एवं उसकी सेवा मुक्ति के बाद विपक्षी बैंक द्वारा लालचंद, जयसिंह, सुरेन्द्र सिंह, सुशील सिंह व मिश्री लाल आदि नौ श्रमिकों की भर्ती की गई है। अतः विपक्षी द्वारा धारा 25 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (संक्षेप में अधिनियम) के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है जो कि शोषण एवं श्रम विरोधी कार्यवाही

है। अतः प्रार्थी संघ ने विपक्षी की सेवा में पुनः पिछले समस्त वेतन व सुविधाओं सहित नियुक्ति तिथि से ही नियमित करने की प्रार्थना की है ।

3. वाद विवरण के उत्तर के अन्तर्गत विपक्षी नियोजक द्वारा यह लेख करवाया गया हैं कि श्रमिक राजेन्द्र कुमार की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नहीं की गई थी। उससे लगभग एक एक घंटा प्रतिदिन अंशकालीन आकस्मिक आधार पर कार्य लिया जाता था जिसके लिए उसकी उपस्थिति पंजिका में अंकित नहीं की जाती थी और न ही उसको किये जाने वाले भुगतान को वेतन खाते से लिया जाता था। उसे विविध खाते में भुगतान किया जाता था । अतः वह श्रमिक नहीं है। उसके द्वारा 240 दिन अथवा उससे अधिक अंशदान आकस्मिक रूप से कार्य नहीं किया गया और ना ही उसे पूर्ण समय के लिए रखा गया था। नियोजक ने यह भी लेख करवाया है कि दिनांक 21-2-87 को सेवा मुक्त श्रमिक को नहीं किया गया है अपितु जब कभी बैंक के विविध कार्य के लिए उसकी आवश्यकता होती तो उसे अंशकालीन आकस्मिक आधार पर कार्य पर ले लिया जाता था जिसकी मियाद उसी दिन तक ही होती थी । अतः वह धारा 25-एफ, जी व एच औद्योगिक अधिनियम के अन्तर्गत कोई लाभ क्लेम नहीं कर सकता।

4. नियोजक द्वारा अपनी साक्ष्य के अंतर्गत श्री गोपीचन्द उप मुख्य अधिकारी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा प्रति परीक्षण किया गया । श्रमिक साक्ष्य के अंतर्गत राजेन्द्र कुमार शर्मा श्रमिक का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है जिससे प्रतिनिधि नियोजक द्वारा परीक्षण किया गया ।

5. विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी के तर्क है कि श्रमिक ने दिनांक 17-2-86 से दिनांक 21-2-87 तक दैनिक वेतनभोगी के रूप मे कार्य किया जो 240 दिन से अधिक है । धारा 25–जी औद्योगिक अधिनियम के अनुसार वरिष्ठता सूची विपक्षी द्वारा नहीं बनाई गई है व धारा 25–एच अधिनियम के अनुसार नई नियुक्ति देते समय श्रमिक को नहीं बुलाया गया है। अतः धारा 25 जी व एच औद्योगिक अधिनियम की अनुपालना विपक्षी ने नहीं की है। विपक्षी ने गोपीचन्द का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें जोहरी बाजार शाखा में काम नहीं किया और उसने श्रमिक से कनिष्ठ व्यक्तियों को स्थायी करना माना है । अतः श्रमिक को सेवा में पुनः लिया जावे और पिछला बकाया समस्त वेतन दिलाया जावे । इन तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी के तर्क हैं कि यह विवाद केवल धारा 25-एफ अधिनियम से संबंधित है अतः उप धारा जी व एच पर विचार नहीं किया जा सकता । श्रमिक ने केवल 189 दिवस काम किया है और बैंक व कर्मचारी संघ के समझौते के अनुसार जिन कर्मचारियों ने 240 दिन अथवा इससे अधिक कार्य किया था उन्हें ही पुनः बैंक सेवा में लिया गया है । यह शर्त श्रमिक ने पूरी नहीं की अतः उसे सेवा में नहीं लिया गया ।

6. मैंने उक्त तर्क वितर्कों पर विचार एवं मनन किया ।

7. जहां तक विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक को धारा 25–एफ अधिनियम व उसकी उप धारा जी की अनुपालना विपक्षी द्वारा नहीं किये जाने के तर्क का प्रश्न है इसका विरोध विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी ने किया है व अपने पक्ष समर्थन में उन्होंने सीताराम, विष्णु शिरोडकर बनाम एडमिनिस्ट्रेटर गोआ राज्य व अन्य दृष्टान्त को प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जो विवाद सरकार द्वारा अधिकरण को अभिनिर्देशित किया जाता है उसकी सीमा से परे अधिकरण नहीं किया जा सकता। विचाराधीन विवाद धारा 25–एच अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिकरण को संप्रेषित किया गया है जिसकी सीमा के अंतर्गत रहते हुए ही अधिकरण को विवाद का धारण किया जाना है । अतः विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी का यह तर्क सारहीन होने के कारण अमान्य है ।

8. अब विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या श्रमिक द्वारा 240 दिन अथवा उससे अधिक अवधि तक कार्य किया गया है ।

9. वाद विवरण के अंतर्गत श्रमिक द्वारा दिनांक 17-12-86 से सेवा मुक्ति की दिनांक 21-2-87 तक कार्य किया जाना दर्शाया गया है तथा यह लेख किया गया है कि 240 दिन से अधिक श्रमिक ने कार्य किया । इसके विपरीत विपक्षी द्वारा यह संकलन किया गया है कि श्रमिक ने 240 दिवस कार्य नहीं किया । विपक्षी के कथनानुसार श्रमिक ने 189 दिवस ही कार्य किया । इस संबंध में विपक्षी द्वारा प्रदर्श एम-1 व्यय तालिका प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार श्रमिक को प्रतिदिन किये गये काम का व्यय प्रतिदिन किया गया। इसके लेखन के अनुसार श्रमिक ने 148 दिन ही कार्य किया । यह प्रलेख अखण्डित रहा है तथा श्रमिक की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो सकी है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि श्रमिक ने 240 दिवस अथवा इससे अधिक अवधि के लिए कार्य किया।

10. यद्यपि श्रमिक ने यह अभिवचन अंकित किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर उसकी नियुक्ति हुई थी जिसका विरोध करते हुए विपक्षी द्वारा यह लेख किया गया है कि उसकी नियुक्ति अंशकालीन आकस्मिक आधार पर की गई थी। किन्तु अभिलेख के अवलोकन से इन दोनों पदों का कार्य चतुर्थ श्रेणी के कार्य के समान होना प्रतीत होता है तथा यह स्पष्ट है कि श्रमिक द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दैनिक वेतन भोगी कर्मकार के रूप में कार्य किया गया ।

11. द्वितीय विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या श्रमिक की सेवा मुक्ति के पश्चात विपक्षी बैंक द्वारा अन्य कर्मकारों की नियुक्ति करते समय प्रार्थी श्रमिक की पात्रता पर विचार नहीं किया गया ?

12. वाद विवरण के अंतर्गत श्रमिक ने पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम अंकित किये हैं जिनकी चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्तियां दिनांक 21-2-87, जब श्रमिक को सेवा मुक्त किया गया, के पश्चात् की जाना प्रकट किया है। शपथ पत्र के अंतर्गत श्रमिक का यही कथन है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्षी श्री गोपीचन्द ने अपने प्रति परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसके द्वारा बैंक की जोहरी बाजार शाखा में काम नहीं किया गया तथा दिनांक 17-2-86 से 21-2-87 तक उक्त शाखा में बैंक मैनेजर श्री रामजीलाल शर्मा थे। उसका यह कथन है कि जय सिंह को समझौते के आधार पर नियुक्ति के योग्य होना पाया गया जिसे दिनांक 27-11-86 को लगाया गया किन्तु यह नियुक्ति प्रार्थी श्रमिक की सेवा मुक्ति से पूर्व की है। अतः साक्षी के इस स्वीकारण से श्रमिक के तर्क को कोई बल प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि जब इस साक्षी से राजावत की नियुक्ति की दिनांक 22-8-88 होना पूछा गया तब उसने इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की है। इसी भांति सुनील कुमार की नियुक्ति की दिनांक 28-8-88 के तथ्य से भर उसने अनभिज्ञता प्रकट की है किन्तु साथ ही यह अभिकथन भी किया है कि ये समस्त आशार्थी ही नियुक्ति के योग्य है। इस साक्षी ने इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता प्रकट की है कि दिनांक 21-2-87 के बाद किसी श्रमिक को दैनिक वेतन पर रखा गया अथवा नहीं। इससे यह प्रतीत होता है कि साक्षी सत्यता को छिपाने का प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त विपक्षी नियोजक के लेख्य पत्र प्रदर्श एम-3 में क्रमांक 14 पर श्री एस.एस. राजावत व क्रमांक 15 पर श्री सुनील कुमार के नाम अंकित हैं जिनकी नियुक्ति की दिनांक क्रमशः 22-8-88 व 27-8-88 होना दर्शाया गया है। ये दोनों नियुक्तियां प्रार्थी श्रमिक की सेवा मुक्ति दिनांक 21-2-87 के बाद की जाना प्रमाणित होता है।

13. विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी का यह तर्क है कि विपक्षी द्वारा कथित नियुक्तियां समझौता पत्र प्रदर्श एम-2 में निहित शर्तों के अधार पर की गई थी। विद्वान प्रतिनिधि ने मेरा ध्यान इस समझौता पत्र को चरण सं.-2 की ओर आकर्षित किया जिसमें पात्रता का आधार अंकित है। इसके अनुसार 240 दिवस अथवा इससे अधिक कार्य करने वाले आकस्मिक कर्मकारों को, जिन्होंने पूर्ण दिवस कार्य किया हो, नियुक्ति हेतु पात्र माना गया है। अतः इस दशा के अधीन विद्वान प्रतिनिधि नियोजक का यह तर्क है कि 240 दिवस कार्य श्रमिक द्वारा नहीं किये जाने पर वह पश्चातवर्ती नियुक्ति का पात्र नहीं था।

14. जैसा कि पूर्व में अवधारित किया जा चुका है कि श्रमिक द्वारा सांविधिक अवधि में कार्य नहीं किया गया है तथा उसके द्वारा केवल 148 दिवस ही कार्य किया गया है किन्तु 1992 (1) डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) 464 न्यायिक दृष्टान्त के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा सांविधिक अवधि की सेवा पूर्ण कर ली गई है अथवा नहीं, तथापि, वह धारा 25-जी व एच अधिनियम में वर्णित लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है व तदनुसार यदि सांविधिक अवधि से कम कार्य करने वाले व्यक्ति की भी छंटनी की गई है तब यह "प्रथम आने व अंतिम जाने" के सिद्धांत के आधार पर होगी और जब प्रबन्धतंत्र किन्हीं व्यक्तियों को पुनर्नियोजित करता है तब पुनर्नियोजन का प्रस्ताव ऐसी छंटनी किये गये व्यक्तियों को, यदि वह कार्य करने के इच्छुक है, दिया जायेगा। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित किये गये इस सिद्धांत के अनुसरण में यह स्वीकार किया जायेगा कि श्रमिक द्वारा सांविधिक अवधि की सेवा पूरी नहीं करने के उपरान्त भी वह धारा 25-एच का लाभ प्राप्त करने का पात्र है तथा विपक्षी नियोजक द्वारा सुनील कुमार व एस.एस. राजावत कर्मकारों को नियुक्ति देने से पूर्व श्रमिक को पुनः नियोजन हेतु प्रस्तावित करना आवश्यक था, जिसकी अनुपालना नियोजक द्वारा नहीं की गई है।

15. अतः प्रार्थी संघ द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थना स्वीकार किये जाने योग्य है।

16. उक्त अंकलन के आधार पर इस विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि धारा 25-एच अधिनियम के अधीन नयी भर्ती करते समय श्रमिक आर.के. शर्मा, जिसे सेवा मुक्त किया जा चुका था, उसके नियोजन पर विपक्षी बैंक द्वारा विचार नहीं करने की कार्यवाही न्यायोचित नहीं है। तदनुसार श्रमिक संबंधित पद पर सेवा मुक्ति की दिनांक से पुनः नियोजन का मय बकाया वेतन व अन्य पारिणामिक लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

17. उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जाये।

आर.सी. शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का.आ. 1144.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक

विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 07-04-97 को प्राप्त हुआ।

[सं० एल-12012/28/89/आई.आर.बी.2/डी II ए]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1144.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Indian Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 07-04-97.

[No. L-12012/28/89-D.II.A/IR(B II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 16/92

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र. 12012/28/89-डी-II दिनांक 22-10-92

रूपचन्द पुत्र श्री मांगी लाल, निवासी जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

(1) दी इण्डियन बैंक द्वारा जनरल मैनेजर, 31, राजाजी रोड, पी.बी. नं. 1384, मद्रास।

(2) दी इण्डियन बैंक द्वारा एरिया मैनेजर, 1-सी, भागीरथ कॉलोनी, जौम हाऊस, जयपुर।

—प्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री आर.सी. शर्मा, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे.के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री जे.के. सिंघी

दिनांक अवार्ड : 2-11-1996

अवार्ड

केन्द्र सरकार, द्वारा यह रैफरेंस निर्देशित करने पर इसे अधिकरण द्वारा नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया, जाकर पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी की ओर से दिनांक 30-8-93 को स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पेश किया गया जिसका जवाब विपक्षी द्वारा दिनांक 26-4-94 को पेश किया गया। प्रकरण वास्तु पेश होने दस्तावेज निश्चित था। आज दोनों पक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। प्रार्थी के प्रतिनिधि ने इस अवस्था पर नो इन्स्ट्रक्शन्स प्लीड किये। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी मामले में रूची नहीं ले रहा है और प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः विवाद में "नो डिस्प्यूट अवार्ड" पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जावे।

आर.सी. शर्मा, न्यायाधीश

968 GI/97—7

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का.आ. 1145.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 07-04-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल.-12012/278/88/आई.आर.बी. 2/डी II ए.]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1145.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 07-04-97.

[No. L-12012/278/88-D.II.A/IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 82/1988

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल.-12012/278/88-डी.-2(ए.) दिनांक 29-11-1988

रीजनल सेक्रेट्री बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी संघ 9/565, राजेन्द्र पुरा, अजमेर।

—प्रार्थी

बनाम

रीजनल मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, रीजनल ऑफीस रेलवे कैम्पस, अजमेर।

—प्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी: श्री आर.सी. शर्मा, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री अर्जुन करनानी

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर.सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 9-1-1997

अवार्ड

केन्द्रीय सरकार द्वारा यह अभिनिर्देशन न्याय निर्णयन हेतु इस अधिकरण को संप्रेषित किया गया जो दिनांक 7-12-88 को अधिकरण में प्राप्त हुआ। विवाद निम्नवत है :

"Whether the action of the management of Bank of Baroda in refusing to assign the duties of Hindi Stenographer in the

vacancy created in the office of Reg. Manager, Ajmer to Shri C. S. Chhabra selected/appointed as Hindi Steno by BSRB, Baroda and at present working as typist as there was no post of Hindi Steno available at Ajmer in the past) is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?

2. प्रार्थी संघ की ओर से वाद विवरण इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि कर्मकार श्री गुरमुख छाबड़ा विपक्षी बैंक द्वारा आयोजित हिन्दी स्टैनोग्राफर परीक्षा में बैठा जिसकी विपक्षी बैंक ने दिनांक 30-6-82 के पत्र द्वारा सूचित किया कि उसका चयन हो गया है। इसके पश्चात् उसे यह सूचित किया गया कि अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर में स्थित विपक्षी बैंक के प्रान्तीय कार्यालय में उसका पदस्थापन हिन्दी स्टैनोग्राफर के रूप में कर दिया गया है जिस पर श्रमिक ने जयपुर में दिनांक 3-9-92 को अपना पदभार ग्रहण किया। 6 माह की अवधि व्यतीत होने पर इस उसे पद पर स्थाई किया गया। श्रमिक की सेवाओं की समय समय पर प्रशंसा की गई तथा उसे प्रशंसा पत्र भी दिया गया। श्रमिक के वृद्ध माता-पिता अजमेर में रहते थे तथा श्रमिक का स्वंय का स्वास्थ्य जयपुर में ठीक नहीं रहता था तथा उसकी माता का भी जयपुर में स्वास्थ्य ठीक नहीं था अतः इन कारणों से उसने अपने अजमेर स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया जिसके परिणामस्वरुप उसका जयपुर से अजमेर दिनांक 1-9-84 को स्थानांतरण कर दिया गया। उसके स्थानांतरण के पश्चात् अजमेर प्रान्त हेतु विपक्षी के प्रान्तीय कार्यालय का स्थानान्तरण जयपुर से अजमेर हो गया। दिनांक 26-12-87 को विपक्षी ने एक पत्र श्रमिक को प्रेशित किया कि विपक्षी अपने कार्यालय में हिन्दी स्टैनोग्राफर के पद को भर रहा है तथा यदि वह चाहे तो इस हेतु अपना आवेदन कर सकता है। समयाभाव के कारण श्रमिक ने आपत्ति सहित अपना आवेदन पत्र दिनांक 28-12-87 को विपक्षी को प्रेशित कर दिया। दिनांक 30-9-86 को श्रमिक ने अपना रिप्रेसंटेशन विपक्षी को किया था जिसके अन्तर्गत उसने यह प्रार्थना की थी कि विपक्षी कार्यालय के जयपुर से अजमेर स्थानान्तरण पर, क्योंकि श्रमिक का चयन हिन्दी स्टैनोग्राफर के पद पर हो चुका है, अतः उसे इस पद का विशेष भत्ता दिया जाए। इस पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा विपक्षी द्वारा बाद में आयोजित नहीं की गई। श्रमिक के विशेष भत्ता दिलाने के आवेदन पत्र पर विपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर श्रमिक ने प्रार्थीसंघ के समक्ष अपने मामले को रखा जिसमें समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद उठाया। किन्तु यह सफल नहीं हो सका। श्रमिक जिस दिन से विपक्षी कार्यालय का स्थानान्तरण जयपुर से अजमेर हुआ है, उस दिन से हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत माने जाने का अधिकारी है क्योंकि बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा उसका उक्त पद के लिए चयन किया जा चुका है। प्रार्थी संघ ने यह प्रार्थना की है कि अगस्त 1985 से श्रमिक को उक्त पद पर कार्यरत होना माना जाए तथा उसके अनुसार समस्त बकाया वेतन व भत्ता जो कि उक्त पदाधिकारी को देय है, श्रमिक को दिलाया जाए।

3. उत्तर वाद विवरण के अन्तर्गत श्रमिक के चयन को व दिनांक 3-9-82 को उसके द्वारा संबंधित पद का पदभार ग्रहण करने, दिनांक 1-8-84 के आदेश द्वारा उसका स्थानान्तरण जयपुर से अजमेर करने व इसके पश्चात् विपक्षी प्रान्तीय कार्यालय का स्थानान्तरण जयपुर से अजमेर होने के तथ्यों को स्वीकार करते हुए विपक्षी ने यह लेख किया है कि श्रमिक हैं अपने स्थानान्तरण के संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उसने यह लेख किया था कि वह अपने आशुलिपिक के कार्य के स्थान पर हिन्दी टंकण के रुप में कार्य करने व आशुलिपिक का विशेष भत्ता छोड़ने को तैयार है। दिनांक 26-12-87 को श्रमिक को एक पत्र भेजा गया था कि अजमेर केन्द्र में हिन्दी स्टैनो के पद को भरे जाने हेतु परीक्षा आयोजित की जा रही है जिसके लिये वह निर्धारित प्रपत्र भर कर विपक्षी को भेज सकता है । विपक्षी ने यह लेख किया है कि क्योंकि श्रमिक पूर्व में आशुलिपिक के पद से संबंधित अपने अधिकार को अपनी इच्छा से छोड़ चुका था तथा आशुलिपिक का पद भी स्वेच्छा से छोड़ चुका था इसलिये उसका कोई अधिकार शेष नहीं रहता था। विपक्षी बैंक के नियमानुसार यदि कोई स्टैनो अपने पद से अन्यत्र स्थानान्तरश चाहता है व उसके विशेष भत्ते का छोड़ने को तैयार है तब उसका स्थानान्तरण इच्छित स्थान पर कर दिया जाता है व भविष्य में आशुलिपिक के पद के लिये एक वर्ष पश्चात् कोई रिक्तता होने पर ऐसे कर्मचारी को परीक्षा में शामिल होना आवश्यक होता है । विपक्षी बैंक ने यह दर्शाया है कि प्रशासनिक कारणोंवश हिंदी आशुलिपिक की आयोजित होने वाली परीक्षा नहीं की जा सकी। विपक्षी ने यह भी उद्घाटित किया है कि संबंधित मामला सिविल न्यायालय में भी चल रहा है अतः यह विवाद सबजूडिस हो जाता है तथा प्रार्थी संघ की कार्यकारणी द्वारा विवाद उठाये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। अतः यह विवाद चलने योग्य नहीं है । विपक्षी के अनुसार किसी पद को भरे जाने का निर्णय उसके प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं विवेक पर निर्भर करता है तथा संबंधित पद के लिये हिन्दी आशुलिपिक की आवश्यकता नहीं होने के कारण यह अभी तक नहीं भरा गया है। विपक्षी ने इस तथ्य को भी चुनौती दी है कि श्रमिक ने दिनांक 1-9-84 को अपने स्थानान्तरश के बाद जो विशेष भत्ता दिये जाने की मांग की है वह ऐस्टोपल के सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि स्वयं श्रमिक शिक्षित है तथा उसने जो आवेदन किया था वह पूरी तरह सोच समझकर दिया था। इन आधारों पर विपक्षी ने प्रार्थी संघ की मांग का औचित्य व कोई आधार नहीं होना लेख करते हुए वाद विवरण की निरस्त करने की प्रार्थना की है ।

4. साक्ष्य के अन्तर्गत प्रार्थी संघ की ओर से सर्वश्री गुरमुख सिंह छाबड़ा श्रमिक एवं राजेन्द्र सिंह चौहान, क्षेत्रीय सचिव के शपथ-पत्र क्रमशः प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा प्रति-परीक्षण किया गया है। विपक्षी बैंक की ओर से साक्ष्य के अन्तर्गत सर्वश्री एन. एल. दामोर, कार्मिक अधिकारी, विपक्षी संस्थान व आर. सी. शर्मा, मैनेजर विपक्षी बैंक अजमेर के शपथ-पत्र प्रस्तुत हुए हैं जिनसे प्रतिनिधि प्रार्थी संघ द्वारा प्रति-परीक्षण किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा संकथन किया गया कि श्रमिक का चयन बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा विपक्षी के बैंक में हिन्दी स्टैनों के पद के लिये किया गया था जिसको उक्त पद पर नियुक्ति दिनांक 30-6-82 के पत्र द्वारा दे दी गई और उसका पद स्थापन जयपुर में कर दिया गया। उसके माता पिता अजमेर में रहते थे इसलिये उसकी प्रार्थना पर जयपुर से अजमेर उसका स्थानान्तरण कर दिया गया। प्रान्तीय कार्यालय अजमेर जो कि जयपुर में स्थित था का स्थानान्तरण अजमेर होने पर उसमें हिन्दी स्टैनो का पद रिक्त था जिसका विशेष भत्ता दिलाने की श्रमिक ने प्रार्थना की किन्तु उसे विशेष भत्ता नहीं दिया गया। इस पद को भरने के लिये विपक्षी ने परीक्षा आयोजित करने का प्रयास किया और श्रमिक को इसमें बैठने के लिये सूचना दी जो कि विलम्बपूर्ण थी। उनका तर्क है कि श्रमिक का चयन इस पद के लिये हो चुका था तथा वह अजमेर में रहकर हिन्दी टंकक का कार्य कर रहा था, उसे अपने कार्य के लिये प्रशंसा पत्र भी मिले थे, अतः श्रमिक हिन्दी स्टैनो-ग्राफर के विशेष भत्ते का अधिकारी है और इस पद पर उसकी नियुक्ति होनी चाहिये। इस संबंध में उन्होंने दोनों पक्षों के मध्य हुए समझौते दिनांक 18-4-84 की दफा सं. 7 का भी अवलम्बन लिया है।

7. इन तर्कों का विरोध करते हुए विपक्षी के तर्क हैं कि श्रमिक ने इसी मामले से संबंधित एक वाद न्यायालय मुंसिफ (पूर्व) अजमेर में कर रखा है और पुनः इसी मामले का रेफरैंस इस अधिकरण में किया गया है जो कि सबजूडिस हो जाता है। उनके तर्क के अनुसार श्रमिक ने अपने आवेदन पत्र में यह स्वीकार किया था कि यदि उसे अजमेर कार्यालय में हिन्दी टंकक के पद पर नियुक्त कर स्थानान्तरित कर दिया जाता है तब वह स्टैनो के पद के विशेष भत्ते का मांग नहीं करेगा। अतः अब वह भत्ते की मांग नहीं कर सकता और ऐस्टोपल का नियम लागू होता है। उनका यह भी तर्क है कि विवाद को रैफर करने से पूर्व श्रमिक ने विपक्षी प्रबंधतंत्र के समक्ष यह विवाद नहीं उठाया है और ना ही प्रार्थी संघ द्वारा इस विवाद को उठाने के लिये कोई प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने इस तथ्य पर अधिक बल दिया है कि नियमों के अनुसार एक वर्ष तक कर्मचारी के स्टैनो के पद पर कार्य नहीं करने पर उसे पुनः परीक्षा में बैठना पड़ता है तथा स्टैनो का कार्य उसके अभ्यास पर निर्भर करता है जब कि स्वयं श्रमिक ने अपनी साक्ष्य में यह माना है कि उसे स्टैनो के कार्य का अभ्यास नहीं रहा तथा विभाग कार्यालय में अब भी स्टैनो हिन्दी का पद रिक्त है जिसको भरने का विवेक प्रबंधतंत्र का है।

8. मैंने उक्त तर्क वितर्कों पर विचार एवं मनन किया तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विनिर्णयों का सावधानी-पूर्वक अवलोकन किया गया।

9. दोनों पक्षों के मध्य यह तथ्य निर्विवादित रहा है कि बैंक सेवा भर्ती मंडल द्वारा हिन्दी आशुलिपिक के पद पर श्रमिक श्री गुरमुख सिंह छाबड़ा का चयन किया गया व उसे दिनांक 30-6-82 को चयन पत्र विपक्षी के द्वारा प्रचलित किया गया। इसके पश्चात उसकी जयपुर कार्यालय में हिन्दी आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति हुई जिसके द्वारा विपक्षी के समक्ष अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रदर्श एम-2 से एम-4 प्रस्तुत किये गये जिसमें उसने यह लेख किया कि उसके माता पिता अजमेर में रहते हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है अतः उसका स्थानान्तरण अजमेर हिन्दी टंकक के पद पर कर दिया जाये। विपक्षी के आदेश दिनांक 1-9-84 के अनुसार उसका स्थानान्तरण जयपुर से अजमेर किया गया तथा अगस्त, 1985 में अजमेर प्रान्तीय कार्यालय, जो कि जयपुर में स्थित था, को स्थानान्तरण अजमेर हुआ जिसके अन्तर्गत आशुलिपिक का पद भी स्थानान्तरित हुआ जो कि रिक्त था। इसकी परीक्षा (टैस्ट) विपक्षी द्वारा आयोजित की गई जिसमें सम्मिलित होने के लिये विपक्षी ने एक पत्र दिनांक 26-12-87 श्रमिक को प्रेषित किया किन्तु वह परीक्षा में अवतरित नहीं हुआ और न ही परीक्षा हुई। दोनों पक्ष यह भी स्वीकार करते हैं कि यह पद विपक्षी कार्यालय में अभी तक रिक्त है।

10. सर्वप्रथम विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या मुंसिफ न्यायालय (पूर्व) अजमेर में इसी प्रकरण से संबंधित वाद लंबित होने के कारण इस प्रकरण की विषय वस्तु न्यायाधीन हो जाती है व इस कारण इस अधिकरण में लंबित इस प्रकरण की सुनवाई रोकित किये

11. श्रमिक ने अपने प्रति-परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने एक वाद मुंसिफ न्यायालय (पूर्व) अजमेर में प्रस्तुत किया था। इसकी फोटो स्टेट प्रतिलिपि प्रदर्श-1 विपक्षी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार यह वाद श्रमिक द्वारा विपक्षी के विरुद्ध अजमेर मुंसिफ (पूर्व) न्यायालय में संस्थित किया गया।

इसके अन्तर्गत श्रमिक ने न्यायालय से यह अनुतोष याचित किया है कि विपक्षी कार्यालय में अजमेर में स्थित हिन्दी आशुलिपिक के पद पर उसे नियुक्त किया जावे तथा विपक्षी इस पद को भरने हेतु कोई परीक्षा आयोजित नहीं करे। अतः यह परिलक्षित होता है कि इस अधिकरण में प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण मुंसिफ न्यायालय (पूर्व) अजमेर में लंबित वाद की विषय वस्तु एक ही है। श्रमिक द्वारा यह वाद दिनांक 2-3-88 को अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है।

12. इस न्यायाधिकरण का गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 एवं तत्पश्चात अधिसूचना जो कि एक विशेष अधिनियम है, के अन्तर्गत किया गया है जिसका क्षेत्राधिकार नियोजक व श्रमिकों के मध्य उत्पन्न हुए विवादों को, जो कि केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा इस अधिकरण को अभिनिर्देशित किये जाते हैं, आदि प्रकरणों का निस्तारण करना है। अतः प्रकटतः यह एक विशेष न्यायाधिकरण है जिसके समक्ष विशेष अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न हुए विवाद प्रस्तुत किये जाते हैं जिनका अवधारण किया जाता है। इससे संबंधित विवाद सिविल न्यायालय में लंबित होने पर संदर्भित विशेष अधिनियम के अन्तर्गत जो विवाद इस न्यायालय में लंबित है, अथवा प्रस्तुत किये गये हैं, वे इस अधिकरण में क्षेत्राधिकार में रहते हैं तथा विशेष अधिनियम की पृष्ठभूमि के कारण यह न्यायायधिकरण ऐसे विशेष प्रकरणों में सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विस्थित करता है। अतः इस अधिकरण के विशेष अधिनियम के अन्तर्गत संस्थापित होने के कारण हस्तगत प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इसे प्राप्त है तथा विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा दिया गया तर्क विधिसम्मत नहीं होने के कारण अमान्य है।

13 द्वितीय विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या इस प्रकरण में निबन्ध का सिद्धांत प्रभावी होता है?

14. इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि श्रमिक द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 23-2-84 प्रदर्श एम-2 विपक्षी के समक्ष अपने स्थानान्तरण के संबंध में इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि उसकी माता ब्लड प्रेशर से पीड़ित है तथा उसके पिता का इलाज राजकीय अस्पताल अजमेर में चल रहा है जिन्हें देखने के लिये प्रत्येक सप्ताह उसे अजमेर जाना पड़ता है। यदि उसे हिन्दी टाईपिस्ट के रूप में अजमेर भेजना चाहें तो वह अपने स्टेनोग्राफर का विशेष भत्ता छोड़ने को तैयार है। अपने पत्र प्रदर्श एम-3 दिनांक 1-9-84 में श्रमिक ने पुनः यह स्वीकार किया है कि यदि उसका इच्छित स्थानान्तरण कर दिया जाता है तब वह आशुलिपिक का विशेष भत्ता परित्याग करने हेतु तत्पर है। प्रदर्श एम-4, इसी पत्र की एक प्रतिलिपि है। इन दोनों पक्ष के आधार पर विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी का तर्क यह है कि श्रमिक द्वारा अपने स्थानान्तरण के लिये आशुलिपिक के विशेष भत्ते का परित्याग कर दिया गया था। अतः अब वह अपने आवेदन पत्र दिनांक 30-9-86 के अनुसार इस भत्ते की मांग नहीं कर सकता और वह ऐस्टोपल के सिद्धांत से बाध्य है। किन्तु विद्वान प्रतिनिधि का यह तर्क अलिभख सम्मत नहीं होना प्रतीत होता है। श्रमिक द्वारा यह आवेदन पत्र दिनांक 23-2-84 व दिनांक 1-9-84 को क्रमशः विपक्षी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना प्रकट हुआ है। यह निर्विवादित रहा है कि माह अगस्त, 1985 में प्रान्तीय कार्यालय अजमेर का जयपुर से स्थानान्तरण अजमेर हुआ। इस स्थानान्तरण पर हिन्दी आशुलिपिक पद का स्थानान्तरण भी जयपर से अजमेर हुआ तथा यह पद रिक्त था। अतः श्रमिक द्वारा दिनांक 30-9-86 को अपना पुनः प्रस्तुतीकरण विपक्षी के समक्ष किया गया जिसमें उसने हिन्दी आशुलिपिक का विशेष भत्ता दिलाये जाने की मांग की है। अतः प्रथमतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान नियमबद्धता रूप से इस अधिनियम के अन्तर्गत संस्थित प्रकरणों पर प्रभावी नहीं होते हैं, तथा द्वितीयतः अजमेर प्रान्तीय कार्यालय के जयपुर से अजमेर स्थानान्तरण के पश्चात, जिसके अन्तर्गत हिन्दी आशुलिपिक का पद भी स्वतः अन्तरित हुआ था, श्रमिक ने अपना पुनः प्रस्तुतीकरण दिनांक 30-9-86 को विपक्षी के समक्ष किया था जो कि कार्यालय स्थानान्तरण की नवीन परिस्थिति के उद्घाटन होने के पश्चात किया गया है। अतः श्रमिक के पत्र प्रदर्श एम-2 व एम-3 की अंतर्वस्तु/याचना निबन्ध के सिद्धांत की परिधि तक सीमित नहीं रहती है। अतः इन परिस्थितियों में निबन्ध का सिद्धांत प्रभावी नहीं होता है।

14. विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी का यह तर्क है कि प्रार्थी संघ की कार्यकारिणी द्वारा यह विवाद उठाने के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है अतः यह विवाद प्रार्थी संघ की ओर से नहीं उठाया जा सकता। विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा इसका विरोध किया गया है।

15. प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा प्रार्थी संघ के साक्षी श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, क्षेत्रीय सचिव से इस संबंध में प्रति-परीक्षण में प्रश्न किया गया है जिसका उत्तर उसके द्वारा इस प्रकार दिया गया है कि "उनके संघ के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करना आवश्यक नहीं है।" विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा अपने तर्क के समर्थन में 1975 लैब.आई.सी. (मा. कलकत्ता उ. न्या.) 1153 व 1983 लैब.आई.सी. (एन. ओ.सी.) (मा. कलकत्ता उच्च न्या.) 93 दृष्टान्तों को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम विनिर्णय के अन्तर्गत यह प्रतिपादित किया गया है कि जब किसी विवाद का समर्थन संघ द्वारा किया जाता है तब ऐसी दशा में सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि संघ के सामर्थ्य को श्रमिक द्वारा चुनौती दिये जाने पर अधिकरण के समक्ष संघ का सामर्थ्य साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रमाणित किया जाना चाहिये। इसी भांति द्वितीय विनिश्चय में यह प्रस्तावित किया गया है कि यदि संघ

के श्रमिक के प्रतिनिधित्व के सामर्थ्य की ही विपक्षी द्वारा चुनौती दी गई है तब संघ की सक्षमता को संस्थापित किया जाना चाहिये। विचाराधीन प्रकरण के अन्तर्गत विपक्षी द्वारा उत्तर वाद विवरण की चरण सं. 9 में केवल मात्र यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी यूनियन की कार्यकारिणी द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, और न ही श्रमिक द्वारा कोई अनुरोध प्रार्थी यूनियन के समक्ष विवाद उठाये जाने के बारे में किया गया है। किन्तु नियोजक द्वारा अपने उत्तर में प्रार्थी संघ की सक्षमता को कहीं भी चुनौती नहीं दी गई है। अतः विद्वान, प्रतिनिधि नियोजक द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों से उनके तर्क का खण्डन नहीं हुआ है। प्रार्थी संघ के सामर्थ्य को चुनौती नहीं देने के कारण प्रार्थी संघ द्वारा उठाया गया विवाद जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है, केवल मात्र इस आधार पर कुण्ठित नहीं हो जाता है कि प्रार्थी संघ द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। अतः विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी का यह तर्क अमान्य बन जाता है। विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी संघ द्वारा अपने पक्ष समर्थन में ए.आई.आर. 1978 (सुप्रीम. सर्वोच्च न्यायालय) 284 दृष्टान्त को प्रस्तुत किया गया है किन्तु इसके तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के समरूप नहीं हैं अतः इसकी विवेचना की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती।

16. विचाराधीन प्रकरण में निर्णायक बिन्दु यह है कि क्या श्रमिक द्वारा स्वेच्छा से हिन्दी आशुलिपिक के पद का परित्याग किया गया तथा क्या वह विपक्षी के विभागीय आदेश के अनुसार पुनः परीक्षा में अवतरित होने के पश्चात् ही इस पद की नियुक्ति प्राप्त कर सकता है ?

17. इस संबंध में विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा आदेश प्रदर्श एम-9 का अवलम्बन लिया गया है तथा प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा विपक्षी विभाग के स्थानान्तरण के दिशा निर्देशों को आधार बनाया गया है। विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक ने इन दिशा निर्देशों की दशा सं. 4 की ओर इंगित करते हुए यह तर्क किया है कि इसके अनुसार अपने स्थानान्तरण के इच्छुक श्रमिक द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए ही विशेष भत्ता का परित्याग करने का उल्लेख है। किन्तु इन दिशा निर्देशों के अन्तर्गत ऐसा कोई निर्देश निहित नहीं है जिसके अनुसार यह उपधारणा की जा सके कि दो वर्ष की अवधि के पश्चात् परित्यक्त विशेष भत्ता श्रमिक पुनः प्राप्त करने लगेगा। इसके विपरीत विभाग द्वारा प्रचलित प्रपत्र प्रदर्श एम-9 है जो कि आशुलिपिक के कर्तव्यों के निर्धारण से संबंधित है। इसके अन्तर्गत यह लेख किया गया है कि आशुलिपिकगण के कर्तव्य निर्धारण के संबंध में मण्डलों द्वारा अनेक जिज्ञासाएं पूछी गई हैं जिनका उत्तर स्पष्टीकरण के रूप में दिया जा रहा है। इसकी जिज्ञासा सं. 4 में इस प्रकार है कि "क्या एक आशुलिपिक द्वारा, जिसको स्थानान्तरण उसके द्वारा विशेष भत्ता छोड़ने की शर्त पर किया गया है, ऐसे आशुलिपिक का उसके नवीन पदस्थापन के स्थान पर पद की रिक्तता होने पर आन्तरिक परीक्षा (इन्टर्नल टैस्ट) में सम्मिलित होना आवश्यक है। इसका उत्तर दो भाग में दिया गया है। भाग "ए" के अनुसार यदि पद की रिक्तता एक वर्ष में होती है तब स्थानान्तरित आशुलिपिक को लिखित परीक्षा में अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है इसका भाग "बी" हस्तगत प्रकरण से संगत है जिसके अन्तर्गत यह दशा निहित है कि यदि आशुलिपिक के नवीन पदस्थापन के स्थान पर उसके स्थानान्तरण के एक वर्ष पश्चात् इस पद की रिक्तता होती है तब उसे आंतरिक परीक्षा में पुनः उपयुक्त आशार्थियों के साथ अवतरित होना होगा।

18. ऊपरी दर्शित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि श्रमिक द्वारा अपने आवेदन पत्र प्रदर्श एम-2 व एम-3 के माध्यम से विपक्षी को अपने स्थानान्तरण का आवेदन किया गया तथा उसने यह स्वीकार किया कि यदि उसका स्थानान्तरण जयपुर से अजमेर कर दिया जाता है तब वह आशुलिपिक के विशेष भत्ते का परित्याग करने को तत्पर है। दिनांक 1-9-84 के आदेशानुसार उसका स्थानान्तरण जयपुर कार्यालय से अजमेर हुआ। दिनांक 1-9-84 के पश्चात् सर्वप्रथम उसने दिनांक 30-9-86 को अपना प्रस्तुतीकरण विपक्षी के समक्ष किया जो उपाबन्ध 7 है जिसके अनुसार उसने हिन्दी आशुलिपिक के पद का विशेष भत्ता प्राप्त करने की मांग की है। यह निर्विवादित रहा है कि जयपुर में आशुलिपिक के पद से उसका स्थानान्तरण अजमेर में हिन्दी टंकक के पद पर हुआ। श्रमिक ने अपने प्रति-परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अजमेर कार्यालय में उससे हिन्दी टंकक व लिपिक का कार्य लिया जाता था। अतः यह स्पष्ट है कि दिनांक 1-9-84 को उसके अजमेर स्थानान्तरण के समय से यह हिन्दी टंकक व लिपिक के रूप में कार्यरत है, हिन्दी आशुलिपिक के रूप में नहीं, तथा विभाग के प्रपत्र प्रदर्श एम-9 के अनुसार एक वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है। इस प्रपत्र के अनुसार एक वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात् स्थानान्तरित आशुलिपिक की रिक्तता होने पर अन्य आशार्थियों के साथ आंतरिक परीक्षा में अवतरित होना पड़ता है। इसके साथ ही विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी के इस तर्क का खण्डन भी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से होता है कि श्रमिक द्वारा हिन्दी आशुलिपिक का कार्य नहीं करने पर वह अभ्यास-विहीन भी हुआ है। इन तथ्यों के आधार पर परिस्थितियां इस प्रकार उत्पन्न होती हैं कि (क) विभागीय परिपत्र के अनुसार श्रमिक के स्थानान्तरण के निर्धारित एक वर्ष पश्चात् इस रिक्त पद पर नियुक्ति/चयन की कार्यवाही विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है जिसके अनुसार श्रमिक को पुनः आंतरिक परीक्षा में अवतरित होना आवश्यक है, (ख) कि श्रमिक दिनांक 1-9-84 के उक्त पद पर कार्यरत नहीं होने के कारण अभ्यास विहीन भी हो गया है। अतः इन परिस्थितियों के अन्तर्गत परिपत्र प्रदर्श एम-9 श्रमिक पर बाध्यकारी बन जाता है तथा अजमेर कार्यालय में हिन्दी आशुलिपिक के रिक्त पद पर श्रमिक को हिन्दी आशुलिपिक का कार्य नहीं सौंपे जाने का विपक्षी का कार्य न्यायोचित्य बन जाता है।

19. उक्त मीमांसा के आधार पर इस विवाद का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि विपक्षी प्रबंधतंत्र द्वारा

अजमेर कार्यालय में हिन्दी आशुलिपिक के रिक्त पद पर श्रमिक श्री गुरमुख सिंह छाबड़ा को हिन्दी स्टेनोग्राफर का कार्य नहीं सौंपना उचित एवं वैध है । इससे संबंधित प्रार्थी संघ श्रमिक की अभ्यर्थना अस्वीकार की जाती है । अतः श्रमिक कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

20. उपरोक्त रूप में इस विवाद में अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जावे।

आर. सी. शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का०आ० 1146.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 07-04-97 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12012/198/92-आई०आर०बी० 2]
ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1146.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 07-04-97.

[No. L-12012/198/92-IR(B-II)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी०आई०टी० 18/1992

रेफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल० 12012/198/92 आई०आर०बी०-2 दिनांक 7-12-92 ।

कृष्ण कुमार तनेजा पुत्र श्री कोड़ा राम,
निवासी ए-35, रणजीत नगर, भरतपुर । —प्रार्थी

बनाम

1. ब्रांच मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक,
लक्ष्मण मन्दिर ब्रांच, भरतपुर ।
2. रीजनल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक,
जयपुर । —अप्रार्थीगण

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री आर० सी० शर्मा, आर०एच०जे०एस०
प्रार्थी की ओर से : श्री सुरेश कश्यप
अप्रार्थीगण की ओर से : श्री एस० सी० नेगी
दिनांक अवार्ड : 21-11-1996

अवार्ड

केन्द्र सरकार द्वारा इस विवाद का अभिनिर्देशन न्याय निर्णयन हेतु इस न्यायाधिकरण को किये जाने पर दिनांक 14-12-92 को प्राप्त हुआ । विवाद निम्नवत् है :—

"Whether the claim of Shri Kailash Kumar Taneja (in pleadings Shri Krishna Kumar Taneja that he is a 'workman' as defines in the ID Act is correct ? If so, whether the action of the management of Punjab National Bank in directing him not to open new accounts was justified ? What relief, if any is Shri Taneja entitled to."

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद विवरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि उसकी नियुक्ति बैंक के प्रचार एवं संग्रहण प्रतिनिधि के रूप में मिनी डिपोजिट्स स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1980 मे हुई तथा यह योजना स्थाई प्रकृति की है । उसकी दिनांक 13-6-80 को नियुक्ति के समय से वह अपना कार्य निरन्तर कर रहा था जो कि सन्तोषप्रद रहा व उसकी सेवा के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई । श्रमिक द्वारा अपने कर्तव्यों को दर्शाते हुए यह लेख किया गया है कि बैंक व्यवसाय की बढ़ोतरी की दृष्टि से ग्राहकों के नये खाते बैंक में खोलने ग्राहकों से नियमित रूप से फण्ड एकत्रित करने व उसे बैंक में इसके व्यवसाय की बढ़ोतरी के आशय से जमा करवाने व 10.00 बजे प्रातः से 3.00 बजे मध्याह्न तक बैंक में बैठना उसका कार्य था । उसके कार्य व बैंक के नियमित लिपिकों के कार्य एक समान थे तथा अपेक्षाकृत उसका कार्य लिपिक केडर के कर्मचारियों से अधिक कठिन था क्योंकि बैंक के लिपिक बैंक में बैठकर ही कार्य करते हैं जिन्हें एक दुकान से दूसरी दुकान व एक घर से दूसरे घर नहीं जाना पड़ता जबकि प्रार्थी को चार घन्टे बैंक में लिपिक के समान कार्य करना पड़ता था व अन्य 6 घन्टे और कार्य करना पड़ता था । उसके कार्य से बैंक के व्यवसाय में वृद्धि हुई जो वर्ष 1980 से 1989 तक लाखों रुपये में हुई । किन्तु दिनांक 23-1-89 के पत्र द्वारा बैंक ने उसे नये खाते ग्राहकों के खोलने से मना किया । प्रार्थी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए यह लेख किया है कि वह औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (अत्र पश्चात् अधिनियम) के अन्तर्गत एक श्रमिक है जिसकी सेवाएं 25-एफ अधिनियम की अनुपालना के बिना समाप्त नहीं की जा सकती, उसको सेवा समाप्ति द्विपक्षीय समझौता दिनांक 12-10-70, दिनांक 9-11-79 के उल्लंघन में भी है तथा उसे बैंक द्वारा दोषारोपित नहीं किया है । तथा इन कारणों के आधार पर प्रार्थी ने उसकी सेवा समाप्ति का

आदेश अवैध, शून्य व अणुल्य होना प्रकट किया है तथा यह दर्शाया है कि वह सम्पूर्ण बकाया वेतन सहित सेवा में पुनर्नियोजित किये जाने का अधिकारी है ।

3. विपक्षी बैंक की ओर से उत्तर वाद विवरण में यह लेख किया गया है कि प्रार्थी का आवेदन-पत्र अधिनियम के अन्तर्गत संधारण योग्य नहीं है तथा वह अधिनियम के अन्तर्गत एक श्रमिक नहीं है । प्रार्थी को कमीशन के आधार पर पब्लिसिटी कलैक्शन रिपरेजेन्टेटिव के रूप में बैंक में लगाया गया था तथा बैंक व इसके बीच नियोजक व कर्मचारी का सम्बन्ध नहीं रहा है व दोनों के बीच मालिक और एजेन्ट के सम्बन्ध है । अतः धारा 2 (एस) अधिनियम के अनुसार इसे औद्योगिक विवाद होना नहीं माना जा सकता । गुणावगुण के आधार पर विपक्षी बैंक ने यह लेख किया है कि मध्यम श्रमिक की आय में लघु बचत की वृद्धि करने के आशय से मिनी डिपोजिट स्कीम बैंकों द्वारा प्रचलित की गई तथा इस योजना को शर्तों के अनुसार बैंक ने मिनी डिपोजिट कलैक्टर अथवा पब्लिसिटी कलेक्शन रीपरेजेन्टेटिव कार्य में लगाये । प्रार्थी को पब्लिसिटी-कम-कलेक्शन रीपरेजेन्टेटिव लगाया गया था तथा इस सम्बन्ध में एक करार उपाबन्ध–1 दोनों पक्षों में हुआ था । इसकी क्लॉज 3 के अनुसार बैंक द्वारा कभी भी यह एजेन्सी अपनी इच्छानुसार समाप्त की जा सकती थी । इससे दोनों पक्षों के बीच नियोजक व कर्मचारी के सम्बन्ध नहीं होना प्रकट होता है । इस योजना के पश्चात् एक सामान्य योजना सभी बैंकों द्वारा अपनाई गई जो उपाबन्ध 2 है । इस योजना के अनुसार ऐसे लघु बचत संग्रहक को उनकी सत्यनिष्ठा व स्थानीय प्रभाव एवं साधन प्रचुरता के आधार पर कार्य में लगाने का निर्देश दिया गया है । इसमें यह स्पष्ट लेख है कि ऐसे संग्रहक स्टाफ कर्मचारी नहीं माने जायेंगे । इससे भी दोनों पक्षों के बीच एजेन्ट व मालिक के सम्बन्ध होना प्रकट होता है । विपक्षी द्वारा यह लेख किया गया है कि श्री तनेजा की नियुक्ति विपक्षी बैंक में पब्लिसिटी-कम-कलेक्शन रीपरेजेन्टेटिव के रूप में की गई थी, उसका कार्य सन्तोषप्रद होना अस्वीकार किया गया है तथा उसके द्वारा 10.00 प्रातः बजे से 3.00 बजे मध्याह्न कार्य किया जाना भी अस्वीकार किया गया है । प्रार्थी के इस कथन को भी विपक्षी ने अस्वीकार किया है कि वह बैंक में 10 से 11 घन्टे तक कार्य करता था । विपक्षी ने उसके कर्मचारियों व प्रार्थी के कर्तव्यों में भिन्नता होना लेख किया है । उसके अनुसार दिनांक 23-11-89 को बैंक द्वारा प्रार्थी को एक पत्र प्रेषित किया गया कि वह ग्राहकों के नये खाते नहीं खोले क्योंकि बैंक द्वारा वांछित जमा में बढ़ोतरी नहीं हुई है । विपक्षी ने इसका उल्लेख किया है कि प्रार्थी की एजेन्सी समाप्त नहीं की गई थी, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच नियोजक व कर्मचारी के सम्बन्ध नहीं हैं । प्रार्थी एक श्रमिक नहीं है इसलिए धारा 25–एफ अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

4. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में उसका शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा प्रति-परीक्षण किया गया । विपक्षी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ।

5. दोनों पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

6. विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा संकथन किया गया कि प्रार्थी मिनी डिपोजिट स्कीम के अन्तर्गत एक मिनी डिपोजिट कलेक्टर नियुक्त किया गया है जो विपक्षी बैंक के लिए ग्राहकों से राशि प्राप्त कर उनके खाते विपक्षी बैंक में खोलता था तथा इसके परिणामस्वरूप वह विपक्षी बैंक से कमीशन प्राप्त करता था । करार उपाबन्ध को प्रार्थी प्रतिनिधि ने स्वीकार करते हुए यह तर्क किया है कि इसके आधार पर विपक्षी बैंक द्वारा प्रार्थी को नियुक्ति की गई थी । उनका तर्क है कि प्रार्थी के कार्य से बैंक के व्यवसाय में वृद्धि हुई, जबकि पत्र प्रदर्श डब्ल्यू–1 के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि उसके व्यापार में वृद्धि नहीं हुई है अतः प्रार्थी अपना कार्य बन्द कर दे । उनके तर्क के अनुसार बैंक द्वारा प्रार्थी को सेवा मुक्त नहीं किया जा सकता ।

7. इन तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा तर्क किया गया है कि इण्डियन बैंक एसोसियेशन द्वारा एक योजना उपाबन्ध–2 प्रारम्भ की गई है जिसके अनुसार मिनी डिपोजिट कलेक्टर को स्टाफ के सदस्य नहीं होना माना गया है । इसलिए प्रार्थी एक श्रमिक नहीं है । उसे जो कमीशन मिलता था वह मजदूरी (वेजेज) नहीं मानी जा सकती, उसे कोई नियुक्ति-पत्र नहीं दिया गया तथा बैंक कर्मचारियों पर द्विपक्षीय समझौता लागू होता है । प्रार्थी ने बैंक की बचत राशि नहीं बढ़ाई क्योंकि जितनी बचत बैंक में होती थी उतनी ही राशि बैंक से वापस ग्राहकों द्वारा ले ली जाती थी । अतः बैंक को कोई लाभ नहीं होने पर प्रदर्श डब्ल्यू–1 जारी किया गया । विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा इस तर्क का विरोध करते हुए यह संकथन किया गया कि ग्राहकों द्वारा बैंक से जमा राशि वापस लेने का उत्तरदायित्व प्रार्थी का नहीं है ।

8. मैंने उक्त तर्क-वितर्कों पर विचार एवं मनन किया तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विनिश्चयों का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया ।

9. सर्वप्रथम विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या प्रार्थी धारा 2 (एस) अधिनियम के अन्तर्गत एक श्रमिक है अथवा नहीं ?

10. धारा 2 (एस) में यह प्रावधान उपबन्धित है कि श्रमिक से तात्पर्य किसी उद्योग में नियोजित ऐसे व्यक्ति से है जो शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, प्रचालन, लिपिकीय या पर्यवेक्षण कार्य भाड़ा या पुरस्कार के आधार पर करता हो चाहे उसके नियोजन की शर्तें अभिव्यक्त हों या विवन्धित ।

11. अतः अब दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों व साक्ष्य के आधार पर यह अवधारित किया जाना है कि क्या प्रार्थी श्रमिक की परिधि में आता है अथवा नहीं ?

12. उपाबन्ध–1 दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित किया गया है जिसके अन्तर्गत यह करार हुआ है कि विपक्षी बैंक प्रार्थी को लघु जमा योजना के अन्तर्गत लघु जमा संग्रहक नियुक्त करता है जिसको इस नियुक्ति के लिए 10,000 रुपये प्रतिभूति विपक्षी बैंक में जमा करानी होगी और उसका कार्य ग्राहकों से निधि संग्रहित करना होगा तथा इसके लिए उसे पारिश्रमिक दिया जायेगा । यह पारिश्रमिक कमीशन के रूप में होना दर्शाया गया है । इसके प्रकोष्ठ सं० 3 में यह लेख है कि यह एजेन्सी क्रियान्वयन की दिनांक से प्रारम्भ होगी तथा उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि बैंक द्वारा अपनी स्वेच्छा निर्णय के आधार पर इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता अथवा लघु जमा संग्रहक इसे समाप्त करने के आशय से तीन माह पूर्व का नोटिस नहीं देते । दोनों पक्षों की ओर से यह तथ्य भी स्वीकार किया गया है कि भारतीय बैंक संघ की ओर से इस सम्बन्ध में नियम रचित किये गये हैं जो कि उपाबन्ध–2 हैं । दोनों पक्ष इसके पृष्ठ सं० 7 पर अंकित शर्त का अवलम्बन लेते हैं । इसमें यह लेख किया गया है कि लघु जमा संग्रहक को 1,000 रुपये नकद प्रतिभूति के रूप में जमा करवाने होंगे तथा 5,000/- रुपये का एक प्रतिभूम प्रस्तुत करना होगा । संग्रहकारों को स्टाफ का सदस्य होना नहीं माना जायेगा यद्यपि उन्हें उनकी प्रतिभू जमा पर ब्याज की दर पर छूट प्राप्त होगी । अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए संग्रहक को बैंक के साथ एक करार करना होगा व यह घोषित करना होगा कि वह अन्य किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक के लिए ऐसा कार्य नहीं करेगा जब तक कि विपक्षी बैंक के लिए वह यह कार्य कर रहा है । इसके साथ ही लघु जमा संग्रहक की नियुक्ति के समय नियमित कर्मचारी की नियुक्ति के समान दो अच्छे सम्बन्धों का उल्लेख भी होगा ।

13. प्रार्थी ने अपना प्रति-परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे नियुक्ति-पत्र जारी किया गया था । यद्यपि इसे अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है । तथा 10.00 बजे प्रातः से 3.00 बजे मध्याह्न तक वह बैंक में कार्य करता था व इसके पश्चात् 3.00 बजे मध्याह्न से 10.00 बजे रात्रि तक ग्राहकों से राशि एकत्रित करने का कार्य करता था । उसका यह भी कथन है कि उसे अवकाश नहीं दिया जाता था और उपस्थिति पंजिका में उसकी हाजिरी नहीं होती थी ।

14. संदर्भित दोनों प्रलेखों को अन्तर-वस्तु से यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थी को विपक्षी बैंक में लघु जमा संग्रहक के रूप में नियुक्ति करते समय उसका सम्पूर्ण नियंत्रण बैंक के पास रखा गया तथा उपाबंध 2 में निहित दशा के अनुसार उसे अन्य किसी वित्तीय संस्था में ऐसा कार्य करने हेतु भविष्य में प्रतिबंधित किया गया जब तक कि वह विपक्षी बैंक के अधीन कार्य कर रहा है । इसी भांति नियमित कर्मचारी के सादृश्य उससे दो अच्छे व्यक्तियों के संबंधों का उल्लेख भी करवाया गया है जो उसके प्रतिभू के रूप में माना जा सके । उसके कार्य के फलस्वरूप उसे पारिश्रमिक कमीशन के रूप में देने का भी लेख किया गया है तथा उसके कृत्य दोनों प्रलेखों में दर्शाया गया है । लघु जमा योजना का आशय मध्यम आय के व्यक्तियों से निधि प्राप्त कर इस योजना को विस्तृत करना है । प्रार्थी इस योजना के प्रायोजन प्रचलन हेतु कार्यरत है तथा इसकी इस नियुक्ति को समाप्त करने का विपक्षी बैंक को स्वेच्छा निर्णय दिया गया है अथवा प्रार्थी द्वारा तीन माह की अवधि का नोटिस देने का उल्लेख भी किया गया है । ये समस्त तथ्य दोनों पक्षों के मध्य स्वामी व अभिकर्ता के संबंध की अपेक्षा नियोजक व कर्मचारी के संबंध होना उद्घाटित करते हैं । यद्यपि श्रमिक से अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसकी उपस्थिति पंजिका में नहीं की जाती थी तथा उसे अवकाश भी प्राप्त नहीं होता था, जो कि नियमित कर्मचारियों के संबंध में प्रभावी होता है । किन्तु उसका यह स्पष्ट कथन है कि वह 10.00 बजे से तीन बजे मध्याह्न तक बैंक में कार्य करता था व उसके पश्चात् 3.00 बजे मध्याह्न से 9.00 बजे रात्रि तक निधि संग्रहण का कार्य करता था । अतः इससे यह स्पष्ट है कि वह विपक्षी बैंक के परोक्ष नियंत्रणाधीन कार्यरत रहा है । यह तथ्य अखंडित रहा है । प्रार्थी के नियोजन की शर्त, नियमित कर्मचारी के नियोजन के शर्त के समान भी रखी गई है । अतः उक्त प्रलेखों की अन्तरवस्तु से प्रार्थी धारा 2(एस) अधिनियम में परिभाषित श्रमिक की परिधि में आता है ।

15. विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में 1991 लैब०आई०सी० (मद्रास उच्च न्यायालय) 557 दृष्टान्त को प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य विचाराधीन प्रकरण के तथ्यों के एकरूप है तथा इसके अन्तर्गत यह अवधारित किया गया है कि उपलब्ध साक्ष्य व दोनों पक्षों के करार के अनुसार टिनी डिपोजिट एजेन्ट बैंक का सेवक होना प्रकट होता है, एक स्वतंत्र संविदाकार नहीं इस अवधारणा के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह दर्शाया गया है कि बैंक को एक प्रमुख कार्य जमा संग्रहण है तथा जो व्यक्ति ऐसी जमा को संग्रहित करने हेतु नियुक्त किया जाता है व बैंक संस्थान को एक भाग है, बैंक अधिकारी को ऐसे ग्राहकों को पंजीकृत करना पड़ता है तथा संग्रहक एक स्वतंत्र संविदाकार नहीं है । इसी भांति संग्रहक को बैंक के व्यवसाय में नियुक्त किया जाता है जिसका कार्य जमा संग्रहण करना है तथा वह पारिश्रमिक के रूप में कमीशन प्राप्त करता है जिसका उल्लेख करार में किया गया है ।

16. विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा संदर्भित न्याय निर्णय के संबंध में यह दर्शाया गया है कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फाइल की गई है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 1-5-95 के माध्यम से दोनों पक्षों

के मध्य यथास्थिति कायम कर दी गई है । अतः उनका तर्क है कि इस निर्णय का सहारा नहीं लिया जा सकता ।

17. विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत फोटोस्टेट प्रतिलिपि आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिनांकित 1-5-95 से यद्यपि उनके द्वारा दर्शाये गये इस तथ्य का खण्डन हुआ है कि संदर्भित निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दोनों पक्षों के मध्य यथास्थिति रखी गई है । किन्तु माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित न्याय निर्णय में पक्षकारों के मध्य उनके संबंध को सुनिश्चित करने हेतु जिन तत्वों को दर्शाया गया है उनका अवलम्बन लिया जा सकता है तथा विचाराधीन प्रकरण में प्रस्तुत प्रलेखों उपाबंध 1 व 2 के आधार पर, जिनकी विवेचना ऊपरी प्रकार से की जा चुकी है, दोनों पक्षों के मध्य नियोजक व सेवक के संबंध होना प्रकट हुआ है ।

18. विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी ने भी अपने पक्ष समर्थन में एफ०एल०आर० 1989 (गुजरात) 135 को दृष्टान्त को प्रस्तुत किया है जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि पक्षकारों के मध्य अहमदाबाद में स्थित विभिन्न मिल्क बूथ पर दूध बेचने का करार हुआ । संबंधित समझौतों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे सेवा का करार होना नहीं माना गया है । प्रकटतः संबंधित विनिर्णय के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न हैं । इसी भांति विद्वान प्रतिनिधि ने केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट की फोटोस्टेट प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें मिनी डिपोजिट कलक्टर को बैंक का कर्मचारी होना अस्वीकार किया गया है तथा इसका कारण यह दर्शाया गया है कि बैंक के नियमित कर्मचारी का चयन जिस पद्धति से होता है उस पद्धति से मिनी डिपोजिट कलक्टर की नियुक्ति नहीं होती है । इस निर्णय के विरुद्ध रिट याचिका माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में की गई तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23-8-89 की फोटोस्टेट प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार अधिकरण द्वारा पारित पंचाट के विरुद्ध प्रस्तुत की गई रिट याचिका को निरस्त किया गया है । किन्तु हस्तगत प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य हुए करार उपबंध 1 व 2 में निहित दशाओं के अनुसार उनके संबंधों को नियोजक व कर्मचारी के रूप में सुनिश्चित किया गया है तथा श्रमिक के इसे धारा 2(एस) की परिधि में होना पाया गया है । अतः प्रदर्शित न्याय निर्णय व हस्तगत प्रकरण में समरूपता होना प्रकट नहीं हुआ है ।

19. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का विपक्षी बैंक का एक श्रमिक होना स्वीकार किये जाने योग्य है । विपक्षी बैंक द्वारा पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-1 प्रचलित किया गया है जिसके अनुसार प्रार्थी को संबोधित किया गया है कि वह नये खातों को खोलना बंद कर दे । यह पत्र दिनांक 23-11-89 का है । प्रार्थी द्वारा यह दर्शाया गया है कि इस पत्र के आधार पर उसकी सेवाएं समाप्त की गई हैं । विपक्षी द्वारा यद्यपि यह संकथन किया गया है कि प्रार्थी की सेवाएं समाप्त नहीं की है क्योंकि वह बैंक का कर्मचारी नहीं था । किन्तु यह अस्वीकार नहीं किया गया है कि इस पत्र के आधार पर प्रार्थी का विपक्षी बैंक में काम करना बंद कर दिया गया है । इससे यह सुरक्षापूर्वक स्वीकार किया जा सकता है कि प्रार्थी श्रमिक की सेवाएं पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-1 दिनांक 23-11-89 के आधार पर समाप्त कर दी गई हैं । ऐसा करते समय धारा 25-एफ अधिनियम की अनुपालना नहीं की जाना प्रार्थी ने प्रकट किया है जिसका खण्डन विपक्षी द्वारा नहीं किया जा सका है । अभिलेख के अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि विपक्षी बैंक द्वारा धारा 25-एफ अधिनियम की अनुपालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी की अभ्यर्थना स्वीकार किये जाने योग्य है ।

20. उक्त आकलन के आधार पर इस विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि प्रार्थी श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के अनुसार परिभाषित श्रमिक है तथा विपक्षी बैंक द्वारा पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-1 दिनांक 23-11-89 के आधार पर उसकी सेवाएं समाप्त करना न्यायोचित नहीं है । अतः उक्त आदेश को अपास्त किया जाता है । प्रार्थी श्रमिक कृष्ण कुमार तनेजा नियोजक की सेवा में पुर्ननियोजन का अधिकारी है तथा बकाया वेतन के रूप में दिनांक 23-11-89 से पुर्ननियोजन की दिनांक तक 100 रुपये प्रति माह की दर से राशि प्राप्त करने का भी वह अधिकार है ।

21. प्रकरण में उक्त आशय का पंचाट पारित किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

आर०सी० शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का.आ. 1147.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध के निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, अहमदाबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-97 को प्राप्त हुआ ।

[संख्या एल-12012/20/95-आई.आर.बी. 2]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1147.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Ahmedabad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central

Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-1997.

[No. L-12012/20/95-IR (B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI P. R. DAVE, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL CENTRAL, AHMEDABAD

Reference (ITC) No 14 of 1995

ADJUDICATION

BETWEEN :

Central Bank of India Regional Office Lal Darwaja, Ahmedabad. ..First Party

AND

The Workmen employed under it.

..Second Party

In the matter of terminating the services of Shri K. P. Kavina, Clerk.

APPEARANCES :

Shri P. S. Chari, learned Advocate for the first Party.

Shri K. T. Trivedi, learned Advocate for the Second Party.

AWARD

By an Order No. L-12012/20/95 IR (B-II), dated 15th June, 1995, the Desk Officer, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi has referred an industrial dispute as stated in the Schedule of above order between the above parties u/s. 10(1) of the I. D. Act, 1947, for adjudication initially to the Industrial Tribunal of Shri H. D. Pandya and thereafter it was transferred to this Tribunal by an appropriate order of the Government.

Necessary notice was issued to both the above parties directing them to remain present before this Tribunal and to file statement of claim, written statement etc. Though, the second party filed the statement of claim the first party did not file the written statement and, therefore, this Tribunal had to make several adjournments for one reason or another. However, ultimately, the matter was fixed for hearing on 4-3-1997 and on this day also, when called out, the concerned workman was not present. From this, it is quite clear that both the parties are not interested to proceed with this reference and hence I pass, the following order :—

ORDER

The reference is dismissed for non-prosecution and it is disposed of accordingly with no order as to costs.

Ahmedabad, 4th March, 1997.

P. R. DAVE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का.आ. 1148 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कं. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 07-04-97 को प्राप्त हुआ ।

[संख्या एल-17012/3/88-आई.आर.बी. 2/बी-4ए]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1148.—In pursuance of Secton 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of United India Insurance Co. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 7-4-1997.

[No. L-17012/3/88-D. 4-A/IR (B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 35/1989

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल. 17012/3/88 डी-4 (ए) डी की दिनांक 10-3-87

श्री पन्ना लाल मेघवाल पिता श्री आशा राम मेघवाल निवासी गांव मेड़ना पोस्ट डबोक, उदयपुर ।

—प्रार्थी

बनाम

यूनाइटेड इण्डिया इन्सोरेन्स कम्पनी लि. उदयपुर ।

अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री आर.सी. शर्मा आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. एल. शाह

अप्रार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंघल

दिनांक अवार्ड :

अवार्ड

केन्द्रीय सरकार द्वारा यह विवाद इस अधिकरण को न्याय निर्णयन हेतु अभिनिर्देशित किये जाने पर दिनांक 14-3-89 को प्राप्त हुआ । विवाद निम्न प्रकार से है :

"Whether the action of the management of United India Insurance Co. Ltd., Udaipur in terminating the services of Shri Panna Lal Meghwal, Peon in their Divisional Office, Udaipur w.e.f. 11 6-80 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. प्रार्थी श्रमिक ने अपने वाद विवरण के अन्तर्गत यह लेख किया है कि विपक्षी संस्थान में दिनांक 1-9-79 को । दैनिक वेतन के आधार पर उसकी नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुई थी तथा उसे यह मौखिक आश्वासन दिया गया था कि उसे उक्त पद पर स्थाई कर दिया जायेगा किन्तु दिनांक 16-6-80 को डी.एम. द्वारा साक्षात्कार लिया गया, जिसमें वह भी उपस्थित हुआ। किन्तु उसे स्थाई नियुक्ति नहीं दी गई और दिनांक 11-6-80 को जब वह अपनी ड्यूटी पर गया तब उसे मौखिक सूचना दी गई कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है । उसने विपक्षी व प्रधान कार्यालय को इस संबंध में पत्र लिख किन्तु उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । वर्ष 1980 में उसने अपना विवाद सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया जहां समझौता नहीं होने के कारण यह विवाह इस न्यायाधिकरण को प्रेषित किया गया । प्रार्थी ने स्वयं की सेवा मुक्ति को अवैध, अन्यायपूर्ण व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं अनुचित श्रम व्यवहार के आधार पर होना दर्शाते हुए यह लेख किया है कि उसने दिनांक 1-9-79 से दिनांक 10-6-80 तक लगातार कार्य किया है जो 240 दिवस से अधिक है । उसे सेवा मुक्त करने से पूर्व एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन नहीं दिया गया है । अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 25 एफ के प्रावधान के विपरीत होने से आदेश अवैध है। प्रार्थी को सेवा मुक्त कर उससे कनिष्ठ कर्मचारी नन्द किशोर व अम्बा लाल को सेवा में रख लिया गया है तथा नये कर्मचारियों को भी संबंधित पद पर नियुक्त किया गया है अतः प्रार्थी ने सेवा मुक्ति आदेश को अवैध अवधारित करने एवं समस्त बकाया वेतन लाभ सहित उसे सेवा में पुर्ननियोजित करने की प्रार्थना की है ।

3. विपक्षी संस्थान द्वारा उत्तर वाद विवरण के अन्तर्गत यह लेख किया गया है कि प्रार्थी की नियुक्ति दिनांक 1-9-79 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नहीं हुई थी तथा जब भी विपक्षी संस्थान में आकस्मिक श्रमिक की आवश्यकता होती थी प्रार्थी से अस्थाई तौर पर कार्य लिया जाता था और उसके आधार पर प्रार्थी को भुगतान कर दिया जाता था । श्रमिक द्वारा लगातार कार्य नहीं किया गया और न ही उसे स्थाई तौर पर नियुक्ति दी गई । उसके द्वारा कुल 176 दिवस कार्य किया गया है जिसका विवरण अनुसूची "अ" में अंकित है । उसे अस्थाई नियुक्ति का आश्वासन नहीं दिया गया तथा विपक्षी संस्थान द्वारा नियोजन विभाग से व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव मांगा गया था जहां से सूची प्राप्त होने पर समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए उन व्यक्तियों को बुलाया गया जिसमें प्रार्थी भी उपस्थित हुआ था, किन्तु वह असफल रहा । विपक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 9-6-90 को प्रार्थी से आकस्मिक कार्य लिया गया था किन्तु विपक्षी का लेख है कि दिनांक 10-6-80 से प्रार्थी से कोई कार्य नहीं लिया गया । प्रार्थी ने सहायक श्रम आयुक्त, कोटा के समक्ष यह निवेदन किया था कि यदि विपक्षी प्रार्थी द्वारा किये गये कार्य के संबंध में प्रमाण पत्र दे दें तो प्रार्थी अपना विवाद समाप्त करने को तैयार है । इसके आधार पर विपक्षी ने प्रमाण पत्र दिनांक 28-4-81 जारी कर दिया जिसके आधार पर प्रकरण को समाप्त कर दिया गया । किन्तु प्रार्थी ने दुर्भावनावश पुनः क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (अजमेर) के समक्ष अपना विवाद उठाया । प्रार्थी को विपक्षी द्वारा प्रचालित प्रमाण-पत्र के आधार पर अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर स्थाई रूप से नियोजित किया जा चुका है जहां वह कार्य कर रहा है । प्रार्थी ने केवल 176 दिवस ही कार्य किया है अतः धारा 25-एफ अधिनियम के अन्तर्गत यह मामला छंटनी की परिभाषा में नहीं आती है और एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन दिया जाना आवश्यक नहीं है । प्रार्थी के साक्षात्कार में असफल होने के कारण धारा 25-जी अधिनियम भी लागू नहीं होती है तथा दिनांक 9-6-80 के बाद किसी कर्मचारी को नियुक्त करने से प्रार्थी के किसी अधिकार का हनन नहीं होता है । विशेष कथन में विपक्षी ने यह भी लेख किया है कि प्रस्तुत विवाद औद्योगिक

विवाद के अन्तर्गत नहीं आता है तथा प्रार्थी अन्य विभाग में नियोजित होने से बकाया वेतन व सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

4. प्रत्युत्तर में प्रार्थी की ओर से यह लेख किया गया है कि प्रार्थी का कार्य स्थाई प्रकृति का था जिसने दिनांक 1-9-79 से लगातार कार्य किया है। नियोजन कार्यालय जो सूची भेजी गई थी उसमें नन्द किशोर व अम्बा लाल के नाम नहीं थे। उसने यह स्वीकार किया है कि साक्षात्कार हेतु उसे बुलाया गया था जिसमें वह उपस्थित हुआ किन्तु भेदभाव के आधार पर उसे नियुक्ति नहीं दी गई। उसने इसे तथ्य को भी स्वीकार किया है कि दिनांक 1-3-82 से उसकी नियुक्ति अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उदयपुर में अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हो गई है।

5. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में स्वयं उसका शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा प्रति परीक्षण किया गया। विपक्षी की ओर से श्री अजय सब्बरवाल मण्डलीय प्रबन्धक, विपक्षी संस्थान का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है जिससे प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा प्रति-परीक्षण किया गया।

6. दोनों पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7 विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि श्रमिक द्वारा दिनांक 1-9-79 से दिनांक 10-6-80 तक कार्य किया गया है जिसने 9 माह 10 दिन काम किया है। इस प्रकार उसने 240 दिन से अधिक कार्य किया है, जिसे एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन नहीं दिया गया। उससे कनिष्ठ कर्मचारियों सर्वश्री नन्द किशोर तथा अम्बालाल को सेवा में रख लिया गया है। विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि दिनांक 1-3-82 से श्रमिक पी. डब्ल्यू. डी. में अस्थाई रूप से नियुक्त हो गया है। उनका यह तर्क है कि अम्बा लाल व नन्द किशोर के नाम नियोजन कार्यालय से नहीं आये थे तथा दिनांक 16-6-80 को श्रमिक को इन दोनों श्रमिकों के साथ साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था किन्तु श्रमिक को नियोजन में नही रखकर इन दोनों को रख लिया गया जो कि एक गलत चयन है। विद्वान प्रतिनिधि द्वारा श्रमिक के पी. डब्ल्यू. डी. में नियोजन में होने के कारण उसके पुनर्नियोजन के बिन्दु को प्रैस नहीं किया गया है। उनका यह तर्क है कि दिनांक 11-6-80 से दिनांक 28-2-82 तक बकाया वेतन मय लाभ श्रमिक को दिलाया जाये।

8. इन तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी के तर्क हैं कि श्रमिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी था जिसकी नियुक्ति नहीं की गई थी और न ही उसे कोई आश्वासन दिया गया था तथा उसने केवल 176 दिन ही को व अम्बालाल एवं नन्द किशोर को बुलाया गया था तथा उनकी नियोजन कार्यालय से भी सूचना प्राप्त हुई थी, किन्तु श्रमिक का चयन नहीं हो सका। श्रमिक ने केवल 176 दिवस कार्य किया था जिसके संबंध में उसे प्रमाण-पत्र एम-73 दिया गया और इसके आधार पर उसे पी. डब्ल्यू. डी. में कार्य प्राप्त हुआ।

9. मैंने उक्त तर्क वितर्कों पर विचार एवं मनन किया।

10 विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा निष्कपटतापूर्वक इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि श्रमिक पी. डब्ल्यू. डी. में नियोजित है तथा उनकी प्रार्थना श्रमिक के पुनर्नियोजन की नहीं है व उनका अनतोष केवल बकाया लाभ प्राप्ति तक ही सीमित है । अतः सर्वप्रथम विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या श्रमिक द्वारा 240 दिवस कार्य किया गया है

11. इस संबंध में श्रमिक द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके खण्डन में अजय सब्बरवाल, मण्डलीय प्रबन्धक, विपक्षी संस्थान का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है। विपक्षी द्वारा इस तथ्य को दर्शाने हेतु लैजर व कैश बुक की फोटो स्टेट प्रतिलिपियां प्रदर्श एम-1 से एम-71 प्रस्तुत की गई हैं, जिनको खण्डन प्रार्थी की ओर से नहीं किया जा सका है। इन प्रलेखों से विपक्षी के कथन की पुष्टि होती है तथा अभिलेख के अवलोकन से श्रमिक कथन की पुष्टि नहीं हो सकती है। अतः विपक्षी संस्थान द्वारा धारा 25-एफ अधिनियम की अनुपालना नही किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है। विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में 1980 एल. एल. एन. (मान. सर्वोच्च न्याय.) 1170 दृष्टान्त को प्रस्तुत किया गया है। किन्तु इस दृष्टान्त के अन्तर्गत श्रमिक द्वारा 240 दिवस कार्य किया जाना पक्षकारों के मध्य स्वीकृत था। अतः संदर्भित न्याय निर्णय के तथ्य विचाराधीन प्रकरण के तथ्यों के समरूप नहीं होने के कारण इससे विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक के तर्क की पुष्टि नहीं हो पाई है।

12. विद्वतीय विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या श्रमिक से कनिष्ठ कर्मकारों को विपक्षी संस्थान द्वारा नियोजन में रखा गया एवं इसके लिए श्रमिक को प्रस्तावित नहीं किया गया अथवा उसे कोई अवसर नहीं दिया गया।

13 यह तथ्य निर्विवादित रहा है कि विपक्षी संस्थान द्वारा नियोजन के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया जिसमें श्रमिक व अन्य दो कर्मकारों सर्वश्री नन्द किशोर व अम्बालाल को आहूत किया गया। इस संबंध में श्रमिकों की ओर से केवल मात्र इस तथ्य को चुनौती दी गई है कि नन्द किशोर व अम्बा लाल के नाम नियोजन कार्यालय से नहीं मंगवाये गये थे। किन्तु श्री अजय सब्बरवाल द्वारा अपने शपथ पत्र की चरण सं. 5 में यह शपथपूर्वक कथन किया गया है कि विपक्षी संस्थान द्वारा निर्धा-

निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार नियोजन विभाग से व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव मांगा गया था व जिन व्यक्तियों के नाम भेजे गये थे उन्हें साक्षात्कार मे बुलाया गया था। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण मे भी इस तथ्य को उजागर किया है कि एम्पलायमैन्ट एक्सचेंज मे नाम मंगवाकर सलैक्शन किया गया था जिस सूची में प्रार्थी श्रमिक का नाम भी आया था। किन्तु उसका चयन नहीं हुआ था। अतः प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रेरित इस तर्क की पुष्टि भी अभिलेख से नहीं हो सकी है।

14. उक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी श्रमिक की ओर से दिये गये तर्क सार्थक नहीं होने के कारण अमान्य है तथा इस विवाद का अभिनिर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि प्रार्थी श्रमिक को विपक्षी प्रबंधतंत्र द्वारा सेवाएं दिनांक 11-6-80 से समाप्त की जाना न्यायोचित एवं वैध है अतः श्रमिक किसी अनुतोष प्राप्ति का पात्र नहीं है।

15. उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

आर. सी. शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का. आ. 1149—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-04-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-17012/28/86-डी II-ए/आई. आर. बी.-2]
ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S. O. 1149.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of L.I.C. of India and their workmen, which was received by the Central Government on 7-4-1997.

[No. L-17012/28/86-D. II-A/IR (B-II)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 13/1987

रेफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र.सं. एल-17012/28/86-डी II (ए) दिनांक 4-3-1987

श्री आर.एस. महर्षि पुत्र श्री एस.आर. महर्षि निवासी हाथी बाबू मार्ग, बनी पार्क, जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

भारतीय जीवन बीमा निगम, जयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री आर.सी. शर्मा, आर.एच.के.एस.
प्रार्थी की ओर से : श्री आर.सी. हरित
अप्रार्थी की ओर से : श्री एम. डी. अग्रवाल
दिनांक अवार्ड : 10-1-1997

अवार्ड

केन्द्रीय सरकार द्वारा यह विवाद इस अधिकरण को न्याय निर्णयन हेतु अभिनिर्देशित किये जाने पर यह दिनांक 23-3-87 को अधिकरण में प्राप्त हुआ। विवाद निम्न प्रकार से है :

"क्या भारतीय जीवन बीमा निगम, जयपुर के प्रबन्धतंत्र को श्री आर.एस. महर्षि को 11-6-81 से सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का और किस तारीख से हकदार है?

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद विवरण के संबंधित व सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि कर्मकार श्री आर.एस. महर्षि को दिनांक 31-3-67 को विपक्षी संस्थान में विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति हुई। प्रारंभ में उसका पदस्थापन राऊरकेला में किया गया तथा नवम्बर, 1976 में उसका फुलेरा स्थानान्तरण कर दिया गया जहां उसने क्षमतापूर्वक व निगम के संतोषजनक कार्य किया। निगम अधिकारियों द्वारा उसे आश्वासन दिया गया था कि उसका पद स्थापन बाद में जयपुर कर दिया जायेगा। अतः इस संबंध में उसने अपना आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया। निगम द्वारा वर्ष 1974 में उसे कार व दूरभाष की सुविधा भी प्रदान की गई थी। निगम को कार के बीमा प्रीमियम का भुगतान करना था किन्तु इसकी राशि श्रमिक के वेतन में से काटी गई व मार्ग कर का भी उसे पुनर्भरण नहीं किया गया। श्रमिक को मार्च 1978 से वाहन भत्ता भी नहीं दिया गया। मार्च, 1980 से उसके 6 माह का वेतन भी रोक दिया गया। दिनांक 25-3-80 को श्रमिक बीमार हो गया जिसने अस्वस्थता के आधार पर वेतन आवेदन किया तथा इसके अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश होते हुए भी उसे अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। उसके द्वारा दिनांक 4-9-80 को अपना पदभार ग्रहण किया गया तथा पुनः 15-9-80 से 19-3-81 तक वह बीमार रहा, किन्तु उसका अवकाश

आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया । दिनांक 20-3-81 से दिनांक 27-4-81 तक उसने कार्य किया, किन्तु इस अवधि का वेतन उसे नहीं दिया गया । उसे दिनांक 29-4-82 से 20-5-82 तक अवकाश पर जाना पड़ा । प्रार्थी द्वारा विपक्षी को अनुस्मरण पत्र भेजे गए किन्तु उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। श्रमिक ने दिनांक 21-5-81 को अपना पदभार ग्रहण किया व दिनांक 16-6-81 तक कार्य किया । जुलाई, 1980 में उसे यह धमकी दी गई कि वह अपनी कार निगम को समर्पित कर दे अथवा उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार उसका शोषण निगम अधिकारियों द्वारा किया गया । दिनांक 12-12-80 को उसके विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया जिसमें वर्णित आरोप झूठे व आधारहीन थे। इस प्रकार निगम द्वारा श्रमिक का शोषण किया गया जिसके कारण उसे भूखे रहने तक की नोबत आ गई और इन परिस्थितियों में अस्वेच्छापूर्वक उसे अपना त्याग पत्र देना पड़ा । दिनांक 11-10-81 को उसने अपना त्याग पत्र विपक्षी को प्रेषित किया, जो कि स्वैच्छिक नहीं था। इसके अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा उसे परेशान करने व उसका शोषण करने के अनेक तथ्य लिखे गये। उसका यह त्यागपत्र तुरन्त स्वीकार कर लिया गया तथा उसके एक माह के नोटिस वेतन का भी परित्याग कर दिया गया और उसका अवकाश स्वीकृत कर लिया गया व बकाया वेतन दे दिया गया । इन परिस्थितियों में उसके द्वारा अपना त्यागपत्र दबाव ( ) के अंतर्गत दिया गया था। दिनांक 7-7-81 को उसने अपना त्याग पत्र वापस लेने का आवेदन दिया व अनेकों पत्र अधिकारियों को लिखे किन्तु उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। प्रार्थी ने यह भी लेख किया है कि उसके त्यागपत्र में एक शर्त यह अंकित की गई थी कि उसे देय समस्त राशि शीघ्र ही भुगतान कर दी जायेगी। प्रार्थी ने यह आवेदन किया है कि उसे समस्त बकाया वेतन सहित सेवा में पुनर्नियोजित किया जाये तथा उसका त्याग पत्र शोषण व अनुचित श्रम व्यवहार के आधार पर दिया जाना अभिनिर्धारित किया जाये।

3. विपक्षी द्वारा इन तथ्यों का विरोध करते हुए अपने उत्तर वाद विवरण के अंतर्गत यह लेख किया गया है कि संदर्भित अभिनिर्देशन अवैध तथा क्षेत्राधिकार के अभाव में है। विपक्षी ने यह लेख किया है कि प्रार्थी ने स्वेच्छापूर्वक अपना त्यागपत्र दिया था इस कारण उसकी सेवा मुक्ति का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। निगम द्वारा प्रार्थी का सेवा मुक्ति आदेश पारित नहीं किया गया है। निगम ने उत्तर वाद विवरण में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 31-3-67 को विकास अधिकारी के पद पर प्रार्थी की नियुक्ति हुई थी जिसे वर्ष 1974 में कार व दूरभाष की सुविधाए प्रदान की गई व उनका स्थानान्तरण राऊरकेला से फुलेरा हुआ किन्तु इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनका स्थानान्तरण जयपुर करने का आश्वासन उसे निगम अधिकारियों द्वारा दिया गया था। प्रार्थी के वेतन में कार की बीमा प्रीमियम की कटौती करना उचित था तथा उसे मार्च, 1980 से वेतन नहीं दिया गया क्योंकि वह बिना पूर्व स्वीकृति अवकाश पर दिनांक 25-3-80 से प्रस्थान कर दिया गया था जिसके लिए उसने कोई रोगी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। निगम के नियमानुसार कर्मकार को अवकाश पर जाने से पूर्व उसे स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है तथा रोगी अवकाश हेतु रोगी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उसके द्वारा रोगी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उस का अवकाश अस्वीकार किया गया तथा वह जानबूझकर अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहता था। प्रार्थी के प्रतिनिधित्व पर बाद में उसका अवकाश स्वीकृत किया गया जो कि उसे देय था तथा 25-3-80 के पश्चात भी उसे वेतन दे दिया गया । प्रार्थी अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का अभ्यस्त था तथा अनुपस्थित के पश्चात अवकाश आवेदन प्रस्तुत करता था। उसे चिकित्सक के समक्ष उपस्थित होने का परामर्श भी दिया गया था किन्तु वह कभी उपस्थित नहीं हुआ तथा निगम के निर्देशों का उल्लंघन किया। दिनांक 22-9-80 को प्रार्थी का एक आवेदन पत्र निगम में प्राप्त हुआ जिसके अंतर्गत उसने 15-9-80 से दिनांक 20-9-80 तक रोगी अवकाश स्वीकृत करने की प्रार्थना की किन्तु इसके साथ ही रोगी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था। निगम द्वारा यह लेख किया गया है कि प्रार्थी का शोषण नहीं किया गया । उसके विरुद्ध दोषारोपण पत्र प्रचलित किया गया था किन्तु इसमें वर्णित आरोप झूठे नहीं थे। प्रार्थी ने अपना त्याग पत्र स्वेच्छापूर्वक दिया था तथा उसके त्यागपत्र देने का आशय उसके लेखन के प्रकट होता है। त्याग पत्र देने के लिए उसे मजबूर नहीं किया गया था। दिनांक 11-6-81 को उसके द्वारा त्यागपत्र दिया गया जो उसी दिन उसकी विशेष प्रार्थना पर स्वीकार कर लिया गया तथा निगम द्वारा उसके एक माह के नोटिस वेतन का परित्याग कर उसके प्रति सदव्यवहार किया गया है। निगम ने इस तथ्य का खण्डन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दशात्मक था ; उसे त्याग पत्र देने हेतु उस पर कोई दबाव नहीं डाला गया। अतः निगम ने प्रार्थी के वाद को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

4. साक्ष्य के अंतर्गत प्रार्थी की ओर से स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा प्रति परीक्षण किया गया । प्रतिवाद में श्री राम प्रसाद पाहवा, मैनेजर (विधि) विपक्षी निगम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा प्रति परीक्षण किया गया ।

5. दोनों पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

6 विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा संभाषण के मध्य यह संकथन किया गया कि प्रार्थी को त्याग पत्र देने के लिए विवश किया गया था तथा उसने जो त्याग पत्र दिया था वह इसी कारण से उसी दिन स्वीकार कर लिया गया। मार्च, 1980 से प्रार्थी को वेतन व अन्य परिलाभ निगम ने देना बंद कर दिये तथा निगम अधिकारियों ने उसे यह कहा कि वह त्याग पत्र दे दे तो उसे उसका वेतन व परिलाभ दे दिए जायेंगे। विद्वान प्रतिनिधि के अनुसार प्रार्थी ने दिनांक 7-3-79 से आगे तक के अवकाश के लिए आवेदन किया तथा आवेदन पत्र प्रदर्श एम-14 प्रस्तुत किया उसके साथ एम-16 रोगी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। किन्तु उसका यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अवकाश आवेदन पत्र एम-27, एम-31, एम-32, एम-33 व एम-35 दिये गए जो कि स्वीकार नहीं किये गये। उसे 15 माह तक वेतन नहीं दिया गया व उसे त्याग पत्र देने के लिए मजबूर किया गया। पहले उसे वेतन व अन्य लाभ का भुगतान नहीं किया गया तथा उसके त्याग पत्र देने के बाद शीघ्र ही उसका वेतन व अन्य लाभ का भुगतान उसे कर दिया गया। अतः उनका तर्क है कि निगम द्वारा प्रार्थी को त्याग पत्र देने के लिए मजबूर किया गया था जिसके कारण उसका त्याग पत्र अस्वीकार किया जाये और उसे सेवा में पुनर्नियोजित किया जाये।

7. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी निगम द्वारा संकथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा दिया गया त्यागपत्र ऐच्छिक है, केन्द्र सरकार द्वारा किया गया अभिनिर्देशन अवैध है क्योंकि यह प्रकरण त्यागपत्र देने संबंधित नहीं है, यह प्रार्थी की सेवामुक्ति से संबंधित विवाद है जबकि प्रार्थी का सेवा-मुक्ति आदेश निगम ने जारी नहीं किया। उसके द्वारा दिया गया त्याग पत्र सही है अथवा नहीं इस संबंध में कोई विवाद संदर्भित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी द्वारा दिये गए त्याग पत्र में कोई शर्त नहीं है, प्रार्थी ने अनुचित प्रभाव अथवा छल अथवा अतियातना के आधार पर त्यागपत्र दिये जाने का अभिवचन नहीं अपनाया है तथा उसके पत्रों से यह प्रकट होता है कि उसके द्वारा सोच समझ कर त्याग पत्र दिया गया।

8. मैंने उक्त तर्क वितर्कों पर विचार एवं मनन किया तथा प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

9. सर्वप्रथम विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या प्रार्थी द्वारा बाध्यता (duross) के अंतर्गत अपना त्याग पत्र विपक्षी निगम को प्रस्तुत किया गया ?

10. संभाषण के मध्य विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा यह तर्क किया गया है कि श्रमिक ने दिनांक 7-3-79 से अग्रसर अवकाश स्वीकार कराने हेतु आवेदन पत्र प्रदर्श एम 14 प्रस्तुत किया था जिसके साथ उसने अपना रोगी प्रमाण पत्र प्रदर्श एम-16 भी प्रस्तुत किया था जो कि अस्वीकार कर दिया गया। इसके विपरीत विरुद्ध प्रार्थी ने बाद विवरण में यह लेख करवाया है कि दिनांक 25-3-80 से 3-9-80 तक उसे निगम ने रोगी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जबकि उसके अवकाश खाते में अवकाश शेष था। इसी भांति दिनांक 15-9-80 से दिनांक 19-3-81 तक भी उसे अस्वस्थता अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। दिनांक 29-4-82 से दिनांक 20-5-82 तक भी उसे अवकाश स्वीकृत नहीं करना दर्शाया गया है। अतः विद्वान प्रतिनिधि के तर्क व प्रार्थी के अभिवचन के अंतर्गत एक सारवान विसंगति है जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है तथा विद्वान प्रतिनिधि द्वारा संप्रेषित यह तर्क तथ्य विहीन व अभिलेख के विपरीत है।

11. प्रार्थी का यह अभिवचन है कि विपक्षी निगम द्वारा उसका शोषण किया गया जिसके अंतर्गत बाध्य होकर उसने अपना त्याग पत्र प्रस्तुत किया। इसके दो आधार दर्शाये गये हैं: प्रथम, कि निगम अधिकारियों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा द्वितीय कि उसका वेतन रोका गया।

12 प्रार्थी ने अपने प्रति परीक्षण में यह प्रकट किया है कि "सबसे बड़ा दबाव यह था कि मेरी तनख्वाह रोकी गयी, मुझे मरने की नोबत भी आ गई·····।"

13. वेतन रोकने का आधार प्रार्थी द्वारा यह दर्शाया गया है कि उसने अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु उसके अवकाश प्रार्थना पत्र विपक्षी ने स्वीकार नहीं किये जब कि अर्पाजित अवकाश व रोगी अवकाश उसके अवकाश खाते में शेष था। किन्तु प्रार्थी ने अपने इस कथन की पुष्टि में अवकाश की अवधि से संबंधित रोगी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। विपक्षी निगम की ओर से यह दर्शाया गया है कि निगम के कर्मचारियों को अवकाश पर जाने से पूर्व अपना अवकाश स्वीकृत करवाना पड़ता है अथवा रोगी अवकाश को स्वीकृति के लिए रोगी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने चाहिए। प्रार्थी के अभिवचन के अनुसार दिनांक 25-3-80 से उसके अवकाश स्वीकृत नहीं किये गये। उसने एक रोगी प्रमाण पत्र प्रदर्श एम-16 प्रस्तुत किया है जो कि दिनांक 7-3-79 से दिनांक 27-3-79 तक 21 दिवस का है। इसके अतिरिक्त जिस अवधि में प्रार्थी स्वयं को अस्वस्थ्य होना अभिकथन करता है, उस अवधि के रोगी प्रमाण पत्र उसके द्वारा निगम के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गये थे, ऐसा कोई अभिवचन प्रार्थी का नहीं है तथा न ही विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी संभाषण के समय ऐसा कोई रोगी प्रमाण पत्र दर्शा सके। प्रार्थी द्वारा अर्पाजित अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व निगम के अधिकारियों से इसकी अनुमति प्राप्त कर ली गई थी अथवा इसे स्वीकृत

करवा लिया था, वह भी प्रार्थी का अभिवचन नहीं है तथा न ही ऐसे कोई तथ्य प्रकट किये गये हैं अथवा ऐसा कोई आदेश भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी की ओर से उत्तर वाद विवरण के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप में लेख किया गया है कि प्रार्थी बिना पूर्व अनुमति व अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने का अभ्यस्त था। इसकी पुष्टि उक्त तथ्यों के आधार पर होती है क्योंकि प्रार्थी यह दर्शाने में विफल रहा है कि उसने उपार्जित अवकाश को पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली थी अथवा अस्वस्थता अवकाश की स्वीकृति हेतु अपना रोगी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया था। अतः इस बिन्दु पर प्रार्थी यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि निगम द्वारा उसे त्याग पत्र देने के लिए बाध्य किया गया।

14. श्रमिक द्वारा यह भी आक्षेप किया गया है निगम अधिकारियों द्वारा उसकी अवमानना की जाती थी। यद्यपि इस तथ्य को बाध्यता की परिधि में नहीं लिया जा सकता। तथापि इस संबंध में प्रार्थी द्वारा किये गये अभिकथन पर विचार किया जाना समीचीन होगा।

15. प्रार्थी ने इस प्रश्न कि उसको किन अधिकारियों द्वारा हैरान व परेशान किया जाता था, के उत्तर में सर्वश्री बी.एल.जैन व उनके अधीनस्थ अधिकारी के.एल. निगम, एम.आर. बड़ाया व ए.बी. सुब्रमण्यम के नाम प्रकट किए हैं। किन्तु यह भी कथन किया है कि इन व्यक्तियों से दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं थी किन्तु वे उसको परेशान करना चाहते थे। इसको और स्पष्ट करते हुए उसने यह कथन किया है कि "प्रायः करके तू तड़ाके से बात करते थे, यहां तक कि वे इस बात को पसन्द नहीं करते थे कि उनके सामने कोई सिगरेट भी पिये ..... मैंने उनसे कहा आप तू तड़ाके से क्यों बोलते है, इस पर वे लोग मेरे से नाराज़ हो गये, तब से मेरे विरुद्ध ऐसा रवैया शुरू हो गया।"

16. श्रमिक ने निगम अधिकारियों द्वारा उसको शोषित करने व उसके साथ दुर्व्यवहार करने के जो कारण दर्शाए हैं वे न केवल अस्वाभाविक हैं अपितु हास्यास्पद भी हैं। निगम अधिकारी उसे क्यों विशेष कर रहे थे इसका कोई उचित व स्वाभाविक कारण प्रार्थी दर्शा सकने में दयनीयतापूर्वक विफल रहा है। प्रार्थी का कथन कृत्रिम प्रतीत होता है जोकि नितांत अविश्वसनीय है। अतः प्रार्थी यह प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा है कि उसके द्वारा बाध्यता के अंतर्गत अपना त्याग-पत्र निगम को प्रस्तुत किया गया।

17. इन तर्कों के विपरीत विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी का तर्क है कि प्रार्थी ने अनुचित प्रभाव से अथवा छलकपट से निगम द्वारा उसका त्याग-पत्र प्राप्त करना प्रकट नहीं किया है, अपितु यह कथन किया है कि प्रार्थी ने स्वेच्छापूर्वक अपना त्यागपत्र दिया है। अतः अब विचारणीय प्रश्न यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया त्याग-पत्र प्रदर्श एम-63 स्वैच्छिक है?

18. प्रार्थी ने आवेदन पत्र प्रदर्श एम-63 के माध्यम से अपना त्याग-पत्र प्रान्तीय प्रबन्धक, विपक्षी संस्थान के समक्ष दिनांक 11-6-81 को प्रस्तुत किया, जिस पर दृष्टि निक्षेप किया जाना आवश्यक है, यह निम्नवत है :—

> "In the juncture of circumstances and continuous humiliation by your subordinate officers, I am bound and thought in come over the idea of submission of resignation from the services though keeping no appropriate source of income rather than the pen, I think you are well known of all the humiliations from your subordinate officers side to me which has no other alternative rather than the resignation.
>
> Therefore, it is humbly urged to accept the resignation from very date waving one month's notice period and to expedite all the matters such as re-imbursement of road tax, insurance premium, release of due salary which are pending since long period and could not be settled in spite of my several reminders including appeals made to you due to one or the other reasons, beside settlement of gratuity, P.F. and any other payments due to me be expedited at the earliest possible."

19. उक्त त्याग पत्र के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इसमें प्रार्थी ने निगम अधिकारियों द्वारा उसको अवमानना करने को कारण दर्शाया है जिसके फलस्वरूप उसने त्याग-पत्र दिया। निगम अधिकारियों द्वारा किस रूप में उसको अवमानना की गई इस संबंध में संगत साक्ष्य को ऊपरी विवेचना की जा चुकी है जिसके अनुसार प्रार्थी का कथन अविश्वसनीय माना गया है। आदेश प्रदर्श एम-64 के अनुसार दिनांक 11-6-81 को ही प्रार्थी का त्याग-पत्र स्वीकार किया गया। प्रार्थी के ऐच्छिक त्याग-पत्र के संबंध में उसके अन्य पत्रों पर भी दृष्टिपात करना संगत होगा। दिनांक 20-8-80 के प्रार्थी के पत्र एम-61 के अन्तर्गत जो कि प्रशासकीय अधिकारी विपक्षी निगम को संबोधित किया गया है, प्रार्थी ने यह लेख किया है कि यदि वह दिनांक 30-9-80 तक त्याग-पत्र दे तब उस अवस्था में उसके खातों की स्थिति उसे सूचित की जाए, इसका उत्तर नियोजक द्वारा दिया गया जो प्रदर्श एम-60 दिनांकित 23.8.80 है। प्रार्थी द्वारा अपना त्याग-पत्र प्रदर्श एम-63 विपक्षी निगम को दिया जाने के पश्चात वह इसकी स्वीकृति के उपरान्त एक पत्र प्रदर्श एम-65 दिनांक 24.6.81 प्रान्तीय प्रबंधक विपक्षी संस्थान को संबोधित करते हुए लिया गया है जिसके अन्तर्गत उसने उसकी देय राशि के समायोजन शीघ्र करने के आश्वासन हेतु अपना धन्यवाद ज्ञापित किया है। इसमें अपनी ग्रेच्युइटी राशि के समायोजन के लिए प्रार्थी ने उक्त अधिकारी को अधिकृत किया है।

20. इस प्रकार प्रार्थी द्वारा लिखित इन पत्रों के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया त्याग-पत्र सुविचारित व विचारपूर्वक दिया जाना प्रतीत होता है व ये पत्र प्रार्थी के इस कथन को झुटलाते हैं कि निगम द्वारा प्रार्थी को वेतन

नहीं देने के कारण बाध्य होकर प्रार्थी ने अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत किया।

21. जहां तक प्रार्थी की ओर से दिये गये इस तर्क का प्रश्न है कि त्याग पत्र प्रदर्श एम-63 दबावात्मक है, इसकी पुष्टि भी इसकी अन्तरवस्तु से नहीं होती है। इसके अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा कहीं भी यह लेख नहीं किया गया है कि किसी दशा के पूर्ण होने पर उसका त्याग-पत्र स्वीकार किया जावे। अतः प्रार्थी का यह तर्क भी अपुष्टित रहा है।

22. उक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपना त्याग-पत्र प्रदर्श एम-63 निगम को प्रस्तुत करने व इसकी स्वीकृति होने के पश्चात प्रार्थी के आवेदन पत्र पर निगम द्वारा उसके देय वेतन व अन्य देय राशि का भुगतान किया गया तथा इस भुगतान के पश्चात् प्रार्थी ने एक युक्तिपूर्ण पद्धति से इसे यह आधार बनाते हुए प्रकट किया है कि पूर्व में उसे वेतन व अन्य परिलाभ निगम द्वारा जो प्रदान नहीं किये गये थे उनसे बाध्य होकर उसके द्वारा त्याग पत्र प्रदर्श एम-63 निगम को दिया गया। किन्तु तथ्यों के उक्त परिवेश में प्रार्थी के इस कथन की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा परिलक्षित होता है कि निगम द्वारा प्रार्थी के त्याग पत्र को स्वीकार करने के उपरान्त एक सेवा निवृत होने वाले कर्मकार को जो सुविधाएं प्रदान की जा सकती थीं उस रूप में उसे बकाया वेतन देते हुए संबंधित समायोजन किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा अपनाया गया बाध्यता का आधार वह प्रमाणित करने में विफल रहा है।

23. यहां यह लेख करना भी उचित होगा कि यह अभिनिर्देशन इस आशय का किया गया है कि क्या दिनांक 11.6.81, से प्रार्थी की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है प्रकटतः विपक्षी निगम द्वारा प्रार्थी को सेवा मुक्त नहीं किया गया है अपितु स्वयं प्रार्थी द्वारा अपना त्याग पत्र प्रदर्श एम-63 प्रस्तुत किया गया है व निगम द्वारा केवल मात्र आदेश प्रदर्श एम-64 द्वारा उसे स्वीकार किया गया है। इसके विपरीत यह अभिनिर्देशन भी किया गया है कि क्या प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 11.6.81 उसके द्वारा बाध्य होकर प्रस्तुत किया गया अथवा उसे स्वीकार किया जाना औचित्यपूर्ण है? इस प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा जो विवाद संदर्भित किया गया है उसका अभिनिर्देशन विधिक दृष्टि से दोषपूर्ण है।

24. विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा इसके विपरीत यह तर्क दिया गया है कि ऐसा अभिनिर्देशन संदर्भित किया जा सकता है तथा इस संबंध में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टान्तों को प्रस्तुत किया, किन्तु उनके तथ्य विचाराधीन प्रकरण के एक रूप के नहीं होने के कारण उनसे विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी के तर्क की पुष्टि नहीं हो पाई है। अतः विद्वान प्रतिनिधि का यह तर्क अस्वीकार किया जाता है :

1. 1984 (i) एल.एल.एन. (मा. बाम्बे उच्च न्याय.) 203

(2) 1984, लैब. आई. सी० मान. सर्वोच्च उच्च न्याय. 102

(3) 1981 लैब. आई. सी. मान. सर्वोच्च न्याय. 194

25. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर संदर्भित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि दिनांक 11.6.81 से प्रार्थी की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही के न्यायोचित होने से संबंधित अभिनिर्देशन विधिक दृष्टि से दोषपूर्ण है तथा प्रार्थी श्री आर. एस. महर्षि द्वारा अपना त्याग पत्र स्वेच्छा से दिया गया था न कि बाध्य होकर। अतः प्रार्थी की अभ्यर्थना अस्वीकार की जाती है तथा प्रार्थी किसी तरह का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

26. उपरोक्त आशय का पंचाट इस प्रकरण में पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

आर. सी. शर्मा, न्यायधीश

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1997

का०आ० 1150.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै० यूनाईटेड कैन्टीन सर्विसेज, बी०पी०सी०एल० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं०-2) मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या-एल० 20040/95/94-आई०आर० (सी०-I)]
ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th April, 1997

S.O. 1150.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2) Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. United Canteen Services, BPCL and their workmen, which was received by the Central Government on 7-4-1997.

[No. L-20040/95/94-IR (C-I)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.
Reference No. CGIT-2/1 of 1996

Employers in relation to the management of M/s. United Canteen Services, BPCL Contractor

AND

Their Workmen.

APPEARANCE :

For the Employer No. 1—No Appearance.
No. 2—Mr. S. K. Talsania and Mr. V. H. Kantharia Advocates.

For the Workmen—Mr. M. B. Anchan, Advocate.

Mumbai, the 26th March, 1997
AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-20040/95/94-IR (Coal-I) dated 27-12-95, had referred to the following industrial dispute for adjudication.

"Whether the action of M/s. United Canteen Services Contractors for M/s. BPCL, in terminating the services of Shri Dattaram Koli is justified or not ? if not, to what benefit the workmen is entitled ?"

2. The workman Dattaram Koli filed a statement of claim at Exhibit-4. He contended that he was employed as a trolley boy in departmental canteen of BPCL, Mehul in 1969. In that period the canteen was given on contract to M/s. United Canteen Services Private Limited by BPCL On 28-10-86 he was suspended. Subsequently he was issued a chargesheet dated 17-11-86, for different misconducts.

3. The workman asserted that a domestic enquiry was held against him which was against the Principles of Natural Justice. He was not given copy of the alleged complaint against him on which basis the chargesheet was issued. He was also not asked to explain and submit explanation in respect of the chargesheet. He also pleaded that he was not given a list of witnesses. It is averred that the findings of the inquiry officer are perverse. The disciplinary authority on the basis of the perverse report of the inquiry officer dismissed him from service on 29th January, 1987.

4. The workman then raised an industrial dispute before the Assistant Labour Commissioner, Bombay. There was no settlement. In the result the Commissioner referred the dispute to Seventh Labour Court, Bombay being Reference No. 815 of 1987. The Contractor raised objection regarding the jurisdiction. Ultimately the union gave an application for withdrawal of the dispute and accordingly the Labour Court disposed off the dispute. Thereafter again the matter was referred to the Assistant Labour Commissioner Central Bombay who in turn referred the dispute to this Tribunal.

5. The workman pleaded that the Canteen Employees of Bharat Petroleum Corporation Limited filed a writ petition before the Bombay High Court praying for abolition of the contract labour system by the Bharat Petroleum Corporation Ltd. The High Court directed the Bharat Petroleum Corporation Limited to abolish the contract Labour System. Subsequently the employees of the canteen of the Bharat Petroleum Corporation Limited became the regular employees of the Bharat Petroleum Corporation from 1993 onwards.

6. The workman pleaded that as the inquiry was against the principles of Natural Justice and the findings are perverse the Tribunal may please hold that the action of M/s. United Canteen Services Contract for M/s. BPCL in terminating his service is illegal and not justified and he is entitled to reinstatement in service with full back wages and continuity of service.

7. Even though United Canteen Services were duly served they remained absent.

8 The Bharat Petroleum Corporation supplied another address of the United Canteen Services where the notices were send by registered post acknowledgement due. But it came back with an endorsement 'left'

9. The Bharat Petroleum Corporation Limited resisted the claim by the Written statement Exhibit-5. It is pleaded that at no point if time there was an employer and employee relationship between the worker and the Bharat Petroleum Corporation Limited. It is also pleaded that at no point BPCL was the employer in relation to management of United Canteen Services. It is averred that the canteen employed Koli and the disciplinary action was taken against him by the canteen Its justification is before the Tribunal but is without the involvement of the BPCL in the matter. It is averred that the inclusion of Bharat Petroleum Corporation Limited in this reference is a clear case of misjoinder of parties.

10. The management pleaded that the contract was given to the M/s United Canteen Services to run the canteen of the BPCL (Refinery) at Mehul. The canteen terminated the services of the worker on 19-1-97 after holding a departmental inquiry. The contract of M/s. United Canteen Services came to an end on 31-12-91, and a fresh contract was given to M/s. Popular Catering Services to run the canteen. It is submitted that the trade union known as Lalabavata Hotel and Bakery Mazdoor Union filed a writ petition No. 891 of 1992 in the High Court of Judicate of Bombay. It was decided on 17-3-92 by which it was directed that the workers working in the Canteen are to be absorbed as regular employees and the order was effect from 1-4-93. It is averred that the name of the worker does not figure in the list of contract labour set out in Exhibit-'A' to the writ petition in which the Hon'ble High Court directed the Corporation to absorb as the number of workman from amongst the contract labour whose names are set out in Exhibit-'A' to the said writ petition and presently working in the Refinery canteen. It is therefore submitted that under such circumstances the workman is not entitled to the reliefs as claimed on the basis of the Judgment of the High Court. For all these reasons it is submitted that no order can be given against BPCL for joining the worker as an employee of the BPCL. It is further pleaded that if the Tribunal comes to the conclusion that no direction has to be given against the Bharat Petroleum Corporation. Thus in that case it may be given an opportunity to justify its action.

11. The issue that fall for my consideration and my findings thereon are as follows :

| | ISSUES | FINDINGS |
|---|---|---|
| 1. | Whether there is any relationship of the worker and the Bharat Petroleum Corporation as employer and employee ? | No |
| 2. | Whether the workers is entitled to any reliefs against the B.P.C.L. ? | No |
| 3. | Whether the domestic enquiry which was held against the workman was against the Principles of Natural Justice ? | Yes |
| 4. | Whether the findings of the inquiry officer are perverse ? | Yes |
| 5. | Whether the workman is entitled to any reliefs ? | No, as he claimed the relief against the BPCL only. |

REASONS

12. Certain facts can be said to be not in dispute. The worker was appointed as a trolley boy in the canteen run by United Canteen Service Contract at Bharat Petroleum Corporation (R) Mehul. He was alleged to have committed a major misconduct and was suspended on 28-10-86. After due inquiry a chargesheet was given to him on 17-11-86. Then there was a domestic inquiry. The inquiry officer submitted his report and at last the Union Canteen Services dismissed his service on 29-1-87.

13. The writ petition was filed by Lalbavta Hotel and Bakery Mazdoor Union bearing No. 891 of 1992 against the BPCL and Popular Catering Services (Ex-6/2). It is pertinent to note that his Lordships allowed the writ petition and ordered that there should be abolition of the system of contract labour existing in the canteen and the refinery with effect from 1-4-93. It also directed for absorbtion of the canteen labourers presently working. It can be seen that, that order was confirmed by the Supreme Court (Exhibit-6/2). The contract of the United Canteen Service came to an end on 31-12-91 and a new contract was given to M/s. Popular Catering Services to run the said canteen. It is therefore in the writ petition M/s. Popular Catering services was the Respondent No. 5. It is not in dispute that Kole the present worker was not listed in the list of the worker in the writ petition. Obyiously because he was dismissed from service long back that is on 29-1-87. It is therefore rightly argued on behalf of the management of BPCL that no relief can be given to the worker on the basis of the High Court Judgment. It can be further seen that the M/s. United Canteen Services were not party to

the writ petition nor the present worker. Therefore it is rightly submitted before me that as there is no relationship of employer and employees or a master and servant between the present workman and the Bharat Petroltum Corporation no relief can be given to the worker against the Bharat Petroleum Corporation Limited.

14. Dattaram Kisan Koli (Exhibit-7) affirmed that he was suspended on 28-10-86. Later on 17-11-86 he was given a chargesheet alleging misconducts :

(1) Riotous disorderly or indecent behaviour on the premises of the establishment ;

(2) Use of abusive language, threatening and coercing within the premises ;

(3) Commission of any act subversive of discipline or good behaviour on the premises of the establishment.

Then the inquiry was started against him. He affirmed that he was not given an opportunity to give his say in regard to the chargesheet which was issued to him. He then wrote a letter dated 24-11-86 and called for copies of complaint and Shri Krishnamurthy but it was not given to him. He was also not given a show cause notice in the matter. He therefore submitted that the inquiry which was held against him is against the principles of natural justice. There is no cross examination by United Canteen Services as the party is absent. Under such circumstances there is no reason for accepting the word of Koli that the inquiry which was held against him is against the Principles of Natural Justice.

15. The inquiry officer findings are based on the evidence which was before him. But for the reasons stated above it has to be said that the findings are not correct. After going through the inquiry proceedings Exhibit-6/1 it can be also seen that the findings of the inquiry officer are perverse.

16. Mr. Anchan, the Learned Advocate for the worker had filed a written argument at Exhibit-12. The relief which he has sought is against the Bharat Petroleum Corporation Limited and not against the United Canteen Service. Really speaking now the United Canteen Service had no concern with the Bharat Petroleum Corporation Limited because their contract is already over and it was given to another contract. Further more in the year 1993 the contract system was abolished and the workers working at that time were also absorbed as the regular employees of the Bharat Petroleum Corporation Limited. In the result I record my findings on the issues accordingly and pass the following order :

ORDER

The workman Koli is not entitled to any relief against M/s. Bharat Petroleum Corporation Limited.

Dated : 26-3-1997

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1997

का०आ० 1151:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स बी०पी०सी०एल० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं०-2) मुम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या—एल०-20040/97/95-आई०आर० (सी०-I)]
ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th April, 1997

S.O. 1151.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2), Mumbai as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. BPCL and their workmen, which was received by the Central Government on 7-4-1997.

[No. L-20040/97/95-IR (C-I)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/18 of 1996

Employers in relation to the management of Bharat Petroleum Corporation Ltd.

AND

Their Workmen.

APPEARANCE :

For the Employer—Mr. R. S. Pai, Advocate.

For the Workmen—Mr. Kunda, N. Samant, Advocate.

Mumbai, the 17th March, 1997

AWARD PART I

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-20040/97/95-IR (Coal-I) dated 19-3-96, had referred to the following industrial dispute for adjudication.

"Whether the action of the management of Bharat Petroleum Corporation Ltd., in dismissing the services of Shri V. N. Shinde w.e.f. 1-2-88 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. V. N. Shinde joined the service of the company in the year 1986. He was introduced by employment exchange. He was selected as a general workman in the post reserved for scheduled castes and scheduled tribes. He pleaded that he was working sincerely, deligently and faithfully.

3. On 26-9-87 he was suspended for the alleged charge of disorderly or indecent behaviour, wilful falsification of personal records, wilful insubordination or disobedient and commission of any act submersive to good behaviour or discipline of the establishment. The chargesheet dated 5-10-87 was issued to him. Later on it was dropped.

4. The workman contended that again on 1-2-88 he was given another chargesheet contending that his act amounted to misconduct under the companys standing order namely wilful falsification of the personal record or any record of the company and commission of any act submersive to good behaviour on the premises of the establishment. Thereafter the inquiry officer was appointed. A domestic inquiry was conducted against him. It is submitted that the charges which were levelled against him were defective and no precise misconducts were mentioned in it. It is further pleaded that the inquiry which was conducted against him was against the principles of natural justice and the report of the inquiry officer is perverse. It is not based on legal evidence. It is further pleaded that the disciplinary authority did not consider the report properly and acted on it mechanically. It is averred that the appeal was also dismissed mechanically. According to him the punishment which was awarded to him is disproportionate to the charges proved. He therefore praved for reinstatement in service with continuity alongwith back wages.

5. The management resisted the claim by the written statement Exhibit-4. It is averred that the disciplinary authority exonerated the workman for the charges levelled

against him by the chargesheet dated 5-10-87. But so far as the charges levelled against him by the chargesheet dated 1-2-88 is concerned he was found guilty. It is asserted that the inquiry which was conducted against the workman was as per the principles of natural justice and the findings of the inquiry officer are based on the evidence before him. It is denied that the charges levelled against the workman were vague. It is therefore submitted that the workman is not entitled to any of the reliefs.

6. The workman filed a rejoinder at Exhibit-6 and reiterated the contentons taken by him in the statement of claim.

7. The issues are framed at Exhibit-12. The issues Nos. 1 and 2 are treated as a preliminary issues. The issues and my findings thereon are as

| ISSUES | FINDINGS |
|---|---|
| 1. Whether the domestic inquiry which was held against the workman was against the Principles of Natural Justice ? | No |
| 2. Whether the findings of the inquiry officer are perverse ? | No |

REASONS

8. Vijay Nanaji Shinde (Exhibit-10) in his cross-examination admits that the form (Ex-8/15) which is dated 19-2-86 was signed by him. It refers to a question if you ever suffered from an occupational disease or an injury. It also refers to nervous disease of any kind for which the workman had replied in the negative. Thereafter he was medically examined and was given a job. He tried to submit that some worker filled the form but he has not examined by him nor it is his case that the information was not given by him.

9. He admits that he had not complained to any body against the inquiry officer. He had signed the inquiry proceedings after receipt of the chargesheet. He was represented by one Hinduja the defence representative. The proceeding was in English. According to him he did not follow the same. But it is without any basis. Because in the inquiry proceedings it is mentioned that the proceedings will be recorded in English and will be explained in Marathi. There is no record to show that at no stage there was objection on behalf of the worker for such a procedure or any complaint that he never followed the proceedings. Now the contentions which is tried to be taken in the affidavit appears to be an after thought.

10. In the statement of claim contentions appears to be that the charge which was levelled against him was not precise and specific. It is at Exhibit-8/9. It reads. "You were engaged as General Operative in the Corporation's services on 19-2-1986. You were sent for pre-employment medical examination to the company's Medical Officer on 19-2-1986 before employing you in company's service. At this juncture on 19-2-86 you filled in pre employment medical examination from (Annexure 'A') and in answer to item 3 which required to say whether you have ever suffered from Nervous disease of any kind and any other illness you entered you answer as "NO" in both places.

In item 5 of the form, you have signed a declaration and have agreed that in the event of any statement found to be wrong the company may have unwittingly engaged your services, you shall therefore have no claim against the company if for these reasons you are discharges from its services.

You have sent a letter dated 15-10-87 to Dy. Manager I.R. (R) stating that you have suffered from Schizophrenia in the year 1984 and you were treated by Dr. D. K. Deshmukh (Annexure 'B') you have also enclosed a certificate from Dr. Deshmukh dated 14-10-87 where in he has certified that you are suffering from Schizophrenia and you have suffered similar disease in 1984 (Annexure 'C').

You have therefore given an untrue answer in your pre-employment medical examination form and have also withheld the fact that you have suffered from Schizophrenia in the year 1984.

The above act of yours amounts to misconduct under the companys standing orders as applicable to you, namely :

Wilful falsification of personal record or any record of company commission of any act subversive of good behaviour of establishment."

11. After reading this it is very clear that there is no ambiguity and it is very clear. The defect one can say in the chargesheet is not mentioning of the number of the standing order but it hardly matters. I do not find any merit in the contention of Ms. Samant the Learned Advocate for the worker that that has caused injustice to the worker and it has to be said the inquiry which was held against the workman was against the Principles of Natural Justice.

12. D. N. Reddy (Exhibit-22) and Ekbote (Exhibit-23) the present officer and the inquiry officer corroborates each other on the point that the domestic enquiry which was held against the workman was according to the principles of natural justice. It is categorically mentioned that the chargeshcet was explained to the worker which he understood but there is no mention of that the worker understood the same. I do not think that, that can be said to be illegality in the proceedings. The inquiry officer also affirmed that a copy of the standing order was issued to the worker. He denied the suggestion that he cross-examined the worker in the domestic inquiry. From the inquiry proceeding also it cannot be said, he took a searching cross-examination of the worker as alleged by him. Because there was a presenting officer who had done the job. He does not dispute the position that he had not asked the workman the question why the witnesses are deposing falsely against him. Infact that has not created any problem in that inquiry. The Learned advocate for the worker placed reliance on Associated Cement Companies Ltd. and Their workman 1963 II LLJ 396 wherein it is observed by Their Lordships workman be asked whether he wants to give any explanation about the evidence lead against him. It is not that an opportunity was not given to the worker for leading evidence. There is a different way of putting a question. I do not find that the ratio given in the above stated authority has violated by Mr. Ekbote in this inquiry. Further it can be seen that the facts of that case are quiet different from the facts before me.

13. In this case evidence of Dr. Deshmukh was not recorded in person. He was send a questionnare by the inquiry officer on the representation by the management representative which Dr. Deshmukh answered. Thereafter the defence representative put his question which were again send to Dr. Deshmukh by the inquiry officer which he answered. Infact while adopting this procedure no objection appears to have been taken by the defence representative. When the matter was argued before me it is tried to submit that under such circumstances the evidence of Dr. Deshmukh should not be replied upon. I am not inclined to accept this. The procedure to be followed in a domestic enquiry is the choice of the inquiry officer but at the same time it has to be seen that it has not coused any prejudice to the worker or to the management. Here in this case both of them were given an opportunity to put the questions to the doctor by a questionnaire. After going through that quesitonnaire I do not think that any more purpose would have served if he would have come before the inquiry officer for leading evidence.

14. The Learned Advocate for the worker placed reliance on Sur Enamel and Stamping Works, Ltd. and Their workman 1963 II LLJ 367 wherein Their Lordship have observed that the inquiry cannot be said to be have been properly held unless the witnesses are examined ordinarily in the presence of the employees in respect of the charges. Here the word ordinarily is used. Further more for the reasons stated above and looking to the facts in the case cited above, the procedure which was adopted by the inquiry officer cannot be said to be illegal and prejudiced to the worker.

15. Mr. Pai, the Learned Advocate for the management placed reliance on Syed Ahmed Maqdoon Syed Vs. Bank of India and Ors. 1994 II CLR 284. In that case the worker was not explained the circumstances appearing against him in evidence as required by the regulations. It is observed by their Lordships that the aforesaid aspect do not invalidate

the departmental inquiry nor it can be said that the Principles of Natural Justice were violated. I rely upon the ratio given in the above said authority to substantiate my earlier reasons. It is tried to argue that the findings of the inquiry officer are perverse. The inquiry proceedings are at Exhibit-8/13. Mr. Ekbote the inquiry officer had given his report (Exhibit-8/16) dated 10-9 88. He had considered the evidence of V. B. Salve (MW/1), D. K. Bhosale (MW-2), Dr. S. M. Shanbagh (MW/3) alongwith the documents such as employment medical examination form, certificates dated 14-10-87, 27-11-87 and 15-2-88 issued by Dr. D. K. Deshmukh to the worker and letters of the worker dated 15-10-87 11-10-87 and 30-11-87. While giving the report the inquiry officer also considered the answeres given by him to the questionnaires send to Dr. Deshmukh. He had given his detailed report based on the evidence namely oral and documents before him. The inquiry officer rightly came to the conclusion that the charge which was levelled against the workman was proved. I do not find any perversity the findings of the inquiry officer. For all these reasons I record my findings on the issues accordingly and pass the following order :

**ORDER**

The inquiry which was held against the workman was as per the principles of natural justice. The findings of the inquiry officer are not perverse.

*Dated : 17-3-1997*

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का०आ० 1152.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै०, पवन हार्ड कोक इंडस्ट्रीज के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं०-1), धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-20012/37/93-आई०आर० (सी०-I)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 1152.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 1), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Pawan Hard Coke Industries and their workmen, which was received by the Central Government on 8-4-97.

[No. L-20012/37/93-IR(C-1)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

सेवा में,

उपायुक्त,

धनबाद।

द्वारा :—अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद।

समझौता वार्ता

आज दिनांक 20-3-93 को सर्व श्री पवन हार्ड कोक इंडस्ट्रीज, रतनपुरा (गोबिन्दपुर) धनबाद में प्रबन्धन एवं मजदूरों के आपसी विवाद के कारण जोधारन 144 सी०आर० पी०सी० प्रशासन द्वारा लगा दिया था फलस्वरूप कारखाना बन्द है, जिसकी वजह से प्रबंधन तथा मजदूरों की हानि हो रही है। अतः सर्वश्री ओ०पी० लाल, सं०वि०स० एवं माननीय विधायक श्री गुरुदास चटर्जी की मध्यस्था से प्रबन्धन और मजदूरों ने तय किया है कि दोनों पक्ष भविष्य में आपसी भाई चारे के माहौल में कारखाने को चालू करेंगे किसी प्रकार की शिकायत को आपस में बैठ कर समझौता कर लेंगे यदि आवश्यकता पड़ी तो मध्यस्थों की सहायता ली जायेगी।

(1) प्रबन्धन किसी भी मजदूरों को कारखाना चालू होने पर बगैर किसी कारण तंग और काम से नहीं बैठायेंगे।

(2) नियमानुसार एवं परिस्थिति के अनुकूल मजदूरों को प्रबन्धन सभी सुविधायें देंगे।

(3) मजदूर भी अपना काम ईमानदारी एवं निष्ठा से करेंगे ताकि प्रबन्धन को कोई शिकायत नहो हो।

(4) काम नहीं पैसा नही का स्वरूप होगा।

(5) मजदूरों की बकाया राशि यदि पावना होगी तो प्रबंधन उसका भुगतान करेगी।

(6) प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार की मजदूरों की छंटनी नहीं होगी बगैर किसी कारण से।

(7) प्रबंधन स्वयं मालिकों ने आश्वासन दिया कि किसी भी शर्त पर कोई भी बाहरी व्यक्ति अथवा अपराधी चरित्र के लोग कारखाने के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

यह समझौता वार्ता विपक्षीय हुई है।

हस्ताक्षर :

मध्यस्थ : प्रबंधन मजदूर

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

*In the matter of a reference under section 10(1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947.*

Reference No. 56 of 1994

Parties :

Employers in relation to the management of M/s. Pawan Hard Coke Industries.

AND

Their Workmen.

Present :

Shri Tarkeshwar Prasad, Presiding Officer.

Appearances :

For the Employers : Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen : Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coke

Dated, the 1st April, 1997

**AWARD**

By Order No. L-20012(37)/93-I.R. (Coal-I) dated 25-3-94 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial

Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of M/s. Pawan Hard Coke Industries, Ratanpur, Govindpur, Dhanbad in stopping workers from work w.e.f. 5-9-92 is justified ? If not, what relief are the concerned workmen entitled to?"

2. The dispute has been settled by the management and the sponsoring union out of the Tribunal. A memorandum of settlement has been filed in this Tribunal. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. I allow the prayer and pass an award in terms of the settlement dt. 20.3.93 and 10-10-93. The memorandum of settlement shall form part of this award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Sec. 15 of the I.D. Act, 1947.

TARKESHWAR PRASAD, Presiding Officer

FORM-H

(See Rule-58)

FORM FOR MEMORANDUM OF SETTLEMENT

NAMES OF PARTIES :

Representing Employer : Sri Binod Kumar Dhukania, Partner of M/s. Pawan Hard Coke Industries, Ratanpura, P.O. Gobindpur, District-Dhanbad.

Representing Workmen : Sri Guru Das Chatterjee, M.L.A.

This Settlement is made on 10th day of October, 1993 by and between the employers of M/s. Pawan Hard Coke Industries as one part and the workmen represented by Sri Guru Das Chatterjee, M.L.A. as Other Part.

SHORT RECITAL OF THE CASE

Sarvshri Mohammad Mustafa and Kailash Prasad Chauhan, both, were dismissed from their services for proved misconduct. They have raised an industrial dispute which is pending before the Assistant Labour Commissioner (C), Dhanbad.

Good sense having prevailed, both the parties settled the industrial dispute amicably, which is pending before the Assistant Labour Commissioner (C), Dhanbad on the following :

TERMS AND CONDITIONS

1. That Shri Md. Mustafa tendered his resignation and his resignation was accepted by the employer.

2. That Shri Mustafa shall be paid lump sum of Rs. 30,000.00 (Rupees Thirty thousands) only by way of and including Gratuity payable to him under the Payment of Gratuity Act, 1972, Bonus payable to him under the Payment of Bonus Act, 1965, for the year 1992-93, Leave Wages, Earned Wages and all other dues.

(i) Calculation of Gratuity :

Total nos. of years worked—17 years

Last wages drawn—Rs. 46.154 per day.

Total Gratuity payable to him Rs. 11,759.29 Paise. (Rupees Eleven thousands Seven hundred fifty nine and Paise Twentynine) only.

3. That the aforesaid amount of Rs. 30,000.00 (Rupees Thirty thousands) only shall be paid and is being paid to him by way of crossed account Payee Cheque vide Cheque No. 053187 of dated 10-10-93 drawn on the Union Bank of India, Dhanbad Branch, for a sum of Rs. 30,000/- (Rupees Thirty thousand) as aforesaid.

4. That Sri Md. Mustafa shall have no other claim whatsoever with respect to his services, gratuity, bonus, leave-wages and/or any other dues.

5. That this Settlement resolved all the industrial dispute with respect of Sri Md. Mustafa.

6. That Sri Kailash Prasad Chauhan has regretted for his misconduct and gave assurance to the management and gave assurance to the management, that in future he shall maintain the discipline; as such he is employed with effect from 11-10-1993 on the same wages, and terms & conditions, which was being paid to him before dismissal. He shall have no claim whatsoever in respect of wages and other benefits for the idle period.

7. That the representative of the Union also assured that Sri Kailash Prasad Chauhan shall maintain discipline and work honestly, sincerely and never disturb the smooth running of the industries.

8. That this Settlement is fair and proper and the parties having understood the same, have put in, their signatures hereinunder.

9. That it was resolved that, a copy of this Settlement be filed before the Assistant Labour Commissioner (C), Dhanbad and the said authority may be requested to accept the Settlement and register the same and forward a copy of this Settlement to the Ministry of Labour, New Delhi in accordance with the provisions of Industrial Disputes Act, 1947.

SIGNATURES OF THE PARTIES

1. .....
Signature of the Representative of the Employer

2. .....
Signature of the Representative of the Workmen.

Signature of the Workmen
(1) Md. Mustafa.
(2) Kailash Prasad Chauhan

WITNESSES :

1. Mahabir Singh
2. Chandial Chulhji

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का०आ० 1153:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैं० ई०सी०एल० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं०-1), धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[एल०-20012/261/91-आई०आर० (सी०-I)]
ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 1153.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. E.C.L. and their workmen, which was received by the Central Government on 8-4-97.

[No. L-20012/261/91-IR(C-I)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXUE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 85 of 1992

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kumardhubi Colliery of M/s. E. C. Ltd.

AND

Their Workman.

PRESENT :

Shri Tarkeshwar Prasad, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri B. M. Prasad, Advocate.

For the Workman : Shri S. Bose, Treasurer, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, the 2nd April, 1997

AWARD

By Order No. L-20012(262)/91-I.R. (Coal-I) dated 27-8-92 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Kapasara Area of M/s. E.C. Ltd. in denying the correction of age in respect of Shri Harinarayan Yadav, Tyndal Zamadar, Kumardhubi Colliery is justified If not, to what relief the concerned workman is entitled?"

2. The dispute has been settled by the management and the sponsoring union out of the Tribunal. A memorandum of settlement has been filed in this Tribunal. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. I allow the prayer and pass an award in terms of the settlement. The memorandum of settlement shall form part of this award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Section 15 of the I.D. Act.

TARKESHWAR PRASAD, Presiding Officer

BEFORE THE HONOURABLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

Reference No. 85/92 of 1992

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Kumardhubi Colliery of Eastern Coalfields Limited

AND

Their Workman (Represented by R.C.M.S.).

Joint Petition of Compromise

Both parties herein concerned beg to submit as under :

1. That instant matter has been pending long before the Management and the Union under discussion and after series of negotiation between parties it has been possible to come to an agreed settlement and instant matter has been settled between the parties on following terms.

TERMS OF SETTLEMENT

1. That Sri Hari Narayan Yadav, Tyndal workman herein concerned will be referred to Appex Medical Board for determination of his age and age so determined will be accepted by both parties and no further disptue will be raised by either the workman concerned himself or his Union representing his case in any court of law in future.

2. Both parties agreed to withdraw the case from Tribunal.

3. This settlement will take effect from the date the Hon'ble Tribunal accept this settlement as fair and proper and is pleased to pass an award in terms of the settlement.

Both the parties pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this settlement as fair and proper and may be further pleased to pass an award in terms of this settlement.

Sd./-
Sri Awadesh Kr. Singh,
R.C.M.S.
Sd./-

Sri Harinarayan Yadav,
Concerned Worker.

Sd./-
(S. N. Singh),
Personnel Manager
Sd./-
(A. P. Yadav),
Personnel Manager

Witnesses :

1. Arun Seraphia, OS, Mugma Area.

2. Shambhu Nath Singh, Clerk-BO UP.

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का०आ० 1154 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै० बी०सी०सी०एल० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारी के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं०-1), धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं०एल०-20012/114/89-आई०आर० (सी०-1)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 1154.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C.L. and their workman, which was received by the Central Government on 8-4-97.

[No. L-20012/114/89-IR (C-I)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 201 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of Dugda Coal Washery of M/s. BCCL.

AND

Their Workman.

PRESENT :

Shri Tarkeshwar Prasad, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri H. Nath, Advocate.

For the Workman : None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, the 1st April, 1997

AWARD

By Order No. L-20012/114/89-I.R. (Coal-I) dated 11-12-89 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the management of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. in relation to Dugda Coal Washery, Dugda, is justified in superannuating the workman Shri Chandrika Singh, Rigger with effect from 31-7-88 if not, to what relief the said workman is entitled to ?"

2. The order of reference was received in this Trjbunal on 15-12-89. Thereafter notices were issued to the parties and the parties filed their respective written statements and rejoinder. But since 2-3-93 none is appearing on behalf of the workman though several adjournments were given. Despite registered notice sent to the sponsoring union none was present on 1-4-1997. It, therefore, appears that neither the concerned workman nor the sponsoring union is interested in prosecuting the present case.

3. Under such circumstances I render a 'no dispute' award in the present industrial dispute.

TARKESHWAR PRASAD, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का०आ० 1155 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैं० बी०सी०सी०एल० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारी के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं० 2) धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल०-20012/27/94-आई०आर० (सी०-I)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th April, 1997

S. O. 1155.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C.L. and their workman, which was received by the Central Government on 8-4-1997

[No. L-20012/27/94-IR (C-I)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10 (1)(d)(2-A) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 43 of 1995

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jealgora Ropeways of M|s. BCCL.

AND

Their Workman

PRESENT :

Shri Tarkeshwar Prasad, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen : Shri Anand Mohan Prasad, President, Coalfield Labour Union.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, the 31st March, 1997.

AWARD

By Order No. L-20012/27/94-I.R. (Coal-I), dated 1-3-1995 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Jealgora Ropeways of M/s. BCCL in cancelling the retirement of Shri Keshav Bhuian under VRS and not giving it's benefits is justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled "

2. The dispute has been settled by the management and the sponsoring union out of the Tribunal. A memorandum of settlement has been filed in this Tribunal. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. I allow the prayer and pass an award in terms of the settlement. The memorandum of settlement shall form part of this award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Section 15 of the I. D. Act, 1947.

TARKESHWAR PRASAD, Presiding Officer.

FORM—H

(See Rule—58)

Memorandum of settlement arrived at between the management and Coal Field Labour Union, Dhanbad, in accordance with the recommendation of the Joint Committee constituted at H. Qrs. Koyla Bhawan, in which Shri S. N. Mishra, the then G. M. (P)/Member Joint Committee and Shri Anand Mohan Prasad, President, Coal-Field Labour Union arrived at a settlement duly approved by the Competent authority vide reference No. BCCL/Per/IR/JC/96/0950, dated 9/13-8-1996 issued by C.G.M. (P&IR), Koyla Bhavan. Accordingly a term of

settlement made between the Management and Union is appended below :—

SHORT RECITAL OF THE CASE

Shri Kesho Bhuiya Ex. Helper Bucketman, Ropaways Area had tendered his resignation from service under BPE—VRS on 18-4-1992 which was accepted on 2-5-1992. Later on when the Terminal benefit/bills were prepared it was detected that Sri Kesho Bhuiya had taken certain unauthorised payment on account of LTC/LLTC in the year 1987-88 amounting to Rs. 4492/-.

TERMS OF SETTLEMENT

(1) That payment of gratuity and terminal benefit under BPE-VRS will be paid to Shri Kesho Bhuiya, Ex. Helper Bucketman deducting the excess sum paid to him on account of LTC/LLTC during the year 1987-88 amounting to Rs. 4492+ a sum of Rs. 5000/- as penalty from the amount payable towards the benefit under the BPE-VRS.

(2) That no payment of interest will be paid towards gratuity payment or otherwise.

(3) That the Union shall not claim or raise any demand regarding monetary benefit or otherwise in future before any statutory authority or otherwise.

Representing Management

Representing Union/Workman.

Sd./-
1. S. K. Ghosh,
Personnel Manager, Ropeways.

Sd./-

1. Anand Mohan Prasad,
President, Coalfield
Labour Union.

Witness :—

1. Sd./-
(Illegible).

2. Sd./-
(Illegible)
Part of the Award.

Sd./-

General Manager, Ropeways Area.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2,

DHANBAD

Reference No. 43/95/9-22.

Employers in relation to B.C.C.L. Ropeways, Area.

AND

Their Workman.

The humble petition on behalf of the employers & Workmen above named respectfully sheweth :—

That the following dispute has been referred to this Hon'ble Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the Management of Jealgora Ropeway of M/s. B.C.C.L. in connecting of the retirement of Shri Kesho Bhujia under VRS not gving its benefits is justified. If not to what relief the concerned workman is entitled ?".

That both employers and the workman hold mutual negotiations for an amicable settlement.

That after discussion on several dates both the parties have amicably settled the dispute and a settlement has been arrived at between the parties. The aforesaid settlement is at Annexure-A.

That no dispute is existing between the employers and workman.

It is, therefore humbly prayed that an award in terms of the settlement may kindly be passed .

For the Workmen.

1. Sd./-
(Illegible).

For the Employers.

Sd./
General Manager.
Ropeways & Stand Project Area
B.C.C.L.

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का०आ० 1156 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बी०पी०सी०एल० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल०-20040/72/94-आई०आर० (सी०I)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 1156.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BPCL and their workmen, which was received by the Central Government on 8-4-1997.

[No. L-20040/72/94-IR (C-I)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR.

Industrial Dispute No. 109 of 1995.

In the matter of dispute between :

Suresh Kumar S/o. Ram Tutar r/o. 150 Garhi Kola Leader Road, Allahabad.

AND

The Manager, Bharat Petroleum Corporation Ltd. 44, Subedarganj, Allahabad.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-20040/72/94-IR (Coal-I), dated 19-9-1995 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether Sri Suresh Kumar S/o. Sri Ram Avtar was engaged by M/s Bharat Petroleum Corporation Ltd 44, Subedarjang Allahabad and if so, whether the termination of his services w.e.f. 1-11-1988 by the management of Bharat Petroleum Corporation Ltd. is justified ? If not, what relief is the workman entitled ?

2. The concerned workman Suresh Kumar has alleged that he was engaged as a peon on 1-4-1984 by the opposite party M/s. Bharat Petroleum Corporation Limited against a permanent post. In support of this case the copy of identity card renewal card and letter dated 9-9-1986 has been filed. He had continuously worked thereafter upto 31-10-1988. Thereafter his services were illegally terminated in breach of section 25-F of I. D. Act.

3. The opposite party management has filed reply in which it has been alleged that the concerned workman is not the employee of the management at all. Instead he is a contract labour.

4. In support of his case the concerned workman Suresh Kumar has examined himself and has supported his case whereas Manager D. R. Dubey M. W. 1 has been examined to prove that the concerned workman is a contract labour. Ext. M-1 to M-7 are papers to establish the factum of contract. Ext. W. 1 and W. 2 are identity card whereas W. 3 is the letter issued by the opposite party to the terminal Manager dated 9-9-1986 for issuing identity card. In this letter the concerned workman has been shown as temporary contract staff which goes to believe the version of the workman as according to own papers of the concerned workman he is a contract staff. In view of this paper alone I disbelieve the version of the concerned workman and hold that concerned workman is not an employee of the opposite party instead he is a contract labour.

5. When there is no relationship of master and servant between the two question of illegal termination does not arise. Hence, my award is that the concerned workman is not entitled for any relief.

6. Reference is answered accordingly.

1-4-1997

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का.आ. 1157.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार देना बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और अनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण-I, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04.04.97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/147/92-आई (आर बी-II)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th April, 1997

S.O. 1157.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, I, Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dena Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 4-4-1997.

[No. L-12012/147/92-IR (B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-I AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri A. Hanumanthu, M.A., LL.B., Industrial Tribunal-I.

Dated, 23rd day of December, 1995

Industrial Dispute No. 61 of 1992

BETWEEN

N. Lakshminarayana, Workman ..Petitioner

AND

The Management of Dena Bank, Regional, Manager, Bangalore .Respondent

APPEARANCES :

Sri Ch. Laxminarayana, Advocate—for the Petitioner.

M/s. S. Ravindranath, G. Suryam and M. Sohan, Advocates—for the Respondent.

AWARD

This reference has been made by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by its Order No. L-12012/147/92-IR (B-II) dated 1-9-1990 under Section 10(1)(d) and (2-A) of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called the Act) for adjudication of the dispute annexed in the schedule therein which reads as follows :

"Whether the action of the management of Dena Bank in dismissing Sri N. Laxminarayana, Clerk-cum-Cashier w.e.f. 5-2-91 without giving notice, is justified ? If not, to what relief he is entitled ?"

The said reference has been registered as Industrial Dispute No. 61 of 1992 on the file of this Tribunal.

2. On behalf of the Petitioner-workman, a claim statement has been filed to the following effect. The workman N. Laxminarayana is the Vice President of Dena Bank Employees Union, Nizamabad. He had several deposit accounts in Dena Bank in his name and his family members' names. He had taken SDR for Rs. 12,000.00 on 7-3-1979. He prepared concerned credit and debit vouchers of his saving bank account and other joint accounts of his family members. Pooling the money together he wanted to avail S.D.R. for Rs. 12,000.00. Due to error on the part of the concerned Officers, one saving bank account of N. Laxminarayana had not been debited to the extent of Rs. 10,802.47 and the S.D.R. was issued. The Bank had located the error in the year 1983 and the workman was asked to pay the difference and accordingly he had credited the amount to his account to rectify the entry. In 1989 the Management chose to issue chargesheet dated 20-1-1989 only to victimise him for his Trade Union activities. The enquiry held against the workman Laxminarayana is biased and it is a violation of principles of natural justice. The guilt of the workman has not been proved in the enquiry. The punishment of dismissal without notice basing on such enquiry is illegal. The Enquiry Officer and the presenting officer never bothered to produce any witness in the enquiry. They simply filed some relevant and irrelevant third party documents and on relying on them the Enquiry Officer held Laxminarayana guilty and basing on that enquiry, the Disciplinary Authority imposed the punishment of dismissal without notice on 22-9-1990. The Appellate Authority also dismissed the appeal without giving any valid reasons and confirmed the punishment of dismissal on 14-1-1990. The workman N. Laxminarayana is not responsible for any of the misconducts of commission and omission of others. The punishment imposed on him is disproportionate to the misconduct proved against him. Hence the punishment of dismissal without notice imposed on Laxminarayana should be set aside and he may be reinstated into service.

3. On behalf of the Respondent-Management a counter has been filed to the following effect. The workman N. Laxminarayana was working in Nizamabad Branch as Cashier-cum-Clerk. On 7-3-1979 he was officiating as Cashier as regular cashier was on leave. He was charge sheeted on 20-1-1989 on the allegations that "Doing an act prejudicial to the interests of Bank or gross negligence or negligence involving the Bank or likely to be involved the Bank in serious loss as in para 19.5(j) of Bipartite Settlement dated 19-9-1966 and comitting fraud and misappropriation of Bank's money para 19.13 of Bipartite Settlement" and he was called upon to offer his explanation, but he did not offer any explanation. Therefore, the Respondent appointed one B. T. Gandhi Deputy Regional Manager (Administration) Bangalore as Enquiry Officer. The enquiry was held on various dates. One Vera was appointed as Presenting Officer. The workman took the assistance of Prithvi Raj, General Secretary of the Dena Bank Employees Union to defend him in the enquiry. The Management examined one Madhusudan Rao, Accountant and documents were marked. No evidence was adduced on behalf of the workman. Written arguments were submitted by the Presenting Officer as well as the representative of the workman. The Enquiry Officer after considering the evidence on record, held that the charges levelled against the workman are proved and submitted his report to that effect on 3-8-1990. A second show cause notice was served on the workman proposing the punishment of dismissal from service. Alongwith the second show cause notice, the report of the Enquiry Officer was also enclosed. Personal hearing was given on 31-8-1990 to the workman and his representative. The disciplinary authority imposed the punishment of dismissal from service with effect from 22-9-1992. The appeal preferred by the workman was also dismissed on 14-1-1991. The petitioner played deliberate fraud on the Bank in not debiting Rs. 12,000.00 in Saving Bank Account. He remained silent till the fraud was detected. The action of the petitioner in converting SDR to FDR and subsequently opting for premature closure of FDR to make a fresh FDR clearly shows the meticulous modus operandi adopted by the Petitioner to wipe out the origin of the FDR. When the petitioner was encountered with the facts of the incident during February 1984 he readily made good the sum without even taking the pains to cross checking the accounts. The petitioner wanted to keep silent as long as it was undetected but paid the amount as soon as it was detected. There is no truth in the allegation that the Management wanted to victimise the petitioner for his Trade Union activities by issuing charge-sheets. The action was initiated because he played fraud on the Bank. The disciplinary action was taken against the petitioner on two misconducts which are of serious in nature and the Management lost confidence in the petitioner. The petitioner is not entitled for any relief.

4. No oral evidence has been adduced on either side. Only documents Exs. W-1 to W-4 and M-1 to M-10 are marked on behalf of the Petitioner and Respondent respectively. The details of the documents are appended to this Award.

5. The points that arise for consideration are as follows :

(1) Whether the action of the Management of Dena Bank in dismissing the workman N. Laxminarayana Clerk-cum-Cashier is justified ?

(2) To what relief the workman N. Laxminarayana is entitled ?

6. Point (1).—The facts leading for making this reference are as follows :—

In the year 1979 the workman N. Laxminarayana was working as Cashier-cum-clerk in Dena Bank, Nizamabad Branch. On 7-3-1979 he submitted an application to the Bank for issue for Samruddhi Deposit Receipt (in short called as SDR) for Rs. 12,000.00 for a period of 63 months in the names of himself and his wife N. Laxmi Bai. To make good that amount he prepared two debit vouchers and two credit vouchers as Under :

| | |
|---|---|
| Dr. Saving Bank A/c. No. 128 | Rs. 4,000.00 |
| Cr. Savings Bank A/s. No. 333 | Rs. 4,000.00 |
| Dr. S.B. A/c. No. 333 | Rs. 10,802.47 |
| Cr. S.D.R. | Rs. 12,000.00 |

S.B. A c. No. 128 stands in the name of the workman N. Laxminarayana and S.B. A/c. No. 333 stands in the joint names of workman N Laxminarayana and his minor child. The balance amount of Rs. 1,197.53 was tendered by him by premature encashment of cash certificate No. 43674 on the very same day i.e. 7-3-1979. SDR bearing No. 066331 for Rs. 12,000.00 was issued in his name along with the name of his wife on the same day i.e. 7-3-1979. But debit entry for Rs. 4,000.00 in S.B. A/c. No. 128 and debit entry of Rs. 10,802.47 in S.B. A/c. No. 333 and Credit entry of Rs. 4,000.00 in S.B. A/c. No. 333 were not poseted/accounted on 7-3-79. Subsequently on 10-3-1979 he posted a cheque for Rs. 163.00 favouring Sri N. Sridhar Rao in his S.B. A/c. No. 128.

On 21-3-1979 the workman Laxminarayana prepared another set of vouchers by debiting SDR A c. for Rs. 12,000.00 and crediting FDR A/c. for the same amount stating "The amount wrongly credited to SDR on 7-3-1979 being reversed and FDR bearing No. 1578791 dated 7-3-1979 being issued in its place". He also availed overdraft limit of Rs. 10,800.00 as against the said FDR for Rs. 12,000.00. He also received a credit of Rs. 1,483.57 being the amount of monthly interest from 4-4-1979 to 10-3-1980 for the said FDR and he also pre-maturely encashed the said FDR on 8-3-1980 and a fresh FDR was taken by him.

On 28-2-1984 i.e. after lapse of five years, non-posting/accounting debit entries of Rs. 4,000.00 and Rs. 10,802.47 in S.B. A c. No. 128 and S.B. A/c. No. 333 respectively were detected and the workman Laxminarayana immediately repaid the amount of Rs. 11,986.46 to the Bank.

As the said acts of the workman Laxminarayana amounted to unauthorised utilisation of Bank's money to a tune of Rs. 11,986.46 and as it constituted an act prejudicial to the interests of the Bank and also constituted fraud and misappropriation of Bank's money in terms of Para 19.5(j) of Bipartite Settlement and 19.13 of Bipartite Settlement dated 19-10-1966, the Management issued a charge-sheet (Ex. M-1) dated 20-1-1989 calling for his explanation to the charges within one week from the date of the receipt of the charge sheet. The workman received the said charge-sheet on

30-1-1989 as seen from his endorsement on Ex. M-1. But the workman did not choose to file any explanation to the said charge sheet. As no explanation was received from the workman, the Respondent-Management ordered domestic enquiry and appointed one B. T. Gandhi as Enquiry Officer and J. K. Vora as the Presenting Officer on 8-4-1989 under Ex. M-2. The workman sought copies of some documents for submitting his explanation to the charge sheet. The enquiry officer conducted the enquiry against the workman. The workman participated in the enquiry and he was also defended by his representative P. Prithvi Raj. During the course of enquiry, one witness was examined on behalf of the Management and documents were marked. On behalf of the workman, no oral or documentary evidence was adduced. Ex. M-3 is the enquiry proceeding. Ex. M-4 are the original documents i.e. Samruddhi Deposit Receipt FDRs, debit and credit vouchers and extracts of the ledgers relating to S.B. A/cs. No. 333 and 128. The Presenting Officer as well as defence Representative submitted their written arguments Exs. M-5 and M-6 respectively, before the Enquiry Officer. On a consideration of the oral and documentary evidence placed before him and written arguments, the Enquiry Officer submitted his enquiry report Ex. M-7 on 30-5-1990 and he held that the charges levelled against the workman are proved. The Disciplinary Authority issued a second show cause notice dated 3-8-1990 (Ex. M-8) proposing the punishment of dismissal from service and he also enclosed a copy of the Enquiry Officer's report. The workman was also given personal by the Disciplinary Authority on 31-8-1990. Ex. M-9 is the proceedings of the personal hearing in respect of the proposed punishment to be imposed on the workman. Thereafter, the Disciplinary Authority on a consideration of the evidence on record and the findings submitted by the Enquiry Officer, concurred with the findings of the Enquiry Officer and by his order dated 22-9-1990 (Ex. M-10) imposed the punishment of dismissal from service. Aggrieved by that order, the workman preferred an appeal to the Zonal Manager, Dena Bank, Bangalore. Ex. W-1 is the xerox copy of the memorandum of appeal dated 26-10-1990 submitted to the Zonal Manager. The Zonal Manager gave personal hearing in the appeal to the workman and his representative Prithvi Raj on 1-12-1990. Ex. W-2 is the xerox copy of the proceedings of the personal hearing in the matter of appeal filed by the workman. Thereafter by his order dated 14-1-1991 (Ex. W-3) the Appellate Authority i.e. Zonal Manager, Bangalore dismissed the appeal of the workman and confirmed the order of dismissal passed against the workman. Thereafter a dispute was raised before, the Assistant Commisioner of Labour (Central) Hyderabad and the conciliation Proceedings ended in failure. Thereafter the Government of India, Ministry of Labour made this reference for adjudication of the dispute by this Tribunal.

7. Before this Tribunal the counsel for the workman took a preliminary objection stating that the domestic enquiry held in this case is defective and as such invalid. But this Tribunal, by its order dated 27-3-1995, held that the domestic enquiry conducted in this case is just and proper. Thereafter on behalf of the workman I.A. No. 59/95 was filed to direct the Respondent-Management to produce three letters mentioned in the petition for perusal by this Tribunal. After contest, this Tribunal allowed the said petition and the Respondent Management was directed to produce those three letters mentioned in the petition for consideration by this Tribunal on or before 31-7-1995. The Respondent Management took time till 9-10-1995 for production of the said documents, but on 9-10-1995 on behalf of the Management, a Memo was filed stating that the documents called for are not traceable and that the Respondent Management has no objection if the Petitioner files copies of the said documents before this Tribunal. The said Memo has been recorded. On 28-10-1995 the counsel for the petitioner filed xerox copy of the letter dated 9-2-1995 addressed by the Assistant General Manager, Head Office Bombay to the Regional Manager, Zonal Branch, Madras and the said letter has been marked as Ex. W-4.

8. As earlier stated, this Tribunal by its Order dated 27-3-95 held that the Domestic Enquiry conducted in this case is just and proper. It is well settled that once the domestic enquiry is held valid or the workman has not challenged the validity of domestic enquiry, the jurisdiction of this Tribunal is limited and normally it cannot interfere with the finding of the Enquiry Officer in the domestic enquiry. It is also well settled that the Industrial Tribunal can interfere with the finding of the Enquiry Officer only when the finding is not based on legal evidence such as no reasonable person could have arrived at on the basis of material before it i.e. in other words the finding is treated as perverse, and when the Tribunal comes to the conclusion that the punishment imposed is extremely harsh and unjust and wholly disproportionate to the misconduct proved and that it may lead to an inference of victimisation. In the case of victimisation or unfair labour practice, it is open to the Industrial Tribunal to go into the merits of the case and to investigate whether the order of punishment is justified. The Industrial Tribunal would be justified in categorising the finding recorded in the domestic enquiry as perverse only if it is shown that the said finding is not supported by any evidence or is entirely opposed to whole body of evidence produced before him. Further in exercising the discretionary power conferred on the Tribunal by Section 11-A of the Act, to interfere with the punishment, the discretion should not be exercised in an arbitrary manner but it should be exercised in judicial and judicious manner. Further the altered punishment imposed by the Tribunal should not amount to absolving the employee of the misconduct or make the punishment merely illusory and allow the employee to go scot free, particularly when the charges are found to be grave in nature (Vide A.P. State Road Transport Corporation vs. Addl. Labour Court-cum-Industrial Tribunal (1983—63 FJR 230). It is also well recognised principle of jurisprudence regarding the penalty to be imposed for misconduct that the penalty imposed should be commensurate to the gravity of charge proved. The Tribunal may award lesser punishment if it is of the opinion that proved misconduct does not merit the punishment by way of discharge or dismisal. It is also well settled that lenience can only depend upon the nature of misconduct alleged against a workman and not on the question as to whether the workman is married or that he has put in particular length of service.

9. In the instant case, the proved misconduct on the part of the petitioner-workman is that by merely depositing a sum of Rs. 1,197.53 the workman could successfully secure S.D.R. for a sum of Rs. 12,000 while he was working as Clerk cum-Cashier on 7-3-79, that on 21-3-79, he cancelled the S.D.R. and converted it into F.D.R. and availed the Overdraft of Rs. 10,000 and he also enjoyed the benefit of Rs. 1183.57 towards interest for the period from 4-4-79 to 10-3-80 and thus he unauthorisedly utilised the money of the Bank to a tune of Rs. 10,802.47 with interest thereon and thus committed fraud on the Bank and involved the Bank in serious loss. Ex. M-4 are the original documents i.e. Samruddi Deposit Receipt, F.D.R.s. and Debit and Credit Vouchers, cash Certificate, extracts of the ledgers relating to the Savings Bank Account Nos. 128 and 333. Ex. M-3 is the Enquiry Proceedings into the charges levelled against the petitioner. Ex. M-7 is the report of the Enquiry Officer holding the charges levelled against the workman as proved. A perusal of the original documents under Ex. M-4 and the findings recorded by the Enquiry Officer under Ex. M-7 reveals that the conclusions drawn by the Enquiry Officer are perfectly correct and the Enquiry Officer has rightly held that the charges are proved. There is nothing on record to show that the findings of the Enquiry Officer are malafide or perverse. It cannot be said that no case has been made out against the petitioner workman. Admittedly the petitioner-workman had two S.B. Accounts one bearing No. 128 standing in his name and another bearing Account No. 333 in his name as well as in the name of his minor daughter. He made an application for issuance of Samruddi Deposit Receipt for Rs. 12,000 on 7-3-79. For issuance of Samruddi Deposit Receipt of Rs. 12,000 he prepared credit voucher transferring Rs. 4,000 lying in his S.B. Account No. 128 to the credit of SB Account No. 333 and he also prepared debit voucher for Rs. 10,802.47 Ps. for the A/c. No. 333 and for the balance amount of Rs. 1197.53, to make it to Rs. 12,000, he encashed the cash certificate bearing No. 43674 dated 7-3-78 the date of maturity of it, is 7-3-1998. But the workman did not make debit entry of Rs. 4,000 for SB Account No. 128, Debit Entry of Rs. 10,802.47 for SB Account No. 333 and Credit entry of Rs. 4,000 for SB Account No. 333 in the ledgers. Thus by merely depositing a paltry sum of Rs. 1197.53 Ps. the workman successfully secured the Samruddi Deposit Receipt for Rs. 12,000 because of non-posting of the entries. Further he converted the said S.D.R. into F.D.R. on 21-3-1979. He also enjoyed the benefit of interest of Rs. 1183.57 on the said F.D.R. for the period from 4-4-1979 to 10-3-80. It

is no doubt true that when those fraudulent transactions were detected, the petitioner had made good the amounts by depositing the same into Bank on 25-4-1984. MW-1 Madhusudhan Rao who worked as Officer of the respondent Bank at the relevant time, has spoken to all those fraudulent transactions of the petitioner. He has also spoken to the preparation of vouchers by the Petitioner-workman and non-posting of entries in the S.B. Account Nos. 128 and 333 belonging to the petitioner workman. MW-1 Madhusudhan Rao was also cross-examined at length by the representative of the workman, but nothing has been elicited to discredit his testimony. The petitioner-workman has not disputed the preparation of the vouchers by him and also non-posting of the entries in the accounts of the Bank.. He has also not objected for marking all these documents at the time of domestic enquiry.

10. The learned counsel for the petitioner submits that the charge sheet is vague and that the Enquiry Officer acted in a biased manner and that the Enquiry Officer gave his findings on the documents which are not proved at the time of enquiry. There is no substance in this contention of the learned counsel for the petitioner. The charge sheet contains the allegations regarding the fradulent transactions resorted to by the petitioner in obtaining S.D.R. for Rs. 12,000 by paying a paltry sum of Rs. 1197.53. Further there is nothing on record to show that the Enquiry Officer had acted in a biased manner. There is also no substance in the contention of the learned counsel for the petitioner that the petitioner-workman is not responsible for posting those entries. It is not disputed that the petitioner was working as Clerk-cum-Cashier at the relevant time i.e. on 7-3-1979. He worked as Cashier in the absence of a regular cashier and therefore it was his duty to post the entries in the records of the Bank. A perusal of the entries in the S.B. Account Nos. 128 and 333 reveals that the petitioner was fully aware of non-posting of these vouchers or entries in his S.B. Accounts. It is no doubt true that there is delay in filing the charge sheet. The misconduct committed by the petitioner was detected in the year 1984. The charge sheet was filed in the year 1989. But mere delay in filing the charge sheet is not a ground to absolve an employee of his proved misconduct. There is no substance in the contention of the learned counsel for the petitioner that the workman was victimised on the ground of his trade union activities. Admittedly the workman did not choose to submit his explanation to the charge sheet which was served on him. He also did not choose to enter into the witness box to rebut the evidence of MW-1 and the documentary evidence produced at the time of domestic enquiry. Nothing prevented him to enter into the witness box and explain his conduct or his ignorance with regard to his posting of vouchers. The entire case is based on documents which are maintained regularly during the course of business of the Bank and also proved by MW-1 who was the Officer of the Bank. The workman has not denied the fact in his claims statement with regard to the preparation of vouchers. He kept quiet for a period of about 5 years until his misconduct was detected in normal course by MW-1 and others and when he was confronted with his misconduct, he made good the amount without verification of the accounts by depositing the amount in the Bank. The ledger folios and the entries in the S.B. Account Nos. 128 and 333 speak about the non-posting of debit entries. The evidence on record has conclusively proved the misconduct alleged against the petitioner-workman. The conclusions drawn by the Enquiry Officer are perfectly correct and the Enquiry Officer has rightly held the charges as proved. I do not find any reason to say that the finding of the Enquiry Officer is malafide and perverse. The document Ex. W-4 does not in any way help the case of the workman.

11. It is also contended by the learned counsel for the petitioner that the punishment of dismissal from service imposed on the petitioner-workman is disproportionate to the proved misconduct of the petitioner. Admittedly Dena Bank is a Nationalised Bank and it is a custodian and watch-dog of public money. The Bank business is based mainly on trust and confidence. The petitioner-workman worked as Clerk-cum-Cashier in Dena Bank and as Cashier he had been dealing with the public money. On Account of the proved misconduct on the part of the petitioner, the Public have lost their confidence reposed on him as Bank employee. The workman is not worthy of the post which he occupied in the Bank as he utilised the public money for his selfish ends. Therefore the petitioner is not entitled to continue in service as a Bank employee. In these circumstances, I am of the opinion that the punishment imposed on the petitioner is not disproportionate to the proved misconduct on the part of the petitioner.

12. In the light of my above discussion, I hold on point No. 1 that the action of the management of Dena Bank in dismissing the workman N. Laxminarayana Clerk-Cashier is justified. The point is thus decided against the petitioner and in favour of the respondent.

13. Point 2.—This point relates to the relief to be granted to the petitioner-workman. In view of my above finding on Point No. 1, the petitioner is not entitled to any relief in this reference.

14. In the result an Award is passed stating that the action of the management of the Dena Bank in dismissing Sri N. Laxminarayana Clerk-cum-Cashier w.e.f. 5-2-91 is justified and that the petitioner Laxminarayana is not entitled for any relief in this reference.

The reference is thus answered and the parties are directed to bear their costs in this reference.

Dictated to the Steno-typist transcribed by him corrected by me given under my hand and the seal of this Tribunal this the 23rd day of December, 1995.

A. HANUMANTHU, Industrial Tribunal-I

APPENDIX OF EVIDENCE

Witness examined on either side.

NIL

Documents marked for the Petitioner

Before domestic enquiry by consent

Ex. W-1—Appeal dated 26-10-90 of the Petitioner submitted to the Appellant Authority.

Ex. W 2—Proceedings dated 1-12-90 of personal hearing in the matter of appeal No. 8/90 filed by N. Laxminarayana.

Ex. W-3—Zonal Manager addressed a letter dated 14-1-91 to Sri N. Laxminarayana enclosing the order of the Appellate Authority.

During enquiry in this Tribunal by consent

Ex. W-4—Xerox copy of the confidential letter dated 9-2-85 addressed to the Regional Manager Madras by the Dy. General Manager—Zone-III.

Documents marked for the respondent by consent

Before the domestic enquiry

Ex. M-1—Charge sheet dated 20-1-89.

Ex. M-2—Letter dated 8-4-89 of the petitioner seeking 30 days time for offering explanation.

Ex. M-3—Enquiry proceedings from Page 1 to 18.

Ex. M-4—Exhibits ME-2 to 19/12, in the domestic enquiry.

Ex. M-5—Written arguments submitted by the respondent to the Enquiry Officer in the domesite enquiry.

Ex. M-6—Written arguments dated 24-5-90 submitted by the petitioner to the Enquiry Officer in the domestic enquiry.

Ex. W-7—Report dated 03-5-90 of the Enquiry Officer.

Ex. M-8—Show cause notice of dismissal dated 3-8-90.

Ex. M-9—Proceedings dated 31-8-90 of the Personnel hearing in respect of proposed punishment.

Ex. M-10—Order of dismissal dated 22-9-1990.

During the enquiry in this Tribunal.

NIL

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का.आ. 1158.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 08-04-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/479/88-डी-2ए/आईआर(बी-II)]
ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th April, 1997

S.O. 1158.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 8-4-97.

[No. L-12012/479/88-D2A/IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING

OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE, ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 107 of 1993

In the matter of Dispute :

BETWEEN

Regional Manager,
Bank of Baroda,
21A/25A Lal Bahadur Shastri Marg,
Civil Lines Allahabad.

AND

Nar Singh Giri,
S/o. Shri Balram Giri,
R/O. Bharatganj,
Allahabad.

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour New Delhi vide its Notification No. L-12012/479/88-D2A dated 13-12-93 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

> Whether the claim of Shri Narsingh Giri that his services were illegally terminated while serving at the Bank of Baroda, Bharatganj Branch, Allahabad by the management of Bank of Baroda and that he is entitled to be reinstated with full back wages is justified ? If so, what relief is Shri Giri entitled to ?

2. The case of the concerned workman is that he was engaged as a massenger on 1-10-78 by the opposite party Allahabad and worked upto 15-9-80 intermitently. He had completed more than 240 days in a year hence his retrenchment w.e.f. 16-9-80 is bad in provision of 25F I.D. Act were not complied. There had also been breach of provision of Section 25G I.D. Act. As regards delay in making reference it has been explained that hehad filed writ No. 3145 of 1991. By judgment and order dated 11-10-93 the Union of India was directed to make reference.

3. The opposite party has filed reply in which the validity of reference has been challenged. Further it has been alleged that the concerned workman was daily rated party time worker. He left the job of his own. In all he had worked 207 days. Hence, the Provision of Section 25F I.D. Act would not apply. There has no breach of provision of Section 25G I.D. Act. The concerned workman is already gainfully employed in U.P. State Yarn Company. Hence he is not entitled for any relief.

4. The concerned workman has filed rejoinder in which new factal plea have been denied.

5. I am of the view that this claim is highly belated. His retrenchment took place in September 1980 whereas writ petition was filed in 1991 i.e. after lapse of 10 years. There is no explanation for this ordinate delay. In th ecase of Balwant Singh V/S P.O. Labour Court, Bhatinda LAB I.C. 1996 (45) it has been held that where there is unexplained delay for more than 6 years in making the claim, reinstatement should not be provided. In the instant case for this very reason alone the concerned workman will not be entitled for any relief.

6. However, on merits I find that the concerned workmen has completed 240 days in a year. It is admitted to the management that the concerned workman had completed 207 days in a year. If sundays and other holidays are included in it will go much beyond 240 days. Admittedly no retrenchment compensation and notice pay was given to the concerned workman. Hence, this retrenchment is bad in law.

7. There is no evidence worth the name to show that there has been breach of Section 25G of I.D. Act.

8. V. B. Singh MW(1) Manager of the Bank has not stated anything to prove that the concerned workman had left the job of his own. Hence this plea is decided against the management for want of proof.

9. Lastly V. B. Singh MW (1) has stated that the concerned workman is employed in State Yarn Co. Ltd. at Meza Allahabad w.e.f. 29-6-84. There is Ext-M-1 a letter from U.P. State Yarn Company dated 19-2-94 which go to show that the concerned workman is engaged as Speed Frame Doffer. Ext-M-1 is the application of the concerned workman in this regard. This is no evidence in rebutal hence I accept it. Accordingly it is held that after retrenchment the concerned workman is gainfully employed as such he is not entitled for any relief on this ground also.

10. In the end my award is that although the termination of concerned workman is bad in law, he is not entitled for any relief, because of belated claim and also because he is also gainfully employed elsewhere.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का.आ. 1159.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 08-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/391/90-आईआर (बी-II)]
ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th April, 1997

S.O. 1159.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 8-4-97.

[No. L-12012/391/90-IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE, ROAD PANDU NAGAR KANPUR

Industrial Dispute No. 74 of 1991

In the matter of Dispute :

BETWEEN

Regional Manager,
Punjab National Bank,
Chowk Faizabad

AND

Ram Lakhan Singh,
C/O. B. D. Tiwari,
96/196, Roshan Bajaj Lane,
Ganesh Ganj Lucknow.

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour New Delhi vide its notification No. 12012/391/90/I.R. (B-2) dated 3-6-91 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

> Whether the action of the management of Punjab National Bnak, Faizabad, in retiring Shri Ram Lakhan Singh, Guard w.e.f. 31-12-86 is justified ? If not, to what relief the workmen concerned is entitled ?

2. The concerned workman Ram Lakhan Singh in his claim statement has alleged that he was appointed as Guard by the opposite party Punjab National Bank and was worked at Kumar Ganj branch in Faizabad. He has given his date of birth as 2-1-39. Hence according to Bipartite Settlement he would retire in Jan. 1990 after completing 60 years. Instead of doing this opposite party retired him w.e.f. 8-12-86 treating his date of birth as Dec. 1926 which is illegal as it was done without issuing show cause notice.

3. The opposite party has filed reply in which it has been alleged that in the service record his date of birth was recorded as 2-1-39. In Sept. 1986 one Raj Kumar Singh resident of village Ramdasspur of district Faizabad complaint to the bank that according to the School leaving certificate the date of birth of concerned workman is 2-1-26. Enquiry was made in the matter from the School as well as from Office of Distt. Inspector of School Faizabad and it was found that the date of birth of concerned workman is 2-1-26. Hence he was retired on this basis.

4. In the rejoinder it has been alleged that the concerned workman was not given opportunity.

5. Thus from the pleading of parties it became clear that the date of birth of the concerned workman has been changed by the management without giving opportunity to the concerned workman to put forth his case. In this way there has been violation of principle of natural justice no one can be punished without any enquiry. Change in date of birth to the preiudice of the workmen certainly amounts to punishment. Hence enquiry was essential.

6. In the end my award is that in the absence of enquiry for change of date of birth the consequential retirement is bad in law. However no reinstatement is awarded out rightly instead the management is given one year opportunity to hold enquiry in the matter and do the needful. In case no enquiry is held within this period the concerned workman will be entitled for reinstatement with all back wages and retial benefits on the premisses as if he born on 2-1-39. It is made clear that if the enquiry is not completed within one year because of non co-operative attitude of concerned workman the above condition will not apply and span enquiry can be extended for one year.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का.आ. 1160—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/32/95-आईआर (बी-II)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th April, 1997

S.O. 1160.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 8-4-1997.

[No. L-12012/32/95-IR (B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR.

Industrial Dispute No. 76 of 1995.

In the matter of Dispute.

BETWEEN :

Regional Manager, Central Bank of India, R O. Lanka Varanasi.

AND

Regional President, Central Bank Employees Association, (INTUC), 956, Kalyani Devi Allahabad

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour, New Delhi vide its notification No. L-12012/32/95-I.R.

(B-2), dated 16-6-1995 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Whether the action of the management of Central Bank of India, Ballia/Varanasi is not regularising and terminating the services of Shri Babban Gupta, Casual Workman w.e.f. 22-6-1992 is legal and justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

2. The concerned workman Babban Gupta has alleged that he was engaged on 29-3-1991 as Sub-Staff at Ballia branch of the opposite party Central Peon-cum-Waterman. He continuously worked there upto 26-6-1992 and was paid wages @Rs. 25/- per day. In this way he had completed more than 240 days. His retrenchment w.e.f. 22-6-1992 without payment of notice pay and without retrenchment compensation is bad, being in breach of provision of Section 25-F I. D. Act. Besides there had been breach of Section 25-G and H I. D. Act. Further he had completed more than 240 days he is entitled for regularisation.

3. The opposite party has filed reply in which it was alleged that the concerned workman was engaged as casual labour on day to day basis according to exigencies of work. It has not been specifically denied that he had not completed 240 days. Instead it has been pleaded that there had been an agreement on 24-12-1990 between the management and the Union of workmen according to which a temporary employee who had worked for 240 days in a year could be considered for absorption. Since the concerned workman was a casual worker and not a temporary employee he was not given benefit of this settlement. Nothing has been said regarding illegal retrenchment.

4. In the rejoinder nothing new has been said.

5. In support of his case the concerned workman Babban Gupta has examined himself that he had continuously worked between 29-3-1991 to 26-3-1992 In this cross examination he has admitted that he was engaged as casual labour. D. S. Singh MW (1) is the Asstt. Branch Manager he has stated that the concerned workman had worked for 325 days between 1991-1992. Payment was made through voucher. He has further admitted that the concerned workman used to carry register from the table to other. Ext. W-1 to W-17 papers filed by the concerned workman relate to his claim and vouchers. Any way in my opinion in the absence of any denail in the pleading and statement of D. S. Singh that the concerned workman had worked for 325 days, I come to the conclusion that the concerned workman had completed more than 240 days in a year. As such he was entitled for retrenchment compensations and notice pay at the time of retrenchment. Since it has not been paid termination is bad in law.

6. There is no evidence to prove breach of section 25-G and H I. D Act.

7. The concerned workman is also not entitled for regularisation as he has worked for small period and there is no evidence that any post is available, as regularisation can be made against existing post alone.

8. In view of above discussion my award is that termination of concerned workman is bad in law and he is entitled for reinstatement with back wages but he is not entitled for regularisation.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का.आ. 1161.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार देना बैंक के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ

[सं. एल-12012/292/91-आईआर (बी-II)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th April, 1997

S. O. 1161.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Dena Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 8-4-1997.

[No. L-12012/292/91-IR (B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, DEOKI PALACE, ROAD, KANPUR.

In the matter of dispute.

BETWEEN :

General Secretary, U. P. Dena Bank Employees Corgress, MS-43, Sector D, Aliganj, Lucknow

AND

Regional Manager, Dena Bank, Pravin House, 28-A, Vidhan Sabha Marg, Lucknow.

INDUSTRIAL DISPUTE NO 200 OF 1991.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No, L-12012/292/91-IRB. II. dated

17-12-1991, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal.

Whether the action of the management of Dena Bank in dismissing the services of Shri Sarabjeet Singh Head Cashier is justified ? If not, to what relief is the workman entitled to ?

2. The concerned workman Sarabjeet Singh was working as Head Cashier in Bangla Bazar Branch in Lucknow of the opposite party in 1986-87. During this period he is alleged to have committed certain acts of misconduct in respect of which he was served with charge-sheet which goes as under :—

1. That while you were working as Cashier at our Bangla Bazar Lucknow Branch, in November, 1986 Smt. Reeta Agrawal who was having recurring deposit account No 269 at our Bangla Bazar Branch has deposited Rs. 500/- from Smt. Reeta Agrawal and had made the entry in the RD Pass Book of Mrs. Agrawal and duly signed the same in lieu of accepting the cash. You neither deposited the above amount in the R. D. Account of Smt. Agrawal nor it was entered in any of the books of Bangla Bazar Branch.

2. That on 16-4-1987 Smt. Reeta Agrawal deposited Rs. 1000/- in her above R. D. Account. You have accepted Rs. 1000/- from Smt. Agrawal and returned the counterfoil of the pay in slip. Subsequently you neither deposited the above amount in the R. D. Account of Smt. Agrawal nor it was entered into any of the books of our Bangla Bazar Branch.

The concerned workman admitted his guilt in his reply still the management appointed one S. C. Singh as enquiry officer who in turn relying upon the admission submitted his report on 13-4-1989 holding that charges were proved on the basis of admission. The Regional Manager who is punishing authority sought instructions from A.G.M. for inflicting punishment short of dismissal. This A.G.M. in turn advised the disciplinary authority to dismiss the concerned workman. Whereupon the concerned workman was dismissed from service on 6-10-1989. Feeling aggrieved he has raised the instant industrial dispute.

3. In the claim statement, interalia, fairness and proprietory of domestic enquiry was challenged. Apart from this it was alleged that the concerned workman was prevailed upon to admit the misconduct and he will be let off with a lenient punishment short of dismissal. That is why the disciplinary authority has made proposal of punishment by way of stoppage of increment but A.G.M. did not agree with it. This action of the disciplinary authority is bad in law. In the written statement the fairness and proprietory of the domestic enquiry was alleged to have been valid. It was denied that admission was obtained by inducement. On the pleadings of the parties a preliminary issue was framed vide finding dated 1-10-1997.

Whether the domestic enquiry conducted by the management was not fairly and properly ?

This tribunal held that enquiry was fair and proper vide finding dated 1-1-1997. Hence the parties were heard on the question of quantum of punishment.

4. Having heard both sides and having gone through the record I am of the opinion that the disciplinary authority while awarding punishment had not acted independently. Instead he has objected his authority in favour of Appellate Authority. Further this procedure has also caused prejudice to the delinquent. When the disciplinary authority has acted on the advice of A.G.M. who is the appellate authority it will be futile to make appeal as against of the appellate authority can be very well understood who had already made up his mind in this regard. With this observation now reference may be made to the annexure III of the claim statement a letter dated 28-4-1989 sent by disciplinary authority to A.G.M. seeking his advise as to whether for the three misconducts proved following three punishment may be awarded :—

| Charged proved | Punishment imposed |
|---|---|
| 1. Misappropriation of Bank's funds. | Withdrawal of Special Allowance of Head Cashier 'I' paid to Sri Sarabjeet Singh |
| 2. Committing, fraud on bank | Stoppage of two future increments falling due next with cumulative effect. |
| 3. Doing any act prejudicial to the interest of the bank involving or likely to involve the bank in serious loss | Stoppage of two future increments falling due next with cumulative effect. |

The A.G.M. in turn had informed the disciplinary authority not to take lenient view as it involves question of embazellment of amount which is certainly a serious misconduct.

The disciplinary authority accordingly acting upon this advise has passed order of dismissal. Earlier it has already been observed that this way of awarding punishment is not the outcome of free will of the disciplinary authority. Instead it is on the direction of appellate authority. In this way such order of punishment cannot be said to be in accordance with law. I am also inclined to agree with the authorised representative of the workman that in order avoid protract proceeding the delinquent would have fallen in line with the advise of disciplinary authority while making admission. Hence principles of natural justice requires that under special circumstances, the disciplinary authority ought to have inflicted punishment as he had proposed to A.G.M. In these circumstances it is held that order of punishment passed by the disciplinary authority by way of dismissal is not proportionate to the guilt. Instead ends of justice would adequately met by inflicting the

ment as proposed by him in his letter dated 28-4-89 addressed to A.G.M. Further the concerned workman will also be entitled for back wages from the date of reference.

I award accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का.आ. 1162.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/352/94-आईआर (बी-II)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th April, 1997

S.O. 1162.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 8-4-1997.

[No. L-12012/352/94-IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 36 of 1995

In the matter of dispute :

BETWEEN

Prahlad Singh,
Village Roopchanderpur,
Post Mirsatpur Via
Badlapur District Jaunpur, U.P.

AND

Regional Manager,
Central Bank of India,
Lanka Varanasi.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide its notification number L-12012/352/94 dated 16th March 1995, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal for adjudication—

"Whether the action of the management of Central Bank of India Baheri/Varanasi, in discharging Sri Prahlad Singh sub-staff from service w.e.f. 31-8-84, is legal and justified ? If not, what relief is the said workman entitled to ?"

2. The case of the concerned workman Prahlad Singh is that initially he was appointed by the opposite party bank Central Bank of India as sub-staff on 23-11-71. He had given his date of birth as 2-1-47. He worked upto 1974 at different branches of the bank. He was selected for permanent absorption on 12-10-81 and was placed on probation for a period of six months. His probation was further extended and ultimately he was confirmed in the services of the bank. Later on he was served with a memo on 20-2-82 for perpeterating forgery in the school leaving certificate by altering the year of birth from 1947 to 1949. It was followed by chargesheet dt. 11-8-82 in due course enquiry took place and the misconduct was found to be proved against him. On the basis of this report he was discharged from the services of the bank by order dated 31-8-84. Appeal filed by him was also dismissed on 25-2-85. After this the present industrial dispute was raised. In the claim statement it has been alleged that enquiry was not fairly and properly held and that he had not committed forgery.

3. The management has alleged that enquiry was fairly and properly held. Accordingly a preliminary issue was framed regarding fairness and propriety of domestic enquiry. This tribunal vide finding dt. 29-11-96, held that enquiry was fairly and properly held.

3. Now the matter has been heard on the question of proportionality of punishment.

4. The first contention of the concerned workman is that since it is a case of discharge it amounts to retrenchment and as no notice pay and retrenchment compensation has been paid as required by Sec. 25F of I.D. Act, thus discharge is bad in law. Reliance has been placed upon the case of workman of State Bank of India versus Presiding Officer CGIT II and others, II CLR. 33 HC, Bombay which lend support to his contention. However, this has been overruled in the case of State Bank of India, versus Workmen of State Bank of India, AIR. 1990 SC 2034, by the Hon'ble Supreme Court. In view of this overruling I repelled this contention as well.

5. Next it has been urged that punishment by way of discharge from service amounts to economic death sentence. For such misconduct such harsh punishment should not have been inflicted. The post of sub staff does not carry any such responsibility which may said to giving rise of apprehension of loss of confidence. Furtner from the review of records it also becomes clear that the concerned workman has put in service for long time. It has also been submitted that he has to maintain his family. If action was to be taken it should have been taken within reasonable time from the date of appointment.

6. Taking into consideration all these factors, I am inclined to agree with the authorised representative of the concerned workman that punishment by way of discharge ought not to have been inflicted. Instead it will be deemed to have sufficiently punished if he is not allowed the wages from the date of discharge. In this way he is reinstated in service but without back wages.

7. Accordingly my award is that punishment by way of discharge is not justified and he should be reinstated in service without back wages. However the period from the date of discharge till the date of reinstatement will be counted for the purposes of retiral benefits.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का.आ. 1163.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार आंध्रा बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण II, मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/295/93-आईआर (बी-II)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th April, 1997

S.O. 1163.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, II, Mumbai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Andhra Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 8-4-97.

[No. L-12012/295/93 IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

Present :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

REFERENCE NO. CGIT-2/27 of 1994

Employers in relation to the management of The Andhra Bank

AND

Their Workmen

Appearance :

For the Employer : Mr. R. S. Pai, Advocate.

For the Workmen : Mr. A. V. Sathye, Advocate.

Mumbai, dated 1st April, 1997

AWARD-PART-II

On 1-2-96 by Part-I award I came to the conclusion that the domestic inquiry which was held against the workman was as per the Principles of natural justice. Now the remaining issues namely issues Nos. 2 to 6 are to be anwered in this reference.

2. The matter was adjourned from time to time for a settlement. The management of Andhra Bank Bombay imposed a punishment of stoppage of one increment on Wadekar clerk with cumulative effect from the year 1993. There were talks of a compromise between the management and the worker. Ultimately on 25-3-97 they informed the Tribunal the matter as settled (Exhibit-23).

3. Today the parties filed a compromise at Exhibit-24. They admitted the terms of the settlement. I recorded the same. In view of the settlement the reference is disposed off. I pass the following order :

ORDER

In view of the settlement (Exhibit-24) the reference is disposed off.

The terms of the settlement are as follows :

The stoppage of annual increment of workmen Shri B.S Wadkar, without cumulative effect, prospectively.

The dispute may be treated as closed.

S. B. PANSE, Presiding Officer

Dated, 4-4-1997.

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का.आ. 1164.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजक और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/168/91-आईआर (बी-II)]

ब्रज मोहन, डस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th April, 1997

S.O. 1164.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 8-4-97.

[No. L-12012/168/91-IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 157 of 1991

In the matter of dispute :

BETWEEN

Shri B. P. Saxena,
Member Secretary,
U. P. Bank Employees Union,
127/191, W-1, Saket Nagar,
Kanpur.

AND

Regional Manager,
Central Bank of India,
88-B, Civil Lines, Bareilly.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification No. L-12012/168/91-IR B-II dated 27th September, 1991, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of Central Bank of India in discharging Sri S. N. Sarin, clerk from the services of the bank is justified If not, to what relief is the workman concerned entitled ?

2. The concerned workman S. N. Sarin was working as clerk/teller at the Ghaurahagali Branch, Moradabad of the opposite party Central Bank of India. He was served with a chargesheet on 25-10-96, the copy of which is attached herewith. N. S. Saxena, Assistant Regional Manager, was appointed, enquiry officer. He submitted his report dated nil holding that all the four charges were not proved. Disciplinary Authority, vide order dated 25-9-89 showing its inability to agree with the report of the enquiry officer issued a show cause notice. Thereafter by order dated 20-11-89 while condoning the misconduct order for discharge was passed. Appeal preferred by the concerned workman was dismissed on 21-3-90. Feeling aggrieved the concerned workman has raised the instant industrial dispute in the claim statement the concerned workman has mainly submitted that the approach of the disciplinary authority in isuing show cause notice and consequent order of condonation of misconduct and discharge from service is illegal being based on wrong approach.

3. The opposite party in the written statement has denied this fact.

4. I have heard both sides and have gone through the record. The authorised representative of the concerned workman at the first place had submitted that when the disciplinary authority had proceeded to order for discharge it was incumbent upon it to have paid retrenchment compensation and notice pay which amounted to retrenchment. In support of his case he has relied upon the case of 1990 Lab. IC 1111 (Bombay). On the other hand the authorised representative of opposite party has referred to the case of State Bank of India versus Workmen of State Bank of India, AIR 1990 SC 2034 which goes to show that Hon'ble Supreme Court had reversed the interpretation of law as given in the ruling cited by the authorised representative of the concerned workman. In view of this express authority of Hon'ble Supreme Court I over rule the contention of authorised representative of the concerned workman.

5. Next it may be considered as to whether the approach of the disciplinary authority was correct or not. In this regard reference may be made to the case of in which Hon'ble Supreme Court has been pleased to observe that in case of disagreeing with the finding of enquiry officer while issuing show cause notice to the delinquent it is obligatory on the part of management to expressly incorporate the reasons for disagreeing with the finding of enquiry officer and call upon the delinquent to explain the same by oral or documentry evidence. Issuing of show cause notice will not be only empty formality. I am constrained to observe that in this case disciplinary authority has not observed the principles in this regard. The copy of show cause notice dated 25-9-89 issued by the disciplinary authority is on record. It is by way of appellate court judgment and had arrived at a different conclusion. In this way nothing more remains to be done. Issuing of show cause notice was only *empty formality as the disciplinary authority confirmed his* opinion. Secondly in the last paragraph the disciplinary authority had made following observation—

> It is also made clear to him that hearing shall be confined to the punishment proposed and issues relating to enquiry will not be allowed to be raised.

This directive clearly debars the concerned workman from submitting his explanation regarding merits of his finding. The object of issuing of such show cause notice is to afford opportunity to the delinquent to rebut the impression of the disciplinary authority if it is labouring under such mistaken stand. If the workman is deprived of his right to submit his explanation the very purpose of issuing such show cause notice stands defeated. This is to be precise as this show cause notice is contrary to the observation of the Hon'ble Supreme Court. This show cause notice is defective and consequent order of discharge on such show cause notice would also to be vitiated. Hence my finding is that the action of the management in passing order of discharge against the concerned workman by way punishment is not justified.

6. It will be open to the management to issue a fresh show cause notice in terms of the above mentioned ruling and thereafter pass such orders. In the mean time the concerned workman will continue to remain under suspension. Disciplinary authority is further required to decide the matter within *six months from the date of publication of award. If it fails* to do so the concerned workman will be entitled for reinstatement in service with full back wages on the assumption that he has been exonerated by the enquiry officer and such fact has become final.

7. It is further added that in case the disciplinary authority is not able to decide the matter within six months because of delaying tactics of the delinquent period of six months will not be applicable.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का. आ. 1165.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीके, अनुबन्ध के निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/445/92-आई आर (बी-II)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th April, 1997

S.O. 1165.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 8-4-97.

[No. L-12012/445/92 IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDNG OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR KANPUR

Industrial Dispute No. 37 of 1993

BETWEEN

Churamani Singh,
C-3890 Sector C Sapna Colony,
Rajajipuram, Lucknow.

AND

Regional Manager,
Bank of India,
15/54 B Civil Lines, Kanpur.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/445/92-I.R.B.II. dated 26-3-93 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

> Whether the action of the management of Bank of India in dismissing Sri Churamani Singh clerk from service w.e.f. 14-3-91 is legal and justified ? If not to what relief is the workman entitled to ?

2. The concerned workman Churamani Singh was working as clerk in the Development office of Lead Bank Hardoi of *the opposite party, Bank of India. He was served with* a chargesheet on 28-3-89, the copy of which is being attached herewith. A. K. Bhatt Staff Officer of the Zonal Office was appointed enquiry officer. After completing enquiry he submitted his report on 9-11-90 holding that charge No. 1 was proved in entirety whereas Ist and IInd part of charge No. 2 was also proved. Parts nos C of second charge was partly proved and parts D&E of second charge was not proved. Relying upon this report the disciplinary authority passed order of dismissal on 14-3-91. He preferred appeal which was dismissed on 9-7-91. Thereafter he raised an industrial dispute.

3. In the claim statement it was alleged that the opposite party bank had been prejudiced against him from the very beginning. They were interested in dispensing with the services of the concerned workman by any means, and it was because of this object that the management had issued the chargesheet with false allegations. He denied the facts or all the charge specifically. It was further alleged that after the above mentioned issuance of chargesheet the

management issued another chargesheet on 6-10-89 and in that case too A. K. Bhatt was appointed enquiry officer. in that case too A. K. Bhatt was appointed enquiry officer. earlier issued ought to have been completed whereas the enquiry officer under the influence of the management completed enquiry on the basis of subsequently issued chargesheet dt. 6-10-89. As regards irregularity in the enquiry it is submitted that papers relating to investigating agency which preceded issuance of chargesheet were not given inspite of demand. In the second place it is alleged that no proper opportunity of defending himself was given and lastly it is alleged that appreciation of evidence by the enquiry officer is erroneous and is not in accordance with principles of natural justice.

4. In the reply the management maintained that enquiry was fairly and properly held. It was denied that the management is biased against the concerned workman in any manner. The facts leading to framing of charges are correct.

5. On the pleadings of the parties following preliminary issue was framed :—

Whether the domestic enquiry conducted by the management was not farily and properly ?

It appears that V. S. Gupta M.W.6 had carried out preliminary enquiry in this regard and had recorded statement of all the witnesses who had been examined before the enquiry officer. Thereafter he submitted his report appointing the concerned workman. However, the copies of the report of investigating agency and statement of witnesses were admittedly not given to the concerned workman. It is well settled law that when such papers are not supplied to the delinquent it would amount to infringement of principles of natural justice as the delinquent would not be in a position to make out his defence and cross examine the witnesses of the management. The reply of the authorised representative of the management is that these papers were not relied upon during the course of enquiry. This submission of the authorised representative for the management is far from true. A bare perusal of enquiry proceedings and enquiry report would go to show that the enquiry officer had actively referred to the statement of witnesses which were recorded by investigating agency. Indeed the investigating agency V. S. Gupta has also been examined as M.W.6 in domestic enquiry. These material would go to show that the management had actively relied upon the evidence of investigating agency. Hence non supply of these papers would vitiate the enquiry proceedings and consequent report.

4. On proper scruitiny of evidence and the enquiry report I also agree with the concerned workman that conclusion of the enquiry officer are not based on reasons as far as finding on charge No. 1 is concerned.

5. Now the case of management and evidence in respect of charge No. 1 will be examined. Admittedly one K. K. Jaiswal who was M.W.1 before enquiry officer was having S/B Account No. 5534 in Hardoi Branch of the opposite party bank. He had complained to the bank that a cheque book was got issued in his name by forging and on the basis of this Rs. 9000 & Rs. 17000 were withdrawn from his account by once again forging his signatures on the two cheques. The case of the management is that it was the handiwork of the concerned workman. The concerned workman has denied that he ever got this cheque book issued at all. In order to bring home the charge against the concerned workman, the management had examined K. K. Jaiswal M.W.1, Babu Lal Daftry, M.W.4 and S. A. Hameed officer M.W.11. As far as evidence of K. K. Jaiswal is concerned it is a general one. He has not specifically named the concerned workman. Instead he has made a statement about the so called extra judicial confession of the concerned workman which he had made in his presence as well as that of the people of the locality. It will be shown lateron that this so called extra judicial confession is not reliable and appears to contraived for the purpose of the case.

6. Babu Lal Daftry M.W.4 has stated that the concerned workman had handed cheque book requisition slip to him. thereupon he had brought the cheque book. After keeping in the cheque book register the same was handed over to counter clerk. Thus in his evidence the only incriminating evidence is that Churamani Singh had handed over the cheque book requisition slip. It has been maintained by the management that this cheque book requisition slip had been got removed from the office. I am of the view that this evidence has been created to shield S. A. Hameed, M.W.11. It has come in evidence of S. A. Hameed that cheque book issuing register alongwith cheque book in the name of K. K. Jaiswal was handed over to him for issuing to counter clerk, after carrying out necessary formalities in it. He has denied that on 3-8-87, he had handed ever this cheque book to counter clerk. Instead it was given to the concerned workman, for handing over to Sri K. K. Jaiswal as he was known to him. When he was asked to give the proceedure for issuance of cheque book, he stated that a customer handover requisition slip to special assistant who in turn will cancel it and hand over the same to Daftry. The daftry would take out cheque book from the stock and hand over the same to counter clerk for entry in the ledger, thereafter it will be sent to the concerned officer and after necessary formalities it will be given to the customer. Admittedly, the concerned workman was not the counter clerk at that time. Hence there could be no occasion for S. A. Hameed to have handed over the cheque book to the concerned workman. In my opinion he had given this statement to save his skin as he was also involved in this matter at investigation stage. Babu Lal, Daftry has also given statement that this cheque book was given to the concerned officer. Since S. A. Hameed has not carried out the instructions for issuance of cheque book by handing over the same to the counter clerk it will be deemed that this cheque book was misplaced lost from his custody and he alone is responsible. The concerned workman would have nothing to do with it. In this regard charge itself is erroneous when it presupposes that S. A. Hameed had handed over the cheque book to K. K. Jaiswal. The enquiry officer has also blindly accepted this fact without assessing the evidence of management witness and the concerned workman. When a finding is not based on any reason the same cannot be said to be based on sound principles. Hence in view of foregoing discussions, I come to the conclusion that cheque book was not got issued by the concerned workman in any manner. S. A. Hameed alone would be responsible for the loss of the cheque book.

7. The second and third part of charge deals with withdrawl of Rs. 9000 and Rs. 17000. Rupees 9000 has been withdrawn on the basis of cheque leaf No. 0009555 whereas Rs. 17000 have been withdrawn with cheque No. 0009552. There is no dispute that these two cheques are from the cheque book which was in custody of S. A. Hameed for the last time. The management has sought to inculpate the concerned workman by evidence of Nabi Ahmad Siddiqui M.W.2 who has stated that cheque of Rs. 9000 was given to him by the delinquent for being presented at the counter. Abhai Kumar Pandey M.W.8 and Chandra Shekhar M.W.9 have stated about payment of Rs. 9000 and necessary entries in the bank record. Chandra Shekhar has also stated about payment of Rs. 17000 to Vijay Kumar Singh. In my opinion, from the evidence of these witnesses it does not emerge out that the concerned workman had any hand in these two withdrawals. As regards the evidence of Nabi Ahmad Siddiqui who is third person, I am once again of the opinion that it would have been contrived at the behest of S. A. Hameed. The management has also relied upon extra judicial confession of concerned workman which is alleged to have been made before K. K. Jaiswal M.W.1. Once again I am of the opinion that this statement of K. K. Jaiswal is not truthful. His evidence is that the concerned workman had gone to his residence and had entreated him not to inculpate him. Instead he should inculpate his brother. This was done in presence of village people whose name has been given. I am of the view that if the concerned workman was at all at fault he would have made this statement in secrecy and not in presence of others. This alone will be enough to discredit the trustworthyness of this part of evidence of K. K. Jaiswal. The enquiry officer has also noticed that after this occurrence the concerned workman had availed of L.F.C. and had actually gone on pleasure trip. In my opinion, the delinquent has satisfactorily explained it by stating that he had borrowed money from his brother. Charge of forging the signatures of K. K. Jaiswal on these two cheques cannot be accepted against the concerned workman as it has also been held that the concerned workman was not in possession of these cheques. Hence

he had no opportunity to fabricate the signatures on these two cheques. It must be handiwork of S. A. Hameed or some one else who would have got possession of this cheque book. In this back ground the report of hand writing expert also looses its significance.

8. There is another facet of case regarding withdrawal of Rs. 17000. It was cancelled by the concerned workman after verifying the signatures and as well as by S. A. Hameed. If the concerned workman had manipulated signatures it was always open to S. A. Hameed to have checked it. This also shows that whatever the concerned workman did while dealing these cheques was in normal course of business without any oblique motive. In view of foregoing discussions, I am of the opinion, that the enquiry officer has not properly appreciated the evidence.

9. In the case of Fine Stone Tyre & Rubber Company of India Pvt. Limited versus The Management 1973 (26) FLR 359 S. C., the Hon'ble Supreme Court had held that Industrial Tribunal had right to reappraise the evidence. Exercising that right and thus agreeing with the finding of the enquiry report, I come to the conclusion that none of the misconducts as contained in charge No. 1 were perpetrated by the concerned workman. He appears to be a victim of ganging up of some members of the branch. Thus charge No. 1 was not proved.

10. As regards charge No. 2 having gone through the finding of the enquiry officer, I am inclined to agree with him in entirety specially when it is based on the admission of concerned workman. At this stage reference may be made to the case of Punjab State Cooperative Supply and Marketing Federation Ltd. Chandigarh and another versus Presiding Officer Labour Court Jalundhar and another 1996 Lab. IC 2526. In this case there was a charge of misappropriation of money and tempering with office record. The enquiry officer had found that charges were proved. The Tribunal after reappraisal of evidence held that finding of enquiry officer was not correct, hence by substituting its own finding, the Tribunal gave outright award in favour of the workman, without granting concession to the management to prove the misconduct on merits. The matter was carried before the Punjab & Haryana High Court and it was agitated that Tribunal erred in not affording opportunity to the management to prove the misconduct but this was not accepted. It was held that the management could not be given opportunity to adduce more evidence than what was adduced before the enquiry officer and if once again chance is given it would not be of any help. In the instant case too I am inclined to apply this principle. The management has adduced its evidence to the full and the same had been found to be not true. If once again such opportunity is given it will meet the same fate. Hence, it will be an exercise in futility In view of this matter, the management is not being given any change to prove misconduct on charge No. 1 on merits.

11. Thus in view of above the concerned workman is exoperated of charge No. 1 in entirety whereas charge No. 2 is found to be true partly which does not involve any embazelment or interpolation of record. Instead he has been found guilty of not reporting to the manager about the loss of pass book in respect of which a complaint was given to him. The second part in respect of which he has been held guilty is about allowing of payment of Rs. 65 to the account holder of A/c No. 4945 on withdrawal form without pass book. At the most both the charges which have been found to have been proved under charge No. 2 are in respect of negligence. I think order of dismissal by way of punishment on this charge is shockingly disproportionate to the guilt/misconduct. I think ends of justice would be met if the concerned workman is denied wages from the date of his dismissal to the date of reference.

12. In view of above, my award is that dismissal of the concerned workman is bad in law and not justified. He will be entitled for reinstatement in service with continuity and back wages from the date of reference.

13. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

BANK OF INDIA
Regional Officer,
Kanpur Region,
Virendra Smriti, 10/54-B,
Civil Lines P. B. No. 600,
Kanpur-208001.

Shri C. M. Singh,
Staff Special Assistant (Under Suspension),
Bank of India,
Sandila Branch.

Chragesheet

During the course of your duties as Special Assistant at Bank's Sandila Branch from 1980 till your suspension from bank's service on 16-4-88 vide suspension order No. Vig. 88(56) 254 dated 16-4-88, acts of misconduct as hereinafter mentioned are alleged to have been committed by you:

Charge No. 1 :

That on 3rd August, 1987, you managed to get cheque book bearing cheque leaf Nos. SDL 0009551 to 9575 issued in the SB Account No. 5534 of Sri K. K. Jaiswal with the branch on the basis of forged cheque book requisition slip. This cheque book was handed over to you on the same day by Sri S. A. Hameed, Officer on deputation for delviery to the customer, as the customer failed to turn up collecting the said cheque book and you immediately thereafter managed to get the forged cheque requisition slip removed and or destroyed with a view to destroy the evidence;

That out of the aforesaid cheque book, you completed cheque leaf No. 0009555 into a bearer cheque for Rs. 9000 dated 6-7-87 favouring Sri Govind Kumar Asthana by forging the signatures of the account holder of SB Account No. 5534 thereon, got the fraudulent instrument presented across the counter on 6th August, 1987 through Sri B. A. Siddiqui an other customer of the branch and your accquittance cancelled the forged signature of the customer appearing thereon, took payment of Rs. 4000 to the debit of SB account No. 5534 of Sri K. K. Jaiswal against the same from the cashier on behalf of the said Sri N. A. Siddiqui and managed to divert the remaining amount of Rs. 5000 for the purchase of a demand draft drawn on Lucknow Branch favouring National Fertilizers Ltd., sought by M/s. Kissan Khad Bhandar, Railway Colony, Hardoi through Sri Abhay K. Pandey an associate of the aforesaid Sri N. A. Siddiqui;

That you had completed another bearer cheque for Rs. 17,000 dated 6th July, 1987 favouring Sri Vijay Kumar Singh by using the cheque leaf No. 0009552 from out of the aforesaid book and forging the signature of the account holder of SB account No. 5534 thereon and immediately after the aforementioned fraud was completed you got this fraudulent instrument presented accross the counter on 6th August, 1987, itself got the said cheque passed and withdrawn from SB account No. 5534 fraudulently with the help of an accomplice; and that in the aforesaid manner you committed a fraud of Rs. 9000 and an other fraud of Rs. 17000 on the bank. Each of your aforesaid acts, if proved will amount to the gross misconduct 'Doing any act prejudicial to the interest of the bank' within the meaning of para 19.5(j) of the Bi-partite Settlement.

Change No.II :

That on 6th September, 1985, you received a letter dated 6-9-85 from Sri Hem Chand, account holder of SB A/c. 4945 wherein the account holder reported to you about loss of pass book of saving bank account No. 4945 but you did not take any action on the letter nor you put up the same for appropriate order of the manager, Sandila Branch;

That on 9th September, 1985 you allowed the payment of Rs. 65 (Rupees sixty five) to the account holder of saving bank account No. 4945 on withdrawal form without accompanying the SB Account pass book and without prior permission and or knowledge of the Manager, Sandila Branch. Even in allowing the payment of Rs. 65 on withdrawal form without accompanying the pass book you did not write the words please pay without pass book on withdrawal form and did not intial there against;

That on 12-6-85 you allowed the payment of Rs. 2500 on forged withdrawal form without accompanying pass book and on 13-9-85 you asekd Sri Om Prakash Shukla, Daftry of branch to bring all payment vouchers dated 12-8-85.

Accordingly Sri Shukla, Daftry produced all the 237 vouchers dated 12-8-'85 before you for your checking but you removed the payment voucher of Rs. 2500 belonging to SB account No. 4945 from the let of vouchers surreptitiously.

That in the aforesaid manner you deliberately caused financial loss of Rs. 2500 to the bank and destroyed the bank's evidence by removing the voucher of Rs. 2500 from the bank's record surreptitiously. Each of our aforesaid acts, if proved, will amount to the gross misconduct of doing any act prejudicial to the interest of the bank within the meaning of para 19.5(j) of the Bi-partite Settlement.

Sd./-
Regional Manager,
Kanpur Region
and Disciplinary Authority

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का.आ. 1166.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण के केन्द्रीय सरकार इलाहाबाद बैंक के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध के निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-12012/227/91-आईआर (बी-II)]
ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New, Delhi, the 10th April, 1997

S.O. 1166.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Allahabad Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 08-04-97.

[No. L-12012/227/91-IR(B-II)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 185 of 1991

In the matter of dispute :

BETWEEN

Sachiv All India Allahabad Bank Employees Association
C/o B. P. Saxena, 127/191, Saket Nagar, Kanpur.

AND

Regional Manager,
Allahabad Bank,
Gorakhpur, U.P.

APPEARANCES :

Sri M. K. Verma—for the Bank.

Sri B. P. Saxena—for the Assoc.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification No. L-12012/227/91-IR-(B-II) dated 14th November, 1991 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of Allahabad Bank in imposing the penalty of withdrawal of special allowance of Sri D. N. Sharma, Special Assistant is justified ? If not, to what relief is the workman entitled to

2. The following facts are undisputed—

The concerned workman D. N. Sharma was working as special assistant in the Faizabad Branch of the opposite party Allahabad Bank. He was served with a Chargesheet dated 28-12-88 of which Ext. M-1 is the copy and the same is annexed herewith. It related to fraudulent withdrawal of money from the account of Smt. Vidyawati Upadhyay in the month of August, 1979 while was posted at Faizabad Branch.

One V. N. Mishra an officer of the bank was appointed as enquiry officer. After completing enquiry he submitted his report on 22-9-89 exonerating the concerned workman vide Ext. M-39. When the matter went before disciplinary authority, it did not agree and issue a show cause notice dated 22-1-90 copy of which is ext. M-40 on record. After hearing the concerned workman on the question of punishment alone, the disciplinary authority has penalised him by withdrawing special allowance. Feeling aggrieved he has raised instant industrial dispute.

3. In the claim statement it was alleged that the disciplinary authority was not justified in disagreeing with the reasons of enquiry officer and the concerned workman was not given opportunity to putforth his case before the disciplinary authority regarding merit of the case.

4. The opposite party has filed reply in which both these facts have been denied.

5. In the rejoinder nothing new has been said.

6. Whether the concerned workman has been given opportunity to defend his case before disciplinary authority or not can very well be verified from the show cause notice dated 22-1-90 the copy of which Ext. M-40 on record. In this notice after giving reasons for not agreeing with the report of the enquiry officer, the disciplinary authority has called upon the concerned workman to show cause and also to submit written submission against the nature of punishment proposed. Thus from this notice it is evident that the concerned workman has not been given opportunity to put forth his case regarding merit of the case. Instead the purpose of issue of show cause notice has been confined to punishment alone. This peculiar procedure adopted by the disciplinary authority is contrary to principles laid down in the case of Ram Kishan versus Union of India 1995(71) FLR 929 in which Hon'ble Supreme Court had explained the procedure to be adopted by the disciplinary authority when it chooses to disagree with the rerort of enquiry officer in a case of exoneration from the charges. It, inter alia, requires that disciplinary authority should also given an opportunity to the delinquent to explain his case regarding merits of the case as well. Admittedly this has not been done in the instant case. Hence this procedure is contrary to principles laid down in the above mentioned supreme court case. Consequently the punishment based on such show cause notice is also vitiated.

7. Hence my award is that order of punishment depriving the concerned workman of special allowance is not justified, and is accordingly set aside. The matter will go back before the disciplinary authority again and if it still chooses to issue show cause notice it can do so and thereby afford opportunity to the concerned workman to explain his case regarding merits of the case and thereafter it will be open to the disciplinary authority to pass fresh orders.

8. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का.आ. 1167.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद के केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/28/95-आईआर (बी-2)]

ब्रज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th April, 1997

S.O. 1167.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 8th April, 1997.

[No. L-12012/28/95-IR(B-II)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 43 of 1995

In the matter of dispute:

BETWEEN

State Vice President,
Central Bank Staff Association,
183, Barahi Tola Etawah.

AND

Regional Manager,
Central Bank of India,
125, Civil Lines, Etawah.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/28/95-IR B-2 dated 18th April, 1995, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

> Whether the action of the management of Central Bank of India, Agra in not filling up the post of Steno Officer in 1993 and also not promoting Sri Balram Sharma, Steno to the post of Steno Officer w.e.f. 28th June, 1993 is justified ? If not, what relief is the said workman entitled to ?

2. The concerned workman Balram Sharma in his claim statement has alleged that he was recruited as Stenographer by the Banking Service Recruitment Board and joint at Regional Manager's Office Etawah of the opposite party M/s. Central Bank of India on 27th August, 1984. Further promotion of Steno is done according to promotion policy agreement. On 5th June, 1993, the Agra Zone of the opposite party bank was upgraded to that of Dy. General Manager as a result of which an additional permanent post of Steno Officer came into existence as at that time the concerned workman alone was eligible he ought to have been promoted as Steno Officer in terms of Promotion Policy Agreement. Instead of doing so with malafide intention the post was not filed and subsequently one junior to him Shamim Ahmad by name was appointed as Steno Officer, which is bad in law.

3. The opposite party has filed reply in which it is alleged that after the upgradation of Zonal Office of the opposite party to that of Dy. General Manager, the concerned workman was purposely not promoted. Instead process was initiated for holding test. In that test the concerned workman also appeared but Shamim Ahmad was found more suitable, hence he was appointed Steno Officer. There was no malafide.

4. In the reioinder the above mentioned facts have been denied.

5. It was for the concerned workman to prove that he was not promoted due to malafide intention. This could have been done by adducing his evidence and proving the fact that the management was interested in Shamim Ahmad. In spite of the fact that repeated opportunity was given to the concerned workman but he failed to give evidence and ultimately on 22nd January, 1997, he was debarred from giving evidence. Thus the question of malafide is not proved for want of evidence.

6. There is Ext. E-2 papers relating to holding of test for promotion to which goes to show that the promotion test was held under the a.e.g.i.s. of Tilak Commercial Institute, B. M. Khan Agra. Shamim Ahmad had passed the test whereas Balram Sharma had failed in it which is evident from letter dated 16th May, 1994. From these papers it becomes clear that management had adopted an independent course in holding test in which the concerned workman had failed. Simply because he was senior is no ground for him for giving promotion. In such a case seniority subject to suitability is the criteria. Thus I am of the opinion that in the instant case the management was justified in not promoting Balram to the post of Steno Officer because of his failure in the test.

Hence he is not entitled for any relief.

7. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1997

का०आ० 1168.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नोर्दन रेलवे, नई दिल्ली, के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-41012/60/85-डी० II (बी०)]
के०वी०बी० उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th April, 1997

S.O. 1168.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Gvoernment hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Rly., New Delhi and their workman, which was received by the Central Government on 3-4-97.

[No. L-41012/60/85-D.II(B)]
K. V. B. UNNI, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 8/87

In the matter of dispute between :

Shri Sat Pal Mahajan, Casual Khalasi through

The General Secretary, Uttar Railway Karamchari Union, 5239, Ajmeri Gate, Delhi.

Versus

The Divisional Railway Manager, Northern Railway

through D.S.E./Spl., Northern Railway, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri Yogeshwar Dutt for the Union.
Shri H. L. Nanda for the management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-41012/60/85-D.II(B) dated 20-1-1987, has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the I.O.W/SPL/TKJ, New Delhi under D.R.M., Northern Railway, in terminating the services of Shri S. P. Mahajan, Casual Khalasi w.e.f. 6-5-82 is justified ? If not, to what relief the workman entitled ?"

2. The workman concerned was lastly appointed as casual khalasi on and from 4-7-78 under AEN/SPL, Tilak Bridge @Rs. 13.19 (approximately) per day. His services were terminated w.e.f. 6-5-1982 on account of unauthorised long absence beyond 30 days.

3. The case of the workman is that while on duty he met with an accident, as a result of which he could not attend his duty from 5-5-1982, until he was recovered. It is further alleged by him that when he reported on duty on 22-6-82, he was refused to join duty on the ground that his services had been terminated w.e.f. 6-5-1982 on account of unauthorised long absence bevond 30 days, as per rules. Violation of Sections 25-F and G of the Industrial Disputes Act, 1947, has also been alleged by the workman.

4. In their written statement, the allegations have been denied by the management. It is stated that the workman concerned did not report his accident as per rules and remained unauthorisedly absent beyond 30 days. Hence, his name was removed from the rolls as per rules governing the casual labour. It is further stated that the workman concerned was unwilling, quarrelsome and mischievious worker. On several occasions, his IOW/Incharge had also complained against him.

5. The management have filed seven documents and have examined Shri R. C. Saxena, Inspector of Works (TKJ) Northern Railway, New Delhi as MW 1/1.

6. The workman concerned has filed 11 documents and has examined himself as WW 1/1.

7. I have heard the representative of both the parties and have gone through the evidence on record.

8. As stated by the workman concerned, date of his last appointment as casual khalasi was 4-7-1978, which, although has been denied by the management, but the management could not show as to from which date he was appointed as casual khalasi. The plea of the management in this connection is that the service record of the workman concerned is not traceable, as the same has been removed by the workman concerned. No evidence in support of this plea is on record. Therefore, the date of the last appointment of the workman concerned as casual khalasi on and from 4-7-1978, can safely be taken to be correct. Thus, it is established that prior to termination of his services w.e.f. 6-5-1982, the workman concerned had rendered continuous service much beyond 240 days.

9. From the evidence on record, it is established that at the time of termination of his services, the workman had not been given one month prior notice or pay in lieu thereof, nor any retrenchment compensation has been paid. Hence, provisions of Seciton 25-F of the I.D. Act, 1947 intervene and violated, as a result of which the workman concerned continuous to be in service with back wages and other benefits, which would have accrued to him, had his services not been so terminated.

10. Hence, my award is that the action of the IOW/SPL/TKJ, New Delhi under D.R.M., Northern Railway, in terminating the services of Shri S. P. Mahajan, Casual Khalasi w.e.f. 6-5-1982 is illegal and unjustified, as a result of which the workman concerned is reinstated w.e.f. 6-5-1982 with half back wages and continuity of service and other consequential benefits.

11. Award is given accordingly.

19th March, 1997.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1997

का०आ० 1169.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नेशनल इंश्यूरेन्स कं० लि० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली, के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल०-17011/30/89/-आई०आर०बी० 2/डी०-II ए०]
के०बी०बी० उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th April, 1997

S.O. 1169.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to

the management of National Insurance Co. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 04-04-1997.

[No. L-17011/30/89-D.II.A/IR B-II]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL: NEW DELHI

I. D. No. 88/89

In the matter of dispute between :

Shri K. K. Kohli, Development Officer (First Class) G.R. 1A-2/115-B. Lawrence Road, New Delhi.

Versus

The Manager,
National Insurance Co. Ltd., 4th Floor,
Jeevan Bharti 124, Connaught Place,
New Delhi-110001.

Appearances :
Shri K. K. Kholi in person.
Shri G. B. Tulsiani for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its order No. L-17011/30/89-IR (B-I) dated 30-8-89 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of National Insurance Co. Ltd., New Delhi in terminating the services of Shri K. K. Kohli, Development Officer (First Class) is justified and if not to what relief the workman is entitled ?"

2. During the pendency of the dispute the parties settled the matter themselves and filed settlement Ex. M-1. The statement of the parties were recorded in which they stated that award in terms of settlement Ex. M-1 may be passed in this case.

3. In view of the above situation the dispute between the parties stands settled. They shall be bound by the settlement Ex. M-1 which shall form part of this award. Parties are left to bear their own costs.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

31st March, 1997.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : DELHI :

In the matter of :

I.D. No. 88/89

BETWEEN

Shri K. K. Kohli .. Workman

Versus

National Insurance Co. Ltd. .. Respondent

SETTLEMENT

NOD 13-1-97

Respectfully Sheweth :

1. Whereas in the above case the services of Shri K. K. Kohli the workman were terminated by the respondent after regular domestic enquiry. Shri K. K. Kohli has challenged the same and an industrial dispute has been raised and has been referred to this Hon'ble Court for adjudication. Besides this Shri K. K. Kohli has also filed LCA in respect of arrears being LCA No. 112/88. The parties have mutually settled all their disputes including the above case and LCA No. 112/88 and the industrial disputes on the following terms and conditions :—

(i) That on the request of Shri K. K. Kohli, the respondent Management has agreed to reinstate Shri K. K. Kohli, the workman on the post from where his services were terminated for the purpose of maintaining continuity in service only.

(ii) The parties have further agreed that Shri K. K. Kohli the workman shall not be entitled to any salary, backwages, bonus, leave encashment or benefit of provident fund or any other emoluments benefits, perks during the period he remained out of employment during the pendency of the Industrial Dispute. The respondent shall pay Rs. 10,000/- each in I.D. No. 88/89 and LCA 112/88 as exgratia compensation for the aforesaid period in full and final settlement of all his claims. That all the disputes including that of reinstatement subject matter of I.D. No. 88/1989 and LCA No. 112/88 pertaining to wages have been mutually settled and no claim whatsoever remains to be settled or adjudicated upon.

(iii) The salary of Shri K. K. Kohli, the workman shall be fitted in the corresponding scale on reinstatement according to his Salary and emoluments drawn by him as on date of termination taking into account the period/years he was out of employment but he shall not be entitled to any arrears on account of increments or backwages etc.

(iv) The period for which Shri K. K. Kohli remained out of work shall not be treated as a break in service and his services shall be deemed to be continuous for other purposes and the workman shall be entitled to all the benefits to which he was entitled on the date his services were terminated and for services thereafter i.e., gratuity and/or pension as the case may be. However, he shall not be entitled to any back-wages, leave salary, leave encashment, bonus, arrears of increment, provident fund, dues for the intervening period during which Shri K. K. Kohli remained out of employment.

2. That the workman has no other claim whatsoever on any account except mentioned in the settlement. Shri K. K. Kohli has settled both the disputes i.e., Industrial Dispute as well as claim in LCA No. 112/88 in full and final settlement of all his disputes and there remains no dispute between the parties or any claim or claims payable to Shri K. K. Kohli by the respondent other than the agreed in the settlement.

3. That this settlement has been arrived at without any force, fear or pressure on the workman and has been made of his own accord and according to his willingness and as agreed by him. This settlement however made by Respondent company is without prejudice to the rights and contentions of the company in the matter of changes of misconduct and order of penalty against him.

It is, therefore, prayed that the settlement be recorded and award be made in terms of the settlement.

K. K. KOHLI, Workman

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : DELHI :

(CGIT)

In the matter of :

I. D. No. 88/89

BETWEEN

Shri K. K. Kohli .. Workman

Versus

National Ins. Co. Ltd. .. Respondent

Affidavit of Shri Tajinder Sobti, Deputy Manager of National Insurance Co. Ltd. on behalf of the respondent.

I, the above named deponent do hereby solemnly affirm and declare as under :—

1. That I am posted as Deputy Manager in the Respondent Insurance Co. and in that capacity am fully conversent with the facts of the case and am authorised and competent to swear this affidavit, and say that the settlement has been arrived at with the Workman.

2. That the terms of settlement have been mutually agreed upon without any pressure, force or fear and it has been made at the request of the parties and the terms of settlement contained in the accompanying application have been fully agreed by the parties and they shall be bound by the terms of settlement and the same be read as part of this affidavit.

DEPONENT

Verification :

Verified at New Delhi on this 06th day of January, 1997 that the facts stated in the above paras of the affidavit are true to my knowledge, nothing has been concealed nor any part of it is false.

DEPONENT

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : DELHI :

I. D. No. 88/89

BETWEEN

Shri K. K. Kohli .. Workman

Versus

National Insurance Co. Ltd. .. Respondent

Affidavit of Shri K. K. Kohli : S/o Late Shri V. N. Kohli aged 54 years : R/o Flat No. 205, Sector 19, C-Block : Rohini : Delhi-85.

I, the abovenamed deponent do hereby solemnly affirm and declare as under :—

1. That I, claimant/workman in the above case and am fully conversent with the facts of the case and an able to depose about the same and say that the settlement has been arrived at with the company.

2. That the terms of settlement have been mutually agreed upon and I have given my free consent without any pressure, force or fear and it has been made on my request and the terms of settlement have been fully agreed by me and I shall be bound by the terms of settlement and the same be read as part of this affidavit.

DEPONENT

VERIFICATION :

Verified at New Delhi on this 6th day of January, 1997 that the facts stated in the above paras of the affidavit are true to my knowledge, nothing has been concealed nor any part of it is false.

DEPONENT

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का०आ० 1170:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर जयपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल०-14011/1/91-आई०आर० (डी० यू०)]
के०वी०बी० उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1170.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Commander Works Engineer, Jaipur and their workman, which was received by the Central Government on 4-4-97.

[No. L-14011/1/91-IR(DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर।
केस नं० सी०आई०टी० 52/91

रेफरेंस : भारत सरकार श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल० 14011/1/91-आई०आर०डी०यू० दि० 26-9-91

महासचिव, एम०ई०एस० वर्क्स यूनियन, सी० डब्ल्यू० ई०एस० कॉलोनी, नसीराबाद जिला अजमेर।

—प्रार्थी

बनाम

कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर, एम०ई०एस० जयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थिति

माननीय पीठासीन अधिकारी, श्री रमेश चन्द्र शर्मा, आर०एच० जे०एस०

प्रार्थी यूनियन की ओर से : कोई हाजिर नहीं
अप्रार्थी नियोजक की ओर से : कोई हाजिर नहीं।
दिनांक अवार्ड : 3-10-96

अवार्ड

दोनों पक्षों के प्रतिनिधि गैर हाजिर/मुकदमा प्रार्थी की गवाही के लिए लगा है। परन्तु गवाह आज भी उपस्थित नहीं। मिसल का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की साक्ष्य हेतु पहले भी पांच अवसर दिये जा चुके हैं। समय 3.00 पी०एम० हो चुके हैं। प्रार्थी मय प्रतिनिधि गैर हाजिर हैं। विपक्षी की ओर से श्री जाकिर हुसैन उपस्थित। विपक्षी को एतराज है। अतः मुकदमा हाजा में अदम पैरवी व अदम सबूत में नो-डिस्पूट अवार्ड जारी किया जाता है। अवार्ड की प्रति केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ भेजी जावे।

आर०सी० शर्मा, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का०आ० 1171.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल टेलीग्राफ ऑफिस, जयपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल०-40012/7/90-आई०आर० (डी०यू०)]
के०वी०बी० उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1171.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Telegraph Office, Jaipur and their workman, which was received by the Central Government on 4-4-97.

[No. L-40012/7/90-IR(DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी०आई०टी० 80/90

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल० 40012/7/90-आई०आर० (डी०यू०) दि० 30-11-90

मोहम्मद जान शेख, निवासी दो कोटो के बीच गुलाब सागर रोड, जोधपुर।

—प्रार्थी

बनाम

अधीक्षक, सेन्ट्रल टेलीग्राम आफिस, जोधपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के०एल० व्यास, आर०एच०जे०एस०
प्रार्थी की ओर से : श्री एम०एफ० बेग
अप्रार्थी की ओर से : श्री एम० रफीक
दिनांक अवार्ड : 30-1-96

अवार्ड

केन्द्र सरकार द्वारा निम्न विवाद अधिनिर्णय हेतु निर्देशित किया गया है :—

"Whether the action of the management of Central Telegraph Office, Jaipur in terminating the services of Shri Mohammed Jan Shekh, Daily rated labourers w.e.f. 28-8-84 justified ? If not, to what relief the worker entitled ?"

2. श्रमिक यूनियन द्वारा प्रस्तुत क्लेम में यह अभिकथित किया गया है कि विधायी नियोजक द्वारा उसे 12-6-82 को दैनिक मजदूरी पर नियोजन कार्यालय के माध्यम से नियुक्त किया गया था। जिस कार्य पर उसे लगाया गया वह स्थाई प्रकृति का था व इस रूप में उसने 28-8-84 तक कुल 428 दिन काम किया था व इसके बाद बिना नोटिस व बिना मुआवजे के उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। यह भी श्रमिक का कथन है कि उसकी सेवा मुक्ति के समय उससे कनिष्ठ श्रमिक कार्यरत थे व श्रमिक को सेवा से हटाने के बाद अन्य व्यक्तियों को इस पर नियोजित किया गया था। इस प्रकार धारा 25-एफ, जी व एच औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे तत्पश्चात् अधिनियम संशोधित किया जायेगा) की अवहेलना नियोजक द्वारा करना बताया गया है व अनुतोष यह क्लेम किया गया है कि श्रमिक को निरन्तर सेवा में मानते हुए बकाया वेतन के लाभ सहित सेवा में बहाल करने का आदेश दिया जाये।

3. नियोजक की ओर से प्रस्तुत जवाब में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि श्रमिक ने 1982 से 1984 के बीच 428 दिन दैनिक मजदूरी पर काम किया था किन्तु उसकी सेवा निरन्तर नहीं थी व किसी भी वर्ष में तथा सेवा मुक्ति से पूर्व 12 महीने में श्रमिक ने लगातार 240 दिन काम नहीं किया था इसलिए धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। यह भी अभिकथित किया गया है कि श्रमिक को पूर्ण रूप से अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया था व जब भी कार्य की आवश्यकता होती तो उसे काम पर लगाया जाता था। धारा 25-जी व 25-एच अधिनियम के प्रावधान की अवहेलना के तथ्य को भी जवाब में अस्वीकार किया गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि 10-12-84 के पत्र से श्रमिक को पुनः मजदूरी पर आने के लिए आमंत्रित किया गया था किन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ। इन आधारों पर क्लेम खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

4. श्रमिक की ओर से उसका स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है व प्रदर्श डब्ल्यू-1 से डब्ल्यू-3 प्रलेख प्रस्तुत किये गये हैं। नियोजक की ओर से एक गवाह श्री आर०सी० डोयल का शपथ पत्र व प्रदर्श एम-1 से एम-3 प्रलेख प्रस्तुत किये गये हैं। बहस सुनी गई।

5. दोनों पक्षों के अभिकथनों को देखते हुए सर्वप्रथम यह तथ्यात्मक विनिश्चय किया जाना है कि क्या श्रमिक ने धारा 25-एफ-बी के अनुसार निरन्तर एक वर्ष तक नियोजक के यहां सेवा मुक्ति से पूर्व कार्य किया। श्रमिक ने शपथ पत्र के साथ नियोजक द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-2 प्रस्तुत किया है। इस प्रमाण पत्र को नियोजक के गवाह ने अस्वीकार नहीं किया है व जवाब में भी उसे स्वीकार किया गया है। क्लेम में श्रमिक ने यह बताया है कि जो कार्य दिवस इस प्रमाण पत्र में उल्लिखित हैं उनमें साप्ताहिक अवकाश शामिल नहीं है। शपथ पत्र में भी यह तथ्य उल्लिखित किया गया है। इस बाबत जिरह कोई भी श्रमिक से नहीं की गई है व नियोजक के गवाह श्री आर०सी० डोयल ने भी अपने शपथ पत्र में इस तथ्य का खण्डन नहीं किया है। मान्य विधिक स्थिति के अनुसार साप्ताहिक अवकाश कार्य दिवसों में शामिल किया जाना आवश्यक है। प्रदर्श डब्ल्यू-2 प्रमाण पत्र जो श्रमिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार किसी भी कलेण्डर वर्ष में उसने 240 दिन कार्य नहीं किया व यह स्थिति साप्ताहिक अवकाश को शामिल करने के बाद भी श्रमिक के खिलाफ आती है। श्रमिक को सेवा मुक्ति 28-8-84 को करना बताया गया है व उस तिथि से पहले के 12 महीने में जो कार्य दिवस प्रमाण पत्र में बताये गये है उसके अनुसार श्रमिक ने कुल 183 दिन नियोजक के यहां कार्य किया था। इन कार्य दिवसों में 52 साप्ताहिक अवकाश को जोड़ने के बाद भी कुल कार्य दिवसों की संख्या 225 होती है व इससे यह स्पष्ट है कि सेवा मुक्ति से तत्काल पूर्व 12 महीनों में श्रमिक ने 240 दिन काम

नियोजक के यहां नहीं किया। धारा 25(बी)(1) अधिनियम के अनुसार लगातार एक वर्ष तक श्रमिक का सेवा में रहना उसी स्थिति में माना जा सकता है यदि उस एक वर्ष की अवधि में बीमारी, अधिकृत अवकाश, दुर्घटना, हड़ताल या तालाबंदी की अवधि में श्रमिक कार्य पर उपस्थित नहीं हुआ हो व यदि धारा 25(बी)(1) अधिनियम के तहत श्रमिक की सेवा निरन्तर नहीं है तब उस स्थिति में धारा 25(बी)(2) अधिनियम के अनुसार सेवा मुक्ति से पूर्व 12 महीने में श्रमिक द्वारा 240 दिन मजदूरी पर उपस्थित होना आवश्यक है व उसी स्थिति में धारा 25-एफ के प्रावधान का लाभ श्रमिक को प्राप्त हो सकता है। धारा 25(बी)(1) के संबंध में कोई भी साक्ष्य श्रमिक की नहीं है व न ही क्लेम में ऐसा अभिकथित किया गया है। उल्लिखित तथ्यों के अनुसार धारा 25(बी)(2) अधिनियम के अनुसार भी श्रमिक ने लगातार 240 दिन सेवा मुक्ति से 12 माह पूर्व कार्य नहीं किया। इन परिस्थितियों में धारा 25-एफ के प्रावधान लागू नहीं होते व सेवा मुक्ति के नोटिस व छंटनी के मुआवजे के अभाव में श्रमिक की सेवा मुक्ति की कार्यवाही को अवैध नहीं माना जा सकता। नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने इस संबंध में निम्न विधि दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं जिनसे उक्त विनिश्चय का समर्थन होता है:

(1) पाली सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक बनाम सुनील कुमार 1994 लैब० आई०सी० (राज०) 1370।

(2) प्रभुदयाल बनाम अलवर सहकारी भूमि विकास बैंक 1991 लैब० आई०सी० (राज०) 944।

(3) मोहन लाल बनाम भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० एफ० एल०आर० 1981 (एस०सी०) 389।

(4) गैरीसन इंजीनियर बनाम केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण एल०एल०जे० 1993 (राज०) 850।

6. उक्त विधि दृष्टान्तों में प्रतिपादित विधि की स्थिति व तथ्यात्मक विनिश्चय को देखते हुए यह माना जाता है कि श्रमिक ने लगातार 240 दिन नियोजक के यहां कार्य नहीं किया इसलिए धारा 25–एफ के प्रावधान का लाभ श्रमिक को उपलब्ध नहीं होता है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 28-8-84 से श्रमिक को सेवा-मुक्त करने की कार्यवाही को नियोजक ने अपने जवाब में विवादास्पद नहीं बताया। प्रदर्श एम–2 पत्र नियोजक द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें भी यह उल्लेख है कि श्रमिक को 28-8-84 से सेवा-मुक्त किया गया था।

7. श्रमिक द्वारा अपने क्लेम में धारा 25–जी के प्रावधान की पालना नियोजक द्वारा नहीं करना बताया है। क्लेम के पद सं० 13 में यह कहा गया है कि श्रमिक को सेवा से हटाया गया उस समय उससे कनिष्ठ कर्मचारी कार्यरत थे। नियोजक ने जवाब में स्पष्ट रूप से इस तथ्य का खण्डन नहीं किया है व यह कहा है कि श्रमिक ने कनिष्ठ व्यक्तियों के नाम के विवरण नहीं दिये थे इसलिए यह तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। श्रमिक ने अपने शपथ-पत्र में भी यह बताया है कि उसे सेवा-मुक्त किया गया तब उससे कनिष्ठ कर्मचारी कार्यरत थे। इस पर कोई भी जिरह श्रमिक से नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में इस तथ्य को सामान्यतः स्वीकार नहीं करने का कोई भी आधार नहीं हो सकता। नियोजक के गवाह श्री डायेल ने अपने शपथ-पत्र में इस तथ्य को किसी भी रूप में खण्डन नहीं किया है। उनसे जो जिरह की गई है इसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि श्रमिक की सेवा-मुक्ति से पूर्व वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई। इस साक्ष्य को विवेचित करने से यह स्पष्ट है कि नियोजक द्वारा श्रमिक की सेवा-मुक्ति से पूर्व नियम 77 के अनुसार वरिष्ठता सूची प्रकाशित नहीं की गई व यह भी स्पष्ट है कि श्रमिक की सेवा-मुक्ति के समय उसी श्रेणी में उससे कनिष्ठ कर्मचारी कार्यरत थे। नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने जनरल मैनेजर उत्तर रेलवे बनाम केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, 1992 लैब० आई०सी० (राज०) 678 का एक निर्णय प्रस्तुत किया है जिसमें यह भी प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी श्रेणी के कर्मचारी को सेवा-मुक्त करने से पूर्व नियोजक द्वारा एक सप्ताह पूर्व वरिष्ठता सूची नोटिस बोर्ड पर लगाना आवश्यक है। श्रमिक की ओर से इस सम्बन्ध में सूर्य प्रकाश बनाम राजस्थान टैक्स्ट बुक आर०एल० आर० 1991 पेज 691, ओरियेन्टल बैंक ऑफ कामर्स बनाम केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण आर०एल०आर० 1991 पेज 158, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ए० बी० सिविल रिट पिटीशन नं० 2845/89 में दिए गये निर्णय दिनांक 25-1-94 को इस बाबत संदर्भित किया गया है जिनमें भी यह प्रतिपादित किया गया है कि नियोजक द्वारा नियम 77 की पालना करना आज्ञापक है। तथ्यों व विधिक स्थिति को देखते हुए यह माना जाता है कि नियोजक द्वारा श्रमिक की सेवा मुक्ति से पूर्व नियम 77 की पालना नहीं की गई थी इस कारण श्रमिक की सेवा-मुक्ति को वैध नहीं माना जा सकता व श्रमिक पुनः सेवा में बहाल होने का अधिकारी है।

8. धारा 25–एच अधिनियम की अवहेलना नियोजक द्वारा करने के तथ्य को भी श्रमिक ने अपने क्लेम व साक्ष्य में बताया है। शपथ-पत्र में किसी ऐसे कर्मचारी का नाम नहीं बताया गया है जिसे श्रमिक को सेवा से हटाने के बाद नियोजित किया गया हो। जिरह में उसने कैलाश चन्द्र व अशोक कुमार के नाम बताये हैं व यह कहा है कि वे दोनों उससे कनिष्ठ थे व उन्हें पुनः सेवा में लिया गया था। नियोजक के गवाह श्री डोयल ने अपने शपथ-पत्र में इस तथ्य को किसी भी रूप में खण्डन नहीं किया है। जबाव जो नियोजक ने प्रस्तुत किया है उसमें भी इस तथ्य का विशिष्ट रूप से खण्डन नहीं किया गया है। अतः यह मानने का आधार है कि श्रमिक की सेवा-मुक्ति के पश्चात् उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को पुनः नियोजित किया गया था। नियोजक ने अपने जबाव में यह कहा है कि 10-12-84 को पंजीकृत डाक से श्रमिक को नौकरी पर आने का लिखा गया था किन्तु यह उपस्थित नहीं हुआ। पत्र की फोटो

प्रति प्रदर्श एस–1 प्रस्तुत की गई है । नियोजक के गवाह श्री डोयल ने अपने शपथ-पत्र में इस पत्र को डाक से भेजने के बाबत कोई भी तथ्य उल्लिखित नहीं किया है । श्रमिक ने अपनी जिरह में यह कहा है कि उक्त पत्र उसे प्राप्त नहीं हुआ । ऐसी स्थिति में यह मानने का आधार नहीं है कि 10-12-84 का पत्र वास्तव में रजिस्टर्ड डाक से श्रमिक को भेजा गया था । कुल परिस्थितियों को देखते हुए नियोजक द्वारा धारा 25–एच के प्रावधान की अवहेलना करना साबित है किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा विवाद को जिस रूप में निर्देशित किया गया है उसमें धारा 25–एच का उल्लेख नहीं है इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा इस बाबत कोई भी विनिश्चय किया जाना न्यायोचित नहीं है ।

9 श्रमिक की जिरह से व नियोजक के गवाह के बयान से यह स्थिति अभिलेख पर नहीं आई है कि श्रमिक को सेवा से हटाने के पश्चात् वह अन्य किसी लाभ के पद पर कार्यरत है अथवा अन्य रूप से उसके पास आय का कोई साधन है । नियोजक द्वारा अपने जवाब में या साक्ष्य में इस प्रकार की कोई प्रतिरक्षा नहीं ली गई है । अतः श्रमिक की सेवा-मुक्ति को अवैध मानने व उसे सेवा में पुनः बहाल करने की स्थिति में बकाया समस्त वेतन स्वीकृत करना विधिक रूप में न्यायोचित है ।

10. निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि अधीक्षक सैन्ट्रल टेलीग्राफ ऑफिस जोधपुर द्वारा श्रमिक मोहम्मद जॉन शेख को 28-8-84 से सेवा मुक्त करने की कार्यवाही अनुचित व अवैध है परिणामस्वरूप श्रमिक सेवा की निरन्तरता कायम रखते हुए पुनः सेवा में बहाल होने का व बीच की अवधि का समस्त बकाया वेतन नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है ।

11. अवार्ड आज दिनांक 30-1-1996 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

के० एल० व्यास, न्यायाधीश
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायधिकरण, जयपुर

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का०आ० 1172.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग, उदयपुर के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-97 को प्राप्त हुआ था ।

[सं० एल–40012/75/92–आई०आर० (डी०यू०)]
के० वी० बी० उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1172.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Door Sanchar Vibhag, Uaipur and their workman, which was received by the Central Government on 4-4-97.

[No. L-40012/75/92-IR(DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी०आई०टी० 9/93

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र० एल० 40012/75/92 आई०आर० (डी०बी०) दि० 29-7-93 ।

श्रीमती शान्तिदेवी राजपूत पत्नी स्व० श्री मोतीसिंह द्वारा भंवरलाल चेचानी आजाद मोहल्ला, भीपालगंज, भीलवाड़ा ।

—प्रार्थी

बनाम

1. निदेशक, दूर संचार विभाग, उदयपुर ।
2. सहायक अधीक्षक प्रभारी, विभागीय तारघर, भीलवाड़ा ।
3. प्रवर अधीक्षक तार परियात, अजमेर मण्डल, अजमेर ।

—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री आर० सी० शर्मा, आर०एच०जे०एस०
प्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं
अप्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं
दिनांक अवार्ड : 9-12-1996

अवार्ड

दोनों ही पक्षकार अथवा उनके प्रतिनिधि गैर-हाजिर है । दोनों पक्षों की ओर से कोई इत्तला अथवा सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है । प्रकरण श्रमिक से जिरह हेतु निश्चित था किन्तु प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों ही अनुपस्थित है । अतः विवाद हाजा में अदम पैरवी व अदम सबूत में "नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जावे ।

आर० सी० शर्मा, न्यायाधीश
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का०आ० 1173.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डिवीजनल इंजीनियर टेलीग्राफ्स, अजमेर के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-97 को प्राप्त हुआ था ।

[सं० एल–40012/32/86–डी०–II (बी०)]
के० वि० बी० उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1173.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Divn. Engineer, Telegraphs, Ajmer and their workman, which was received by the Central Government on 4-4-97.

[No. L-40012/32/86-D.II(B)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी०आई०टी० 46/1988

रैफरेंस: केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र० एल० 40012/32/86—डी०—III (बी) दिनांक 14-7-88 ।

भारतीय टेलीफोन कर्मचारी संघ, क्लास III, अजमेर डिवीजन, अजमेर —प्रार्थी

बनाम

1. महाप्रबन्धक, टेलीकम्युनीकेशन, राजस्थान सर्किल, जयपुर, ।
2. डिवीजनल इंजीनियर टेलीग्राफ्स, अजमेर । —

—अप्रार्थीगण

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री आर० सी० शर्मा, आर०एच०जे०एम०
प्रार्थी की ओर से : श्री आर० सी० जैन
अप्रार्थी की ओर से : श्री जी० आर० सौलंकी
दिनांक अवार्ड : 5-11-1996

अवार्ड

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विवाद का अभिनिर्देशन न्याय-निर्णयन हेतु इस अधिकरण को किये जाने पर यह दिनांक 20-7-88 को प्राप्त हुआ । विवाद निम्नांकित है :

"डी०ई०टी०, अजमेर डिवीजन को श्री बिजू लाल, वायरमैन को कोटा डिवीजन में स्थानान्तरण होने पर अजमेर डिवीजन में ज्वाइन करने की इजाजत न देने की कार्यवाही न्यायोचित एवं वैध है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

2. वाद विवरण के अन्तर्गत कर्मचारी संघ द्वारा यह लेख किया गया है कि श्री बिजू लाल, वायरमैन प्रार्थी कर्मचारी संघ (संक्षेप में प्रार्थी संघ) का सदस्य है, जिसका आदेश दिनांकित 12-8-86 के द्वारा कोटा उप खण्ड से अजमेर उप खण्ड में स्थानान्तरण किया गया व उसे उक्त दिनांक को ही कोटा से कार्यमुक्त कर दिया गया। दिनांक 14-8-86 को वह अजमेर कार्यालय में उपस्थित हुआ, जिसे ड्यूटी पर नहीं लिया जाकर आदेश दिनांकित 16-8-86 द्वारा पुनः कोटा जाने का निर्देश दिया गया । उसे बिना किसी कारण ड्यूटी पर नहीं लिया गया । सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर दिनांक 15-9-86 से उसने भूख हड़ताल करने की सूचना विपक्षी अधिकारियों को दी । दिनांक 11-9-86 को सहायक श्रम आयुक्त द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप किया गया व समझौता करने के प्रयास किये गये । किन्तु समझौता नहीं हो सका । अतः दिनांक 27-9-86 को श्रमिक को अजमेर में अपना पदभार सम्भालना पड़ा । प्रार्थी संघ ने यह लेख किया है कि दिनांक 12-8-86 से 26-9-86 तक श्रमिक को अनुचित रूप से ड्यूटी पर नहीं लिये जाने के कारण इस अवधि का उसका अवकाश स्वीकृत किया गया, उसे अजमेर से उदयपुर व जयपुर की यात्राएं करनी पड़ी जिस पर लगभग 300/- रुपए व्यय हुए व भूख हड़ताल पर बैठने का 887/- रुपये व्यय हुए तथा उसे भूख हड़ताल के कारण शारीरिक हानि हुई । अतः प्रार्थी संघ ने श्रमिक की सम्बन्धित अवधि के अवकाश के स्थान पर उक्त अवधि को ड्यूटी मानने, 1187/- रुपये श्रमिक को प्रदान करने व शारीरिक एवं मानसिक तथा आर्थिक हानि के रूप में 10,000/- रुपये का पुनर्भरण करने का अनुतोष प्रदान करने की याचना की है ।

3. विपक्षीगण की ओर से संयुक्त उत्तर वाद विवरण के अन्तर्गत यह लेख किया गया है कि श्रमिक के उक्त स्थानान्तरण के बाद कर्मचारी संघ ने महामंत्री के समक्ष यह मामला उठाया कि सम्बन्धित पद स्थानान्तरण की अपेक्षा नियुक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए तथा इसकी सूचना आदेश दिनांक 16-8-86 के माध्यम से प्रार्थी को दे दी गई । अतः स्थानान्तरण आदेश को स्थगित करने का उचित प्रशासनिक कारण था । श्रमिक ने इस आदेश की अनुपालना नहीं की तथा कोटा में ड्यूटी पर उपस्थित होने की बजाए अजमेर में रहा । उसके द्वारा भूख हड़ताल करना अनुशासनहीनता का कृत्य है । विपक्षीगण ने यह लेख करवाया है कि यह मामला केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार में है । श्रमिक के प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-9-86 पर अधिकारियों द्वारा विचार करने के उपरान्त उसे अजमेर में ड्यूटी पर उपस्थित होने की अनुमति दी गई तथा विपक्षी विभाग द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे उसे मानसिक, शारीरिक व आर्थिक हानि हुई हो । यदि ऐसी कोई हानि उसे हुई है तब वह स्वयं इसके लिए उत्तरदायी है । उत्तर के अनुसार, दिनांक 12-8-86 से दिनांक 16-9-86 तक 45 दिनों का अवकाश श्रमिक को स्वीकृत कर अवकाश वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।

4. प्रार्थी संघ द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 6-2-92 को प्रार्थी संघ की साक्ष्य बन्द की गई । विपक्षीगण की ओर के श्री देवराज वर्मा, सहायक अभियन्ता (ट्रंक), अजमेर का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रार्थी संघ द्वारा प्रति-परीक्षण किया गया है ।

5. दोनों पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

6. विद्वान् प्रतिनिधि विपक्षीगण द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए०आई० आर० 1996 (एस०सी०) 1271 के अनुसार इस

अधिकरण को इस मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है तथा प्रार्थी संघ का क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । इन तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी संघ के तर्क हैं कि श्रमिक का कोटा से अजमेर स्थानान्तरण किये जाने पर उसे आदेश दिनांकित 16-8-86 के द्वारा अजमेर कार्यालय ने पुनः कोटा लौट जाने के लिए कहा गया तथा उसे दिनांक 27-9-86 को ड्यूटी पर उपस्थित होने की अनुमति दी गई । अतः किसी वैध आदेश के अभाव में दिनांक 12-8-86 से दिनांक 26-9-86 तक उसे अवकाश पर रहना पड़ा तथा इस अवधि को उसकी छुट्टी विभाग द्वारा काट ली गई । अतः वैध आदेश के अभाव में उस अवधि में श्रमिक को ड्यूटी पर होना माना जाए और उसे वेतन दिलाया जाये तथा श्रमिक को उस अवधि में अजमेर में अन्यत्र जो यात्राएं करनी पड़ी उसका खर्चा दिलाया जाये । विद्वान प्रतिनिधि यह भी तर्क करते हैं कि इस अधिकरण को मामले की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है ।

7. मैंने उक्त तर्क वितर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार एवं मनन किया ।

8. प्रार्थी संघ द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है उसका आधार यह है कि आदेश दिनांकित 12-8-86 द्वारा श्रमिक का कोटा उप-खण्ड से अजमेर उप-खण्ड स्थानान्तरण करने पर श्रमिक दिनांक 14-8-86 को अजमेर कार्यालय में अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हुआ, किन्तु उसे पदभार ग्रहण नहीं करने दिया गया । इसके फलस्वरूप दिनांक 12-8-86 से दिनांक 26-9-88 तक श्रमिक को कार्यभार नहीं दिये जाने के कारण इस अवधि का उसका अवकाश माना गया एवं इस अवधि में भूख हड़ताल करने व अजमेर से अन्यत्र यात्राएं करने के कारण उसका व्यय हुआ तथा मानसिक एवं शारीरिक वेदना हुई ।

9. इस सम्बन्ध में विपक्षीगण की ओर से श्री देवराज वर्मा, सहायक अभियन्ता (ट्रेक), अजमेर का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका कथन है कि वह इस प्रकरण का प्रभारी अधिकारी है । विपक्षीगण की साक्ष्य के अनुसार अजमेर के स्थानीय कर्मचारी संघ ने महाप्रबन्धक, दूर संचार, राजस्थान, जयपुर व निदेशक दूर संचार, उदयपुर के समक्ष यह मामला उठाया था कि वायरमैन के सम्बन्धित पद को स्थानान्तरण के आधार पर नहीं भरा जाकर नियुक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए । इस कारण श्रमिक को उक्त पद का कार्यभार नहीं सम्भलाया गया तथा इस सम्बन्ध में आदेश प्रदर्श एम–2 प्रचलित किया गया । यह आदेश दिनांक 16-8-86 का है । श्री देवराज वर्मा के कथन के अनुसार श्रमिक को इस आदेश की प्रति दे दी गई थी ।

10. आदेश एम–2 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दर्शाये गये कारण का इसमें लेख करते हुए यह प्रचलित किया गया है जिसकी सूचना प्रार्थी को दी जाना प्रकट किया गया है । प्रकटतः प्रार्थी संघ द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण यह तथ्य अखण्डित रहा है । श्री देवराज वर्मा ने अपने कथन में यह भी प्रकट किया है कि दिनांक 13-8-86 से दिनांक 26-9-86 तक 45 दिन की अवधि के लिए श्रमिक को अवकाश स्वीकृत कर उक्त अवधि का नियमानुसार वेतन इत्यादि का उसे भुगतान कर दिया गया है ।

11. श्रमिक को यात्रा में कब कब व कितनी कितना व्यय करना पड़ा तथा उसे कारित होने वाले मानसिक व वेदना के तथ्य स्वयं श्रमिक को साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता था, जिन्हें उद्घाटित करने हेतु वह साक्ष्य में अवतरित नहीं हुआ है । अतः इन तथ्यों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है तथा न ही श्रमिक के साक्ष्य में उपस्थित नहीं होने का कोई उचित कारण दर्शाया जा सका है जिससे कि प्रार्थी संघ के विरुद्ध उपधारणा की जा सकती है । यदि यह माना जावे कि विपक्षीगण के साक्षी श्री देवराज वर्मा द्वारा अपने प्रति-परीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि श्रमिक ने भूख हड़ताल की थी, तब विपक्षीगण द्वारा उत्तर में किये गये इस कथन का प्रार्थी संघ द्वारा कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि श्रमिक द्वारा भूख हड़ताल करने का मामला अनुशासनहीनता का है । विपक्षीगण के आदेश प्रदर्श एम-2 के द्वारा वस्तु-स्थिति से श्रमिक को अवगत कराये जाने के पश्चात उसके द्वारा भूख हड़ताल करने व अजमेर से अन्यत्र यात्राएं करने का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है । ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर उद्घाटित नहीं हुआ है जिससे यह प्रतीत होता हो कि आदेश प्रदर्श एम-2 में दर्शाये गये कारण संदेहपूर्ण हों । अतः प्रार्थी संघ द्वारा अभ्यर्थना को प्रमाणित करवाने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर श्रमिक बिजूलाल को आदेश प्रदर्श एम-2 के आधार पर उसके कोटा उप-खण्ड से अजमेर उप-खण्ड में स्थानान्तरित होने पर पदभार ग्रहण करने हेतु अनुमति नहीं देने का विपक्षीगण का कार्य औचित्यपूर्ण एवं वैध है ।

12. अब विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या इस न्यायाधिकरण को इस प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है ?

13. विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा यह तर्क किया गया है कि टेली-कम्यूनीकेशन संस्थान को उद्योग होना स्वीकार नहीं किया जा सकता । इसको विशेष विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी संघ द्वारा किया गया है ।

14. विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में ए०आई०आर० 1996 (एस०ओ०) 1271 दृष्टान्त को प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि टेली-कम्यूनीकेशन सेवाएं उद्योग नहीं है । अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार विपक्षी

संस्थान टेलीकम्यूनिकेशन सेवा के उद्योग नहीं होने के कारण अधिकरण को इसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है ।

15. उक्त विश्लेषण के आधार पर इस विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि डी०ई०टी०, अजमेर उपखण्ड द्वारा स्थानान्तरण पर श्री विजू लाल को पदभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं देने की कार्यवाही न्यायोचित एवं वैध है । श्रमिक किसी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

16. अवार्ड की प्रति केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजी जावे ।

आर०सी० शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का०आ० 1174 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-97 को प्राप्त हुआ था ।

[एल–42012/134/88–डीब2(बी)]
के०वी०बी० उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1174.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Doordarhsan Kendra, Jaipur and their workman, which was received by the Central Government on 4-4-97.

[No. L-42012/134/88-D.2(B)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी०आई०टी० 5/1990

रैफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र० एल० 42012/134/88 डी-2 बी दिनांक 11-1-1990

---

छोटे लाल पुत्र श्री सगाराम, द्वारा कैलाश चन्द्र वाडिया, 2639, कायस्थी की बगीची, भिन्डो का रास्ता, छन्दा बाजार, जयपुर

—प्रार्थी

बनाम

दूरदर्शन केन्द्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, द्वारा निदेशक महोदय ।

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री आर०सी०शर्मा, आर०एच०के०एम०
प्रार्थी की ओर से : श्री संतोष भटनागर
अप्रार्थी की ओर से : श्री वी०एस० गुर्जर
दिनांक अवार्ड : 3-12-1996

अवार्ड

केन्द्रीय सरकार द्वारा यह विवाद न्याय निर्णयन हेतु अधिकरण को विनिर्दिष्ट किये जाने पर दिनांक 17-1-90 को इस अधिकरण में प्राप्त हुआ । विवाद निम्न प्रकार से है :

"Whether the action of the management of Director, Doordarshan Kendra, Jaipur in terminating the services of Shri Chhote Lal w.e.f. 1-12-87 ? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

2. वाद विवरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी श्रमिक छोटे लाल को दिनांक 3-7-87 को विपक्षी दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर में चपरासी के पद पर नियुक्ति हुई थी, जो अपना कार्य ईमानदारी सहित कर रहा था कि उसें अचानक दि० 31-10-87 को मौखिक आदेश से सेवा मुक्त कर दिया गया । उसके द्वारा केन्द्रीय सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष विवाद प्रस्तुत किया गया, जहां वार्ता समझौता विफल होने के कारण यह विवाद भारत सरकार को प्रेषित किया गया । श्रमिक के अनुसार विपक्षी संस्थान पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में अधिनियम) के प्रावधान लागू होते हैं जिसके द्वारा धारा 25-एच व नियम 77 व 78 का उल्लंघन किया गया है । उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच नहीं कराई गई व न ही कोई आरोप पत्र दिया गया । अतः उसने सेवा मुक्ति आदेश को अवैध घोषित करने व उसकी सेवा को निरन्तर मानने एवं बकाया वेतन दिलवाने की प्रार्थना की है ।

3. उत्तर वाद विवरण के अन्तर्गत यह लेख किया गया है कि श्रमिक को चपरासी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाकर दैनिक वेतन पर दिनांक 3-7-87 से 4 माह की अवधि के लिए रखा गया था तथा दिनांक 31-10-87 को यह अवधि समाप्त होने पर काम से हटाते समय उसे कोई नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं था । विपक्षी ने यह लेख किया है कि दूरदर्शन, अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है, इस कारण अधिनियम के संबंधित प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है ।

4. पत्रावली श्रमिक की साक्ष्य हेतु निश्चित किये जाने पर श्रमिक को साक्ष्य के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये किन्तु उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने पर दिनांक 18-11-96 को उसकी साक्ष्य बंद की गई । विपक्षी द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ।

5. दोनों पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

6. प्रार्थी श्रमिक द्वारा अपनी अभ्यर्थना को सिद्ध करने हेतु कोई प्रालेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की

गई है । उसें साक्ष्य के लिए पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं । किन्तु इसके पश्चात भी उसके द्वारा कोई भी साक्ष्य यहां तक कि स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रति परीक्षण के लिए वह साक्षी कठघरे में उपस्थित हुआ है । अतः उसमें श्रमिक के विपरीत निष्कर्ष निकाल जा सकता है ।

7. उक्त तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण मे विवाद रहित पंचाट धारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जावे ।

आर०सी० शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1997

का०आ० 1175 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हैवी वॉटर परियोजना अश्वापुरम, 507116, जिला खम्मम्म के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-4-97 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-42011/40/95-आई०आर० (डी०यू०)]
के०वी०बी० उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th April, 1997

S.O. 1175.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Heavy Water Project, Aswapuram-507116, Khammam District and their workman, which was received by the Central Government on 7-4-97.

[No. L-42011/40/95-IR(DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-I, AT

HYDERABAD

PRESENT :

Sri V. V. Raghavan, B.A., LL.B., Industrial Tribunal-I.
Dated 14th Day of November, 1996

Industrial Dispute No. 90 of 1996

BETWEEN

The General Secretary, Contract Labour and Daily Workers Union, (TNTUC) Aswarapuram, Managuru, Khammam District. — Petitioner.

AND

The General Manager, Heavy Water District Managuru. — Respondent.

APPEARANCES :

None for the petitioner.

Sri P. Damodar Reddy, Advocate for the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi made a reference to this Tribunal by its Order No. L-42011/40/95-IR(DU) dated 27-6-96 under Sections 10(1)(d) and 2A of Industrial Dispute Act, 1947 for adjudication of Industrial Disputes mentioned in its schedule which read as follows :

"Whether the action of the management of Heavy Water project in terminating the services of Sri P. Jojaiah, is legal and justified ? If not, to what relief the workmen is entitled to ?"

2. After receipt of the said reference, this Tribunal issued notices to both the parties to appear on 26-8-96. On 26-8-96 Sri G. Ravi Mohan, Advocate offered to file Vakalat for petitioner. The Advocate for the Respondent appeared and filed Vakalat. Time was extended from time to time for filing their statement. But neither of the party has filed statement, when the matter was called on 14-11-96 neither the petitioner nor his Advocate (who offered to appear) is present even no representation is made on behalf of the concerned workmen. Hence it is understood that the petitioner is not interested to prosecute the matter. Therefore there is no option except to close the reference. Hence the I.D. is closed.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 14th Day of November, 1996.

No oral or documentary evidence is adduced by both the parties.

V. V. RAGHAVAN, Industrial Tribunal-I, Hyd.

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1997

का०आ० 1176:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पश्चिम रेलवे, अजमेर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, अजमेर (राज०) के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-41012/59/95-आई०आर (बी० I)]
के०वी०बी० उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th April, 1997

S.O. 1176.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Ajmer (Rajasthan) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Paschim Rly., Ajmer and their workman, which was received by the Central Government on 8-4-97.

[No. L-41012/59/95-IR(B.I.)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबंध

न्यायालय श्रम न्यायाधीश एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर (राजस्थान)

प्रकरण सं. सी आई टी आर 7/96

रेफरेंस नं. संख्या एल-41012/59/95-आई.आर (बी. I)

दिनांक 17/4/97

मंत्री, पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद, शाखा मारवाड़ जंक्शन ...प्रार्थी

बनाम

मंडल रेल प्रबंधक, पश्चिम रेलवे, अजमेर ...अप्रार्थी

समक्ष :

श्री हरिसिंह, यू. अस्नानी, आर एच जे एस
पीठासीन अधिकारी

प्रार्थी की ओर से : श्री एस. के. गोयल

अप्रार्थी की ओर से : श्री वी. डी. भार्गव

दिनांक : 31 मार्च, 1997

अवार्ड

1. केन्द्र सरकार द्वारा प्रेषित विवाद इस प्रकार है :— "क्या श्री अब्दुल हमीद को मंडल रेल प्रबंधक, पश्चिम रेलवे, अजमेर के द्वारा माह अगस्त 1992 से सेवा से पृथक कर दिया जाना उचित एवं वैध है? यदि नहीं तो श्रमिक किस राहत का अधिकारी है ?"

2. प्रार्थी अब्दुल हमीद मंडल रेल प्रबंधक, अजमेर (जिसे संक्षेप में नियोजक कहेंगे) के विरुद्ध निम्न आशय का स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पेश किया है :—

(1) यह कि प्रार्थी की 24-2-76 को आई.ओ. डब्ल्यू. मारवाड़ में आकस्मिक खलासी के पद पर नियुक्ति हुई थी और उसने वहां थोड़े ही दिन काम किया फिर उसे हटा दिया गया। प्रार्थी ने ग्रीष्म ऋतु में पानी पिलाने वाले के पद पर 1-5-88 से 12-7-89 तक लगातार कार्य किया। इसके पश्चात् भी कार्य किया। उसे 16-10-90 को स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया जिसमें उत्तीर्ण हुआ और प्रार्थी को जरिये पत्र दि. 5-2-93 के 3-7-89 से अस्थाई स्टेटस भी दिया गया।

(2) यह कि प्रार्थी के साथ जिन अन्य कर्मचारियों को मेडिकल व स्क्रीनिंग हुआ था सभी को स्थायी घोषित कर दिया। वे आज भी कार्यरत हैं उससे कनिष्ठ भी है किन्तु प्रार्थी को पुनः नौकरी में नहीं लिया गया है और इस संबंध में रेल प्रशासन ने महाप्रबंधक को भी स्वीकृति हेतु लिखा। प्रार्थी ने सेवा में बहाली का अनुतोष चाहा है।

3. नियोजक द्वारा प्रस्तुत जवाब का तात्विक सार यह है कि प्रार्थी को हटाया नहीं गया था वह स्वयं कार्य पर नहीं आया। प्रार्थी को ग्रीष्म ऋतु में पानी पिलाने के पद पर 1-5-88 से नैमित्तिक रूप से कार्य पर लगाया जबकि 14-7-81 के पश्चात् ऐसे नियोजक पर प्रतिबंध था। अतः प्रार्थी की नियुक्ति अनियमित थी और प्रार्थी ने 1-5-88 से माह जुलाई 89 तक 129 दिन कार्य किया तथा उसके पश्चात् भी समय-समय पर कार्य किया और वह अगस्त 92 से अनुपस्थित है। प्रार्थी का स्क्रीनिंग का परिणाम जारी नहीं किया गया था प्रार्थी स्वयं स्वेच्छा से माह अगस्त 92 से अनुपस्थित है और कार्यरत कर्मचारियों को नियमित नियुक्तियां प्रदान की गयी है। अप्रार्थी का मामला करीब 12 वर्ष पुराना होने से तथा 12 वर्ष पश्चात् उसे नैमित्तिक श्रमिक के रूप में नियोजित किया गया था अतः प्रकरण महाप्रबंधक मुख्यालय बंबई में रेफर किया गया था और प्रार्थी किसी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

4. प्रार्थी ने स्वयं को साक्ष्य में पेश किया है। नियोजक की ओर से कोई साक्ष्य नहीं है।

5. मैंने पत्रावली का सावधानी से अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्क सुने। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मेरे समक्ष निम्न तर्क प्रस्तुत किये है :—

(1) यह कि प्रार्थी को 1976 में वाटरमैन के रूप में रखा गया था और उसने 1-5-88 से 12-7-89 तक नियमित रूप से कार्य किया और उसे सन् 90 में स्क्रीनिंग के लिए भेजा। उसमें तथा मेडिकल रूप से वह फिट हुआ फिर भी अन्य को रख लिया प्रार्थी को नहीं रखा और स्वयं नियोजक ने समझौता अधिकारी के सामने लिखित में अपनी गलती स्वीकार की और नियोजक ने जनरल मैनेजर को 4-5-94 को पत्र लिखा गया। वहां से उत्तर नहीं आया और प्रार्थी को केवल आश्वासन देते रहे और उसे नौकरी से हटा दिया गया और प्रार्थी ने जो दस्तावेज तलब किये वे पेश नहीं किये और न वरीयता सूची पेश की और न बनायी और प्रार्थी को 93 में अस्थाई स्टेट्स भी दे दिया गया। इन सब कारणों से प्रार्थी को सवेतन बहाली का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

6. इसके प्रतिकार में नियोजक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थी को केवल पानी पिलाने के निश्चित कार्य के लिए गर्मी के मौसम में दो तीन महीने के लिए रखा गया था और निर्धारित अवधि थी और कार्य समाप्त होने पर श्रमिक का कार्य भी समाप्त हो गया और श्रमिक 1976 में कार्य पर लगा था और बारह साल वह अनुपस्थित रहा और 1988 में प्रकट हुआ और एक स्थानीय व्यवस्था के रूप में प्रार्थी को 1-5-88 से पुनः 12-7-89 तक रख लिया गया था। जिस अवधि में प्रार्थी ने 129 दिन कार्य किया और जिन दूसरों को कार्य में कंटीन्यू किया था उन्होंने प्रार्थी से अधिक कार्य किया था और 4-5-94 का पत्र प्रार्थी को कोई विशेष अधिकार नहीं देता और प्रार्थी ने अपने क्लेम में यह उल्लिखित भी नहीं किया है कि उसे सन् 92 में हटा दिया गया और प्रार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में यह स्वीकार किया है कि जिसे रखा गया था वह ट्रेफिक विभाग से संबंधित था और प्रार्थी का कार्य भिन्न था अतः इससे प्रार्थी को कोई सहायता नहीं मिलती। प्रार्थी ने 240 दिन कार्य नहीं किया अतः उस पर छंटनी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। दोनों पक्षों ने जिस दस्तावेज को स्वीकार किया है वह 4-5-94 है। इसका मैंने सावधानी से अवलोकन किया। नियोजकों ने यह पत्र महाप्रबंधक को 4-5-94 को भेजा था जिसमें यह

पृष्ठभूमि बतायी गयी है कि प्रार्थी को प्रारम्भ में 24-2-76 को रखा गया था और उसने कुछ दिन कार्य किया और छोड़ दिया और उसे वापिस वाटरमैन के रूप में एक पुराना चेहरा होने के कारण 1-5-88 से 12-7-89 तक रख लिया गया। प्रार्थी अगस्त 1992 से नौकरी में नहीं है। प्रार्थी को 16-10-90 को स्क्रीनिंग की गयी थी और उसे 5-2-93 के आदेश से 3-7-89 से टेंपरेरी स्टेटस दे दिया गया और प्रार्थी को बारह साल बाद पुनः एंगेज किया गया और वह अगस्त 1992 से कार्य पर नहीं है। अतः यह सलाह मांगी गयी कि क्या प्रार्थी को कार्य पर लेकर नियमित कर दिया जाए। जब हम प्रार्थी के क्लेम का अवलोकन करते है तो चरण सं. 10 में यह पाते है कि प्रार्थी ने नियोजक से स्क्रीनिंग में उत्तीर्ण किये जाने बाबत परिणाम, डाक्टरी परीक्षा परिणाम और टेंपरेरी स्टेटस प्रदान करने वाला पत्र तलब किये इनमें से अन्तिम दस्तावेज ही पत्रावली पर मौजूद है। शेष दो दस्तावेजा नियोजक ने पेश नहीं किये और केवल जवाब में यह बताया है कि प्रार्थी ने स्क्रीनिंग क्लियर नहीं किया क्योंकि उसका परिणाम जारी नहीं किया गया था। प्रार्थी ने डाक्टरी परीक्षा पास कर ली थी यह नियोजक ने अपने क्लेम के उत्तर में चरण सं. 6 में स्वीकार किया है और यह डाक्टरी परीक्षा 17-8-90 को हुई थी।

7. अब हम प्रार्थी की साक्ष्य का अवलोकन करेंगे। प्रार्थी ने यह कहा है कि उसने 1-5-88 से 89 तक गर्मी के मौसम में पानी पिलाने का कार्य किया उसका स्क्रीनिंग और मेडिकल हुआ किन्तु उसे यह कहते हुए कि पोस्ट नहीं है काम पर नहीं रखा जबकि उसके साथ वाले मौहम्मद वली को स्थाई बना दिया जो उसके बाद में ट्रैफिक से ट्रांसफर होकर आया। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने 1-5-88 से जुलाई 1989 तक 129 दिन काम किया और 1992 तक की अवधि में उसने केवल गर्मी के मौसम में दो-तीन महीने काम किया और अगस्त 1992 से वह कार्य पर नहीं है। यह गवाह स्वीकार करता है कि मौहम्मद वली ने ट्रैफिक में काम किया था। पानी पिलाने का काम नही किया था।

8. भारत सरकार द्वारा प्रेषित रेफरेंस में यह विवाद उठाया गया है कि प्रार्थी को अगस्त 1992 से सेवा से पृथक किया जाना उचित एवं वैध है या नहीं। नियोजक ने प्रस्तुत स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के उत्तर की चरण सं. 4 में यह कथन किया है कि प्रार्थी अगस्त 1992 से कार्य से अनुपस्थित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगस्त 1992 तक प्रार्थी ने नियोजक के पास कार्य किया। नियोजक द्वारा प्रस्तुत उत्तर से यह भी स्पष्ट है कि 1-5-88 से जुलाई 1989 तक प्रार्थी द्वारा 129 दिन कार्य करने के अतिरिक्त प्रार्थी ने उसके पश्चात भी अगस्त 1992 तक कार्य किया। उत्तर में यह बताया गया है कि प्रार्थी ने समय-समय पर कार्य किया किन्तु उसका खुलासा नहीं किया गया है कि जुलाई 1989 के बाद अगस्त 1992 तक प्रार्थी ने कितने दिन या महीने कार्य किया। नियोजक से यह अपेक्षा थी कि ऐसा अस्पष्ट कथन अभिव्यक्त करने के बजाय प्रलेख से समर्थित निश्चित कार्यवधि का विवरण पेश करता क्योंकि प्रार्थी ने जिस अवधि में नियोजक के यहां कार्य किया उसका संपूर्ण प्रलेख नियोजक के पास होना चाहिये। जब यह स्थिति दस्तावेज से व जवाब से उजागर हुई है कि 17-8-90 को प्रार्थी के स्वास्थ्य की जांच की गयी तथा वह फिट पाया गया और प्रार्थी को 3-7-89 से अस्थाई स्टेटस भी प्रदान कर दिया गया तब जुलाई 1989 तक प्रार्थी ने 129 दिन कार्य किया था यह तथ्य या तर्क नियोजक की उल्लेखनीय सहायता नहीं करता। पानी पिलाने जैसा कार्य करने वाले श्रमिक से हम यह अपेक्षा नहीं रख सकते कि वह अपनी सेवा संबंधी अभिलेख पेश करेगा या उसका विवरण देगा। प्रार्थी की नियोजक ने स्क्रीनिंग भी की। प्रार्थी के अनुसार वह उसमें सफल रहा, नियोजक के अनुसार स्क्रीनिंग का परिणाम घोषित नहीं किया। प्रार्थी ने इस संबंध में नियोजक से प्रलेख भी तलब किया नियोजक ने वस्तुस्थिति संबंधी प्रलेख पेश नहीं किया। अतः 1994 एस सी सी (एल एंड एस) 796 विजय नारायण सिंह बनाम एस. पी. बिजनौर के न्यायिक दृष्टांत के आलोक में नियोजक के विरुद्ध विपरीत धारणा बनाई जाएगी। प्रार्थी ने क्लेम में चरण सं. 8 में यह कहा है कि प्रार्थी के साथ जिन कर्मचारियों का स्क्रीनिंग व मेडिकल हुआ, सभी को स्थायी घोषित कर दिया व अभी भी कार्यरत है जिनमें से उससे कनिष्ठ भी हैं। इस तथ्य का जवाब में नियोजक ने खंडन नहीं किया है। उसने परोक्ष रूप से श्रमिक के कथन की संपुष्टि की है और कहा है कि प्रार्थी अगस्त 1992 से लगातार अनुपस्थित है इसलिए उसे नियुक्ति नहीं दी गयी और जो कर्मचारी कार्यरत थे उन्हें उपलब्ध रिक्तियों पर नियमति नियुक्ति प्रदान कर दी गयी। नियोजक ऐसे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सूचीमय पूर्ण विवरण पेश कर सकता था। नियोजक के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने श्रमिक के प्रति "हाइड एंड सीक" की नीति अपनाई है। प्रार्थी ने स्पष्ट कहा है कि उसे कहा गया कि पोस्ट नहीं है इसलिए नहीं रख सकते, यह हटाने के बराबर कार्यवाही है। प्रार्थी स्वतः कार्य छोड़ गया यह नियोजक का कथन है किन्तु इसे सिद्ध करने के लिए नियोजक के पक्ष ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है और जब प्रार्थी की स्क्रीनिंग हो गई, उसे अस्थायी कर्मचारी का स्टेटस दे दिया गया और मेडिकली भी वह फिट घोषित हुआ तब वह स्वतः कार्य छोड़कर चला जायेगा यह मानने का कोई वैध कारण पत्रावली पर नहीं है। प्रार्थी का प्रतिनिधित्व भी अधिवक्ता ने नहीं किया है जिसकी सेवा व सलाह का लाभ नियोजक को मिला है। यदि पक्षकारों के मध्य असमान स्थिति हो—एक तरफ घाटी हो और दूसरी तरफ पहाड़ी तो न्यायालय को मैदान समतल बनाना होगा ताकि उस पर न्याय के पौधे का कुछ इस सुगमता से रोपण किया जा सके कि वह पुष्पित हो सके। श्रम न्यायालय की प्रकृति सिविल न्यायालय से भिन्न है। अभिवचन या साक्ष्य अधिनियम जैसे तकनीकी बिन्दुओं को हम यदि सिविल न्यायालय की दृष्टि से देखने लगे तो श्रम कानून का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। इस अन्तर व विशेषता के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ए आई आर 1995 पेज 1715

आर एस आर टी सी बनाम कृष्णकांत में जो दिशा निर्देश व व्याख्या प्रतिपादित की है वह मार्गदर्शक सितारे की भांति है। उक्त तथ्यों, विवेचन एवं विश्लेषण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्रमिक ने स्वतः कार्य नहीं छोड़ा लेकिन उसे अगस्त 1992 में सेवा से हटा दिया गया जो प्रकरण की परिस्थितियों में उचित नहीं था और उसके साथियों को कार्य पर जारी रखते हुए स्थायी भी कर दिया गया। अतः प्रेषित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि प्रार्थी अब्दुल हमीद को मंडल रेल प्रबंधक, पश्चिम रेलवे, अजमेर के द्वारा सेवा से पृथक किया जाना उचित एवं वैध नहीं है। समस्त हालात पर गौर करते हुए प्रार्थी जिस रूप में अगस्त 92 से पूर्व कार्यरत था उसी रूप में उसे कार्य पर लगाये जाने का उसे अधिकार है किन्तु उसे पिछला कोई वेतन लाभ देय नहीं होगा।

हरि सिंह चू. अस्नोनी न्यायाधीश
श्रम न्यायालय एवऔद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का.आ. 1177.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा। के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/36/93-आई.आर. (बी.-I)]

के.वी.बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 1177.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Etawah Kshetriya Gramin Bank, Etawah and their workman, which was received by the Central Government on 8-4-1997.

[No. L-12012/36/93-IR (B-I)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 49 of 1993

In the matter of dispute :

BETWEEN

Ravindra Babu Awasthi
S/o Ram Shanker Awasthi
Vill. and Post Samho
District Etawah U.P.

AND

President Etawah Kshetriya Gramin Bank

Pradhan Karyalaya 123 Civil Lines Shiv Niwas
Kuchhehri Road Etawah.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-12012/36/93-I.R. (B-I) dated 27-5-93 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of Etawah Kshetriya Gramin Bank in terminating the services of Sri Ravindra Babu Awasthi with effect from 23rd November, 1991, is legal and justified ? If not to what relief is the workman entitled to ?

2. The concerned workman Ravindra Babu Awasthi has alleged that he was engaged as a messenger on 8-1-90 by the opposite party Etawah Kshetriya Gramin Bank and was being paid Rs. 13.50 paise as wages per day. He was performing the permanent nature of work. One Kamleshwar Yadav another messenger was transferred hence post had fallen vacant. As the concerned workman had completed more that 240 days he requested for regularisation on this post. Instead of doing so, the concerned was removed from service on 23-11-91 by earlier order which is bad being in breach of Section 25-F of I. D. Act.

3. The opposite party has filed reply in which it has been alleged that the concerned workman had never worked continuously. Instead he was engaged to do temporary nature of work which use to arise from day to day. Lateron he himself stopped coming as enough remuneration was not being paid to him according to his requirement. He has not completed 240 days in a year at all.

4. In the rejoinder nothing new has been said.

5. In support of his claim the concerned workman has stated about having completed 240 days in a year before removal. He has denied that he has completed 169 days in a year. He has said nothing about having left the job of his own. On the other hand R. K. Shukla, MW-1 Branch Manager of the bank stated that the concerned workman used to do work of temporary nature. He never worked continuously. He had himself left the job.

6. In his cross examination he has admitted that no disciplinary proceedings were drawn for abondoning the job. From the above review of evidence it will be clear that the concerned workman has not rebutted the version of the management regarding abodoning the job. In its absence the evidence of the management is unrebutted, I accept it. Accordingly it is held that the concerned workman had left the job of his own. He was not retrenched Hence question of breach of Section 25-F I. D. Act does not arise.

7. As regards the plea of concerned workman that in case of leaving the job of his own disciplinary proceedings ought to have been drawn. I think it is not necessary in a case where a workman is engade to do temporary nature of work on day to day basis.

8. In the end my award is that concerned workman was never retrenched. Instead he has left the job of his own. Hence question of concerned workman's having been retrenched does arise. Accordingly it is held that the concerned workman is entitled for no relief.

Dated : 31-3-1997

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का.आ. 1178.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड, वाराणसी । के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारी के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/219/93-आई आर (बी-I)]
के.वी.बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 1178.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Benares State Bank Ltd. Varanasi and their workman, which was received by the Central Government on 8-4-1997.

[No. L-12012/219/93-IR (B-I)]
K. V B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 9 of 1994

In the matter of dispute :

BETWEEN

Deputy General Secretary
All India Benares State Bank Employees Union,
C/o Benares State Bank 80 Ft Road, Kanpur.

AND

Assistant General Manager (P)
Benares State Bank Limited
Sankatmochan Marg, Lanka,
Varanasi.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012/219/93-IR (B-I) dated 31-1-94, has referred the following disptue for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of Benares State Bank Limited Varanasi, in retiring Sri Ram Murat Upadhyay w.e.f. 31-12-92 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled ?

2. The case of the concerned workman Ram Murat Upadhyay is that he joined the service of the opposite party on 1-3-66 in the subordinate cadre. Earlier he was removed from service on 8-3-80. He raised industrial dispute vide I. D. No. 113 of 1988 which went in his favour and the concerned workman was reinstated on 3-8-92. On 10-10-92, he was again issued a notice that he would retire from service on 31-12-92 as he would attain the age of superannuation by completing 60 years. The concerned workman raised protest alleging that he was born in the month of March 1939 as such he is yet to put in more service and his retirement order is bad in law.

3. The opposite party has filed reply in which it was alleged that the age of the concerned workman has been recorded on the basis of averments made in the application. According to this information his date of birth is recorded as 1-1-33 hence he has been correctly retired.

4. In support of his case the concerned workman has filed rejoinder but nothing new has been alleged.

5. In support of his case the concerned workman has examined himself as WW-1 and has stated that his date of birth is 1939 and in support of his case he has filed horroscope. In rebuttal there is evidence of A. B. Ghosh MW-1 who has state that in the application for job the concerned workman had given his age on the basis of which his date of birth has been recorded. There is Ext. M-4, the application dated 13-12-65 by which the concerned workman had applied for the post. In this application he has given his date of birth as 32 years. Since it is his own document/admission he is bound by it. Taking into consideration his age on 13-12-65, I think the management has calculated the date of birth and the claim of the concerned workman on the basis of horroscope is afterthought.

6. Accordingly, my finding is that the date of birth of the concerned workman as given in service record is 1-1-33 is correct. There is no dispute that age of superannuation is 60 years.

7. Accordingly it is held that the concerned workman has been correctly retired and he is not entitled for any relief.

8. I award accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का.आ. 1179.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ इंडिया इलाहाबाद के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12012/2854/82-डी-II (ए)]
के.वी.बी उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 1179.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India Allahabad and their workman, which was received by the Central Government on 8-4-1997.

[No. L-12012/2854/82-D.II (A)]
K. V. B UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 170 of 1984

In the matter of dispute :

BETWEEN

Sri Mehdi Hussain S/o Sri Abdul Hamid
r/o 231, Sultanupur Bhawan, Allahabad.

AND

Regional Manager
State Bank of India,
Allahabad Main Branch, Allahabad.

AWARD

1. Central Government, vide its Notification No. L-12012/2854/82-D.II(A) dated 28th May, 1982 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of State Bank of India, Main Branch, Allahabad in terminating the services of Sri Mehdi Hussain, Armed Guard w.e.f. 5-2-72 is justified ? If not, to what relief the said workman is entitled ?

2. Vide letter dated 28-6-71 the opposite party Bank had issued notification for appointment of Bank Guards on the basis of six month's probation. Vide Ext. M-5, the bank had further required that the applicant should be ex-military-man and non-matriculate for which he has to furnish school leaving certificate. The concerned workman vide Ext M-6 made an application for the same and also attached the school leaving certificate. On the basis of which he was given appointment on temporary basis on 15-1-70 and he was posted at Allahabad Branch. Lateron, was appointed on probation w.e.f. 9-7-71. Subsequently the management came to know that school leaving certificate filed by the concerned workman showing the concerned workman as 8th class pass was forged. Hence he was dismissed from service on 5-2-72. F.I.R. was also lodged on the basis of which criminal case No. 793 of 77 u/s 407, 468, 420 and 471 I.P.C. was registered against him in respect of which chargesheet was also filed in the court of CJM, Allahabad. That trial ended in acquittal vide judgment order dated 27-3-78. Thereafter the concerned workman made representation for his reinstatement and when concerned workman could not get success he raised the instant industrial dispute. It was alleged that dismissal order is bad but specific reasons were not given.

3. The opposite party had resisted the claim. By award dated nil this Tribunal had negatived the claim of the concerned workman. Feeling aggrieved he filed writ petition No. 1493 of 1985. By judgment and order dated 2-5-94, Hon'ble High Court while setting aside the award had been pleased to remand the case. While doing so Hon'ble High Court had further held that there had been breach of Section 25-F I. D. Act, that the dismissal order could not be passed without holding any enquiry. A request was made on behalf of the management to prove the misconduct before this Tribunal hence Hon'ble High Court had directed to permit the management to prove the misconduct. Further the objection regarding claim being belated be also to be considered. It was required to be a seen if the education certificate was necessary for appointment.

4. After remand of the case, the management had filed additional written statement in which the request for proving the misconduct on merits had been sought. The concerned workman has filed additional rejoinder.

5. Thus the first point which needs determination is about the allegation of management that the concerned workman had filed forged medical certificate. Hon'ble High Court had further observed in the body of judgment that school leaving certificate filed by concerned workman had been held to be forged by the criminal court. There is Ext. M-1 the copy of letter dated 14-12-71 by which the concerned workman had been informed that school leaving certificate dated 21-9-71 filed by him had been found to be forged and his explanation was sought. Any how the copy of school leaving certificate has not been filed. Instead the management had maintained that since the criminal court had held that school leaving certificate is forged and the concerned workman has also admitted it, the charge is proved. I do not agree with this contention. Finding of criminal court is not conclusive proof for the purpose of domestic enquiry. Instead such matter has to be considered independantly had also being uninfluenced. The authorised representative of the management had sought to carry me through papers to show that concerned workman had admitted this fact but he failed to do so, as there is no document on record which may contain admission of the concerned workman.

5. The proper course for proving the misconduct would have been to examine the original school leaving certificate from the criminal courts and file the spent or atleast it should have been filed. Thereafter evidence should have been lead to prove that that certificate is forged. Thus in the absence of school leaving certificate which is sought to be shown as forged, the management's case regarding its being forged cannot be accepted for a moment. Hence, he come to the conclusion that school leaving certificate was not forged for want of proof. Any how since the matter has become very old and by this time the concerned workman has also attained the age of superannuation and further because the disptue was raised after a lapse of 10 years, I am not inclined to award back wages and also for reinstatement. Instead a sum of Rs. 10,000 is awarded by way of compensation in lieu of reinstatement.

Reference is answered accordingly.

Dated : 17-3-1997

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का.आ. 1180.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ए.एन.जेड. ग्रिंडलेस बैंक के प्रबन्धक तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं 2, मुम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/240/94-आई आर. (बी-I)]

के.वी.बी. उन्नी डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 1180.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of ANZ Grindlays Bank and their workman, which was received by the Central Government on 8-4-97.

[No. L-12012/240/94-IR(B.I.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer

Reference No. CGIT-2/16 of 1996

Employers in relation to the Management of ANZ Grindlays Bank.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employer.—Mr. P. K. Rele, Representative.
For the Workmen.—Mr. P. N. Subramanyan, Representative.

Mumbai, dated 25th March, 1997

## AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-12012/240/94-IR(B.I) dated 27-2-96 had referred to the following Industrial Dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of Grindlays Bank in terminating the services of Sh. J. D. Kadam w.e.f. 25-5-1993 is legal and justified ? If not to what relief the concerned workman is entitled ?"

2. J. D. Kadam was appointed by the Grindlay's Bank that is the management as a peon with effect from 12-8-86. He was confirmed in the service w.e.f. 12-2-87. It is submitted that his services were terminated arbitrarily, illegally in terms of para 522(1) of the Shastry Award, by banks letter dated 25-5-93.

3. The union pleaded that the workman met with a depression due to the family problems and tensions. He was hospitalised in November 1992 to early May 1993. He was at his father-in-laws place. He could not attend the duties. On 29-1-93 the workmans mother informed the manager regarding the sickness of her son and assured that he will join the duties within two weeks. The management did not respond to that letter. Infact the bank management did not take any exception for the absence of the workman, obviously convinced that his absence was bonafide one.

4. The management wrote a letter dated 4-5-93 to the workman intimating that if he fails to report to the duties within 30 days it will be deem to be that he voluntarily retired from the service as per the provisions of clause-17(a) of the Fifth Bi-partite Settlement dated 10-4-89. The workman received that letter on 10-5-93 which was few days after his arrival at Bombay from his native place. On 11-5-93 he reported to work which was in full compliance with the order of the banks management. Infact he was to report to duty on or before 3-6-93. He submitted the letter, explaining the reasons for his absence and requested the manager to permit him to resume the duties. The manager received the letter but did not allow him to resume the duties. Further more the bank manager asked him to bring the fitness certificate from the hospital where he was treated for his illness whereafter alone he could resume duties. The workman brought the certificate and submitted it to the banks manager on 21-5-93, to report to the duty. The manager accepted the certificate but did not permit him to resume duties. Thereafter on 25-5-93 stated above his services were terminated. This letter was replied by the workman on 14-7-93 but it was of no use.

5. The workman pleaded that there was reasonable justification for his absence and due compliance of the management notice dated 4-5-1993. Under such circumstances the action of the management is illegal and unjustified. He therefore prayed that he may be reinstated in service of the bank with retrospective effect together with continuity of service, back wages and other consequential reliefs.

6. The management resisted the claim by the written statement (Exhibit-3). It is averred that the workman remained absent from duty without any lawful excuse and any type of sanctioned leave from 1-11-92 to 11-5-93. Under such circumstances the management had taken action as contemplated under paragraph 522(1) of the Shastry Award and offered him three months pay and allowance in lieu of notice. It is submitted that the termination of the service of the workman concerned on the ground of continued ill health or regarding illness is a bonafided termination and governed by the above provisions of the Shastry Award.

7. The management pleaded that in terms of the bank rules the workman concerned was required to submit medical certificates for his absence on health ground periodically and fitness certificate at the time of resuming duties. He did not do so. The management averred that from the medical certificates which are produced itself goes to show that when he reported the duties on 11-5-93 he was not mentally fit. It is further submitted that the certificate dated 20-5-93 was not received by the bank prior to 28-5-93. It is asserted that the bank has taken proper action and as per the Bipartite settlement the worker is not entitled to any of the reliefs as claimed.

8. The worker filed a rejoinder at Exhibit-4, and reiterated the contention taken by him in the statement of claim. He also denied the contentions taken by the management which are contrary to his statement. It is asserted that eventhough the worker is not in service for the last three years which have put him to financial difficulties he is still free from tension and depression. There is no recurring illness to him. It is therefore submitted that he is entitled to the reliefs which he claimed.

9. The issues that fall for my consideration and my findings thereon are as follow :

| | Issues | Findings |
|---|---|---|
| 1. | Whether the action of the management of Grindlays, bank in terminating the services of Shri J. D. Kadam w.e.f. 25-5-93 is legal and justified | No. |
| 2. | If not, to what relief the concerned workman is entitled ? | As per order. |

10. Some of the facts can be said to be not in dispute. Kadam the worker was appointed as a peon on 12-8-86. He was confirmed on 12-2-87. He was not attending the duties from 1-11-92. Thereafter for the first time he approached the bank on 11-5-93 (Exhibit-8). Before that his mother informed the manager by letter (Exhibit-6) dated 29-1-93 regarding his illness and informed that he will join the duties in a short time. Thereafter on 4-5-93 (Exhibit-7) the management wrote a letter Exhibit-7 to the worker directing him to join the duties within thirty days of the receipt of the notice. This notice was given as per the provisions of clause 17(A) of the Fifth Bipartite Settlement dated 10-4-89. It is also informed by that letter that if he did not attend the duties he will be deemed to have voluntarily retired from the service of the bank. The worker received that latter on 10-5-93. He approached the bank manager on 11-5-93 (Exhibit-8).

11. Kadam affirmed that when he approached the manager Ashwin (Exhibit-27), informed him to bring the medical certificate. He therefore collected the medical certificate dated 20-5-93 (Exhibit-9) and reported to the duty alongwith it on 21-5-93. But he was not allowed to join the duties and later on by a letter dated 25-5-93 (Exhibit-A) his services was terminated as per clause-522(1) of the Shastry Award.

12. It can be seen that when a notice Exhibit-7 was given to the worker the worker was given thrity days time to join the duties as contemplated under clause-17 (A) of the Fifth Bipartitie Settlement. In other words he was to join duties on or before 3-5-93. But he reported to the duties on much earlier that is on 11-5-93. After perusal of clause 17(A) it appears that his duty was to report to the duty within thrity days after receipt of this notice which the worker did. It does not contemplate any explanation is to be given within a said period of thirty days satisfying the management that he has not taken up another employment or a vocation and that he has not intenion of not joining the duties, the employee will be deemed to have voluntarily retired from the bank service on the expiry of the said notice. It further said that if a satisfactory explanation is given he is permitted to report for duty thereafter within thirty days from the date of the expiry of the notice. Here in this particular case when the worker came to join the duties it was necessary for the management to allow him to join the duties. But it was not done. Ashwin (Exhibit-27) the branch manager affirmed that he found the worker unfit to join the duties. Therefore he asked him to bring the medical certificate. He further affirmed that before the medical certificate was brought his services were terminated. I repeat that in view of the notice the worker could have joined in or before 3-5-93. The management can not take any action prior to that date as the notice was served on the worker. That itself goes to show that the action of the management is illegal.

13. Leaving aside this aspect of the matter even if it is taken that Ashwin the Branch Manager asked Kadam to bring the medical certificate which he brought on 21-5-93 alongwith the certificate dated 20-5-93 (Exhibit-9) the management should

have accepted it. It is the case of Ashwin that till the notice dated 25-5-93 was issued they did not receive the medical certificate. In fact Kadam was not given a particular time in which he was expected to bring the medical certificate. But in view of the notice (Exhibit-7) it may be said that he is required to bring that certificate before 3-5-94, till then the management had no authority to take any action. It can be further seen that if Ashwin found the worker unfit to join the duties he would have directed him to be examined by the doctors of the bank. He did not do anything to that effect. His action appears to be arbitrary. It is tried to argue on behalf of the management that the worker has a continued ill-health and there is recurring illness. He remained absent on and off from the duty. Therefore the action is justified. It is not in dispute that the worker was sick and was treated by the doctor. Kadam affirmed that due to the depression he fell sick. He had been to in-laws place for the treatment where Dr. S. N. Tayshete treated him. Dr. Tayshete (Exhibit-24) affirmed that he had treated Kadam and issued the certificates. He affirmed that he was not in his treatment after 30-4-93 and the certificate (Exhibit-9) dated 20-5-93 was issued by him. Much is tried to argue on behalf of the management that when the certificate dated 20-5-93 was issued to the worker it means that he was fit to join from 21-5-93 and not on 11-5-93. The doctor had clarified this position. But even for the sake of argument if it is said that he was fit to join the duties from 21-5-93 as per the notice of the bank he was in position to do so. That is within thirty days of the notice of the bank. It can be further seen that in a searching cross-examination of this witness in categorical term he has stated that Kadam is completely cured and he is normal. The Judicial notice also has to be taken into consideration that Kadam was thoroughly cross-examined in the court where he was found to be normal. It was rightly argued on behalf of the union that even facing a mental stress of being not in employment for the last three years the worker could proceed with it and had not succumed to depression again. That fact clearly suggests that he has recovered from the illness and there is no recurring illness as suggested by the Learned Advocate Mr. Rege for the management.

14. From the written argument of the management it is tried to suggest that there is a discrepancy between the statement of Kadam and the medical certificates on the record. No doubt there is such a discrepancy. But the fact still remains that the worker was sick. He was treated by Dr. Tayshete. There is no suggestion to Kadam nor to Dr. Tayshete that Kadam never took treatment from Tayshete and he never treated him. Under such circumstances there is no reason that a doctor like Tayshete should be disbelieved.

15. The Learned advocate for the management had relied upon the authorities to show that is meant by ill-health but as I have discussed above that Kadam was recovered from the ill health and there was no recurring illness to him there is no reason to dialect much on these authorities. So is the case of section 2(oo) of the Industrial Disputes Act of 1947.

16. Kadam in his cross examination affirmed that when he was in the village he did not work. In 1993 he came to Bombay and is staying at Bombay only. He is not employed since then. The witness for the management had neither affirmed that Kadam is gainfully employed nor there is any evidence contrary to the version of Kadam. In other words it has to be said that from the date of termination of his service the worker is unemployed. As this is so he is entitled to full back wages from the date of his termination

17. For all these reasons I record my findings on the issues accordingly and pass the following order :

ORDER

The action of the management of Grindlay's Bank in terminating the services of Shri J. D. Kadam with effect from 25-5-1993 is not legal and justified.

The management is directed to reinstate the workman and to treat him in service in continuity from the date of his termination. The management is further directed to pay him wages from the date of his termination till his reinstatement.

The worker is also entitled to other consequential benefits treating him to be in service.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का.आ. 1181.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नोर्दन रेलवे मुरादाबाद के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपूर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/1/94 आई आर II]
के. वी. बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 1181.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway Moradabad and their workman, which was received by the Central Government on 8-4-1997.

[No. L-41012/1/94-IR II]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 65 of 1994

In the matter of dispute :

BETWEEN

Divisional Personnel Officer
Northern Railway
Moradabad.

AND

Ram Chandra Singh
S/o Gajraj Singh
Doiwala Rly. Station
Distt. Dehradun.

APPEARANCE :

Shri Hamid Quraishy—for the management.

Shri S. M. Sharma—for the workman.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-41012/1/94-I.R. (B-II) dated Nil has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the action of the management of Northern Railway Moradabad in terminating the services of Shri Ram Chandra Singh, Hindi Typist w.e.f. 3-2-84 is legal and justified ? If not, what relief is the said workman entitled to ?

2. The case of the concerned workman Ram Chandra Singh that earlier he had worked as casual labour at Moradabad Railway Station of the opposite party Northern Railway from 27-6-77 to 14-7-77 for 18 days. Thereafter he had worked from 12-5-79 to 8-9-80 as Hindi Typist at Dehradun Railway Station. Thereafter he had worked from 27-5-82 to 10-7-82 for 45 days at Hardwar Railway Station. He again worked from 27-11-83 to 2-2-84 at the same railway station for 68 days. In this way he had completed in all 617 days. As he belongs to scheduled Caste he was removed from service from 2-2-84. It is bad in law being in breach

of Section 25-F of I. D. Act and also because he has acquired temporary status having worked for 120 days.

3. The opposite party has filed reply which it is alleged that the concerned workman was engaged by the local officers on Muster Roll basis according to need of work. He had never worked continuously. He had not acquired temporary status and had also not worked for 240 days and as such he is not entitled for any relief. The claim is also alleged to be highly belated.

4. In the rejoinder nothing new has been said.

5. In support of his case the concerned workman Ram Chandra examined himself as WW-1. Management did not adduce any evidence in spite of the fact that opportunity was given to them.

6. From the allegation made in claim statement it would become clear that the concerned workman had not completed 120 days in a spell and had also not completed 240 days in a year. Hence he did not acquire temporary status. He also did not become entitled on behalf of Section 25-F of I. D. Act.

7. In the written argument it has been urged that the junior to the concerned workman have been made permanent. There is neither any pleading nor any proof in this regard. Hence this plea is rejected.

8. Even otherwise too, the claim being ten years old is highly belated for which there is no explanation. On this plea alone the concerned workman will not be entitled for any relief on this basis.

9. In the end my award is that the termination of concerned workman is not bad in law and he is not entitled for any relief.

Dated : 1-4-1997

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का.आ. 1182.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डी.एम ई., नोर्थ ईस्टर्न रेलवे, लखनऊ ; के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल -41012/128/91/आई आर डी ए/बी-I]

के. वी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 1182.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of D.M.E. North Eastern Railway, Lucknow and their workman, which was received by the Central Government on 8-4-1997.

[No. L-41012/128/91/IR (DU) (B-I)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER-CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 204/1990

In the matter of dispute :

BETWEEN

General Secretary

Purvottar Railway Shramik Sangh
6, Navin Market Kaisarbagh, Lucknow.

AND

Senior D.M.E. North Eastern Railway
Lucknow.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-41012/128 91-IR (DU) dated 24th September, 1990, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the Sr. DME N.E.R. Lucknow is justified in imposing penalty of stoppage of one yearly increment vide his letter dated 4-12-86 to Shri Shiv Poojan If not, what relief the workman concerned is entitled to ?

2. The concerned workman Shiv Poojan was posted as Foreman at Alambagh Loco Shed. He was served with SF-II vide Ext. W-1 on 22-9-86. The contents of charge run as under—

| | |
|---|---|
| Charges | Slack Supervision |
| Information | Engine No. 2254 YP Failed |

Between BJLP KMP while working on 19-7-86 due to breakage of R/S leading crank pin which had old fatigue flowed of about 60% of the cross section. The component was last chalk tested during its Sch. IV on 17-6-86 under the supervision of Sri Sheo Poojan FO (M)/CB. But he failed to ensure proper chalk testing of examination of the crank pin during Sch IV due to which crack could not be detected. This tenatmounts to slack supervision of Sri Sheo Poojan FO(M) Sd/- Sr DME/LJN.

After completing enquiry the concerned workman was awarded punishment by way of stoppage of one annual increment vide order dated 4-12-86. Feeling aggrieved the concerned workman has raised the instant industrial dispute. In the track statement the fairness and validity of enquiry report has not been challenged. Instead it has been alleged that on 22-9-86, he not present in Loco Shed at all as he had gone to attend another engine which had developed problem in the claim hence locomotive in question was not get checked in his supervision. In any case the workshop at Izatnagar was responsible for defects. hence he was wrongly punished.

3. The opposite party has filed reply in which it has been alleged that it was a case of negligence of the concerned workman that engine in question could not be checked. If he had left workshop he had gone of his own without informing his supervisors, hence he is responsible.

4. In the rejoinder nothing new has been said.

5. From the above pleadings of the parties it will be obvious that the concerned workman has not challenged the fairness and propriety of the enquiry report. That shows that he did not disptue it. If it is found that enquiry was fairly and properly held. I think that this Tribunal has no jurisdiction to reexamine the issue regarding negligence of the concerned workman again. This Tribunal would have jurisdiction to look into the misconduct of the concerned workman had the enquiry been vitiated. In its absence as said earlier this Tribunal cannot go into the merits of the misconduct.

6. In view of above discussion my award is that the action of the opposite party, railway in imposing punishment against the concerned workman is justified and the latter is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का.आ. 1183.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय

सरकार हैवी वाटर परियोजना अश्वापूरम 507116 खम्माम जिला के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल.-42012/103/95-आई आर (डी यू)]

के.वी.बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 1183.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Heavy Water Project, Aswapuram-507116, Khammam District and their workman, which was received by the Central Government on 7-4-97.

[No. L-42012/103/95-IR(DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-I AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri V. V. Raghavan, B.A., LL.B., Industrial Tribunal-I.
Dated 15th Day of November, 1996

Industrial Dispute No. 72 of 1996

BETWEEN

Sri A. Venkanna, C/o Sri Syed Khasim Hussain, C-9/1, D. No. 235, Aswapuram Colony Post, Aswapuram-507116, Khammam District (AP). ...Petitioner.

AND

The General Manager,
Heavy Water Project,
Aswapuram-507116, Khammam Dist. .. Respondent.

APPEARANCES :

None for the Petitioner.

Sri P. Damodar Reddy, Advocate for the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by its Order No. L-42012/103/95-IR(DU) dated 30-5-96 made a reference to this Tribunal under section 10(1)(d) and 2A of Industrial Dispute Act, 1947 for adjudication of Industrial Dispute mentioned in its schedule which reads as follows :

"Whether the action of the management of Heavy Water Project, Manugur in retrenching the services of Sri A. Venkanna is proper, just and legal. If not, to what relief the workman is entitled to ?"

(2) After receipt of the said reference, this Tribunal issued notice to both the parties. Both parties received the said notice. The petitioner did not turn up on 24-7-96, the first hearing date and file the claim statement. He was set-up ex-parte on 3-9-1996. The Respondent appeared on 24-7-96 and filed the counter on 8-11-1996.

(3) On a personal of the docket sheet from 24-7-96 to 15-11-96 it can be seen that the petitioner is not interested to prosecute the matter in this case. Therefore there is not option except to close the reference. Hence the I.D. is closed.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 15th Day of November, 1996.

No oral or documentary evidence is adduced by both the parties.

V. V. RAGHAVAN, Industrial Tribunal-I, Hyderabad

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का.आ. 1184.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हैवी वाटर प्रोजैक्ट, अश्वपूराम (मानगुरू) के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42011/119/95-आई आर (डी यू)]

के. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th April, 1997

S.O. 1184.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Heavy Water Project, Aswapuram (Managuru) and their workman, which was received by the Central Government on the 10th April, 1997.

[No. L-42011/119/95-IR(DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-I, AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri V. V. Raghavan, B.A.,LL.B., Industrial Tribunal.

Dated, 16th day of November, 1996

Industrial Dispute No. 111 of 1996

BETWEEN

The General Secretary, Contract Labour and Daily wages workers union, (INTUC), Aswapuram, Managuru, Khammam District.

...Petitioner.

AND

The General Manager, Heavy Water Project, Aswapuram (Managuru), District Khammam A.P.

...Respondent.

APPEARANCES :

None—for the petitioner.

Sri P. Damodar Reddy, Advocate—for the Respondent.

AWARD

Government of India, Ministry of Labour, New Delhi made a reference to this Tribunal by its order No. L-42011|119|95-IR(DU) dated 26th July, 1995 under section 10(1)(d) and 2A of Industrial Dispute Act, 1947 for adjudication of Industrial Disputes mentioned in its schedule which reads as follows :—

"Whether the action of the management of Heavy Water Project, in terminating the services of Sri Kodipaka Venkateswaralu is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

(2) After receipt of the said reference, this Tribunal issued notices to both the parties to appear on 30th September, 1996. On 30th September, 1996 Sri G. Ravi Mohan, Advocate offered to file vakalat for the petitioner. The Advocate for the Respondent appeared and filed vakalat. Time was extended from time to time for filing their statements. But neither the party has filed statement. When the matter was called on 16th November, 1996 neither the petitioner nor his Advocate (who offered to appear) is present and even no representation is made on behalf of the concerned workman. Hence it is understood that the petitioner is not interested to prosecute the matter. Therefore there is no option except to close the reference. Hence I.D. is closed.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 16th day of November, 1996.

No oral or documentary evidence is adduced by both the parties.

V. V. RAGHAVAN, Industrial Tribunal I

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का.आ. 1185.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलिकोम विभाग, विशाखापटनम के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, विशाखापटनम के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40011/41/95-आई आर डी यू]

के. वि. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th April, 1997

S.O. 1185.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Vishakhapatnam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom Dept., Vishakhapatnam and their workmen, which was received by the Central Government on 10-4-1997.

[No. L-40011|41|95-IRDU]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT VISHAKHAPATNAM

PRESENT

Smt. G. Jaishree, B.Sc., LL.M.,

Chairman & Presiding Officer

Monday, the third day of March, 1997

I.T.I.D. (C) No. 9|96

BETWEEN

(1) Branch Secretary,
All India Telecom Employees,
Union Cr.-III,
C|o General Manager,
Telecommunication,
Vishakhapatnam-530 023.

.. 1st respondent.

(2) Dist. Secretary,
National Union for Telecom,
Engineering Employees,
C|o General Manager,
Telecommunication,
Vishakhauatnam-530 023.

.. 2nd respondent.

AND

The General Manager,
Telecommunication,
Visakhapatnam-530 023.

.. Management.

This dispute coming on for hearing before me but 1st and 2nd petitioners and the management also called absent, the court passed the following :

AWARD

W1 W2 and Management called absent. No representation made on either side, continuously on 4 dates of hearing. Hence reference is closed as not pressed and Nil award passed.

Given under my hand and seal of the court this the 3rd day of March, 1997.

SMT. G. JAISHREE, Chairman & Presiding Officer.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1997

का.आ. 1186.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हैवी वाटर प्रोजेक्ट अश्वपुरम (मानगुरु) के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल. 42011/26/95 आई आर. डीयू]
के.वी.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th April, 1997

S. O. 1186.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Heavy Water Project Aswapuram (Managuru) and their workman, which was received by the Central Government on 10-4-1997.

[No. L-42011/26/95-IR(DU)]
K.V.B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-I, AT HYDERABAD.

PRESENT :

Sri V. V. Raghavan, B.A., LL.B.,

Industrial Tribunal-I.

Dated : 12th November, 1996.

Industrial Dispute No. 97 of 1996.

BETWEEN

The General Secretary,
Contract Labour and daily wages workers union,
(TNTUC), Aswapuram,
Khammam Dist, Managuru.

.. Petitioner.

AND

The General Manager,
Heavy Water Project,
Aswarapuram (Managuru),
Dist. Khammam A. P. .. Respondent.

APPEARANCES :

None for the petitioner.

Sri P. Damodar Reddy Advocate for the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi made a reference to this Tribunal by its Order No. L-42011/26/95-IR(DU) dated 26-7-95 under section 10(1)(d) and 2A of Industrial Dispute Act, 1947 for adjudication of Industrial Disputes mentioned in its schedule which reads as follows :

"Whether the action of the management of Heavy Water Project in terminating the services of Sri I. Istharaiah is legal and justified? If not, to what relief the workmen is entitled to?

(2) After receipt of the said reference, this Tribunal issued notice to both the parties to appear on 21-9-1996. On 9-10-96 Sri G. Ravi Mohan Advocate offered to file vakalat for the petitioner. The Advocate for the Respondent appeared and filed vakalat. Time was extended from time to time for filing their statements. But neither of the party has filed statement. When the matter was called on 12-11-96 neither the petitioner not his Advocate (Who offered to appear) is present and even no representation is made on

behalf of the concerned workman. Hence it is understood that the petitioner is not interested to prosecutute the matter. Therefore there is no option except to close the reference. Hence I.D. is closed.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 12th Day of November, 1996.

No oral or documentary evidence is adduced by both the parties.

V. V. RAGHAVAN, Industrial Tribunal-I

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1997

का.आ. 1187.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलिकॉम विभाग, हैदराबाद के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-4-95 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल. 40011/42/95 आई आर (डीयू)]
के.वी.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th April, 1997

S.O. 1187.—In pursuance of Section 17 of the the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom Dept. Hyderabad and their workman, which was received by the Central Government on the 10-4-95.

[No. L-40011/42/95-IR(DU)]
K.V.B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-I, AT HYDERABAD.

PRESENT :

Sri V. V. Raghavan, B.A., LL.B.,
Industrial Tribunal-I.

Dated : 13th day of November, 1996.

Industrial Dispute No. 114 of 1996.

BETWEEN :

Sri N. Chandraiah,
C/o. A. Rajamouli,
Area Secretary, A.I. TEU 6-1-14,
Ashoknagar, Karimnagar-505001.

.. PETITIONER

AND

The Divisional Engineer,
(Microwave Project),
D/o Telecom, Baghlingampalli,
Hyderabad-500 001.

.. RESPONDENT

APPEARANCES :

None for the Petitioner.

Sri C. Radha Krishna Kumar, Advocate for the Respondent.

AWARD

Government of India, Ministry of Labour, New Delhi made a reference to this Tribunal by its Order No. L-40011/42/95-IR(DU), dated 26-7-1995 under Section 10(1)(d) and 2A of Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of Industrial Dispute mentioned in its schedule which reads as follows :—

"Whether the action of the management of Divisional Engineer (Microwave) Project in terminating the service of Mr. Chandraiah is legal, proper and justified? If not, to what relief the workmen is entitled to?

2. After receipt of the said reference, this Tribunal issued notice to both the parties. Advocate for the Respondent filed Vakalat on 24-9-96. The petitioner did not turn up either to appear in this Tribunal or to file claim statement. Though notice was served upon him. Hence it is understood the petitioner is not interested in this matter to prosecute the same. Therefore there is no option except to close the reference. Hence I.D. is closed.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 13th day of November, 1996.

No oral or documentary evidence is adduced by both the parties.

V. V. RAGHAVAN, Industrial Tribunal-I.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1997

का.आ. 1188.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हैवी वाटर प्रोजेक्ट, मानुगुरू के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक

अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-42011/13/95-आईआर (डीयू)]
के. वी. वी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th April, 1997

S. O. 1188.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Heavy Water Project, Manuguru and their workman, which was received by the Central Government on the 10-4-1997.

[No. L-42011/13/95-IR (DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-I AT HYDERABAD

PRESENT:

Shri V. V. Raghavan, B.A., LLB., Industrial Tribunal-I.

Dated 14th day of November, 1996

Industrial Dispute No. 105 of 1996

BETWEEN

The General Secretary, Contract Labour and Daily Wages Workers Union (TNTUC), Aswapuram, Khammam A.P. (Manuguru). ..PETITIONER

AND

The General Manager, Heavy Water Project, Aswapuram (Manuguru), Dist. Khammam. ..RESPONDENT.

APPEARANCES:

None—for the Petitioner.

Sri P. Damodar Reddy, Advocate—for the Respondent.

AWARD

Government of India, Ministry of Labour, New Delhi made a reference to this Tribunal by its Order No. L-42011|13|95-IR (DU), dated 26-7-95 under Section 10(1)(d) and 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of Industrial Disputes mentioned in its schedule which reads as follows:

"Whether the action of the management of Heavy Water Project in terminating the services of Shri Ganapa Sivaiah, is legal and justified ? If not, to what relief the workmen is entitled to ?"

2. After receipt of the said reference, this Tribunal issued notices, to both the parties to appear on 26-9-96. On 14-10-96 Sri C. Ravi Mohan, Advocate offered to file Vakalat for the petitioner. The Advocate for the Respondent appeared and filed Vakalat. Time was extended from time to time for filing their statements. When the matter was called on 14-11-96 neither the petitioner nor his Advocate (who offered to appear is present and even no representation is made on behalf of the concerned workmen. Hence it is understood that the petitioner is not interested to prosecute the matter. Therefore there is no option except to close the reference. Hence I.D. is closed.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 14th Day of November, 1996.

No oral or documentary evidence is adduced by both the parties.

V. V. RAGHAVAN, Industrial Tribunal-I.
Hyterabad.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1997

का.आ. 1189.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हैवी वाटर प्रोजक्ट, अण्वपुराम (मानुगुरू) के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-42011/23/95-आईआर (डीयू)]
के.वी.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th April, 1997

S. O 1189.—Inpursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Heavy Water Project and their workman, which was received by the Central Government on the 10-4-97.

[No. L-42011/23/95-IR (DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-I, AT HYDERABAD

PRESENT:

Sri V. V. Raghavan, B.A., LL.B., Industrial Tribunal-I.

Dated, 13th day of November, 1996

Industrial Dispute No. 99 of 1996

BETWEEN

The General Secretary, Contract Labour, and Daily Wages Workers Union (TNTUC), Aswapuram (Manuguru) District Khammam. ..PETITIONER.

AND

The General Manager, Heavy Water Project, Aswapuram (Manuguru), District Khammam, A.P. ...RESPONDENT.

APPEARANCES:

None—for the petitioner.

Sri P. Damodar Reddy Advocate—for the Respondent.

AWARD

The Government of India Ministry of Labour, New Delhi made a reference to this Tribunal by its order No. L-42011|23|95 IR(DU) dated 26-7-95 under section 10(1)(d) and 2A of Industrial dispute Act, 1947 for adjudication of Industrial Disputes mentioned in its schedule which reads as follows :

"Whether the action of the management of Heavy Water Project in terminating the services of Sri I. Gangalu is legal and justified? If not, to what relief the workmen is entitled to?"

(2) After receipt of the said reference. This Tribunal issued notice to both the parties to appear on 23-9-96. On 11-10-96 Sri G. Ravi Mohan Advocate offered to file Vakalat for the petitioner. The Advocate for the Respondent appeared and filed Vakalat. Time extended from time to time for filing their statements. When the matter was called on 13-11-96 neither the petitioner nor his Advocate (Who offered to appear) is present and even no representaion is made on behalf of the concerned workmen. Hence it is understood that the petitioner is not interested to prosecute the matter. Therefore there is no option except to close the reference. Hence I.D. is closed.

Given under my hand and the seal of this Tribunal this the 13th Day of November, 1996.

No oral or documentry evidence is adduced by both the parties.

V. V. RAGHAVAN, Industrial Tribunal-I

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1997

का.आ. 1190.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हैवी वाटर प्रोजेक्ट, अम्बपुरम (मानगुरू) के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं.एल.-42011/37/95-आईआर(डीयू)]
के.वि.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th April, 1997

S. O. 1190.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Heavy Water Project, Managuru and their workman, which was received by the Central Government on the 10-4-97.

[No. L-42011/37/95-IR (DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-I, AT HYDERABAD

PRESENT:

Sri V. V. Raghavan, B.A., LL.B., Industrial Tribunal-I.

Dated : 16th day of November, 1996

Industrial Dispute No 112 of 1996

BETWEEN

The General Secretary, Contract Labour, and Daily Wages Workers Union (TNTUC), Aswapuram (Manuguru), District Khammam. ..PETITIONER.

AND

The General Manager, Heavy Water Project, Aswapuram (Manuguru), District Khammam. A.P. ..RESPONDENT.

APPEARANCES:

None—for the petitioner.

Sri P. Damodar Reddy Advocate—for the Respondent.

AWARD

Government of India, Ministry of Labour, New Delhi made a reference to this Tribunal by its Order No. L-42011/37/95-IR (DU), dated 26-7-95 under Section 10(1)(d) and 2A of Industrial Dispute Act, 1947 for adjudication of Industrial Disputes mentioned in its Schedule which read as follows:

"Whether the action of the management of Heavy Water Project, in terminating the services of Sri K. Venkateswarlu, is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

2. After receipt of the said reference, this Tribunal issued notice to both the parties to appears on 30-9-96 Sri G. Ravi Mohan, Advocate offered to file Vakalat for the petitioner. The Advocate for the Respondent appeared and filed Vakalat. Time was extended from time to time for filing their statements. When the matter was called on 16-11-96 neither the petitioner nor his Advocate who offered to appear is present and even no representation is made on behalf of the concerned workmen. Hence it is understood that the petitioner is not interested to prosecute the matter. Therefore there is no option except to close the reference. Hence I.D. is closed.

Given under my hand and the seal of this Tribunal this the 16th day of November, 1996.

No oral or documentary evidence is adduced by both the parties.

V. V. RAGHAVAN, Industrial Tribunal-I

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1997

का.आ. 1191.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हैवी वाटर प्रोजक्ट, मानगुरू के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल. 42011/18/95 आईआर(डीयू)]

के. वि. बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th April, 1997

S. O. 1191.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Heavy Water Project, Manuguru and their workman, which was received by the Central Government on the 10-4-97.

[No. L-42011/18/95-IR (DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-I, AT HYDERABAD

PRESENT:

Sri V. V. Raghavan, B.A., LL.B., Industrial Tribunal-I.

Dated 14th Day of November, 1996

Industrial Dispute No. 103 of 1996

BETWEEN

The General Secretary, Contract Labour, and Daily Wages Workers Union, (INTUC),

Aswapuram (Manuguru), District Khammam. ..PETITIONER.

AND

The General Manager, Heavy Water Project, Aswapuram (Manuguru), District Khammam, A.P. ..RESPONDENT.

APPEARANCES:

None—for the petitioner.

Sri P. Damodar Reddy Advocate—for the Respondent.

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi made a reference to this Tribunal by its order No. L-42011/18/951 (DU), dated 26-7-1995 under section 10(1)(d) and 2-A of Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication mentioned in Industrial Dispute in its schedule which reads as follows :

"Whether the action of the management of Heavy Water Project in terminating the services of Shri K. Anjaiah is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

(2) After receipt of the said reference, this Tribunal issued notices to both the parties to appear on 25-9-96. On 14-10-96 Sri G. Ravi Mohan Advocate offered to file vakalat for the petitioner. The Advocate for the Respondent appeared and filed Vakalat. Time was extended from time to time for filing their statements. When the matter was called on 14-11-1996 neither the petitioner nor his Advocate (Who offered to appear) is present and even no representation is made on behalf of the concerned workman. Hence it is understood that the petitioner is not interested to prosecute the matter. Therefore there is no option except to close the reference. Hence I. D. is closed.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 14th Day of November, 1996.

No oral or documentary evidence is adduced by both the parties.

V. V. RAGHAVAN, Industrial Tribunal-I

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1997

का. आ. 1192—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स गजानन इंडस्ट्रियल प्रा.लि., के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 2—मुम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29011/27/90-आई.आर. (विविध)]

बी.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th April, 1997

S.O. 1192.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2 Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Gajanan Industries Pvt. Ltd., and their workman, which was received by the Central Government on the 4-4-97.

[No. L-29011/27/90-IR (Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NO. 2, MUMBAI

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer

Reference No. CGIT-2/14 of 1990

Employers in relation to the Management of M/s. Gajanan Industries Pvt. Ltd.

AND

Their Workmen

APPEARANCE :

For the Employer.—Shri Gajanan Tilu Naik, Proprietor.

For the Workmen.—No Appearance .

Camp Goa, dated 10th March, 1997

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-29011/27/90-IR(Misc.), Nil/7/90 had referred to the following Industrial Dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of M/s. Gajanan Industries Pvt. Ltd. Stone quarry owner, Quepem, Goa in terminating the services of 44 (forty four) workmen (as per annexure) w.e.f. 1-5-90 is justified. If not, to what relief the said workmen are entitled ?"

2. The union filed a statement of claim at Exhibit-4. It is pleaded that the 44 workmen employed by the management in basalt stone quarry-cum-stone crusher union which is one single establishment at Guddamol, Sanvordem The management has taken back in employment the following four workmen without following principles of first come first go and violated the provisions of section 25(H) of the Industrial Disputes Act. Those workers are Patil, Fernandes, Remi Fernandes and Dias. It is averred that the 44 workmen were terminated without any valid reasons and their termintion is injustified. So they prayed for their reinstatement with other reliefs.

3. The management resisted the claim by the written statement Exhibit-6. It is averred that the workers were working through and under the contractors and were paid on weekly wages by the contractor. It is denied that they are the direct employees of the company. It is submitted that the workmen have no case and they are not entitled to any of the reliefs as claimed. It is asserted that the reference is not tenable under the law. It is averred that there is no breach of any of the provisions of the Industrial Disputes Act of 1947. It is submitted that the workmen are not entitled to any of the reliefs as claimed.

4. My Learned Predecessor framed issues at Exhibit-8 and the matter then was adjourned for leading evidence.

5. None of the workmen remained present when the matter was fixed for hearing at Goa on the last occasion. This time also the union was duly served but remained absent. On the other hand the representative of the management is present. He represented that the union is deliberately avoiding to attend the tribunal and making submissions before the said Tribunal that the matter is pending before the Central Government Industrial Tribunal. The matter was kept at Goa specially to make it convenient for the workers and the unions. It is with a view that they should not be put to monetary loss for coming to Bombay for attending the case Eventhough an opportunity was given they remained absent. It appears that they have no more interest in the matter. In the result I dispose of the matter with the following order :

ORDER

The reference is disposed of for want of prosecution.

The action of the management of M/s. Gajanan Industries (P) Ltd., Stone Quarry Owner, Quepem, Goa is terminating the services of 44 (Forty Four) workmen (as per annexure) w.e.f. 1-5-90 is justified.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का.आ. 1193—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री तेला मिनरल्स, नसीराबाद के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-29011/02/87-डी-III(बी)]
बी.एम. डैविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1193.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publihses the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shri Tela Minerals, Nasirabad and their workman, which was received by the Central Government on 7-4-97.

[No. I 29011/02/87-D.III(B)]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस न सी.आई.टी. 32/87

रेफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र.एल-29011/2/87/डी-III (बी) दिनांक 8-6-1987

राजस्थान खान एवं कारखाना मजदूर यूनियन (राज० सीटू) मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर द्वारा अध्यक्ष श्री हनुमान प्रसाद मालोदिया।

—प्रार्थी

बनाम

श्री रमेशचन्द्र, मालिक श्री तेला मिनरल्स, मेन स्ट्रीट नसीराबाद, जिला अजमेर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री आर. सी. शर्मा,

आर.एच.के.एम.

प्रार्थी की ओर से श्री पी.के. माथुर

अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर नहीं

दिनांक अवार्ड 13-1-1997

अवार्ड

प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित है। गवाहान प्रार्थी अनुपस्थित हैं। प्रार्थी ने साक्ष्य हेतु पुनः समय चाहा।

प्रार्थी संघ को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। गत दिनांक पर भी साक्ष्य के लिए अंतिम अवसर दिया गया था। आज पुनः अवसर चाहने का कोई उचित आधार नहीं दर्शाया गया है। अतः साक्ष्य प्रार्थी बंद की जाती है।

प्रार्थी संघ द्वारा क्लेम के समर्थन में कोई प्रालेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः याचित प्रार्थना अस्वीकार की जाती है तथा प्रकरण में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को नियमानुसार, प्रकाशनार्थ प्रेषित किया जाये।

[आर.सी. शर्मा, न्यायाधीश]

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का.आ. 1194—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-29011/09/90-आई.आर. (विविध)]
बी.एम. डैविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1194.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rajasthan State Tungson Development Corp., and their workman, which was received by the Central Government on 7-4-97.

[No. L-29011/09/90-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आर.आई.टी. 46/90

रेफरेस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-29011/9/90/आई.आर. विविध दि. 7/1990

अध्यक्ष, टंगस्टन माईन्स मजदूर संघ टंगस्टन प्रोजेक्ट डेगाना —प्रार्थी

बनाम

मैनेजिंग डायरेक्टर, आर एस. एम.डी.सी., उद्योग भवन, जयपुर (राज.)

—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : आर.सी. शर्मा, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री एम.एफ. बेग
अप्रार्थी की ओर से : श्री जी.एल. माथुर
दिनांक अवार्ड : 23-10-1996

अवार्ड

यह विवाद केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनिर्णय हेतु इस न्यायाधिकरण को संप्रेषित किये जाने पर दिनांक 30-7-90 को अधिकरण में प्राप्त हुआ। विवाद निम्न प्रकार से है :

"Whether the action of the management of M/s. RSTDC, Jaipur in not giving the pay scale and dearness allowance as per category of work performed by the workers (as per annexure) w.e.f. 1-4-86 is justified? If not, to what relief the workmen are entitled and from what date?"

2. विवाद के अंतर्गत प्रार्थी मजदूर संघ (संक्षेप में संघ) की ओर से वाद विवरण इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपाबन्ध 'ए' में दर्शाये गए श्रमिकगण, जिनकी संख्या कुल 185 है, एवं जो संघ के सदस्य हैं, को दिनांक 1-4-86 से उनके पद के अनुरूप नियमित वेतन श्रृंखला मिलनी चाहिए। परन्तु उन्हें नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान नहीं की जा रही है। संघ द्वारा दिनांक 9-4-80 को नियोजक के समक्ष एक मांग पत्र रखा गया था जिसके अंतर्गत दिनांक 31-10-80 को एक समझौता हुआ व मजदूरी में वृद्धि की गई। दिनांक 31-10-81 को मुख्य मंत्री के प्रतिनिधि द्वारा एक अवार्ड दिया गया जिसमें यह निर्धारित किया गया कि नियमित वेतन प्राप्तकर्ता कर्मचारियों के समान ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इसके पक्षपात समझौता दिनांक 26-5-84 सम्पन्न किया गया। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम ने समझौता के अनुसार दिनांक 1-4-86 के वेतन श्रृंखला में वेतन एवं भत्ता आदि देना प्रारंभ कर दिया परन्तु राजस्थान राज्य टंगस्टन निगम ने समझौते की अनुपालना नहीं की। टंगस्टन विकास निगम, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के सब्सिडीयरी निगम ही है। वाद विवरण के अनुसार 185 श्रमिकगण नियमित वेतन श्रृंखला दिनांक 1-4-86 से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः उन्हें इस वेतन श्रृंखला का लाभ दिलाया जाए क्योंकि उनके कार्य व नियमित कर्मकारों के कार्य में कोई अन्तर नहीं है।

3. विपक्षी संस्थान की ओर से उत्तर वाद विवरण में यह लेख किया गया है कि इन श्रमिकगण को दिनांक 1-1-89 से नियमित वेतन श्रृंखला का लाभ दिया जा चुका है जिसे सभी श्रमिकगण स्वीकार कर चुके है। दिनांक 1-7-87 से टंगस्टन प्रोजक्ट, डेगाना में नियोजित श्रमिकों की सेवाएं अप्रार्थी को प्राप्त हुई हैं। मुख्य मंत्री के प्रतिनिधि के अवार्ड दिनांकित 31-1-81 की पालना का दायित्व भी पूर्व नियोजक का था। समझौता दिनांकित 18-8-84 में विपक्षी पक्षकार नहीं था। अतः वह इस समझोते से बाध्य नहीं है। विपक्षी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। विपक्षी ने यह लेख किया है कि समझौता दिनांकित 18-8-84 अप्रार्थी पर लागू नहीं है। विपक्षी संस्थान ने अपनी आर्थिक स्थिति व क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि मजदूर संघ से वार्ता कर दिनांक 2-9-89 को समझौता कर समस्त नियोजित श्रमिकों को नियमित वेतन श्रृंखला व तदनुसार देय मंहगाई भत्ता का लाभ दिनांक 1-1-89 से प्रदान किया। उक्त संबंध में जब समस्त विवाद समाप्त हो चुके हैं अतः दिनांक

1-4-86 से बाद से संबंधित श्रमिकों को नियमित वेतन श्रृंखला का लाभ दिये जाने की मांग का कोई औचित्य नहीं है। विपक्षी ने अत्याधिक विलम्ब के कारण भी मांग का औचित्य नहीं रहना प्रकट किया है।

4. प्रार्थी संघ द्वारा अपने पक्ष समर्थन में मोहन सिंह राठौड़ को परीक्षित किया जाकर 10 प्रलेखों को प्रदर्शित किया गया है। विपक्षी संस्थान द्वारा परिवाद में डी.पी. खण्डेलवाल, प्रबन्धक, आर.एस.एम.डी.सी. श्री के.डी.एस. राजावत व श्री एल.एन. भट्टाचार्या, प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन), विपक्षी संस्थान को प्रस्तुत किया जाकर 11 प्रलेखों को प्रस्तुत किया गया है।

5. दोनों पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. विद्वान प्रतिनिधि संघ के तर्क हैं कि 185 श्रमिक गण, जिनका उल्लेख वाद विवरण में किया गया है, को नियमित कर दिया गया है, किन्तु उन्हें दिनांक 1-4-86 से नियमित वेतन श्रृंखला नहीं दी गई है। उनके तर्क के अनुसार उनकी नियुक्ति की दिनांक व कार्य की प्रकृत्ति के संबंध में कोई विवाद नहीं है तथा उनकी नियुक्ति वर्ष 1974 से चल रही है। उन्हें दिनांक 1-1-89 से नियमित किया गया है। विद्वान प्रतिनिधि का यह कथन है कि समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर उन्हें 1-4-86 से नियमित वेतन श्रंखला अन्य कर्मचारियों के समान दी जाने चाहिए। अपने पक्ष के समर्थन में व प्रदर्श डब्ल्यू-1 व डब्ल्यू-2 का अवलम्बन लेते हैं। उनका यह तर्क है कि इन कर्मकारों का स्थानान्तरण विपक्षी संस्थान में होने पर उनकी सेवा शर्तें वही रखी गयी थी जो कि पूर्व संस्थान में थीं। इन तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी के तर्क हैं कि प्रार्थी संघ ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि कौन से श्रमिक किस प्रकृति का कार्य कर रहे हैं तथा यह विवाद निष्पादित करने से पूर्व ही उन्हें वेतन श्रृंखला दे दी गई थी। प्रदर्श डब्ल्यू-1 को चुनौती पूर्ण देते हुए उन्होंने तर्क किया कि यह समझौता उन पर और पक्षकारों पर लागू नहीं होता है। प्रार्थी संघ द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों के संबंध में उनका यह भी तर्क है कि विपक्षी संस्थान उन समझौतों के अंतर्गत एक पक्ष नहीं था अतः वह विपक्षी संस्थान पर लागू नहीं होते।

7. मैंने उक्त तर्कों पर विचार एवं मनन किया।

8. दर्शाये गये जिन 185 श्रमिकगण का प्रतिनिधित्व संघ द्वारा किया गया है, उनकी नियुक्ति व कार्य की प्रकृति निर्विवादित रही है। प्रदर्श डब्ल्यू-7 से जो स्थिति प्रकट होती है वह इस प्रकार है कि आर एम डी सी. लि. द्वारा टंगस्टन एक्सप्लोरेशन का व्यापार, पूंजी व दायित्व दिनांक 1-7-84 से राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लि. को स्थानान्तरित कर दिया गया। हस्तांतरक कम्पनी के समस्त श्रमिकों का हस्तान्तरती कम्पनी में समावेश किया गया तथा उनकी पूर्व सेवा शर्तों को यथावत रखा गया। इस प्रकार 185 श्रमिकगण विपक्षी संस्थान के अधीन दिनांक 1-7-84 से कार्यरत हैं। प्रार्थी संघ द्वारा अपने पक्ष समर्थन में जिन प्रलेखों का अवलम्बन लिया गया है वे प्रदर्श डब्ल्यू-1 व डब्ल्यू-2 है। प्रदर्श डब्ल्यू-1 कार्यवाही विवरण विचार विमर्श दिनांकित 20-5-84 है जिसके अन्तर्गत समझौता की शर्त संख्या 1 इस प्रकार तय की गई है कि दिनांक 1-4-86 से इन श्रमिकगण को नियमित वेतनमान उनके कार्य व उत्तरदायित्व के आधार पर दिलाया जावे। प्रदर्श डब्ल्यू-2 समझौता पत्र दिनांक 18-8-84 है जिसकी दशा सं. 1 इस प्रकार है कि दिनांक 1-4-86 से इन श्रमिकगण को नियमित वेतनमान उनके कार्य व उत्तरदायित्व के आधार पर प्रदान किया जावे। इस समझौते में यह भी लेख किया गया है कि यह समझौता दिनांक 31-3-87 तक प्रभावी रहेगा। इन दोनों लेख पत्रों के आधार पर विद्वान प्रतिनिधि संघ का तर्क है कि 185 श्रमिकगण (जिन्हें अब पश्चापत् श्रमिकगण ही संबोधित किया जावेगा) दिनांक 1-4-86 से नियमित वेतनमान समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर प्राप्त करने के अधिकारी है। इस तर्क के विरुद्ध विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी संस्थान का तर्क है कि इन प्रलेखों से विपक्षी संस्थान बाध्य नहीं है तथा विपक्षी संस्थान ने संघ से समझौते के आधार पर दिनांक 1-1-89 से श्रमिकगण को नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान कर दी है। अतः अब इस औचित्य को अवधारित करने हेतु विपक्षी संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों पर दृष्टि निक्षेप किया जाना समीचीन होगा।

9. विपक्षी संस्थान ने जिन विलेखों को अपने पक्ष के समर्थन में उद्धृत किया है, वे समझौता पत्र प्रदर्श एम-2 व एम-8 हैं।

10. समझौता पत्र प्रदर्श एम-8 दिनांक शून्य की शर्त संख्या 2 के अनुसार श्रमिकगण को विपक्षी संस्थान के उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति में दिनांक 1-4-88 से नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान की जाना लेख किया गया है इसी के अनुरूप शर्त सं. 5 निर्मित की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समझौता पत्र के पश्चात् समझौता पत्र प्रदर्श एम-2 दिनांकित 2-2-89 को निष्पादित किया गया जिसकी दशा सं0 3 में पक्षकारों द्वारा यह लेख करवाया गया है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित वेतन श्रृंखला दिनांक 1-1-79 से प्रदान की जायेगी। इसकी दशा सं0 5 में यह निहित है कि यह समझौता पूर्व के सभी समझौतों का अधिक्रमण करेगा तथा दिनांक 1-4-86 से 31-3-88 तक के नियमित वेतनमान प्रदान करने के मामले पर आर. एस.टी.डी.सी. के लाभ प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

11. प्रदर्श एम-2 के आधार पर विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी का यह तर्क है कि श्रमिकगण को दिनांक 1-1-89 से नियमित वेतन श्रृंखला दी जा रही है अतः श्रमिकगण याचित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा पूर्व नियोजक व श्रमिक संघ के मध्य हुए समझौते से विपक्षी संस्थान बाध्य नहीं है।

12. अब केन्द्रीय विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या विपक्षी संस्थान पूर्व नियोजक व श्रमिक संघ के मध्य हुए समझौते से बाध्य है अथवा नहीं तथा क्या श्रमिकगण दिनांक 1-4-86 से नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने के पात्र हैं अथवा नहीं ?

13. प्रदर्श डब्ल्यू-1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रार्थी संघ व तद्समय पूर्व नियोजक के मध्य हुई वार्ता की कार्यवाही का विवरण है। अतः एक विवरण के स्वरूप में यह पक्षकारों के मध्य बाध्यकारी नहीं है। इसी के अनुरूप दिनांक 18-8-84 को प्रदर्श डब्ल्यू-2 समझौता दोनों पक्षों के मध्य निष्पादित किया गया जिसकी शर्त स. 1 का लेखन ऊपर किया जा चुका है। इसके अनुसार दिनांक 1-4-86 से श्रमिकगण को नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने के पात्र होना स्वीकार किया गया है। किन्तु इस समझौता पत्र के अंतिम चरण में यह लेख किया गया है कि यह समझौता दिनांक 31-3-87 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश दिनांकित 3-9-84 प्रदर्श डब्ल्यू-7 के आधार पर दिनांक 1-7-84 से श्रमिकगण का स्थानांतरण विपक्षी संस्थान में किया गया। इस आदेश के अनुसार सभी श्रमिकगण का अन्तरित संस्थान में समावेश किया गया तथा व जिन सेवा शर्तों से अधिशासित होते थे उन्हें प्रभावी रखा गया। अतः यह स्पष्ट है कि स्थानांतरित श्रमिकगण की सेवा दशाओं को यथावत रखे जाने पर तथा विपक्षी संस्थान द्वारा उनका नियन्त्रण प्राप्त किये जाने पर विपक्षी संस्थान पूर्व संस्थान के स्थान पर आये जो कि दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में हुई दशाओं से बाध्य हो जाते है। अतः विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी संस्थान का यह तर्क सारवान व सार्थक नहीं है कि विपक्षी संस्थान पूर्व समझौतों से बाध्य नहीं है।

14. द्वितीय विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या श्रमिकगण दिनांक 1-4-86 से नियमित वेतनमान प्राप्त करने के अधिकारी है?

15. इस संबन्ध में विद्वान प्रतिनिधि संघ द्वारा प्रदर्श डब्ल्यू-2 समझौता पत्र दिनांकित 18-8-84 का अवलम्बन लिया गया है तथा यह आख्यान किया गया है कि समान कार्यसमान वेतन के सिद्धांत पर श्रमिकगण को दिनांक 1-4-86 से नियमित वेतन श्रृंखला अन्य समतुल्य कर्मचारियों की भांति प्रदान की जाये।

16. प्रदर्श डब्ल्यू-2 की दशाओं का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। जिसकी पुनरावृति किया जाना उचित नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि प्रदर्श डब्ल्यू-2 पक्षकारों के मध्य दिनांक 18-8-84 को निष्पादित किये जाने के पश्चात् समझौता पत्र प्रदर्श एम-8 दिनांक शून्य निष्पादित किया गया व तत्पश्चात् समझौता प्रदर्श एम-2 दिनांकित 2-2-89 को पक्षकारों के मध्य निष्पादित हुआ। यह तथ्य निर्विवादित रहा है। समझौता पत्र एम 2 के अन्तर्गत दशा सं. 3 के अनुसार इन श्रमिकगण को दिनांक 1-1-89 से नियमित वेतनमान प्रदान किया जाना निश्चित हुआ तथा इसकी दशा सं० 5 के अन्तर्गत यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यह समझौता पूर्व के समस्त समझौतों का अधिग्रहण करेगा तथा अग्रतर यह लेख किया गया है कि दिनांक 1-4-86 से दिनांक 31-3-86 तक के नियमित वेतन प्रदान करने के मामले पर विचार आर. एस. टी. डी. सी. के लाभ प्राप्त होने पर किया जायेगा इस प्रकार इस समझौते में दोनों पक्षों के मध्य निम्न दो शर्तें निश्चित की गई :

(क) कि श्रमिकगण दिनांक 1-1-89 से नियमित वेतन श्रृंखला का लाभ प्राप्त करेंगे तथा,

(ख) कि विपक्षी संस्थान को उत्पादन लाभ प्राप्त होने पर दिनांक 1-4-86 से 31-3-88 तक के नियमित वेतन प्रदान करने के बिन्दु विचारणीय होंगे।

17. यह समझौता दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है तथा इस समझौते के होने के उपरान्त दि., 1-1-89 से श्रमिकगण को नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान किया जाना विद्वान प्रतिनिधि संघ द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि विपक्षी संस्थान द्वारा समझौते की प्रथम शर्त का अनुपालन नहीं किया गया हो। द्वितीय दशा के अन्तर्गत प्रार्थी संघ द्वारा यह दर्शाया जाना चाहिये था कि विपक्षी संस्थान द्वारा समझौता निष्पादन के पश्चात् उत्पादन लाभ प्राप्त किया गया है। किन्तु इस तथ्य का उल्लेख न तो वाद विवरण के अन्तर्गत किया गया है तथा न ही, प्रार्थी संघ द्वारा परीक्षित मोहन सिंह राठौड़ के शपथ पत्र में इसका उल्लेख हुआ है। इस समझौते के अनुसार दिनांक 1-4-86 से नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने का अधिकार श्रमिकगण को तभी प्राप्त हो सकता था जब यह तथ्य दर्शाया जाता कि विपक्षी संस्थान का कथित लाभ प्राप्त हुआ है। विपक्षी संस्थान द्वारा परीक्षित साक्षी श्री डी. पी. खण्डेलवाल से प्रति परीक्षण में विद्वान प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में प्रश्न पूछा गया है कि जिनका यह कथन है कि "टंगस्टन निगम को प्रारंभ से ही हानि हुई है। वर्ष 1988-89 से पूर्व किस वर्ष में कितनी हानि हुई, पृथक से नहीं बता सकता"। यद्यपि श्री खण्डेलवाल यह निश्चित रूप में बतलाने में विफल रहे हैं कि विपक्षी संस्थान को किस वर्ष में कितनी हानि हुई, किन्तु प्रति-परीक्षण में उनका यह कथन है कि विपक्षी संस्थान को हानि हुई है। विपक्षी संस्थान को कथित लाभ प्राप्त हुआ है, इस संबंध में संघ प्रार्थी द्वारा न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है और न ही अपने अभिवचन में ऐसा कोई तथ्य दर्शाया गया है। दोनों पक्षो

द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य भी उद्घटित नहीं हुआ है कि विपक्षी संस्थान को ऐसा कोई लाभ प्राप्त हुआ हो। अतः प्रार्थी संघ यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि समझौता पत्र प्रदर्श एम-2 की दशा सं. 5 के अनुसार विपक्षी संस्थान को कोई उत्पादन लाभ प्राप्त हुआ हो।

18. प्रदर्श डब्ल्यू-2 समझौता दिनांक 18-8-84 के निष्पादन के पश्चात् प्रदर्श एम-8 व प्रदर्श एम-2 समझौता निष्पादित किया गया। यह मान्य स्थिति है कि पक्षकारों के मध्य अंतिम समझौता प्रदर्श एम-2 दिनांकित 2-2-89 को इस संबंध में निष्पादित हुआ। अतः निःसन्देह यह समझौता पत्र दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है तथा इसमें वर्णित दशाएं पक्षकारों को अधिशासित करती है। इसके अनुरूप साक्ष्य प्रस्तुत करने में प्रार्थी संघ विफल रहा है।

19. विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी संघ का यह तर्क है कि न्याय निर्णय एल. एन. जे. 1986 (स. न्याय.), 134 में प्रतिपादित सिद्धान्त समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त के आधार पर दिनांक 1-4-86 से ये श्रमिकगण नियमित वेतन श्रृंखला अन्य कर्मकारों के समान प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त विनिर्णय के अन्तर्गत तथ्य इस प्रकार हैं कि नेहरु युवक केन्द्र, देहरादून द्वारा अनेकों व्यक्तियों की नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी कर्मकारों के रूप में केन्द्र में की गई। केन्द्र द्वारा नियोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान ही इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा नियमित आधार पर कार्य किया जाता था। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा इस सहमति के आधार पर नियुक्ति स्वीकार की गई थी कि उन्हें नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तरह वेतन व भत्ते प्रदान नहीं किये जायेंगे। इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की ऐसी स्वीकृति अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के अन्तर्गत संवैधानिक आश्वासन का उत्तर नहीं है। ऐसे कर्मकारों की नियुक्ति स्वीकृत पद अथवा अन्यथा पद के विरुद्ध की गई है, के तथ्य से भी कोई अन्तर नहीं पड़ता है। फलतः केन्द्रीय सरकार को ऐसे कर्मकारों को नियमित वेतन श्रृंखला पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के समान वेतन देने का निर्देश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है।

20. इसी बिन्दु पर विद्वान प्रतिनिधि संघ द्वारा अन्य विनिर्णय 1990 लैब. आई. सी. (सर्वोच्च न्या.), 126, 1988 लैब. आई. सी. (सर्वोच्च न्या.), 37 प्रस्तुत किये गये है जिनका मेरे द्वारा सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया। ये न्यायनिर्णय समान कार्य समान वेतन के सिद्धान्त को प्रतिपादित करता है।

21. उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के विरुद्ध विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा ए. आई. आर. 1977 (सर्वो. न्या.), 322 दृष्टान्त को प्रस्तुत किया गया है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत विवाद को अवधारित करते हुए पारित किया गया है। इसके अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जब एक मान्यताप्राप्त संघ नियोजक से वार्ता करता है तब श्रमिकगण का व्यक्तिशः पृथक अस्तित्व नहीं रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक श्रमिक समझौते के निहितार्थ को जाने क्योंकि एक मान्यताप्राप्त संघ, जिससे आशा की जाती है कि वह श्रमिकों के वैध हितों का संरक्षण करेगा, श्रमिकों के सर्वोत्तम हितार्थ वार्ता में सम्मिलित होता है। यह एक मानक नियम है। ऐसे आपवादिक प्रकरण हो सकते हैं जो दुर्भावना, छल, भ्रष्टाचार अथवा अन्य प्रलोभन के आक्षेप हों। किन्तु ऐसे आरोपों के अभाव में सामूहित सौदाकारी की प्रक्रिया में किया गया एक समझौता उचित महत्व व अनुचिंतन हेतु अधिकृत है।

22. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि एक समझौते को न्यायता व शुद्धता, इसकी दशाओं के प्रकाश में जब यह समझौता किया जाता है, विचार किये जाने योग्य होता है। केवल मात्र एक पंचाट, जो सर्वोच्च न्यायालय में अपीलाधीन है, के प्रकाश में ऐसे समझौते को निर्णित करना उचित नहीं होगा। अतः जब श्रमिकों व नियोजक के मध्य सामान्य शांति व हित के लिए संधि वार्ता होती है, तब सदैव लेन-देन होता है। समझौते को एक संकुल सौदे के रूप में स्वीकार करना होगा और जब श्रमिक मजदूरी के संबंध में लाभान्वित होता है और यदि महंगाई भत्ता में कोई न्यूनता होती है तब यह नहीं कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण समझौता अशुद्ध व अन्यायपूर्ण है।

23. अग्रतर माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि एक समझौते का न्याय निर्णयन न्यायाधिकरण द्वारा विवादों के अधिनिर्णित करते समय अनुप्रयोज्य सिद्धान्तों की कसौटी पर नहीं किया जा सकता। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा समझौते को उचित व शुद्ध अभिनिर्धारित करते समय महंगाई भत्ते के विवाद को अधिशासित करने वाले सिद्धान्तों का आह्वाहन करने में त्रुटि की गई है।

24. अंत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि समझौता को अंशों व टुकड़ों में परीक्षित किया जाना व इसके कुछ भागों को अच्छा व अंगीकार किए जाने योग्य होना तथा कुछ को बुरा मानना संभव नहीं है जब तक कि यह नहीं दर्शाया जा सके कि आपत्ति जनक भाग ऐसा है जो अन्य लाभों को अधिक महत्वपूर्ण करता है।

25. विचाराधीन प्रकरण के अन्तर्गत प्रदर्शित तथ्यों के आधार पर दोनों पक्षों के मध्य समझौता हुआ है तथा अंतिम समझौता प्रदर्श एम-2 है। संदर्भित न्यायनिर्णय के अनुसार समझौते का महत्व एक मध्यस्थ द्वारा दिये गये

पंचाट में अधिक होना माना गया है। प्रदर्श एम-2 समझौता को निष्पादित करते समय श्रमिक संघ के प्रतिनिधिगण किसी बाह्य तथ्य यथा प्रलोभन से वशीभूत थे, ऐसा कोई आक्षेप भी संघ की ओर से नहीं लगाया गया है। विपक्षी संस्थान के विरुद्ध भी कोई आक्षेप संघ द्वारा आरोपित नहीं किया गया है। इस समझौते के आधार पर श्रमिकगण को दिनांक 1-1-89 से नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान की गई है तथा इस लाभ प्राप्ति के साथ यह परिवर्तन भी दिया गया है कि विपक्षी संस्थान को उत्पादन लाभ होने पर 1-4-86 से दिनांक 31-3-88 तक की नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान करने पर विचार किया जायेगा। इस समझौते की केवल मात्र इस दशा को ही स्वीकार्य नहीं माना जायेगा कि श्रमिकगण दि० 1-1-89 से नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने के अधिकारी हैं अपितु दशा सं० 3 के साथ दशा सं० 5 भी स्वीकार्य होगी जिसके अनुसार विपक्षी संस्थान के उत्पादन लाभ प्राप्त करने पर श्रमिकों को दिनांक 1-4-86 से नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान किये जाने के बिन्दु पर विचार किया जायेगा। अतः विद्वान प्रतिनिधि संघ द्वारा इस संबंध में दिया गया यह तर्क कि दिनांक 1-1-89 से श्रमिकगण को नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान की गई है, किन्तु यह दिनांक 1-4-86 से होनी चाहिये, संदर्भित निर्णय 1977 सर्वोच्च न्या० 1 322 के प्रकाश में सारहीन बन जाता है। इस विनिर्णय के तथ्य विचाराधीन प्रकरण के तथ्यों के समरूप हैं तथा इसके प्रकाश में समझौता पत्र एम-2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

26. दिनांक 1-4-86 से नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य क्या लाभ श्रमिकगण प्राप्त करने के पात्र है, इस बिन्दु को मेरे समक्ष दोनों पक्षों द्वारा नहीं उठाया गया है।

27. ऊपरी आकलन के आधार पर निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि श्रमिकगण दिनांक 1-4-86 से याचित नियमित वेतन श्रृंखला व महंगाई भत्ता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं तथा उनकी यह अभ्यर्थना उचित व न्यायपूर्ण नहीं मानी जा सकती है।

28. अधिनिर्णय की प्रति केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजी जावे।

आर०सी० शर्मा न्यायाधीश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का.आ. 1195—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स राजस्थान मिनरल एण्ड कम्पनी, जयपुर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-29012/33/94-आई.आर. (विविध)]

बी० एम० डेविड डैस्क, अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1195.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rajasthan Mineral Co., Jaipur and their workman, which was received by the Central Government on 7-4-97.

[No. L-29012/33/94-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 24/1994

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रं. एल-29012/33/94 आई.आर. (विविध) दि. 10-10-94

सचिव, खान मजदूर कांग्रेस, गांधी मजदूर संचालय, भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

मैसर्स राजस्थान मिनरल एण्ड कम्पनी, जयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री आर.सी. शर्मा, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं

अप्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं

दिनांक अवार्ड : 20-9-1996

अवार्ड

पक्षकारान प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। प्रार्थी यूनियन की ओर से नोटिस तामील के बावजूद कोई हाजिर नहीं है। प्रार्थी यूनियन को भेजे गये नोटिस दिनांकित 26-6-96 एवं 4-7-96 को तामील हो चुकी हैं। यूनियन की ओर से कोई क्लेम भी पेश नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यूनियन विवाद को चलाने में रूचि नहीं रखती है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए मामले में प्रस्तुत शैली में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जाये।

आर. सी. शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का.आ. 1196.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार देव सापस्टोन माइन्स, भीलवाडा के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-4-97 को प्राप्त हुआ था ।

[एल-29012/104/94 आई.आर. (विविध)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O.1196.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Dev Soap Stone Mines and their workman, which was received by the Central Government on 7-4-97.

[No. L-39012/104/94-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 17/95

रैफरैंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र. एल. 2912/104/94 आई.आर. विविध दिनांक 10-5-95

खान मजदूर कांग्रेस, गांधी मजदूर संचालय, भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

देव सापस्टीन माइन्स, भीलवाड़ा।

—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र शर्मा, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं

अप्रार्थी की ओर से : श्री अशोक गोयल

दिनांक अवार्ड : 9-9-1996

अवार्ड

केन्द्र सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थी यूनियन को नोटिस जारी किये गये । यूनियन को क्लेम पेश करने हेतु 18-9-95 से समय दिया जा रहा है किन्तु न तो क्लेम पेश किया गया न ही यूनियन की ओर से कोई प्रतिनिधि हाजिर आये । आज भी प्रार्थी यूनियन की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया तथा विपक्षी की ओर से श्री अशोक गोयल हाजिर हुए । ऐसा प्रतीत होता है कि यूनियन प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं रखती है, अतः मामले में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भेजा जाये ।

आर. सी. शर्मा, न्यायाधीश

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का.आ. 1197.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, खान मालिक, देव सोप स्टोन माईन, के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/24/95-आई.आर. (विविध)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी।

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1197.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publihses the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Kuldeep Singh Juneja, Mine Owner, Dev Soap Stone Mines and their workman, which was received by the Central Government on 7-4-97.

[No. L-29012/24/95-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 55/95

रेफरेन्स : भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र. एल 29012/24/95-आई.आर. (विविध) दिनांक 8-8-95

संयुक्त सचिव, खान मजदूर कांग्रेस, गांधी मजदूर सेवालय भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, खान मालिक, देव सोप स्टोन माईन अभयपुरा, 91125, सिन्दुनगर, भीलवाड़ा।

—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र शर्मा, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से कोई हाजिर नहीं

अप्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं

दिनांक अवार्ड 5-11-96

अवार्ड

प्रार्थी संघ प्रतिनिधि गैर हाजिर । प्रार्थी नोटिस तामिल के बावजूद गैर हाजिर । क्लेम भी पेश नहीं किया गया । विपक्षी प्रति. श्री गोयल उपस्थित है । जिन्हें सुना गया । प्रार्थी की गैर हाजिरी व ,दम सबूत व अदम पैरवी में विवाद हांचा में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है । अवार्ड की प्रति राज्य सरकार को भेजी जाये ।

न्यायाधीश
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण,
जयपुर ।

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का.आ. 1198.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि., उदयपुर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-4-97 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल-29012/42/87-डी.-III(बी)]
बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1198.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publihses the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Hindustan Zinc Ltd., Udaipur and their workman, which was received by the Central Government on 7-4-97.

[No. L-29012/42/87-D-III(B)]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं सी. आई. टी. 22/88

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र०एल 29012/42/87—iii (बी) दि. 12-2-88

श्री घनश्याम सिंह राजावत पुत्र श्री कल्याण सिंह राजावत 33/127 तोपदड़ा, अजमेर ।

—प्रार्थी

बनाम

मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि० उदयपुर ।

—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री आर०सी० शर्मा, आर०एच०जे०एस०
प्रार्थी की ओर से : श्री के०एल० शाह
अप्रार्थी की ओर से : श्री मनोज शर्मा
दिनांक अवार्ड : 4-11-1996

अवार्ड

यह विवाद केन्द्रीय सरकार द्वारा न्याय निर्णयन हेतु अधिकरण को विनिर्दिष्ट किये जाने पर दिनांक 28-3-88 को प्राप्त हुआ। विवाद निम्न प्रकार से है :

"क्या मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. उदयपुर के प्रबन्धतंत्र की अपने जावर खान के श्री घनश्याम सिंह, वरिष्ठ हेल्पर की सेवाएं अपने दिनांक 5-2-85 के पत्र के द्वारा समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित व वैध है? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

2. श्रमिक श्री घनश्याम सिंह द्वारा अपने वाद विवरण के अन्तर्गत यह लेख किया गया है कि उसकी नियुक्ति हिन्दुस्तान जिंक लि० जावर माइन्स में डायमण्ड ड्रिलिंग विभाग में फरवरी, 1973 में अस्थाई तौर पर हुई थी, जिसे दि० 12-6-75 को स्थाई कर दिया गया। दिनांक 28-1-84 की गई, जिसे बचाने के प्रयास में उसका दायां हाथ पूरी तरह जल गया तथा उसकी पत्नि का 28-1-84 को ही निधन हो गया। इस घटना से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो सका। उसे सामान्य चिकित्सालय, उदयपुर में इलाज हेतु भर्ती कराया गया जहां वह तीन माह तक भर्ती रहा। उसके ससुर श्री डाल चन्द जावर माइन्स की इंटक यूनियन के नेता हैं जिनके प्रभाव के कारण उसे विपक्षी संस्थान के परिसर में रहवासीय मकान से निकाल दिया गया। उसने इस संबंध में जावर माइन्स हॉस्पीटल के डॉक्टर को सूचना दी तथा वहां रहने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण अजमेर आकर उसने अपना इलाज करवाया। जून, 1984 में विपक्षी संस्थान में वह ड्यूटी पर उपस्थित हो गया जिसे सेवा में ले लिया गया। इसी माह में विपक्षी संस्थान में कार्य करते हुए उसके दायें हाथ में चोट लगी, जिसका इलाज उसने विपक्षी संस्थान के हास्पीटल में करवाया तथा वहां क्वार्टर नहीं होने के कारण इलाज करवाया जाना संभव नहीं हो सका। अतः वह अपनी बहु के पास अजमेर आ गया तथा उसके पश्चात टी०एम० केसवानी क्लीनिक से अपना इलाज करवाया । यह इलाज दिनांक 22-6-84 से 22-7-84 तक चला किन्तु उसके बाद भी उसका हाथ पूरी तरह ठीक नहीं हुआ विपक्षी संस्थान ने अपने पत्र दिनांक 26-8-84 के द्वारा, उसके अनुपस्थिति रहने के संबंध में आरोप लगाकर तीन दिन में ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिए कहा, जिसका उसने उत्तर दे दिया। प्रार्थी ने यह लेख करवाया है कि विपक्षी संस्थान का पत्र दिनांक 5/8-9-84 व 22-6-84 भी उसे इस संबंध में प्राप्त हुए व उसके पश्चात दिनांक 5/9-10-84 व दिनांक 19/23-10-84 के पत्र भी उसे मिले। उसने दिनांक 10-10-84 को विपक्षी कम्पनी को स्पष्टीकरण देते हुए एक पत्र लिखा व दिनांक 12-10-84 व 30-10-84 को भी पत्र लिखे जो यू०पी०सी० के जरिये भेजे गये। विपक्षी कम्पनी के पत्र दिनांकित 13/14-11-84 के

के द्वारा उसे सूचित किया गया कि उसके विरुद्ध जांच कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इस पर दिनांक 22-11-84 को वह जांच कार्यवाही में भाग लेने हेतु पहुंचा और अपनी अस्वस्थता के कारण समय मांगा। किन्तु उसे समय नहीं दिया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई व दिनांक 2/5-2-85 के आदेश द्वारा उसे सेवा मुक्त कर दिया गया। उसे दिनांक 1-2-85 को जवाहर लाल नेहरू हास्पीटल से स्वस्थता प्रमाण पत्र मिला जिसे लेकर वह ड्यूटी पर जाने वाला था कि उसे सेवा मुक्ति आदेश मिल गया। उसके विरुद्ध की गई जांच नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है, वह अपनी अस्वस्थता के कारण ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो सका था तथा उसकी पत्नि की मृत्यु के कारण वह मानसिक रूप से पीड़ित था। अतः उसने सेवा मुक्ति आदेश निरस्त करने व उसे बकाया पूरा वेतन मय सुविधाओं सहित दिलाने की प्रार्थना की है।

3. उत्तर वाद विवरण के अन्तर्गत विपक्षी संस्थान द्वारा यह लेख किया गया है कि श्रमिक को आदेश दिनांकित 2/3 फरवरी, 1985 के द्वारा सेवा मुक्त किया गया है, यह विवाद सर्वप्रथम उसने समझौता अधिकारी के समक्ष 10-6-87 को उठाया था। इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। प्रार्थी की नियुक्ति दिनांक 12-6-75 से हैल्पर द्वितीय श्रेणी के पद पर की जाना, उसकी पत्नी का दिनांक 28-4-84 को निधन होना व श्रमिक के पत्र दिनांक 27-3-84 से विपक्षी संस्थान को उसके जलने के संबंध में जानकारी प्राप्त होने का लेख किया गया है। विपक्षी ने यह आधार अपनाया है कि प्रार्थी पूर्व अनुमति एवं कारण बताये बिना अपने कार्य पर से अनुपस्थित रहा जिसे आरोपित किये जाने के पश्चात घरेलू जांच की गई थी। जून, 1984 में वह ड्यूटी पर उपस्थित हो गया था जिसे ड्यूटी पर ले लिया गया और उसने दिनांक 9-6-84 से 21-6-84 तक संस्थान में कार्य किया किन्तु दिनांक 22-6-84 से वह अनुपस्थित रहा, उसे दिनांक 19/23-10-84 को आरोप पत्र दिया गया था। उत्तर प्रार्थना पत्र में यह लेख किया गया है कि विपक्षी के कथन झुठे हैं तथा उसके श्वसुर के प्रभाव का तथ्य गलत रूप से अंकित किया गया है। विपक्षी ने यह आधार भी अपनाया है कि यदि घरेलू जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार होना नहीं पाया जावे तब उसे अधिकरण में आरोप प्रमाणित करने का अवसर दिया जावे।

4 प्रार्थी द्वारा इसके विरुद्ध प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसने विपक्षी द्वारा अपनाये गये आधारों का खण्डन करने का प्रयास किया है।

5. दिनांक 25-3-89 की आदेशिका के अनुसार विपक्षी संस्थान को घरेलू जांच की पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी के विरुद्ध आरोपों की अधिकरण के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रमाणित करने की अनुमति प्रदान की गई।

6. नियोजक द्वारा अपनी साक्ष्य के अन्तर्गत एम डब्ल्यू-1 धनसिंह मंडिया, एम डब्ल्यू-2 नरेन्द्र कौल, एम डब्ल्यू-3 हुकम चन्द जैन, एम०डब्ल्यू० 4 डॉ० राकेश चन्द्र एण्डले के शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें क्रमशः प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा प्रति परीक्षण किया गया। प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा प्रति-परीक्षण किया गया।

7. दोनों पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

8. विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा संकथन किया गया कि विपक्षी संस्थान द्वारा इस मामले में घरेलू जांच की गई थी, किन्तु उसका रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ इसलिए अधिकरण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। उनके तर्क के अनुसार प्रार्थी द्वारा विवाद समझौता अधिकारी के समक्ष विलम्बपूर्ण उठाया गया है तथा इसकी दिनांक 10-6-87 है जो विपक्षी ने अपने उत्तर प्रार्थना-पत्र में अंकित की है। उनका यह तर्क है कि आरोप-पत्र एम–5 के अनुसार प्रार्थी दिनांक 2-2-85 तक अनुपस्थित रहा तथा विपक्षी की साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी को अनुपस्थित रहना सिद्ध होना है। उसके द्वारा जो मेडीकल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है वह प्राइवेट क्लीनिक का है। अतः विपक्षी संस्थान द्वारा दिया गया आदेश औचित्यपूर्ण है।

9. इन तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक के तर्क है कि विपक्षी संस्थान ने जान-बूझकर रिकार्ड अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, दिनांक 22-6-84 से दिनांक 23-7-84 तक प्रार्थी अनुपस्थित रहा था तथा इसका कारण यह था कि उसकी पत्नी 28-1-84 को अचानक जल गई थी जिसको बचाने के प्रयास में वह भी जल गया और तीन माह तक हास्पिटल में रहा। उसके श्वसुर ने उसे परेशान करने की नियत से फौजदारी मुकदमा कर दिया तथा वह इस घटना के कारण मानसिक रूप से पीड़ित रहा। उसने जयपुर में प्राइवेट क्लीनिक से अपना इलाज करवाया व उसका मेडीकल प्रमाण-पत्र प्रदर्श एम–1 प्रस्तुत किया किन्तु उसे विपक्षी संस्थान द्वारा नहीं माना गया। उन्होंने यह भी तर्क किया कि उसकी अनुपस्थिति से विपक्षी संस्थान को क्या हानि हुई यह नहीं बतलाया गया है तथा उसके द्वारा दिनांक 9-2-85 को वरिष्ठ प्रबन्धक के सामने यह विवाद उठाया गया था जिसके द्वारा आदेश डब्ल्यू–9 पारित किया गया।

10. मैंने उक्त तर्क वितर्कों पर विचार एवं मनन किया तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विनिर्णयों का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया।

11. अधिकरण के आदेश दिनांकित 25-3-89 के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि घरेलू जांच की पत्रावली विपक्षी संस्थान द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विपक्षी संस्थान का आरोप-पत्र प्रदर्श एम–5 के अनुसार साक्ष्य अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। घरेलू जांच की पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण इसकी शुद्धता व औचित्यता को निर्धारित नहीं किया जा सका है।

12. अब विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या समीक्ष्य आदेश, जिसके द्वारा श्रमिक को सेवा-मुक्त किया गया है, न्यायोचित एवं वैध है ?

13. यद्यपि सन्दर्भित विवाद में केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवा मुक्ति के आदेश को दिनांक 5-2-85 दर्शाई गई है, किन्तु विपक्षी ने अपने उत्तर वाद विवरण में यह दिनांक 2/3-2-85 होना दर्शाया है । इस सम्बन्ध में आदेश प्रदर्श एम–7 है जो एजेन्ट/जनरल मैनेजर, विपक्षी संस्थान द्वारा प्रचलित किया गया है, जिसके द्वारा श्रमिक की सेवाएं दिनांक 3-2-85 से समाप्त की गई है । इसमें दिनांक 2/3-2-85 अंकित है । अतः आदेश की दिनांक 2/3-2-85 होना प्रतीत होता है ।

14. जाँच अभिलेख के अभाव में, जैसा कि सुस्पष्ट है, दोषारोपण पत्र एम–5 के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश अधिकरण द्वारा दिया गया है । दोषारोपण पत्र में प्रार्थी के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि वह दिनांक 22-6-84 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है तथा इसमें दो अन्य दिनांकों का लेख करते हुए उनकी अवधि में भी श्रमिक को अनुपस्थित रहना दर्शाया गया है किन्तु विपक्षी द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है वह केवल दिनांक 22-6-84 से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में ही है । अतः यह ही समीक्षाधीन है ।

15. विपक्षी द्वारा एम०डब्ल्यू–1 धर्मसिंह मुंडिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जावर माइन्स को प्रस्तुत किया गया है जिसने विपक्षी संस्थान द्वारा प्रचलित पत्रों व श्रमिक द्वारा दिये गये पत्रों को ही प्रमाणित किया है । वह एक औपचारिक साक्षी है । एम०डब्ल्यू–2 नरेन्द्र कौल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है जिनकी साक्ष्य है कि घरेलू जाँच प्रार्थी के विरुद्ध की गई थी जिसमें आरोप प्रमाणित होना पाया गया था । दोषारोप पत्र प्रदर्श एम–5 को भी उसने प्रमाणित किया है । वह भी एक औपचारिक साक्षी है क्योंकि जैसा कि पूर्व में लेख किया जा चुका है कि घरेलू जाँच का अभिलेख ही विपक्षी संस्थान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

16. एम०डब्ल्यू–3 हुकम चन्द जैन, अभियन्ता, जावर माइन्स व एम०डब्ल्यू–4 डॉ० राकेश चन्द्र एण्डले, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है, जिनकी साक्ष्य महत्वपूर्ण है । हुकम चन्द जैन का कथन है कि श्रमिक उसके विभाग में कार्य करता था जो पूर्व सूचना व अनुमति के 22-6-84 से अनुपस्थित रहा । इसी भाँति डॉ० एण्डले का कथन है कि श्रमिक का हाथ जलने के उपरान्त उसे उदयपुर राजकीय चिकित्सालय से भिजवाया गया था वह अप्रैल, 1984 में जावर माइन्स में इलाज हेतु नहीं आया तथा जून 1984 में वह कार्य करने के लिए स्वस्थ था ।

17. दोनों पक्षों के मध्य यह मान्य स्थिति है कि प्रार्थी की नियुक्ति दिनांक 12-6-75 को विपक्षी संस्थान में हुई, उसकी पत्नी का निधन दिनांक 20-1-84 को हुआ तथा दिनांक 9-6-84 को प्रार्थी विपक्षी संस्थान में उपस्थित हुआ जिसने दिनांक 9-6-84 से 21-6-84 तक वहां कार्य किया व उसके पश्चात् दिनांक 22-6-84 से वह अनुपस्थित रहा । विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा इस बिन्दु पर अत्यधिक बल दिया गया है कि प्रार्थी अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण व इस घटना में उसका स्वयं का हाथ जल जाने के कारण तथा उसके पश्चात् उसके हाथ में चोट आने के कारण ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो सका था तथा उसके ससुर ने, जो कि मजदूर संघ का प्रभावशाली नेता है, उसे पीड़ित करने की दृष्टि से अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया व उसको बाधाएं पहुंचाई । किन्तु वस्तु स्थिति दर्शाए गये इन तथ्यों से विपरीत है । दिनांक 20-1-84 को प्रार्थी की पत्नी की जलने के कारण मृत्यु होना दर्शाया गया है जिसमें कि बचाव प्रयास करते हुए प्रार्थी का हाथ जलने का भी तर्क किया गया है । किन्तु इसके कई माह पश्चात् दिनांक 11-1-11 को विपक्षी संस्थान में उपस्थित हो गया था, जिसे संस्थान द्वारा ड्यूटी पर ले लिया गया था और वह दिनांक 9-6-84 से 21-6-84 तक कार्यरत भी रहा । अतः यह तथ्य कि प्रार्थी अपने हाथ जलने के कारण अथवा उसके मानसिक रूप से पीड़ित होने के कारण ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो सका था, अपुष्टित रह जाता है । प्रार्थी के विरुद्ध जो आरोप निर्मित किया गया है वह दिनांक 22-6-84 से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में है । इसका द्वितीय कारण यह दर्शाया गया है कि विपक्षी संस्थान में कार्य करते हुए स्वयं उसके जले हुए हाथ पर चोट आई थी जिसके इलाज के लिए वह अजमेर तथा इसके पश्चात् जयपुर आ गया था । उसके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रदर्श डब्ल्यू–1 प्रस्तुत किया गया है जो टी० एम० केसवानी क्लीनिक, जयपुर द्वारा जारी किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी दिनांक 22-6-84 से 22-7-84 तक इस क्लीनिक के चिकित्साधीन रहा । किन्तु इस सम्बन्ध में प्रार्थी को विपक्षी संस्थान द्वारा राजकीय चिकित्सालय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था तथा इस सम्बन्ध में पत्र प्रदर्श एम–4 दिनांक 5-10-84 भी प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थी द्वारा अपने इस चिकित्सा के सम्बन्ध में किसी राजकीय चिकित्सालय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका है । अतः उसका कथन अविश्वसनीय बन जाता है तथा राजकीय चिकित्सालय के प्रमाण-पत्र के अभाव में यह अपुष्टित भी रहा है । प्रार्थी द्वारा एक चिकित्सीय प्रमाण-पत्र सरकारी चिकित्सालय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर की फोटोस्टेट प्रतिलिपि प्रदर्श डब्ल्यू–12 प्रस्तुत की गई है । किन्तु इसके अनुसार वह किस दिनांक से किस दिनांक तक इस चिकित्सालय में भर्ती रहा यह स्पष्ट नहीं हो पाया है । क्योंकि सम्बन्धित दिनांक अपठ्य है । अपने पक्ष समर्थन में कोई चिकित्सीय साक्ष्य भी श्रमिक प्रस्तुत नहीं कर सका है और न ही इस चिकित्सीय प्रमाण-पत्र से उसके कथन की पुष्टि हुई है । अतः दिनांक 22-6-84 से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का कोई उचित कारण प्रार्थी नहीं दर्शा सका है । यह तथ्य निर्विवाद

रहा है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 22-6-84 से अनुपस्थित रहने के पूर्व न तो कोई प्रार्थना-पत्र अवकाश स्वीकृति हेतु सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा न ही कोई अनुमति इस सम्बन्ध में प्राप्त की गई थी। अतः अनुमति के बिना अनुपस्थित रहने का आरोप प्रार्थी के विरुद्ध प्रमाणित होता है। इस सम्बन्ध में उसकी साक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। अपने प्रति-परीक्षण में उसने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 8-6-84 को कम्पनी के डॉक्टर राकेश चन्द्र एण्डले ने काम करने के लिए उसे फिट घोषित कर दिया था तथा उसने दिनांक 8-6-84 से 21-6-84 तक काम किया। उसकी स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि वह 22-6-84 के पश्चात् कार्य पर नहीं आया तथा उसने छुट्टी का कोई प्रार्थना-पत्र भी नहीं दिया। उसने यह भी स्पष्ट किया है कि उसकी अनुपस्थिति का कारण उसके हाथ की चोट थी तथा इसके अतिरिक्त और कोई बीमारी नहीं थी। इस परिवेश में श्रमिक की दिनांक 22-6-84 से अनुपस्थिति का कोई उचित कारण नहीं दर्शाया गया है तथा उसके विरुद्ध आरोपित यह दुराचरण अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होता है।

18. विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा यह संकथन किया गया है कि प्रार्थी को दिया गया दण्ड दुराचरण की प्रकृति को देखते हुए अधिक कठोर है तथा दर्शाए गये तथ्यों को देखते हुए कि उसकी पत्नी का निधन हो गया है व उसके परिजनों द्वारा उसको पीड़ित किया गया है, मानवीय आधार पर उसके दण्ड में कमी की जाये।

19. ऊपरी विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की कृति से अनुपस्थिति का कोई उचित कारण नहीं दर्शाया गया है और न ही कोई ऐसी विवशता दर्शाई गई है जो उसके नियंत्रण में नहीं हो। इसके विपरीत अपनी पत्नी के निधन के पश्चात् जैसे ही वह अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हुआ उसे विपक्षी संस्थान द्वारा कार्य पर ले लिया गया तथा कुछ दिनों कार्य करने के पश्चात् वह स्वयं अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहा जिसकी उसके द्वारा पूर्व अनुमति तक प्राप्त नहीं की गई। उसके द्वारा अनुपस्थिति का जो कारण दर्शाया गया है वह भी उचित होना नहीं माना गया है। इसके साथ ही यह तथ्य भी विचारणीय है कि सेवा-मुक्ति आदेश के अनुसार प्रार्थी को पूर्व दुराचरण के कारण परिनिन्दा का दण्ड भी दिया गया है। इस तथ्य को प्रार्थी ने अपने प्रति-परीक्षण में स्वीकार भी किया है। यह मान्य स्थिति है कि परिनिन्दा के विरुद्ध उसने कोई अपील फाइल नहीं की थी। अतः प्रार्थी के आचरण को दृष्टिगत रखते हुए समीक्ष्य आदेश में दण्ड के प्रश्न पर हस्तक्षेप किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में इस बिन्दु पर निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं किन्तु उनके तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों के समरूप नहीं होने के कारण उनसे विद्वान प्रतिनिधि के तर्क का मण्डन नहीं हो सका है :—

1. 1989 एल०एल०एन० (II) (कर्नाटक) पेज 938
2. 1994 एल०आई०सी० (गुजरात) पृष्ठ 561
3. 1993 (II) एल०एल०एन० (कलकत्ता) पृष्ठ
4. 1982 एल०आई०सी० (कर्नाटक) पृष्ठ 113

20. और अन्त में, शेष विचार बिन्दु यह रह जाता है कि प्रार्थी के विरुद्ध दण्डादेश किस दिनांक से प्रभावशील हो ?

21. विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में 1995 एल०एल०जे० (गुजरात) 960 दृष्टान्त को प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत (रिलेशन बैक) के मत के आधार पर यह अवधारित किया गया है कि श्रमिक को घरेलू जांच किये बिना सेवा-मुक्त करने पर यदि नियोजक द्वारा सेवा-मुक्ति आदेश का औचित्य अधिकरण के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रमाणित कर दिया जाता है व अधिकरण द्वारा दुराचरण का दोषी श्रमिक को मानने पर एवं उसके सेवा-मुक्ति आदेश को संधारित करने पर सेवा-मुक्ति पंचाट की दिनांक से ही प्रभावशील होगी तथा नियोजक को श्रमिक की सेवा-मुक्ति आदेश की दिनांक से पंचाट की दिनांक तक का पूर्ण वेतन व अन्य परिलाभ प्रदान करने होंगे। इस विनिर्णय के अनुसार ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 1994 (1) एल०एल०एन० (राजस्थान) पेज 254 के अन्तर्गत सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी 1990 एल०आई०सी० (सर्वोच्च न्या०) 1892 में यह सिद्धान्त सुनिश्चित किया गया है। इसके आधार पर विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी का तर्क है कि श्रमिक के सेवा मुक्ति आदेश से अधिकरण के पंचाट की दिनांक तक पूर्व का वेतन लाभ श्रमिक को दिलाया जाये। इसका विरोध प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा किया जाकर मूल आधार यह दर्शाया गया है कि स्वयं श्रमिक ने अपना विवाद समझौता अधिकारी के समक्ष विलम्ब से उठाया था तथा उन्होंने अपने पक्ष समर्थन में 1995 सप्लीमेन्टरी तक किया है कि विपक्षी संस्थान द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जांच की गई थी व उसका दुराचरण सिद्ध होना माना गया था इसलिए वह पूर्व वेतन लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। संदर्भित दृष्टान्त के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि उनके मत में विपक्षी संस्थान द्वारा की गई जांच में त्रुटि ऐसी कई सारवान अथवा आधारभूत नहीं है जो उसे शून्य बनाती हो। जिन त्रुटियों के आधार पर घरेलू जांच को शुद्ध होना नहीं माना गया था, वे प्रकरण के तल को नहीं छूते हैं और यह निर्धारित करना सम्भव नहीं है कि वह जांच प्रभावहीन थी।

22. किन्तु विचाराधीन प्रकरण में नियोजक द्वारा जो जांच की गई थी, उसका मूल अभिलेख ही अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका है जिससे कि यह स्वीकार किया जा सके कि संस्थान द्वारा घरेलू जांच प्रार्थी के विरुद्ध की गई हो। ऐसी अवस्था में विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा

संद विनिर्णय के सिद्धान्त इस प्रकरण पर प्रभावी नहीं होते हैं, जबकि विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य इस प्रकरण के एक समान हैं ।

23 द्वितीय विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या प्रार्थी द्वारा अपना विवाद उठाने में विलम्ब किया गया है ।

24. विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी का तर्क है कि दिनांक 10-6-87 को श्रमिक द्वारा यह विवाद समझौता अधिकारी के समक्ष उठाया गया । इसके विपरीत विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी का तर्क है कि श्रमिक ने इस सम्बन्ध में अपना आवेदन-पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-9 संस्थान के वरिष्ठ प्रबन्धक के समक्ष दिनांक 9-2-85 को ही प्रस्तुत कर दिया था । इस तथ्य की पुष्टि प्रदर्श डब्ल्यू-9 से होती है जो कि श्रमिक द्वारा प्रस्तुत किये गये एक आवेदन-पत्र है जो उसने विपक्षी संस्थान के वरिष्ठ प्रबन्धक के समक्ष प्रस्तुत किया । अतः यह तथ्य स्वीकार नहीं किया जा सकता कि श्रमिक अपने विवाद को उठाने में उदासीन रहा हो । यह भी स्वाभाविक है कि उसके द्वारा नियोजक को आवेदन-पत्र देने के पश्चात् व उसके निष्पादन के बाद ही विवाद को अन्यत्र उठाया जायेगा ।

25. उक्त आकलन के आधार पर इस विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि विपक्षी नियोजक को आदेश दिनांकित 2/3-2-95 (केन्द्र सरकार द्वारा अंकित दिनांक 5-2-85), जिसके द्वारा प्रार्थी श्रमिक घनश्याम सिंह को सेवामुक्त किया गया है, न्यायोचित व वैध है तथा दण्ड के बिन्दु पर इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है । तथापि संदर्भित विनिर्णयों के प्रकाश में प्रार्थी श्रमिक सेवा मुक्ति की दिनांक 2/3-2-85 से पंचाट पारित करने की दिनांक तक अपना पूर्व वेतन मय अन्य उपलब्धियों सहित प्राप्त करने का पात्र है ।

26. पंचाट की प्रति केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजी जाये ।

आर० सी० शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का०आ० 1199.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि० के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-4-97 को प्राप्त हुआ था ।

[सं एल-29012/43/86-डी०-III (बी)]

बी० एम० डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1199.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publihses the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Rajasthan State Mineral Development Corp. Ltd., and their workman, which was received by the Central Government on 7-4-97.

[No. L-29012/43/86-D. III(B)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस न० सी०आई०टी० 70/1987

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र० एल-29012/43/86—डी० III (बी०) दिनांक 27-8-87

श्री खुसरुजमान खां पुत्र श्री खान जमान खां, धनेश्वर मन्दिर के पीछे, डूंगरपुर ।

—प्रार्थी

बनाम

प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, उद्योग निगम, तिलक मार्ग, जयपुर ।

—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री आर० सी० शर्मा, आर०एच०जे०एस०

प्रार्थी की ओर से : श्री जे० एल० शाह

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर० के० काला

दिनांक अवार्ड : 8-1-1997

अवार्ड

केन्द्र सरकार द्वारा यह विवाद अधिनिर्णय हेतु इस अधिकरण को संप्रेषित करने पर दिनांक 9-8-87 को यह प्राप्त हुआ । विवाद निम्न प्रकार से है :

"क्या राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि०, जयपुर द्वारा राजस्थान फ्लोस्पार परियोजना, मण्डल की पाल, डूंगरपुर में तैनात ड्राइवर श्री खसरुजमान खां पुत्र श्री खान जमान खां की सेवाएं 5-7-82 से समाप्त किया जाना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

2. प्रार्थी द्वारा वाद विवरण के अन्तर्गत यह अंकित किया गया है कि दिनांक 4-4-70 को राजस्थान फ्लोस्फार मण्डल की पाल डूंगरपुर में वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हुई तथा उक्त मण्डल में संवारत कर्मकारों ने एक श्रमिक संगठन फ्लोराईट माइन्स मजदूर संघ, माण्डल को पाल (जिसे एतद्पश्चात् संघ के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) का गठन किया व इस संघ का प्रार्थी को महामंत्री बनाया । संघ द्वारा अपनी मांगें प्रतिष्ठान के समक्ष प्रस्तुत की गई

और हड़ताल का नोटिस भी दिया गया, जिस पर दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया । संघ के पदाधिकारियों को एक छूट थी कि वे अन्य स्थानों पर संगठन कायम करने जायें तो स्थानीय अधिकारियों को मौखिक अथवा लिखित सूचना दे दे और चले जायें । प्रार्थी भी संघ के कार्यों के लिए बाहर जाता था जिसकी हाजिरी रजिस्टर में लगाई जाती थी या वह स्वयं हस्ताक्षर करता था । सन् 1979 में विपक्षी प्रतिष्ठान का नाम बदल दिया गया व वर्तमान नाम रखा गया । किन्तु नियोजक व श्रमिक संघ की सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं आया । प्रार्थी ने वाद विवरण के पदों में विभिन्न दिनांकों का लेख करते हुए यह दर्शाया है कि उसने उन दिनांकों पर विपक्षी के समक्ष आवेदन-पत्र अवकाश हेतु प्रस्तुत किया तथा प्रार्थी को विपक्षी के पत्र दिनांक 9-8-89 के द्वारा सूचित किया गया कि उसकी छुट्टियां शेष नहीं हैं तथा वह अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हो जाये अथवा उसका नाम प्रतिष्ठान की सेवा से काट दिया जायेगा । अतः दिनांक 27-12-80 को वह अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हुआ । जब उसने अपने वेतन की मांग की तो उसे कहा गया कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 25-8-82 को विपक्षी को एक पत्र लिखा जो दिनांक 27-8-82 को विपक्षी को प्राप्त हो गया किन्तु विपक्षी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया । प्रार्थी अपने वेतन प्राप्ति के लिए विपक्षी को निवेदन करता रहा तथा विपक्षी ने प्रार्थी को सेवा से पृथक करने का आदेश दिनांक 25-8-82 को प्रार्थी द्वारा मांगे जाने के बावजूद नहीं दिया । दिनांक 16-4-86 को प्रार्थी ने समझौता अधिकारी, कोटा के समक्ष श्रम विवाद प्रस्तुत किया । प्रार्थी को सेवा से पृथक करने से पूर्व विपक्षी ने न तो एक माह का नोटिस दिया और न ही एक माह का वेतन दिया । उसे छंटनी का मुआवजा धारा 25–एफ अधिनियम के अंन्तर्गत भी नहीं दिया गया । उसकी सेवाएं विपक्षी ने अनुचित, अवैध व न्याय के सार्वभौम प्राकृत नियमों के विपरीत जाकर समाप्त की है, अतः प्रार्थी ने यह याचना की है कि उसे पुनः सेवा में लिया जाये जिस दिन से उसे सेवा से पृथक किया गया है तथा बकाया वेतन व अन्य लाभ दिलाये जायें ।

3. विपक्षी ने उत्तर वाद विवरण में यह लेख किया है कि विपक्षी द्वारा प्रार्थी को कथित संघ बनाने के लिए कभी अधिकृत नहीं किया गया था, न ही यह छूट गई दी थी कि वह संघ के कार्य हेतु मौखिक या लिखित सूचना मात्र देकर चला जाये तथा प्रार्थी को वर्ष 1980 में किसी भी मान्यताप्राप्त संघ का पदाधिकारी नहीं रहा है । उसने दिनांक 11-3-80 से 31-3-80 तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था किन्तु दिनांक 1-4-80 से वह अनुपस्थित हो गया और इसके पश्चात् उसने कोई अवकाश स्वीकृत नहीं करवाया । वह विशेष अवकाश प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं है क्योंकि 1980 में वह किसी मान्यताप्राप्त संघ का पदाधिकारी नहीं रहा । दिनांक 27-12-80 को उसने केवल मात्र जोइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की थी परन्तु अपनी ड्यूटी नहीं सम्भाली और न ही कोई कार्य किया । दिनांक 1-4-80 से निरन्तर अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण उसका नियत समाप्त हो गया और उसकी सेवाएं समाप्त हुई । उसने प्राधिकारी वेतन भुगतान, उदयपुर के समक्ष सितम्बर, 1981 से अगस्त, 1982 तक तथा सितम्बर 1982 से अगस्त, 1983 तक वेतन प्राप्त करने के दो वाद दायर किये थे, किन्तु उसे अनुपस्थित मानते हुए ये वाद खारिज कर दिये गये जिसके विरुद्ध उसने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की । अतः यह आदेश अन्तिम हो चुका है । प्रार्थी ने समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद अत्यन्त देरी से उठाया है, जिसके कारण यह चलने योग्य नहीं है । विवाद कमियों से ग्रसित होने के कारण इसे अब उठाये जाने की इजाजत देना न्यायानुकूल नहीं है । प्रार्थी को सेवा से पृथक नहीं किया गया था वरन उसके द्वारा ही सेवा त्याग देने के कारण उसके स्वयं के आचरण से उसका नियत समाप्त होने से उसकी सेवाएं समाप्त हुई । अतः उसे एक माह का नोटिस व वेतन देने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस कारण अधिनियम की धारा 25 लागू नहीं होती है । विपक्षी द्वारा यह भी लेख किया गया है कि यह रैफरेंस विधिसंगत नहीं है । अतः उसे निरस्त करने की प्रार्थना की गई है ।

4. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में उसका स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा प्रति-परीक्षण किया गया । विपक्षी की ओर से श्री आर० के० दीक्षित, उप प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा प्रति-परीक्षण किया गया ।

5. दोनों पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

6. विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा संचयन किया गया कि प्रार्थी संघ का श्रमिक महामंत्री बन गया था इसलिए विपक्षी प्रबन्धतंत्र द्वारा उसका शोषण करना प्रारंभ कर दिया गया तथा इस कारण श्रमिक को लम्बी छुट्टियां लेनी पड़ी। वह प्रार्थी संघ के कार्य हेतु मुख्यालय से बाहर जाता था जिसकी छुट्टियां विपक्षी द्वारा दिनांक 31-3-80 तक मंजूर की गई किन्तु 1-4-80 से उसकी छुट्टियां मंजूर नहीं की गई । आदेश दिनांक 5-7-82 के द्वारा दिनांक 1-4-80 से उसको सेवा मुक्त कर दिया गया जिसकी कोई सूचना श्रमिक को नहीं दी गई । उसे सेवा मुक्त करने से पहले कोई विभागीय जांच भी नहीं की गई है तथा धारा 25–एफ अधिनियम की अनुपालना नहीं की गई है; अतः विद्वान प्रतिनिधि का तर्क है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालना नहीं की गई है। श्रमिक दिनांक 27-12-80 को अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हुआ किन्तु विपक्षी ने न तो उसकी हाजिरी दर्ज की और न ही उसे काम पर लिया । जब प्राधिकारी वेतन अदायगी अधिनियम के समय उसने वेतन प्राप्ति का क्लेम प्रस्तुत किया तब वहां विपक्षी ने अपने उत्तर में यह प्रकट

किया कि श्रमिक को सेवा मुक्त कर दिया गया है तथा सेवा मुक्ति आदेश नियोजक द्वारा वहां पर प्रस्तुत करने पर श्रमिक ने अपना विवाद समझौता अधिकारी के समक्ष पेश किया । इन तर्कों के आधार पर विद्वान प्रतिनिधि ने यह याचना की है कि श्रमिक को सेवा में समस्त बकाया लाभों सहित पुर्ननियोजित किया जाये ।

7. इन तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा संकथन किया गया कि श्रमिक द्वारा विवाद लगभग 4 वर्षों के पश्चात उठाया गया है अतः इस आधार पर उसका क्लेम अस्वीकार हो जाने योग्य है। उनका तर्क है कि श्रमिक ने वेतन प्राधिकारी के समक्ष अपने वाद प्रस्तुत किये थे जिनका निर्णय प्रदर्श एम–6 व एम–7 है, जिनके अनुसार उसका क्लेम अस्वीकार किया गया तथा उसे दिनांक 1-4-80 से अपनी ड्यूटी में अनुपस्थित होना माना गया है। श्रमिक को उपाबन्ध-5 पत्र के द्वारा यह सूचना दी गई कि वह अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हो अन्यथा उसे सेवा मुक्त कर दिया जायेगा । किन्तु श्रमिक दर्शाये गये समय में अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसने कोई पत्राचार दिनांक 19-9-86 तक किया । पुनः उसे अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिए कहा गया जिस पर वह कार्यालय में आया किन्तु उसने कोई काम नहीं किया और चला गया तथा इसके पश्चात वह अनुपस्थित रहा। अतः श्रमिक ने उसको दिये गये अवसर का स्वयं परित्याग किया है। इस कारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नही हुआ है तथा श्रमिक की सेवा मुक्ति छंटनी के रूप में नही मानी जा सकती। विद्वान प्रतिनिधि द्वारा यह तर्क भी किया गया है कि विपक्षी द्वारा श्रमिक के इस दुराचरण की कोई जांच नहीं की गई है किन्तु अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उसके दुराचरण को दर्शाया गया है। श्रमिक स्वयं असावधान रहा है अतः उसे पुर्ननियोजित नहीं किया जा सकता । विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा इन तर्कों के उत्तर में इनका विरोध किया गया है।

8. मैंने उक्त तर्कों पर विचार एवं मनन किया तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विनिर्णयों का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया ।

9. सर्वप्रथम इस बिन्दु का विवेचन किया जाना समीचीन होगा कि श्रमिक द्वारा प्राधिकारी, वेतन अदायगी अधिनियम के समक्ष वेतन प्राप्ति के संबंध में जो वाद प्रस्तुत किये गये व जिनका अवधारण श्रमिक के विरुद्ध किये गये, उनसे इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

10. आदेश प्रदर्श एम–7 प्राधिकारी, वेतन अदायगी अधिनियम उदयपुर का है जिसके द्वारा श्रमिक को माह सितम्बर, 1981 से माह अगस्त 1982 तक के वेतन प्रदान करने के बिन्दु पर विचार किया गया है। इस निर्णय में यह अवधारित किया गया है कि श्रमिक ने दिनांक 1-4-80 से नियोजन कार्यालय में कार्य नहीं किया किन्तु दिनांक 1-4-80 के बाद उसने कितनी छुट्टियां ली या उसे ड्यूटी पर लेने के लिए मना किया गया, ये सभी सेवा संबंधित मामले है जो इस अधिनियम के तहत निर्णीत नहीं किये जा सकते । । इसी प्रकार आदेश प्रदर्श एम–6 के अंतर्गत श्रमिक द्वारा सितम्बर 1982 से अगस्त 1983 तक के बकाया वेतन को दिलाये जाने की प्रार्थना का विवेचन किया गया है तथा इसके अंतर्गत यह माना गया है कि श्रमिक दिनांक 1-4-80 से विपक्षी संस्थान में अनुपस्थित रहा। अतः इन निर्णयों से यह प्रकट होता है कि प्राधिकारी द्वारा श्रमिक को दिनांक 1-4-80 से कार्य पर अनुपस्थित होना माना गया है, किन्तु अन्य बन्दुओं को सेवा संबंधी प्रकरण होने के कारण सुनिश्चित नही किया गया है । दिनांक 1-4-80 से विपक्षी कार्यालय में श्रमिक की अनुपस्थिति अविवादित रही है। विवाद केवल इस सीमा तक है कि नियोजक के कथनानुसार श्रमिक उपस्थित नहीं हुआ जबकि श्रमिक की ओर से यह दर्शाये जाने का प्रयास किया गया है कि श्रमिक नियोजक कार्यालय में उपस्थित हुआ किन्तु उसे ड्यूटी पर नहीं किया गया । ये निर्णय इस प्रकरण पर किस प्रकार बाध्यकारी हैं, ऐसी कोई विधिक स्थिति विद्वान प्रतिनिधि नियोजक दर्शाने में विफल रहे हैं। अतः उसका निष्कर्ष इस प्रकार दिया जाता है कि प्रदर्श एम-6 व एम-7 में सुनिश्चित किये गये बिन्दु इस प्रकरण से संगत नहीं है तथा न ही इस प्रकारण पर प्रभावी होते हैं।

11. द्वितीय विचार बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या श्रमिक को नियोजक ने संस्थान में उपस्थित होने का अवसर दिया किन्तु वह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ । विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा यह तर्क किया गया है कि श्रमिक को पत्र उपाबन्ध-5 लिखा गया, किन्तु उसके पश्चात् भी वह उपस्थित नहीं हुआ। इसके विपरीत वाद विवरण के अन्तर्गत यह लेख किया गया है कि श्रमिक दिनांक 27 12-80 को अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हुआ तथा उसने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट विपक्षी के समक्ष प्रस्तुत की। वाद विवरण की चरण सं 21 में श्रमिक ने यह भी लेख किया है कि जब उसने अपने वेतन की मांग की तो उसे बतलाया गया कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं जिस पर उसने दिनांक 25-7-82 को विपक्षी को एक पत्र लिखा जो दिनांक 27-8-82 को उसे प्राप्त हो गया तथा उसने अपने पत्र में यह लेख किया था कि यदि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं तो उक्त आदेश की प्रति उसे उपलब्ध कराई जाये। किन्तु उसे इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया। वाद विवरण के उत्तर में इस तथ्य को विपक्षी ने भी स्वीकार किया है कि दिनांक 27-12-80 को श्रमिक ने उपस्थित होने की रिपोर्ट की थी। किन्तु नियोजक का यह अभिवचन है कि श्रमिक ने अपनी ड्यूटी नहीं संभाली और न ही उपस्थित रजिस्टर में अपनी उपस्थिति और तथा

न ही कोई कार्य किया। अतः उसने स्वेच्छापूर्वक अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित होना माना जायेगा तथा इस आधार पर उसका धारणाधिकार समाप्त हो जाता है।

12. विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा इस बिन्दु पर 1967 (1) एल.एल.जे. (भा सर्वोच्च न्या) 883 व 1990 (TT) एल.एल.एन. (भा इलाहाबाद उच्च न्या ) 948 विनिर्णयों को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम विनिर्णय के तथ्य इस प्रकार है कि विभाग के स्थान आदेश के अनुसार यह दशा निश्चित की गई है कि यदि श्रमिक द्वारा उसकी नियुक्ति होने पर 8 दिवस में अपना पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है तब इस अवधि की समाप्ति पर उसका धारणाधिकार समाप्त होना माना जायेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि इस दशा की अनुपालना नहीं किये जाने पर स्वतः ही श्रमिक की सेवा मुक्ति होना माना जायेगा किन्तु विचाराधीन प्रकरण में ऐसे स्थाई आदेश विभाग द्वारा अपनाया जाना विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी नहीं दर्शा सके हैं तथा न ही ऐसी किसी दशा का लेख श्रमिक के नियुक्ति आदेश प्रदर्श-8 में अंकित होना इंगित कर सके हैं। 1990 (TT)/एल.एल.एन. 948 विनिर्णय के अंतर्गत श्रमिक स्वयं अपना कार्य छोड़कर चला गया था जिसके आधार पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि उसकी सेवा मुक्ति स्वतः हो जाती है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित रहा है कि श्रमिक दिनांक 27-12-80 को विपक्षी संस्थान में उपस्थित हुआ। श्रमिक ने यह कथन किया है कि उसे ड्यूटी पर नहीं लिया गया जबकि नियोजक का कथन है कि उसने कोई कार्य नहीं दिया। श्रमिक एक कर्मकार के रूप में नियोजक के आधीन है तथा उसके उपस्थित होने पर उसे काम दिया जाना नियोजक के नियंत्रणाधीन है। यदि नियोजक द्वारा उसे कार्य सौंपा गया तब उस आदेश की अनुपालना नहीं करने पर नियोजक द्वारा श्रमिक के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अथवा उसे कोई नोटिस दिया जाना चाहिए था किन्तु ऐसा कोई तथ्य नियोजक की ओर से नहीं दर्शाया गया है जिसमें श्रमिक द्वारा दिया गया यह स्पष्टीकरण उचित होना प्रतीत होता है कि उसे नियोजक द्वारा कोई कार्य नही दिया गया। अतः विद्वान प्रतिनिधि नियोजक का यह तर्क तथ्य विहीन व अपुष्टित रहा है।

13. विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा इस बिन्दु पर अधिक बल दिया गया है कि नियोजक ने श्रमिक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच नहीं की और न ही श्रमिक के दुराचरण को अधिकरण के समक्ष प्रमाणित करने हेतु नियोजक ने साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी। यद्यपि ये दोनों तथ्य ही निर्विवादित रहे हैं कि श्रमिक को अनुपस्थित के दुराचरण को विभागीय जांच के द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है और न ही इस दुराचरण को अधिकरण में प्रमाणित करवाने हेतु नियोजक ने साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी है तथापि इस संबंध में विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी के तर्क है कि श्रमिक के स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित होने पर उसके विरुद्ध जांच करने की आवश्यकता नहीं थी तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दुराचरण का प्रमाणित होना माना जा सकता है।

14. विद्वान प्रतिनिधि नियोजक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में 1995 (1) एल. एल. जे. (मा. पंजाब व हरियाणा उच्च न्या.) 13 न्यायिक दृष्टान्त को प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि श्रमिक द्वारा बिना स्वीकृति अवकाश पर चले जाने के कारण तथा लगभग दो वर्ष तक अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने पर उसकी छंटनी को जाना माना जायेगा व ऐसी छंटनी से पूर्व घरेलू जांच को जाना आज्ञापक नहीं है। इसके विपरीत विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक द्वारा अपने तर्क के खण्डन में 1993 एल. एल. जे. (मान. सर्वोच्च न्या.) 696, 1993 (1) एल. एल. जे. (राज.) 421 व 1996 (1) एल. एल. जे. (राज.) (खण्डपीठ) 152 विनिर्णयों को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम विनिर्णय के अन्तर्गत अपीलार्थी को उसका प्रकरण स्पष्ट करने हेतु कोई अवसर नहीं दिया गया था तथा कोई घरेलू जांच नहीं की गई थी। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पठन विभाग के स्थाई आदेशों के अनुरूप किया जाना चाहिये अन्यथा यह कार्यवाही पक्षपातपूर्ण, अन्यायपूर्ण व अनुचित होगी जो अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान को अतिक्रमणकारी होगी तथा इस प्रकार इसका पठन करने पर श्रमिक का सेवा मुक्ति आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होना माना जायेगा। 1993 (1) एल. एल. जे. (राज.) 421 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि श्रमिक को अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित होना एक दुराचरण है तथा श्रमिक को नियोजक द्वारा केवल मात्र यह नोटिस देना कि यदि वह अपनी अनुपस्थिति स्पष्ट नहीं करता है तो उसका धारणाधिकार समाप्त कर दिया जायेगा, ऐसी कार्यवाही को नैसर्गिक न्याय के अनुरूप की गई जांच के समकक्ष नहीं माना जा सकता। 1996(1) एल.एल.जे. (राज.)(खण्डपीठ) 152 विनिर्णय में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह दिशा निर्देश दिये गये हैं कि कर्मकार को अपना प्रकरण स्पष्ट करने का अवसर दिये बिना व घरेलू जांच किये बिना उसको सेवा समाप्ति को आदेश अवैध है तथा ऐसा करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन है। विद्वान प्रतिनिधि, संदर्भित उक्त न्याय निर्णयों के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के समरूप है जिनसे विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक के तर्क का खण्डन हुआ है। हस्तगत प्रकरण में भी विपक्षी द्वारा श्रमिक को यह नोटिस दिया जाना दर्शाया गया है कि वह दर्शाई गई अवधि में उपस्थित हो अन्यथा उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इसी भांति श्रमिक के विरुद्ध कोई घरेलू जांच नहीं की गई

है । अतः ऐसी परिस्थितियों में श्रमिक को सेवा मुक्ति नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है तथा ऐसा आदेश अवैध है।

15. मैंने विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी के इस तर्क पर भी विचार किया कि विपक्षी द्वारा श्रमिक के दुराचरण के संबंध में जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उस पर विचार किया जाए । इस संबंध में विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक ने 1994 (1) एल.एल.जे. (मान. दिल्ली उ. न्या.) 662 दृष्टान्त को प्रस्तुत किया है जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रम न्यायालय के समक्ष विवाद प्रस्तुत होने पर श्रम न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि श्रमिक को ("डिसचार्ज") किया जाना वस्तुतः उसका सेवा मुक्ति आदेश था इस आधार पर श्रम न्यायालय द्वारा उसे सेवा में पुनः प्रतिष्ठित करने का आदेश दिया गया । प्रबंधतंत्र द्वारा श्रम न्यायालय के समक्ष दुराचरण प्रमाणित करने की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी । अतः प्रबंधतंत्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह निवेदन नहीं किया जा सकता था कि उसके द्वारा दुराचरण श्रम न्यायालय के समक्ष प्रमाणित कर दिया गया है । इस संदर्भित न्याय निर्णय के सदृश्य विचाराधीत प्रकरण में भी नियोजक द्वारा श्रमिक के विरुद्ध दुराचरण को अधिकरण में प्रमाणित करवाने हेतु कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है । नियोजक ने इस संबंध में यह आधार भी अपनाया है कि श्रमिक स्वतः अपना कार्य छोड़कर चला गया था अतः उसकी सेवा स्वतः ही समाप्त हो गई थी तथा सेवा मुक्ति आदेश प्रचलित करने की आवश्यकता भी नहीं थी । जिसकी पूर्व में विवेचना की जा चुकी है तथा नियोजक के इस तर्क को अस्वीकार भी किया जा चुका है । अतः इस बिन्दु पर यह निष्कर्ष दिया जाता है कि नियोजक द्वारा श्रमिक के दुराचरण को प्रमाणित करवाने हेतु न तो अधिकरण में कोई अनुमति प्राप्त की गई है और न ही श्रमिक को इस दुराचरण को स्पष्ट करने का कोई अवसर दिया गया तथा न ही कोई घरेलू जांच श्रमिक के विरुद्ध की गई । अतः श्रमिक की सेवा समाप्ति का आदेश वैध व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

16. और अन्ततः विद्वान प्रतिनिधि नियोजक द्वारा यह तर्क भी किया गया है कि लगभग 4 वर्षों के पश्चात श्रमिक ने दिनांक 6-9-86 को समझौता अधिकारी के समक्ष यह विवाद उठाया है अतः उसका क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । इस बिन्दु पर विद्वान प्रतिनिधि ने 1959 (II) एल.एल.जे. (मा. सर्वोच्च न्या.) 26 व 1996 लैब.आई.सी. (मा. पंजाब व हरियाणा उच्च न्या.) 45 तथा 1994 एफ.एल.आर. (मा. पंजाब व हरियाणा उच्च न्या.) 1006 दृष्टान्तों को प्रस्तुत किया गया है । अंतिम दृष्टान्त के अन्तर्गत विवाद उठाने समय लगभग 10 वर्षों का विलम्ब हुआ था जिसके कारण कर्मकार की अनुपयुक्तता अस्वीकार की गई थी । श्री परिमुखेन इस प्रकरण के तथ्य विचाराधीन प्रकरण के तथ्यों के समरूप नहीं है । अन्य दो प्रकरणों में श्रमिक द्वारा विवाद लगभग 5 वर्ष पश्चात उठाया गया था जिसके आधार पर उन्हें कोई अनुतोष स्वीकार नहीं किया गया । 1959 (II)एल.एल.जे. 26 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि यद्यपि अभिनिर्देशन फाईल करने हेतु कोई परिसीमा निश्चित नहीं है किन्तु इसे उचित समय के अन्तर्गत संप्रेषित किया जाना चाहिये । श्रमिक द्वारा पांच वर्षों तक अपना विवाद संबंधित अधिकारी के समक्ष नहीं उठाये जाने पर उसे अनुतोष अस्वीकार किया गया ।

17. क्लेम विवरण के अन्तर्गत श्रमिक ने यह लेख किया है कि उसने दिनांक 25-8-82 को विपक्षी संस्थान को एक पत्र लिखा जिसमें उसकी सेवा समाप्ति के आदेश की प्रतिलिपि उसे दिलाये जाने की प्रार्थना की गई क्योंकि श्रमिक के कथनानुसार जब उसने नियोजक से अपने वेतन की मांग की तब उसे यह बतलाया गया कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं । श्रमिक ने यह लेख किया है कि उसके इस पत्र का कोई उत्तर नियोजक द्वारा नहीं दिया गया जिस पर वेतन अदायगी अधिनियम के अन्तर्गत उसने अपना मामला प्रस्तुत किया । उसे सेवा से पृथक करने का आदेश नहीं भेजा गया तथा अपने पत्र दिनांक 25-8-82 के द्वारा सेवा मुक्ति आदेश की प्रति मांगे जाने के पश्चात् भी जब उसे यह नहीं दी गई तब उसके द्वारा दिनांक 16-9-86 को श्रम विवाद समझौता अधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अपने शपथ पत्र में उसने यह लेख किया है कि सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 5-7-82 को प्रतिलिपि वेतन भुगतान के क्लेम में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ उसे दी गई थी जिसकी फोटो प्रति उसने प्रस्तुत की है जो प्रदर्श डब्ल्यू-4 है ।

18. विपक्षी नियोजक द्वारा उत्तर वाद विवरण के अन्तर्गत यह कहीं भी नहीं दर्शाया गया है कि श्रमिक की सेवा समाप्ति का आदेश श्रमिक को प्रेषित किया गया अथवा उसे कार्यालय में दिया गया । इस प्रकार इस बिन्दु पर नियोजक मौन रहा है । प्रदर्श डब्ल्यू-4 आदेश, प्रदर्श डी-1 की फोटो स्टेट प्रतिलिपि होना दर्शाया गया है जो विपक्षी द्वारा एक परिपत्र के रूप में जारी किया गया है । इस आदेश की अन्तर्वस्तु इस प्रकार है कि "श्री के. जेड. खान चालक का नाम विपक्षी संस्थान के रोल में काटा जाता है । अतः वह विपक्षी निगम की सेवा में नहीं है ।" यह परिपत्र सभी को सूचनार्थ प्रेषित किया गया है । इसे प्रचलित करने की दिनांक 5-7-82 है तथा इसे वेतन प्राधिकारी द्वारा प्रदर्शित करने की दिनांक 5-8-83 होना प्रतीत होता है । इस प्रकार यह प्रलेख 1983 में श्रमिक को प्राप्त होना इन तथ्यों के आधार पर प्रकट हुआ है जिसके लगभग तीन वर्ष पश्चात श्रमिक द्वारा विवाद श्रम अधिकारी के समक्ष उठाया गया है । ऊपरी विवेचन के अनुसार यह अवधारित किया गया है कि नियोजक द्वारा श्रमिक को अपने मामले का स्पष्टीकरण करने हेतु कोई अवसर नहीं दिया गया और

न ही उसके विरुद्ध दुराचरण के संबंध में कोई घरेलू जांच की गई तथा न ही उसके दुराचरण को न्यायाधिकरण में प्रमाणित करवाने हेतु कोई अनुमति प्राप्त की गई। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्रमिक द्वारा विवाद उठाने में किये गये विलम्ब पर भी दृष्टिपात किया जाना समीचीन होगा था ऐसी परिस्थितियों में उसे बकाया वेतन का 50 प्रतिशत ही दिलाया जाना न्याय हित में पर्याप्त होगा।

19. उक्त आंकलन के आधार पर संदर्भित अभिनिर्देशन इस प्रकार उत्तरित किया जाता है कि श्रमिक की खुसरु जमान खान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थना स्वीकार किये जाने योग्य है तथा उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांकित 5-7-82 अपास्त किय जाने योग्य है। श्रमिक को विपक्षी संस्थान की सेवा में पुर्ननियोजित किया जाता है। वह अपनी सेवा मुक्ति की दिनांक से अपने बकाया वेतन व अन्य लाभों का 50 प्रतिशत ही प्राप्त करने का अधिकारी है।

20. उक्त आशय का पंचाट पारित किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ प्रेषित किया जाये।

आर. सी. शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का.आ. 1200.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स भगवान दास, चन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी के प्रबन्धकतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कमचारी के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट में औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 7-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[एल-29012/27/90-आई.आर. (विविध)]

बी.एम. डेविड डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1200.—In pursuance of Section 11 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Bhagwandas Chander Kumar and Co., and their workman, which was received by the Central Government on 7-4-1997.

[No. L-29012/27/90-IR (Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण,

केस नं सी. आई. टी. 27/1990

रैफरैंस: केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश क्र० एल. 29012/27/90-आई. आर. विविध दिनांक 18.4.90

सचिव, खदान मजदूर यूनियन (एटक) कोलायत, बीकानेर।

—प्रार्थी

बनाम

मैसर्स भगवान दास, चन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी प्रोपराईटर अमर नाथ चान्दना-बीकानेर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी। श्री आर.सी. शर्मा, आर.सी. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से। श्री कुणाल रावत

अप्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं (एकपक्षीय)

दिनांक अवार्ड : 22-10-1996

अवार्ड

केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न विवाद इस अधिकरण को अधिनिर्णय हेतु प्रेषित किय जाने पर यह दिनांक 25-4-90 को इस अधिकरण में प्राप्त हुआ।

"Whether the demand of the Khadan Mazdoor Union, Bikaner on the management of M/s. Bhagwandas and Co., Proprietor Shri Amarnath Chandna for reinstatement with back wages and other benefits) of Shri Ghasi Khan, Supervisor is justified. If so, what relief is the workman entitled to?"

2- सचिव, खदान मजदूर यूनियन, संक्षप में यूनियन, द्वारा प्रस्तुत वाद के विवरण संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त यूनियन पंजीबद्ध संगठन है कि जो बीकानेर संभाग में विभिन्न खानों पर कार्य करने वाले श्रमिक का प्रतिनिधित्व करती है। विपक्षी संगठन में कार्य करने वाले श्रमिक उनकी यूनियन के सदस्य हैं। श्रमिक श्री घासी खान की नियुक्ति दिनांक 1-9-76 से 300/ रुपय प्रति माह पर वेतन पर सुपरवाईजर के पद पर री प्रोडक्टस प्लास्टर्स एण्ड फर्टीलाईजर्स बीकानेर में की गई थी, तब से वह निरन्तर कार्य करता आ रहा है। उसने वर्ष 1978 तक उक्त संस्थान में कार्य किया। यह संस्थान बीकानेर में प्लाट सं० 27 में कने पाउडर उत्पादन का कार्य करती थी। इसके पश्चात वर्ष 1979 में उसका स्थानान्तरण कम्पनी की खान कोलायत माईन्स ओनर से मैसर्स डाताराम एंड सन्स की खान नार्थ कीटरी चादना कने माईन्स में कर दिया गया जिसके मालिक अमरनाथ चादना व उसके परिवार के भागीदार सदस्य है। इसके पश्चात 3.6.88 को अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के कारण उसे सेवा मुक्त कर दिया गया। उसने 240 दिन तक कार्य किया है। उसने व्यक्तिगत रूप से विपक्षी संस्थान से सम्पर्क कर उसे कार्य पर लेने का निवेदन किया किन्तु कोई सुनवाई नही की गई। अत: यूनियन ने विवाद समझौता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया, किन्तु कोई रुचि समझौता वार्ता में नही दिखलाई जाने पर समझोता अधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को विवाद प्रस्तुत किया। श्रमिक की सेवा मुक्ति के पश्चात विपक्षी संस्थान ने भारी संख्या मे नये श्रमिक को नियुक्ति दी है जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 25-जी व एच तथा नियम 77 का उल्लंघन है। श्रमिक को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया तथा उसे सेवा मुक्त करना अनुचित व अवैध है तथा अनफेयर लेबर प्रक्टिस में आता है।

3- विपक्षी संस्थान की ओर से अमरनाथ चांदना द्वारा अधिकरण के नोटिस के उत्तर में एक पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह विपक्षी संस्थान का मालिक नहीं है तथा न ही उसकी इसमें कोई भागीदारी है। विपक्षी संथान के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को जाकर दिनांक 15.2.93 को नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया गया। उक्त अवार्ड को अपास्त करने हेतु यूनियन द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार किया जाकर दिनांक 25.2.95 को डिस्प्यूट अवार्ड अपास्त किया गया।

4- प्रार्थी संघ की ओर से श्रमिक घासीराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5- प्रार्थी प्रतिनिधि को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6- श्रमिक घासी खान ने अपने शपथ पत्र में लेख किया है कि विपक्षी संस्थान में दिनांक 1-9-76 को सुपरवाईजर के पद पर वह कार्य करता था तथा विपक्षी द्वारा राँ प्रोडक्ट्स प्लान्टर्स एण्ड फर्टीलाजस, बीकानेर में नियुक्ति की गई थी, जहां उसने वर्ष 1978 तक कार्य किया तथा इसके तपश्चाप व 1979 मे उसे कम्पनी की खान नार्थ से मैसर्स डालाराम एन्ड सन्स की खान नार्थ कोटरी, माईन्स थाईनावले में स्थानातरण पर भेज दिया गया जिसके मालिक श्री अमरनाथ चांदना उसके परिवार के भागीदार सदस्य थे।

7- इस प्रकार श्रमिक ने अपने शपथ पत्र के उक्त भाग में यह प्रकट किया कि उसकी नियुक्ति विपक्षी संस्थान मैसस भगवान चन्द्र कुमार को कम्पनी द्वारा की गई तथा वर्ष 1979 में उसका स्थानातरण मेसर्स डालाराम एंड सन्स द्वारा संचालित खान में कर दिया गया जिसके स्वामी अमरचन्द हैं। अमर चंद ने अपने पत्र में विपक्षी संस्थान से अपना कोई संबंध होना अस्वीकार किया है। श्रमिक द्वारा पुन; यह लेख किया गया है कि मैसर्स डालाराम एंड सन्स की खान में कार्य करने के पश्चात उसने विपक्षी संस्थान में कार्य लिया जाता रहा तथा विपक्षी संस्थान द्वारा दिनांक 13.6.88 को उसने कोई कारण बताय बिना सेवा मुक्त कर दिया गया। उसने अपने शपथ पत्र में मैसर्स डालाराम एड सन्स को फर्म में स्थानान्तरण होने की दिनांक तथा मैसर्स डालाराम एंड सन्स के संस्थान के विपक्षी संस्थान में पुनः लोटने की दिनांक भी प्रकट नहीं की है। क्या उसका स्थानान्तरण संस्थान विपक्षी द्वारा अन्य किसी संस्थान में किया जा सकता था, यह तथ्य भी उदघाटित नहीं किया गया है। नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि भी श्रमिक द्वारा यूनियन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। अत: शपथ-पत्र में प्रर्याप्त व आवश्यक तथ्यों का उद्घाटन नहीं किया गया है जिसके आधार पर श्रमिक की अभ्यर्थना के औचित्य का अवधारण किया जा सके। ऐसी अवस्था में श्रमिक अनुतोष के प्राप्त करने का पात्र नहीं है तथा यूनियन द्वारा प्रस्तुत वाद विवरण अस्वीकार किय जाने योग्य है, तदनुसार इसे निरस्त किया जाता है। इस विवाद का एकपक्षीय अधिनिर्णय इसी रुप में किया जाता है।

8- पंचाट प्रकाशनार्थ नियामानुसार केन्द्र सरकार को भेजा जाये।

आर. सी शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997

का.आ. 1201.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार राजस्थान बैरिक्स लि., उदयपुर के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध म निर्विष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[एल-29012/22/93-आई.आर. (विविध)]
बी. एम डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th April, 1997

S.O. 1201.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rajasthan Barrcaks Ltd. Udaipur and their workman, which was received by the Central Government on the 7-4-1997.

[No. L-29012/22/93-IR (Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 4/1994

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्र. एल-29012/22/93-आई.आर. मिस दिनांक 1-3-94

जनरल सैक्रेट्री, भारतीय माइन्स मिनरल्स मजदूर संघ उदयपुर।
. प्रार्थी

बनाम

मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान बैरिक्स लि., उदयपुर।
. अप्रार्थी

उपस्थिति :

पीठासीन अधिकारी : आर.सी. शर्मा, आर.एच.जे.एस.
प्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं
अप्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नही
दिनांक अवार्ड : 4-9-1976

अवार्ड

राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात पक्षकारों को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये। यनियन को 27-1-96

को नोटिस की तामील हो चुकी है किन्तु न तो प्रार्थी स्वयं न ही यूनियन का कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ, अभी तक कोई क्लेम भी पेश नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यूनियन इस प्रकरण में रुचि नहीं रखती है अतः मामले में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

आर.सी. शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1997

का. आ. 1202—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस ई सी एल के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण मुम्बई न. 2 के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/335/93-आईआर (सी-II)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th April, 1997

S.O. 1202.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Mumbai No. 2 as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.E.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 3-4-1997.

[No. L-22012/335/93-IR (C-II)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/20 of 1994

Employers in relation to the management of S.E.C.L.

AND

Their Workmen.

APPEARANCE :

For the Employer—S/Shri C. R. Singh and P. G. Godbole Representative.

For the Workmen—Shri D. N. Tripathi, Representative.

Mumbai, the 7th March, 1997

AWARD PART I

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012/335/93-IR (C-II) dated 16-2-94 had referred to the following industrial dispute for adjudication :

"Whether the action of the Agent, Sub Area Manager, Birsinghpur Pali Sub-Area of Johilla Area of S.E.C.L. in dismissing Shri Munna Pandey S/o Durga Pandey, General Mazdoor w.e.f. 27-1-93 is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

2. Munna Pandey, the worker pleaded that he was appointed in Norada Bagh Mie No. 8 of South Eastern Coalfields Limited on 25-10-82 on the post of General Mazdoor. Thereafter he was transferred to Birsinghpur Pali before Nationalisation. That mine was owned by one Juhilla Coal Co. (P) Ltd.

3. The workman pleaded that he was issued a charge-sheet dated 26/27-10-91 alleging that he had reached the house of one B. K. Sharma, Engineer on 25-10-91 at about 1.30 p.m. and assaulted him and injured his ears, neck and back. It is further alleged that when one Sudhir Pande Senior Overseer (Civil) came to the gate for official work he was also badly assaulted by the worker and threatened him to kill. The charge-sheet was issued under clause 26.18 of the Certified Standing Order applicable to the worker and the employer of South Eastern Coal Fields Limited.

4. The workman pleaded that in a domestic inquiry which was held against him he was not supplied with the copies of the statement, the preliminary report, FIR and other relevant documents. It is averred that the charge-sheet which was issued to him was not clear in terms. It is submitted that he was not allowed to represent through a co-worker or a legal representative. Under such circumstances it is alleged that the domestic inquiry which was held against the workman was against the Principles of Natural Justice.

5. The workman pleaded that the findings of the inquiry officer are perverse and are not based on the evidence before him. It is alleged that the appeal which was filed by him against the order of dismissal was not properly heard. It is submitted that under such circumstances the order of dismissal be set aside and he be reinstated in service in continuity alongwith back wages.

6. The management resisted the claim by the written statement Exhibit-5. It is alleged that the domestic inquiry which was held against the workman was as per the Principles of Natural Justice and the findings of the inquiry officer are proper. It is further pleaded that the worker is a dangerous person and the punishment which is awarded to him is just and proper. It is submitted that if the Tribunal comes to the conclusion that the domestic inquiry which was held against the workman is against the principles of Natural Justice the management may be given an opportunity to substantiate its action. For all these reasons it is submitted that the workman is not entitled to any of the reliefs.

7. The workman filed a rejoinder at Exhibit-6. He denied all the contentions taken by the management in the written statement and reiterated the contention taken by him in the statement of claim.

8. The issues are framed at Exhibit-28. The first two issues are treated as preliminary issues. The issues and my findings there on are as follows :

| | ISSUES | FINDINGS |
|---|---|---|
| 1. | Whether the domestic inquiry which was conducted against the workman was against the Principles of Natural Justice ? | Yes |
| 2. | Whether the findings of the inquiry officer are perverse ? | Yes |

REASONS

9. Munna Pandey (Exhibit-11) lead oral evidence in support of his claim. As against that P. B. Singh (Exhibit-16) the inquiry officer filed his affidavit by way of examination-in-chief. He never presented himself for cross-examination. It is therefore Commissioner (Exhibit-25) was appointed to record his cross-examination on his place. This appointment was made due to the request of the worker and the management. It appears that the Commissioner was not relieved by the management to carryout the work. Sufficient opportunity was given to the management to lead evidence but they did not avail of the same. The result is that there is no cross-examination of P. B. Singh because of his non appearing before the court and the manage-

ment not carrying for the relieving of the Commissioner for recording the cross-examination. In other words there is no oral evidence on behalf of the management.

10. The worker had produced document at Exhibit-7 and the management had produced document at Exhibit-10 and 12. They relied upon them.

11. Munna Pandey (Exhibit-11) affirmed that he was not supplied with the statement of witnesses who were called to depose in the domestic inquiry of whose statement were recorded in the preliminary inquiry. In his cross-examination this fact is not denied. As this is so, it seriously prejudiced the defence of the worker and infact affected the inquiry.

12. Pandey further stated that he is un-educated and have no technical knowledge of the prescribed rules of domestic inquiry. The management supplied him with the order for appointment of inquiry officer which is in English (Exhibit-M/6). He was also served with a notice for appearance in the inquiry. Those were in English. He did not follow the same. He further stated that the inquiry officer did not explain to him the proceedings but that appears to be a vague statement.

13. Pandey affirmed that he was not allowed to represent by co-worker to assist in the inquiry. Infact it is normal procedure that even if in the notice it is mentioned that he could represent himself alongwith the co-worker. On the first day of the hearing the inquiry officer is expected to ask the concerned delinquent whether he is to be represented by co-worker. Here that has not taken place. Admittedly Pandey was not represented by co-worker. It is tried to submit that the charges which were levelled against him were of a serious nature and would not have affected him by not representing the co-worker. This argument is without merit. The charges were major and the punishment which was awarded to him is a economical death for the worker. It can be further seen that the high officers of the management were the inquiry officer and the presenting officer. It was really necessary for the inquiry officer to see that the worker is represented by co-worker or a legal practioner as per his choice. He would have asked him to do so. On refusal he should have taken in writing from him that he wants to represent the case personally. Because of this it is rightly submitted on behalf of the worker that the inquiry which was held against him is against the Principles of natural justice.

14. There is allegation that the charge is vague. After perusal of the charge I do not find any vagueness in the same. No doubt some details are not there. But that does not help the worker for coming to the conclusion that he did not understand what is the charge against him. This is not a criminal trial.

15. The report of the inquiry officer is alleged to be submitted on the basis of the evidence before him. It can be seen that there was nobody with the worker to defend his case. Naturally the evidence which was before the inquiry officer cannot be said to be proper evidence. The result is that the findings of the inquiry officer are not proper and they are perverse. In the result I record my findings on the issues accordingly and pass the following order :

ORDER

The domestic inquiry which was held against the workman was against the Principles of Natural Justice and the findings of the inquiry officer are perverse.

The management is allowed to lead evidence to substantiate its action.

The next date of hearing is 11-4-97.

Dated : 7-3-1997

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1997

का. आ. 1203.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डब्ल्यू सी एल के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मुम्बई नं. 2 के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/140/95-आईआर (सी-II)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th April, 1997

S.O. 1203.—In pursuacne of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Mumbai No. 2, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of W.C. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 3-4-97.

[No. L-22012/140/95-IR(C-II)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT :

Shri S. B. PANSE, Presiding Officer

Reference No. CGIT 2/24 of 1995

Employers in relation to the Management of W.C.L., Bellora Sub-Area.

AND

Their Workmen

APPEARANCE :

For the Employer.—Mr. P. G. Jahangirdar, Representative.

For the Workmen.—Mr. S. P. Singh, Representative.

Mumbai, dated 6th March, 1997

AWARD-PART-I

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-22012/140/95-IR(C.II), dated 20-10-95, had referred to the following Industrial Dispute for adjudication :

"Whether the action of the Sub Area Manager, W.C.L. Bellora Dist. Yeotmal vide letter No. W.C.L./WA/SAM/BSA/Per/561 dated 22-3-94 in terminating the services of Sh. Lomesh Waf Prasad Maroti Khartad, Ex-Dozer Operator, Bellora Open case Mines WCL is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. Lomesh Maroti Khartad the workman was a Dozer Operator at Bellora Open Cast Mine of Sub Area Ghugus of Wani Area of W.C.I He resides at Redora which is abour 40 Kms. away from the mine. He used to travel daily to attend the work. He is a permanent worker.

3. The workman pleaded that on 14-10-91 he was sick and had send a medical certificate to the effect to the management which was issued by Dr. Barapatre of Ballarpur. Before taking treatment from that doctor he was taking treatment from the colliery dispensary but could not get relief. He was verbally informed by the Colliery doctor to take treatment from out side. Medical rules also provide taking of such treatment.

4. The workman had taken treatment from different doctors for getting relief and had send medical certificates to that effect to the management. When he was found medically fit he reported to duty but he was not allowed to join the seervice. He was ill between 14-10-91 to 23-12-93.

5. The workman averred that a charge-sheet was issued to him contending that he remained absent from duty without sanctioned leave or sufficient cost for over staying beyond ten days for sanction leave. The inquiry was conducted against him. But according to him it is against the Principles of Natural Justice. He was not allowed to be defended by representative nor he could cross-examine the management witnesses fully. It is further submitted that he was not supplied with the documents and the inquiry report alongwith findings. It is further averred that the findings of the inquiry officer are perverse. It is submitted that even if it is held that the charges are proved the punishment which is awarded is disproportionate to the charges proved. He therefore prayed for reinstatement in service with continuity alongwith back wages.

6. The management resisted the claim by the written statement Exhibit-5. It is submitted that the union had no authority to espouse the case of the worker because it does not represent the majority of the workers in that union. It is averred that the inquiry which was conducted against the workman was as per the Principles of Natural Justice and the findings are legal. It is further pleaded that under such circumstances the worker is not entitled to any of the reliefs.

7. The worker filed a rejoinder at Ex-10, and reiterated the contentions taken by him in the statement of claim. It also denied some of the allegations which are made in the written statement.

8. The issues nos. 1 & 2 are treated as preliminary issues. The issues and my findings there on are as follows :—

1. Whether the domestic enquiry which was held against the workman was against the principles of natural justice ? Yes.
2. Whether the findings of the inquiry officer are not based on the basis of the evidence in the enquiry proceedings and perverse ? Yes.

REASONS

9. The workman did not examined himself in the matter but Shivpal Singh Mahavir Singh (Ex-13) the General Secretary of the union examined himself for worker. So far as the management is concerned it examined Swaminathan Sadashiv Shastry (Exhibit-14) the inquiry officer. The documents are filed at Exhibit-8 and 11. The management by purshis Exhibit-14 admitted the documents filed by the worker which are at Exhibit-16 to 33. These documents clearly go to show that the worker was sick at the relevant time and was taking treatment for his disease. By the same purshis six documents are not admitted by the management which are produced alongwith it. I will be discussing the same little later.

10. From the testimony of these two witnesses it reveals that the worker was informed to be present alongwith the defence representative at the time of inquiry. It appears that the worker had given an application dated 2-2-94 Exhibit-11/22 to the manager Bellor Open Cast. He requested them to relieve one Mohan Pillai to attend his inquiry as a co-worker. It appears that the case of the management that that application was never received by the inquiry officer, even if it was received by him it was the duty of the worker to bring the defence representative. His lapse could not now help him for coming to the conclusion that he was not given an opportunity to defend the case. I am not inclined to accept this. It can be seen that it is not a minor punishment which is awarded to the worker. The management had taken a serious view of the matter. Therefore it was necessary for it to give, sufficient opportunity to the worker to defend his case. The requests which was made by the worker was just and proper. If really they had no mind to relieve Pillai they would have informed the worker well in advance that he will not be relieved and he could take necessary steps as per his choice. In that case Pillai might have taken leave to defend his friend. But it appears that in normal course such permission is given and they were allowed to represent the delinquent. Here it appears that nothing of that sort has taken place. On the date of the inquiry the worker was given five minutes time to bring his representative. This time is ridiculous. In such an inquiry nobody is expected to come with a defence representative within give minutes when the person whom he is asking for is not relieved. That definitely prejudiced the worker. No doubt he had taken part in the inquiry. But it is because that it should not be heard exparte. That does not give the management a chance to say that sufficient opportunity was given to the worker to defence his case. The inquiry suffers on his point.

11. It is not in dispute that the report of the inquiry officer and its findings are not given to the worker which prejudiced him. He could not file an appeal with reasons there in. It is well settled law that the delinquent is entitled to the inquiry report and its findings as they are not given to him he has suffered. It has to be said under such circumstances the inquiry which was held against the workman was against the Principles of Natural Justice.

12. There is also a contention of the worker that he was not provided with the copies of the documents on which the management relied. The inquiry officer admits that the copies of the registers which were shown to him were not supplied to the worker but he produced the same. It is well settled principles that the copies and the documents which the management relies in a domestic inquiry has to be given to the worker. They were not given to him. But as they relied on attendance register and as there is no dispute over that I do not find that it has caused prejudice to the worker. The inquiry officer is not sure whether the witness list was given to the worker or not. In such a case the benefit has to be given to the worker. For all these reasons I find that inquiry which was conducted against the workman was against the principles of Natural Justice.

13. So far as the findings of the inquiry officer are concerned as the workman was not given an opportunity which is required to be given it has to be said that the findings are not proper and perverse. For all these reasons I record my findings on the issues accordingly and pass the following order :

ORDER

The domestic inquiry which was held against the workman was against the principles of Natural Justice and the findings of the inquiry officer are perverse.
The management is allowed to lead evidence to justify its action. The next date of hearing is 10-4-97.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का. आ. 1204.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, सं. 2 बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/96/95-आई.आर(विविध) भाग-I)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 1204.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Mineral Exploration Corporation Ltd., and their workman, which was received by the Central Government on 9-4-97.

[No. L-29012/96/95-IR(Misc.) Part-I]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/19 of 1996

Employers in relation to the management of M/s. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employer : Mr. Govind Mishra, Advocate, Mr. A. P. Gera, Representative.
For the Workmen : Mr. S. K. Jain, Advocate.

Mumbai, dated 21st March, 1997

AWARD—PART-I

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-29012/96/95-IR(Misc.) dated 27 3-96 had referred to the following Industrial Dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of Mineral Exploration Corporation Ltd., Seminary Hills, Nagpur, in reducing the pay of their workman Shri Mohd. H. Rahman, L.D.C. represented through Indian National Mineral Exploration Corporation Employees Union, Nagpur w.e.f. 1-12-1993, is justified, legal and proper ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The union filed a statement of claim at Exhibit-5. It is contended that Mohd. H. Rahman, L.D.C. was employed by the Mineral Exploration Corporation Limited on 18-12-86. He has not received any memo or a charge-sheet during his ten years of service. He is submitted that the charge-sheet was issued to him for a minor misconduct and a departmental inquiry was conducted against him. It is averred that it was against the principles of natural justice and no opportunity of cross-examination the management witness or to adduce employees witness had been offered to him. It is asserted that the inquiry officer has acted very hastily to complete the inquiry without giving sufficient opportunity to the employee. It is further submitted that the workman was once warned for the alleged misconduct and later on in the domestic inquiry the disciplinary authority awarded the punishment of reduction of pay by one stage in time scale of pay. It is submitted that this is double punishment for the same misconduct, which is illegal. It is further pleaded that the management had not given a show cause notice before awarding any punishment to the worker. It is submitted that the appeal which is preferred by the workman was rejected mechanically. It is asserted that the gate pass was properly signed by the competent officer and after its production there was no need for the inquiry officer to continue with the domestic inquiry. For all these reasons it is submitted that the punishment which is awarded to the workman be set aside with other reliefs.

3. The management resisted the claim by the written statement Exhibit-'9'. It is averred that on 7-5-92 the charge-sheet was issued to the workman contending that he with ulterior motive presented the forge gate pass at the security gate at about 4.15 p.m. on 18-12-91 and left the premises of the company unauthorisedly. This amounts to a misconduct contemplated under rules 5.11, 5.1.18 and 5,1.20 of MECL discipline and Appellate Rules.

4. The management pleaded that the domestic inquiry which was held against the workman was as per the principles of natural justice. The workman eventhough given sufficient opportunity did not participate in the same. It is therefore the inquiry officer was required to conduct the inquiry ex-parte. It is submitted that the findings of the inquiry officer are on the basis of the evidence before him and not perverse. It is averred that the punishment which is awarded to the charge proved is a minor punishment and it is wrong to say that it is disproportionate to the charges proved. It is denied that the worker was given double punishment for the same charge. Under such circumstances it is submitted that no relief be granted to the worker as prayed

4A. The union filed a rejoinder at Exhibit-13. It is averred that he was not informed the adjourned dates of the inquiry and it was conducted behind his back. It is averred that the worker did not receive the notice of the adjourned date. He also did not receive any notice of ex-parte proceedings. It is submitted that the punishment is awarded on the illegal inquiry proceedings.

5. The issues are framed at Exhibit-14. The issue Nos 1 and 2 are treated as preliminary issues. The issues and my findings there on are as follows :

| Issues | Findings |
|---|---|
| 1. Whether the domestic inquiry which was conducted against the workman was against the Principles of Natural Justice ? | No. |
| 2. Whether the findings of the inquiry officer are perverse ? | No. |

REASONS

6. Mohd. H. Rahman (Exhibit-15) the worker had given a detailed affidavit in respect of his claim. But as issues Nos. 1 and 2 are treated as preliminary issues the cross-examination is restricted only on those issues. In paragraph-11 and 12 he had referred to the domestic inquiry. He affirmed that the inquiry was not conducted in accordance with the principles of natural justice. No just and fair opportunity was given to him for defending the charges. No opportunity was given to submit his say against the charges and explain the circumstances of the incident. He had further affirmed that the inquiry officer had acted in a very casual negligent and hastily manner and completed the inquiry without giving sufficient and reasonable opportunity to him to defend the charges.

7. In his cross-examination it has come on the record that his defence representative was Pakani. He received the first date of the hearing of the inquiry proceedings through his defence representative. He had signed the proceedings of that date. It appears from his cross-examination that he was attending the inquiry alongwith his defence representatives. The inquiry proceedings are produced alongwith written statement. On perusal of it, it can be seen that he had signed the inquiry proceedings. That speaks of his presence in the proceeding. It can be further seen that A. P Gera (Exhibit-19) the inquiry officer affirmed that he held 14 sitting of the inquiry and the adjourned dates were informed to the worker. He had also issued notices to the worker and to the defence representative. As the worker remained absent he was compelled to hold an ex parte inquiry in the matter on 31-5-93. He denied the suggestion that he had not given the opportunity to the worker to defend his case. After going through the inquiry proceedings I do not find that an opportunity was not given to the worker to defend his case. That is the only allegation in respect of the domestic inquiry. It is tried to argue on behalf of the worker that there are no acknowledgements to show that the adjourned dates of the hearing was received by the worker. No doubt these acknowledgements are not on the record I do not think that it is not the case of the management that the notices were send by registered post, acknowledgement due. It is common knowledge that at the date of the hearing the next date is given which is always known by the party concerned. It is not that in this case the worker was absent throughout and he was not aware of the date. It appears that as an abundant

precaution the workman was informed by the notices regarding the adjourned dates. I therefore do not find any merit in the case of the worker that the inquiry was conducted hastily and he was not given an opportunity to defend his case.

8. The inquiry officer had given his report on the basis of the evidence before him. After perusal of the same I do not find any perversity in the same.

9. The worker had examined one Mohd. Ibrahim (Exhibit-16) for whom he left the premises but his evidence is not relevant so far as the deciding the issue Nos. 1 and 2. It can be further seen that the contention regarding the double punishment for the same charge and punishment shockingly disproportionate to the charge proved has to be considered at the time of considering the remaining issues and not now. In the result I record my findings on the issues accordingly and pass the following order :

ORDER

The domestic inquiry which was conducted against the workmen was as per the principles of natural justice and the findings of the inquiry officer are not perverse.

The next date of hearing is 28-4-97.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का.आ. 1205—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यू.पी. राज्य खनिज विकास निगम के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध के निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं॰एल-29012/29/92-आई.आर. (विविध)]

बी.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 1205.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of U. P. State Mineral Development Corporation and their workman, which was received by the Central Government on 9-4-97.

[No. L-29012/29/92 IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 26 of 93

In the matter of dispute between :

Shri Damodar Upadhayaya, Vice President,
Khadan Mazdoor Sangh, P.O. Dalla,
District Sonebhadra (UP).

AND

The General Manager,
UP State Mineral Development Corporation,
Kanoorthala, Commercial Complex,
Aliganj, Lucknow.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its notification No. L-29012/29/92-IR(Misc.) dated 2nd March, 1993, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of UP State Mineral Development Corporation in respect of their Chopan Unit-Billi, District Sonebhadra (UP) in not regularising the services of Shri Nand Kishore Dubey S/o Narbadeshwar Prasad Dubey, Crusher/Compressor Operator and taking work from him as daily rates worker is legal and justified. If not, to what relief the workman concerned is entitled ?

2. The concerned workman Nand Kishore Dubey in his claim statement has alleged that he was engaged as Crusher and Compressor Operator on 9-1-83 by the opposite party U.P. State Mineral Development Corporation as a daily rated worker and worked at Manikpur continuously. Thereafter he was transferred to Chopan Unit on 24-12 86, where he is still working. Thirty daily wagers junior to the concerned workman have been regularised. Thus he is entitled for regularisation from 4-1-84 in the pay scale of 490—760.

3. The opposite party in spite of repeated opportunity has not filed any reply.

4. In support of his case the concerned workman Nand Kishore has examined himself. His evidence coupled with Exts. W-1 to W-18 duly proves his case. Hence my award is that concerned workman is entitled for regularisation w.e.f. 4-1-84.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का.आ. 1206—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1 मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं॰एल-31012/7/94-आई. आर. (विविध)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 1206.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal No.-1, Mumbai as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust and their workman, which was received by the Central Government on the 9-4-97.

[No. L-31012/7/94-IR (Misc)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI

PRESENT :

Shri Justice R. S. Verma, Presiding Officer.

REFERENCE NO. CGIT-8 OF 1995

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bombay Port Trust.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Management : Shri M. B. Anchan, Advocate.
For the Workman : Shri R. V. Awati, Advocate.

STATE : Maharashtra

Mumbai, dated the 21st day of March, 1997

AWARD

1. The following dispute has been referred by the appropriate Govt. for adjudication to this Tribunal :

"Whether the demand of Shri Bhaskar Dnyandeo Gokarankar against the management of Bombay Port Trust for re-instatement with full back wages and of continuity of services is justified ? If so, what are the benefits to which the workman entitled?"

2. The workman filed written statement of claim on 10-4-95. The Management filed its reply to the statement of claim on 2-4-96. No rejoinder was filed on behalf the workman.

3. On the pleading of the parties, following issues were framed on 7-6-96.

(i) Whether the enquiry held against the workman was not fair, proper and illegal.

(ii) If the enquiry held against the workman is found to be fair, legal and proper, whether the punishment proposed upon the workman is not justified.

(iii) Relief : The workman filed certain documents in support of the case. He also filed his own affidavit dated 8-7-96 but the same was allowed to be withdrawn at the request of the workman and the workman filed another affidavit dated 16-8-96. The workman was cross-examined on his affidavit. The Management has not filed any oral or documentary evidence and has relied upon the documentary evidence filed by the workman.

4. I have heard learned counsel of the parties at length The facts which are not in dispute before me are that workman Bhaskar Dnyandeo Gokarankar entered the service of the Bombay Port Trust on 25-10-1979 on the basis of a School Leaving Certificate (Exhibit M-1) issued by K. M. S. Dr. Shirodkar High School, Bombay-400012 bearing No. 1216, register No. 236. In this certificate against the column of Race and caste (with sub-caste) was shown the caste of the workman as "Hindu Mahadeo Koli". This certificate inter alia showed that the workman at the relevant time was a student of class XI Arts. On the basis of the said certificate a certificate was obtained from Additional Chief Metropolitan Magistrate, 29th Court, Dadar, Bombay on 1st November 1978 showing case of the workman as Hindu Mahadeo Koli. The workman was duly appointed and during the course of time was promoted as officiating Shed Superintendent. It may be stated that the post on which the workman was appointed was reserved for Scheduled Tribe candidate.

5. It appears that a complaint was received by the Management creating doubt about the genuiness of the School Leaving Certificate produced by the workman for procuring his appointment in the BPT. Upon this an enquiry was made and PW-I Pitambar Das Rathi visited the concerned school and verified the record. He detected that in the original record against the column of Race and Caste (with Sub-caste), only word 'Hindu' was written and there was no mention of the caste 'Mahadeo Koli' in the record of the school. Mr. Rathi after the aforesaid inspection of the record write a formal letter to the school dated 26-10-87. in reply to which the said High School vide its letter dated 11-11-87 informed the Management that the School Leaving Certificate produced by the workman was false. The school also forwarded the xerox copy of the original certificate which has been marked Exhibit-II in these proceedings. It is admitted that in the School Leaving Certificate submitted by the Workman for seeking appointment under the Management words "Mahadeo Koli" had been inserted. Upon these facts the workman was issued with a Charge sheet dated 13th of March 1990. The statement of imputations and article of charge served on the workman were as follows :

"Statement of imputations and articles of charge in respect of Shri Bhaskar Dnyandeo Gokarankar, Shed Supdt. (Offg.) Docks Department BPT.

Shri Bhaskar Dnyandeo Gokarankar was appointed to the post of Tally Clerk on 25-10-1979 against the vacancy reserved for Scheduled Tribe candidate. He is presently officiating as Shed Superintendent in the Docks Department. At the time of his appointment Shri Bhaskar Dnyandeo Gokarankar in support of his claim that he belonged to the Scheduled Tribe, produced the following documents :—

(1) School Leaving Certificate bearing No. 1216 dated 16-7-1976 issued by K.M.S. Dr. Shirodkar High School, Parel, Bombay-12 wherein his sub-caste is shown as Hindu-Mahadeo Koli.

(2) Caste certificate No. D-12823-78 dated 1-11-1978 issued by the Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 29th Court, Dadar, Bombay.

2. Based on information received in the month of April 1987, enquiry was made with K.M.S. Dr. Shirodkar High School, Parel, Bombay, to ascertain the veracity of sub-caste Mahadeo Koli claimed by Shri Bhaskar Dnyandeo Gokarankar. From the inspection of the counter foil maintained by the said school it is revealed that against Race and Caste (with sub-caste) only Hindu and no-sub-caste has been recorded. A xerox copy of the certificate bearing No. 1216 dated 16-7-1976 submitted by Shri Bhaskar Dnyandeo Gokarankar at the time of his appointment to the post of Tally Clerk reserved for Scheduled Tribe, was sent to the said school authorities to ascertain the genuiness thereof. In his letter No. HS/482/87 dated 11-11-1987, the Principal of the said school stated that the School Leaving Certificate produced by Shri Bhaskar Dnyandeo Gokarankar is false and forwarded a xerox copy of the counter foil of the said certificate in support of his statement. The counter foil of the certificate bearing No. 1216 dated 16-7-1976 does not mentioned sub-caste Mahadeo Koli.

3. The caste certificate dated 1-11-1976 issued by the Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 29th Court, Dadar, Bombay is issued inter alia particularly on the basis of School Leaving Certificate besides other documents stated therein.

4. It is, therefore, alleged that Shri Bhaskar Dnyandeo Gokarankar, Shed Supdt. (Offg.) has without lawful authority managed to get sub caste "Mahadeo Koli" incorporated in the School Leaving Certificate bearing No. 1216 dated 16-7-1976 issued by K.M.S. Dr. Shirodkar High School, Parel, Bombay, which he was not authorised to do so. It is further alleged that he used this certificate for the purpose of obtaining Caste certificate from the Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 29th Court, Dadar, Bombay and has thus managed to obtain the Caste certificate No. D-12823 dated 1-11-1978 in his favour.

5. It is, therefore, further alleged that Shri Bhaskar Dnyandeo Gokarankar having fraudulently obtained the School Leaving Certificate issued by K.M.S. Dr. Shirodkar High School, Parel, Bombay and got caste certificate issued by the Addl. Chief Metropolitan Magistrate, 29th Court, Dadar, Bombay to seek employment in the Bombay Port Trust for a post of Tally clerk which vacancy was meant for Scheduled Tribe candidate.

6. It is therefore, alleged that Shri Bhaskar Dnyandeo Gokarankar, Shed Supdt. (Offg.) Docks Department, has secured employment in the Bombay Port Trust against the reserved vacancy meant for the Scheduled Tribe candidates by producing, inter alia, the said false School Leaving certificate and by mis-representing that he belongs to the Hindu Mahadeo Koli caste. Shri Bhaskar Dnyandeo Gokarankar has thus committed the major misconduct of fraud and dishonesty in connection with Port Trust Work and suppression of material information and has rendered himself liable to be proceeded against departmentally under Regulation 3(1) of B.P.T. Employees (Conduct) Regulations, 1976, and Regulations 8 and 12 of the B.P.T. Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1976. In reply to the

said charge sheet the workman submitted a elaborate reply dated 9th July 1990 inter alia stating as follows "At the time of my appointment in Docks I was not aware of the rules, procedures or manner of my appointment. My late father who was then working as Mazdoor in Finlay Mills and was also illiterate had arranged the said caste certificate stating therein my sub-caste as Mahadeo Koli as Scheduled Tribe. At that time, there was strike in Finlay mills and consequently, my father was out of employment as the strike never ended. Our family was facing hardship at that time and my late father in those adverse days arranged the said certificate as he was anxious to get employment for me. Subsequently, my father died in 1985 and thereafter I am the only earning member in the family and entire family is dependent upon me for living". In this reply he further added "In the aforesaid circumstances I solicite for your sympathy Sir, I again say that I am not directly responsible for producing the false certificate and it was my late father who had arranged the same in compelling circumstances as stated above. Further, kindly be sympathetic to me and have mercy on me and my family and withdraw the memo".

6. The domestic enquiry was commensed by the Enquiry Officer nominated in this behalf. At the domestic enquiry PW-1 Mr. Awati was examined by the Management. The workman did not cross-examine the witness. Another witness PW-2 Mr. Shankar Pradhan was also examined by the Management and he too was also not cross-examined.

7. In the mean time, the workmen examined himself. He inter alia made following statement.

"I admit that the School Leaving Certificate but I was not aware that the same was false. Since by tradition we are doing the business of selling fish and hence I had no doubt regarding the falsity of the certificate. I was not aware to which sub-caste I belong. I admit that School Leaving Certificate was false. But I further say that the same was not produced by me. The same was given to me by my father. I was sent to B.P.T. by the Employment Exchange. I do not remember whether I was registered as Scheduled Tribe. On cross-examination by representative of the Management he expressly admitted.

> "I admit that the said certificate produced by me is false. He was put the question as to who collected the School Leaving Certificate from the School. He answered, I collected the said certificate. He was put a question "What was the caste mentioned on the certificate which you collected from the School? To this question he answered 'Hindu'. He was further questioned while getting appointment in BPT, you produced the School Leaving Certificate. What was the caste mentioned thereon ? He answered thereto Hindu Mahadeo Koli".

In further cross-examination he admitted that his name was registered as a General candidate alongwith his application for appointment. The workmen had submitted a declaration dated 25-10-79. The workman admitted the application as also the declaration to have been made by him.

8. The workman in his statement of claim challenged the fairness, legality and propriety of the enquiry, on the ground that he was not given the knowledge about the procedure of enquiry and he was refused representation by a legal practitioner. Suffice is to say that the workman knew very well the charge that had been levelled against him and he had submitted detailed reply thereto.

9. It is true that the workman was not represented by a legal practitioner during the domestic enquiry. In my opinion when the Management was not represented by a legal practitioner, the workman could not insist that he shall be represented by a Advocate. Hence, I find that the enquiry cannot be stated to be unfair, improper or illegal on this score. Actually, all the relevant facts were admitted by the workman upon the basis of which the enquiry had commenced viz. that the workman submitted a false certificate for appointment against the post reserved for Scheduled Tribe.

10. Mr. R. V. Awati contended that Management has not led any evidence to prove that the workman did not belong to the Scheduled Tribe and the burden lay upon the Management to prove this fact. He further submits that merely because a false certificate was produced on behalf of the workman in adverse circumstances, no enquiry should have been initiated against the workmen after a lapse of so many years after his appointment.

11. This is true that no direct evidence has been led by the Management to show that the workman did not belong to Mahadeo Koli caste but the workman has himself admitted that he was registered as a general candidate in the Employment Exchange. He further admitted that the School Leaving Certificate did not show his sub-caste as Mahadeo Koli and the same was interpolited before he produced the same. He has tried to shift the burden for the entire thing in his father who is not living. May be the father might have interpolated with the School Leaving Certificate but then the workman was not entitled to use such a cerificate when he knew that the same had been tampered with. In his statement, he has admitted that he was not aware to which sub caste he belong to. This admission of the workman shows very clearly coupled by all other circumstances that he did not belong to Mahadeo Koli caste. In the circumstances of the case I find that the findings of the enquiry officer are based on acceptable evidence. It has been proved that the workman did not belong to a Scheduled Tribe namely Mahadeo Koli caste. Then he procured employment under BPT by producing a false certificate which had been tampered with and was false. Now the question is as to whether the punishment imposed upon the workman is disproportionate to the misconduct proved against him. I find that the Management has been very lenient against him and has simply compulsorily retired him. This was a case where the workman could have been dismissed from service. I am left guessing as to why the disciplinary authority acted in such a lenient manner. I, therefore, find the punishment imposed upon the workman is not disproportionate to his misconduct. He was legally compulsorily retired. I find no merit in this claim and dismiss the same. Before parting with the case I may say that Shri R. V. Awati has very ably presented the case of the workman with all the persuasiveness at his command. I regret to disagree with him for the simple reason that reservation policy is meant for the weaker sections of the society. If people mis-use the reservation policy and uses the posts meant for the weaker communities by producing false Caste certificate, then the entire reservation policy will go hay-wire. The workman does not deserve any sympathy. His claim is rejected.

Award made accordingly.

R. S. VERMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का.आ. 1207.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स राजाराम बांदेकर माईन्स प्राईवेट लि., के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 2, मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 0-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/42/88-डी-III(बी)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 1207.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, No-2, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Rajaram Bandekar (Sirigao) Mines (Pvt.) Ltd., and their workman, which was received by the Central Government on 9-4-1997.

[L-29012/42/88-D-III(B)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT

SHRI S. B. PANSE

Presiding Officer

Reference No. CGIT-2|50 of 1988

Employers in relation to the management of M|s. Rajaram Bandekar (Sirigao) Mines Private Limited, Goa.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

For the Employer : Mr. M. S. Bandodkar Advocate.

For the workmen : Mr. Subhan Naik Representative.

Mumbai, the 27th March, 1997

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-129012|42|88-D.III(B), dated 17-11-1988, had referred to the following Industrial Dispute for adjudication.

"Whether the action of the management of M/s. Rajaram Bandekar (Sirigao) Mines Pvt. Ltd., Vasco-da-Gama in terminating the services of Shri Stephen Fernandes, Surveyor with effect from 30-6-1985 is justified. If not, what relief the said workman is entitled to?".

2. The workman Stephen Fernandes filed a statement of claim at Exhibit-3. He contended that the employer is M|s. Rajaram Bhadekar (Sirigao) mines Private Limited. He was appointed as the mines surveyor with effect from 15-9-1977. He was confirmed on 23-8-1978.

3. The worker pleaded that he met with a road accident when he was riding the motor cycle along with his wife on 4-5--85. He was hospitalised for many months. He asked for a leave which was initially sanctioned and later on the company did not give any reply to his applications. Ultimately he received a letter from the company dated 28-7-85 informing that his services are terminated with retrospective effect dated 30-6-85. He then approached the management again and again and ultimately wrote a letter dated 7-9-85 and requested for reinstatement. He was informed by the management that it will be done after medical check up. But he never allowed to join and he wrote letters after letters to the management. But ultimately had to approach the Assistant Labour Commissioner and raised an Industrial Dispute. The workman asserted that his termination is illegal and void. No domestic inquiry was held against him nor any compensation contemplated under the Act was given to him. It is prayed that under such circumstances he is entitled to reinstatement in service with full back wages and continuity.

4. The management resisted the claim by the Written Statement Exhibit-4. It is averred that Fernandes is not a workman as contemplated under section 2(s) of the Industrial Disputes Act of 1947. It is submitted that he was doing mainly the work of administrative and supervisory nature and was drawing a salary|emoluments more than Rs. 1,600 per month. It is pleaded that his appointment was of a statutory appointment as per the Metalliferous Mines Regulations 1961 and by virtue of the statutory dues he was required to do supervisory duties. It is submitted that under such circumstances the Tribunal has no jurisdiction to decide the matter.

5. The management pleaded that Fernandes after meeting with the accident was unable to join the duties eventhough sufficient opportunity was given to him. He is not capable to do the job of supervisory due to the accident. It is asserted that under the rules that post cannot be kept vacant for a longer period. Under such circumstances there was a fresh appointment and then there was a termination of the worker on the ground of continuous illness and inability to join the duies. It is denied that the company refused to be settled the dues of Fernandes. It is submitted that under such circumstances Fernandes is not entitled to any of the reliefs.

6. My Learned Predecessor framed issues at Exhibit-5 and by passing order at Exhibit-8 he directed to decide issues No. 1 as a preliminary issues. The issue and my findings there on is as follows :—

| Issues | Findings |
|---|---|
| 1. Whether Shri Stephen Fernandes was not a 'workman' within the meaning of Section 2(s) of the Industrial Disputes Act? | Yes. He is not a workman. |

REASONS

7. Stephen Fernandes (Exhibit-7) affirmed that he was appointed as mines surveyor with M/s. Rajaram Bandekar Mines Private Limited with effect from 15-9-77, by the letter dated 24-8-77. Till his accident that is till 4-1-85 he was continuously working in the company. He affirmed that as the Mines surveyor his duty was to serve the mines, do calculations and prepare the plans as per the directions and instructions of the mines manager. He was also required to findout the quantity of every stock, monthly other extractions from the mines, quantity of building materials etc. He affirmed that he was working under the mines

manager and would discharge his duties as per his instructions. He had not assistant nor any workman below him. In other words he tried to establish in examination in chief that he is a worker.

8. His cross-examination is very material. He admits that there were settlements between the management of the company and the union. He was not governed by any of the settlement. If he could have been a worker naturally those settlements could have affected his service conditions.

9. Fernandes accepts that he was doing the work independently with the help of labour. He was taking the help of labourers in carrying things instruments etc. While doing his work he used to ask the quantity of labourers from the manager and those labourers were working under him. That itself goes to show that he was above some of the workers. It is also not in dispute, that he was provided with a quarter by the company which was partly furnished. Such a facility was provided to the managers and officers and not to the workman. He accepts the position that his appointment was under section 38 of the Mattaliferous Mines Regulations 1961.

10. Section 38 of the Act which is Chapter IV deals with inspector of Mines Officials, the word official is defined under section 2(23). This definition includes the post of surveyor.

11. Section 38 of the Act states that the appointment of surveyor is for carrying out survey and levelling and for preparing the plans and sections and tracing required under the Act or a regulation or orders there under. Sub-section 3 of that section states that no person shall be appointed as a surveyor for more than one mine or in any other supervisory capacity in the same mines without previous permission of the authority. That chapter deals with duties and responsibilities of various officials including surveyor Section 52 talks about the duties and responsibilities of various officials including the surveyor. Section 52 talks about the duties and responsibilities of the surveyor. "As per the duties and responsibilities he is supposed to make surveys, levelling, prepare plans, section and tracing. He is responsible for accuracy of any plan and section or tracing that has been prepared or signed by him. It could be seen from further averment in the section that his duties are of supervisory nature. Chapter VI talks about plans and sections. Section 66 clearly speaks that every plan and section entracing thereof prepared under the regulation shall be prepared by or under the personal supervision of the surveyor and he and the Manager are responsible for the correctness of plans and section. He is required to certify the said plan, section or tracing."

12. Fernandes accepts that he was getting the amount, actual expenses towards the use of scooters which is not given to a worker. This supports the case of the management that he does not fall in the category of the worker.

13. Shyamala Vishwakarma (Exhibit-16) is the project incharge of M|s. Rajaram Bandekar Mines Private Limited states that Fernandes is provided with semi-furnished accomodation, he being in the officers grade. He affirmed that he was a surveyor in that company prior to the present posting. In such a capacity he was doing the work of a supervisor and Fernandes also did the same work. According to him none of the surveyors were members of the union since their service conditions are governed by the contract of service as per the regulations. He is required to have the surveyors certificate. According to him serveyor falls in senior officers category. There is nothing in his cross-examination which damages the position of the surveyor as a supervisor or a person doing administrative work.

14. Vishwakarma affirms that in the year 1985 Fernandes was earning Rs. 2,314.25 ps. per month So far as this salary is concerned there is no challange. In other words it is above Rs. 1,600. His case falls under section 2(f)(v) of the Industrial Disputes Act of 1947.

15. The Learned Representative for the workman argued that the designation is not to be taken into consideration and actual working of that person has to be seen while coming to the conclusion that he is a workman or not. In this particular case I have considered from the evidence on the record and from the regulation itself that the nature of the work of a supervisor in which capacity Fernandes was appointed was of a supervisory and administrative nature. He cannot be called as a worker as claimed by him.

16. For all these reasons it has to be said that Fernandes who was a supervisor in the company cannot be called as a worker as defined under section 2(s) of the Industrial Disputes Act of 1947. As this is so the Tribunal has no jurisdiction to decide the matter. The reference has to be disposed off accordingly. Hence I pass the following order :

ORDER

The reference is disposed off for want of Jurisdiction.

23-3-1997

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1997

का०आ० 1218.—कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1989 (29 का 1989) की धारा 2(1) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 1 मई, 1997 को वह तारीख निर्धारित करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध प्रभावी होंगे ।

[सं० एस-38011/1/92-एम०एम० I]

जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd April, 1997

S. O. 1208.—In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 1 of the Employee's State Insurance (Amendment) Act, 1989 (29 of 1989), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 1997 as the date on which the provisions of section 9 of the said Act shall come into force.

[No. S-38011/1/92-SS. I]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1997

का.आ. 1209.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91-क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि., पिम्परी, पुणे को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से प्रथम अक्तूबर, 1995 से 30 सितम्बर, 1996 तक की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छूट देती है।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी,

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि के लिए दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये थे या नहीं, या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफल स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं, या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापना कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय में संबंधित ऐसे लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति कि जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा बहिया, अन्य दस्तावेज की नकल करना या उसमें उद्धरण लेना।

[सं. एस-38014/11/95-एस.एस.-I]
जय प्रकाश शुक्ल, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट का आवेदन पत्र देरी से मिला था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 22nd April, 1997

S. O. 1209.—In exercise of the powers conferred by Section 87 read with section 91-A of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts M/s. Hindustan Antibiotics limited, Pimpri, Pune from the operation of the said Act for a period of one year with effect from 1st October, 1995 up to and inclusive of the 30th September, 1996.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employee's State Insurance (General) Regulations, 1950.

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of Section 45 of said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purpose of :—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employee's State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) as certaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to :—

(a) required the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary . or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from any registry or account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[File No. S-38014/11/95-SS. 1]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1997

का.आ. 1210.—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि दिल्ली दुग्ध योजना के अधीन दुग्ध आपूर्ति, उद्योग को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद संख्या-6 के अधीन आता है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाए ।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार दिल्ली दुग्ध योजना के अधीन दुग्ध आपूर्ति उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करते है।

[सं. एस.-11017/7/97-औ.सं. (पी.एल.)]
एच०सी० गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 24th April, 1997

S. O. 1210.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the industry for the supply of milk under the Delhi Milk Scheme which is covered by item 6 of the first Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/7/97-IR (PL)]
H. C. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1997

का.आ. 1211.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 07-04-97 को प्राप्त हुआ था ।

[सं. एल.-12012/263/95-आईआर (बी II)]
सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th April, 1997

S. O. 1211.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of U.C.O. Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 7-4-1997.

[No L-12012/263/95-IR (B-II)]

SANATAN, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 14/1991

रैफरेंस :— केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र. एल-12012/263/95-जी.आर.आई.आर. बी-2 दि. 22-2-91

अध्यक्ष, यूको बैंक स्टाफ एसोसियेशन, जोधपुर

—प्रार्थी

बनाम

डिवीजनल मैनेजर, यूनाईटेड कमर्शियल बैंक लि. जी-17 शास्त्री नगर, जोधपुर । —अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री आर.सी. शर्मा, आर.एच.के.एस.

अप्रार्थी की ओर से : श्री मान सिंह गुप्ता

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. एल. शाह

दिनांक : 26-10-1996

अवार्ड

केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्देशन न्याय निर्णयन हेतु भेजे जाने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर दोनों पक्षों को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी संघ की ओर से स्टेटमैंट ऑफ क्लेम दिनांक 18-6-91 को प्रस्तुत किया गया विपक्षी की ओर से इसका जवाब 27-4-93 को पेश किया गया। आज पत्रावली वास्ते पेश होने दस्तावेजात निश्चित है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधिगण उपस्थित हैं। प्रार्थी संघ के प्रतिनिधि ने इस अवस्था पर नो इन्सट्रक्शन्स प्लीड करना इंगित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि संघ इस मामले में रुचि नहीं ले रहा है। अतः प्रकरण में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जावे।

आर.सी. शर्मा, न्यायाधीश

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1997